सोमवार, 22 मार्च 1982

1 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 22, सोमवार, 22 मार्च, 1982/ 1 चैत्र, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	....	1—9
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 395 और 396	...	10—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 397 से 415 और 288	...	20—
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4419 से 4462, 4464 से 4474, 4476 से 4480, 4482 से 4489, 4491 से 4528, 4530 से 4550, 4552 से 4555, 4557 से 4600, 4602 से 4625, 4627 से 4637 और 4639 से 4650	...	39—254
सभापटल पर रखे गये पत्र	...	— 255
कालानूर स्टेशन (दक्षिण मध्य रेल) के पास बिना चौकीदार वाले फाटक पर एक बस और जयन्ती जनता एक्सप्रेस के बीच हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य		
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	...	256—257
नियम 377 के अधीन मामले	....	258—264
(एक) मध्य प्रदेश के विदिशा तथा रायसेन जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत कार्य		
श्री प्रताप भानू शर्मा	...	—258
(दो) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के आदिवासियों को भोजन तथा पेयजल की समस्याओं को हल करने के लिए कदम		
श्री जार्ज फर्नान्डीस	...	259—260

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों को असन्तोषजनक भर्ती प्रक्रिया		
श्री ईरा मोहन	...	260—261
(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के मुख्यालय को दिल्ली से हटाकर कलकत्ता ले जाना		
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	...	261—263
(पांच) सीमेंट उद्योग के लाभ की सीमा में कथित वृद्धि		
श्री कृष्ण कुमार गोयल	....	—263
(छः) गोरखपुर जिले में सिवा तथा आनन्द नगर चीनी मिलों द्वारार गन्ना न उठाये जाने के कारण उत्पन्न किसानों की समस्यायें।		
श्री हसफाक हुसैन	....	263—264
(सात) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण /केन्द्रीय भण्डागार निगम को और अधिक भूमि का तुरन्त आवंटन किये जाने की आवश्यकता		
श्री ईरा अनबरासु	...	264—265
अनुदानों की मांगे—1982-83		
गृह मंत्रालय	...	265—358
श्री नीरेन घोष	...	265—282
श्री चन्द्र शेखर सिंह	...	282—288
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	288—293
श्री अरविन्द नेताम	...	293—298
श्री जगपाल सिंह	...	298—307
श्री पी० नामग्याल	...	307—314
श्री चन्द्रजीत यादव	...	314—322
श्री नन्दी पैल्लैया	...	322—324
श्री टी० आर० शमन्ना	...	324—329

विषय		पृष्ठ
श्री नरसिंह मकवाना	...	329—333
श्री डी० पी० यादव	...	333—238
श्री शिव प्रसाद साहू	...	338—341
श्री दलबीर सिंह	...	341—345
श्री जमीलुर्रहमान	....	345—349
आचार्य मोहन देव	...	349—255
श्री एन० ई० होरो	...	255—358

लोक सभा

सोमवार, 22 मार्च, 1982/1 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं सदन को गांधीवादी युग के हमारे पूजनीय और सम्मानीय नेताओं में एक नेता आचार्य जी० बी० कृपलानी, जो वर्ष 1946-70 के दौरान संविधान सभा, अस्थायी संसद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लोक सभा के एक सदस्य थे, की दुखद मृत्यु की सूचना देता हूं ।

आचार्य का पद उन्हें 1922 से 1927 तक गुजरात विद्यापीठ का प्रिंसिपल होने से मिला था और उनका सच्चे गांधीवादी भावना में देश की 60 वर्ष से अधिक समय तक निःस्वार्थ सेवा का अद्वितीय रिकार्ड था ।

वह एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे जिन्होंने 1917 में चम्पारण में गांधीजी के 'इंडिगो सत्याग्रह' में लेकर सक्रिय राजनीति में घुसे थे ।

उन्होंने महात्मा गाँधी को भारी निष्ठा दी थी और उनके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी थी । 1920 में जब असहयोग आन्दोलन छेड़ा गया था । तो उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और खादी तथा ग्रामोत्थान के कार्य को शुरू करके गाधीजी के आह्वान का उत्तर दिया था । उनका जीवन देश और लोगों की स्वाधीनता के उद्देश्य को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास, खोज और संघर्ष की गाथा बनी थी । उन्होंने बहुत से स्वाधीनता आन्दोलनों में हिस्सा लिया था और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था । स्वाधीनता के बाद उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुचेता कृपलानी के साथ उन लाखों शरणार्थियों, जो अपने घरों से बेघर हो गये थे, के पुनर्वास के मामले में भारी सेवा की थी ।

एक योग्य शिक्षाविद् के रूप में उन्होंने वर्धा योजना बनाने में बेसिक शिक्षा का सच्चा प्रतिपादन किया था ।

एक सांसद के रूप में उन्होंने सदैव लोकतंत्र के उद्देश्य का समर्थन किया था । वह एक अच्छे और जोरदार वक्ता और एक अच्छे लेखक थे । उन्हें मौलिक विचार और स्पष्ट अभिव्यक्ति में महारत हासिल थी ।

एक अन्वेषक के रूप में वह सदैव आदर्श और पूर्णता की खोज में रहे थे। उन्होंने किसी सार्वजनिक पद की इच्छा नहीं की थी अथवा सत्ता का पद उन्हें इस स्वयं निर्धारित किये गये रास्त से हटा नहीं सका। वह सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और सादगी के लिये अड़े रहे थे। लोगों का आचार्य जी की निष्ठा, प्रयोजन की ईमानदारी और साहस, जिससे उन्हें उद्देश्यों में जिनमें वे विश्वास करते थे प्रेरणा मिली थी ; के प्रति भारी सम्मान था उन्हें अपनी भावना की दृढ़ता और निष्ठा की उत्कृष्ट किस्मों के लिए लोगों में भारी सम्मान प्राप्त था।

19 मार्च, 1982 को 94 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में उनका निधन हुआ था।

हम आचार्य जी के निधन पर भारी शोक प्रकट करते हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिम्हा राव) : मैं श्री कृपलानी जी के बारे में आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं और अपनी पार्टी को पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृपलानी जी को कुछ उन उच्च नेताओं में से एक नेता गिना जा सकता है जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। वह गांधीवादी दर्शन के प्रामाणिक प्रवक्ता थे। उन्होंने न केवल गांधीवाद में विश्वास किया था अपितु अपने स्वयं के जीवन में इसका मनायोग से पालन किया था।

जैसाकि प्रधान मन्त्री ने इसे बिलकुल ठीक कहा है कि वह स्पष्टवादिता, जिसमें उन्होंने अपने विश्वास ढाल लिये थे, के लिए विख्यात थे। सहमति और असहमति के अतिरिक्त उनकी उन उद्देश्यों के प्रति, जिनमें वह विश्वास करते थे, अपनी ईमानदारी और निष्ठा के बारे में उनके राजनीतिक विरोधियों में भी कभी कोई सन्देह नहीं था। उन्होंने सादगी और देश भक्ति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक लेखक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक राजनीतिक नेता के रूप में और अन्त में एक व्यक्ति के रूप में कृपलानी जी सदैव आदर और श्रद्धा से याद किये जायेंगे।

हम उनकी मृत्यु पर भारी दुख प्रकट करते हैं जिससे हमारे देश के इतिहास में एक प्रकाशयुक्त अध्याय के साथ एक बहुमूल्य कड़ी छिन गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं और मेरी पार्टी आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सम्बद्ध करती है। आचार्य कृपलानी उन थोड़े व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी और स्वाधीनता के बाद भी हमारे देश को महान और वास्तव में लोकतंत्रात्मक देश बनाने के लिए संघर्ष किया था। वह ऐसे व्यक्ति थे जो वही करते थे जिसमें वह विश्वास करते थे। जहां कहीं सिद्धांत का प्रश्न सम्बद्ध होता था वह कभी भी अपने जीवन में किसी दबाव के सामने झुकते हुए अथवा किसी समझौते को करते हुए नहीं देखे गए थे। वह एक सच्चे गांधीवादी थे और जो कुछ विश्वास करते थे, उसी का पालन करते थे। उनका सादा और आडम्बररहित जीवन का उदाहरण हमारे सामने है। हमने बहुत

से लोगों को पद और सत्ता के लिए भागते हुए देखा है लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सत्ता अथवा पद के लिए बिलकुल ध्यान नहीं दिया था । उनकी वास्तव में संसद के अन्दर और संसद के बाहर कार्य के प्रति निष्ठा थी । संकट के दौरान भी हमने उन्हें अथक साहसी व्यक्ति पाया था विशेष रूप से उस समय जब लोकतंत्र का मामला था, यह आचार्य कृपलानी ही थे जो संविधान के मूल सिद्धांतों और लोगों के अधिकार के लिए उठ खड़े हुए थे । किसी देश के लिए विशेषकर हमारे जैसे देश के लिए ऐसे लोग गर्व का विषय है । जो कुछ भी आजकल हम हैं वह इन्हीं लोगों के कारण हैं जो हमारी स्वाधीनता के लिए लड़े थे, जो गरीब लोगों, पिछड़े वर्गों के लिए तथा लोकतंत्र के लिए लड़े थे ।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं हैं हालांकि हमारी पार्टी उनके सभी राजनीतिक दर्शन और सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं तथापि हमारा ऐसा व्यक्ति के लिए, जो अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा था और जिसने लोगों तथा लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था, सर्वाधिक आदर है ।

आप संतप्त परिवार को हमारी संवेदनायें पहुंचा दें ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्री जी, चक्रवर्ती साहब ने आचार्य जे० बी० कृपलानी जी के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं । उन से मैं भी अपने आप को सम्बद्ध करता हूं ।

हम लोगों को आचार्य जे० बी० कृपलानी जी को नजदीक से देखने और मिलने का अवसर पिछले कुछ वर्षों में मिला था । उनसे मिलने के बाद जो हमें अनुभव हुआ और सब से बड़ी चो उनमें हमें देखने को मिली वह यह थी कि वह व्यक्ति सब बातों को छाड़, इस अवस्था में भी निरन्तर चिन्तन और खोज की धारा में लगा रहा । और सबसे बड़ी बेसिक बात जो बुनियादी मूल्य हैं, जीवन के हर क्षेत्र में, उनके सम्बन्ध में हमेशा चिंतित रहना, उनके लिए हमेशा रास्ता निकालना, यह सबसे बड़ी महानता उनमें थी ।

आज वे हम लोगों के बीच में नहीं हैं, स्वतन्त्रता के अग्रदूत, प्रहरी और आजादी मिलने के बाद भी देश में जब कभी भी लोकतंत्र के ऊपर या और किसी संबंध में कोई समस्या आई, कोई प्रश्नवाचक चिह्न लगा, ऐसे समय में अपने विचारों को निर्भीकता पूर्वक शेर के समान वह आदमी रखता आया ।

आज वे हम लोगों के बीच उस परिस्थिति में नहीं हैं जब कि देश एक चौराहे पर खड़ा है । निश्चित रूप से उनके चले जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है । इस क्षति को किस तरह से हम पूरा कर सकेंगे, यह कहना मुश्किल है ।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके शोकासक्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं । वह

स्वाधीनता आन्दोलन के एक महानतम योद्धा थे और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह एक महान चिंतक, वक्ता, लेखक और सांसद थे। वास्तव में यह हमारे देश को महान क्षति है।

वह समाजवादी आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। वास्तव में कई वर्षों के बाद वह उस आन्दोलन को जारी नहीं रख सके और वह किसी भी दल से सम्बद्ध नहीं रहे थे। इस सदन में कई अवसरों पर मुझे उनके जोरदार भाषणों को सुनने का अवसर मिला था। वह सिद्धांतों और विश्वासों के पुरुष थे। हम इस देश में ऐसे बहुत कम लोग देख सकते हैं जो वही करते हैं जो वे बोलते हैं।

अपनी और अपनी पार्टी की ओर से मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी शोक संवेदनायें पहुंचा दें।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, भगवान बुद्ध ने प्रायः आचार्य कृपलानी के जीवन का वर्णन किया था जब हजारों वर्ष पूर्व मानव जीवन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था :

> "हम चलती-फिरती हवा की ध्वनियां हैं ; जो शांति के लिए इच्छुक हैं लेकिन जिन्हें शांति कभी नहीं मिलती जिस प्रकार हवा है, उसी प्रकार यह नश्वर जीवन है ; एक सांस है, सिसकी है, तूफान है, संघर्ष है।"

इन पंक्तियों में प्रत्येक चरण को आचार्य जी ने जिया और अन्त में 94 वर्ष की वृद्धावस्था में हमारे देश से निष्ठा और ईमानदारी की वह ज्योति बुझ गई है। राष्ट्र को कुछ समय के लिए अंधेरे में भटकना पड़ेगा। उनकी विचारों की दृढ़ स्वतन्त्रता, उनका भ्रष्टाचार के किलों पर निर्भीक आक्रमण और स्वाधीनता और संविधान के प्रति उनकी अटल बचनबद्धता आने वाली पीढ़ियों द्वारा लम्बे समय तक याद रखी जायेगी।

शरीर से अत्यन्त कमजोर होने पर भी उन्होंने व्यक्तियों और विषयों की व्यंग्यात्मक परख नहीं छोड़ी थी और न ही अपनी हास्य भावना को छोड़ा था।

यह देश, राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गंभीर क्षति है लेकिन थोड़ा सा संतोष है कि हम शायद उस क्षति को पूरा कर सकते हैं यदि हम उन सिद्धांतों, जिनके लिए वह अपने जीवन में मजबूती से अडिग रहे, के प्रति नए सिरे से अपनी निष्ठा प्रकट करने की शपथ लें। उनके अन्तिम संस्कार में अन्यों की तुलना में देखे गए व्यक्तियों जितनी नहीं हो सकती तथापि प्रायः यह पक्का विश्वास है कि उनके आदर्शों के प्रति इनकी वचनबद्धता हजार गुना अधिक वास्तविक और तीव्र है।

आपने जो कुछ कहा है उसके प्रति मेरी पार्टी अपने को सम्बद्ध करती है। लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि इस प्रकार के निराशाजनक अवसर पर शब्द किसी व्यक्ति की भावनाओं की तीव्रता दर्शाने में असमर्थ होते हैं।

प्रो० मधु दण्डते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी की मृत्यु से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गांधीवादी विचारधारा और कार्यवाही का अन्तिम गढ़ ढह गया है।

केवल दूसरे दिन ही दादा के शरीर के अन्तिम अवशेष साबरमती में बहा दिये गए थे— साबरमती जिसने ऐतिहासिक दांडी मार्च देखा था और दादा की अन्तिम अंत्येष्टि भी देखी थी। अत: कैसा विचित्र संयोग है ? शिक्षक और छात्र, गाँधी और अन्य व्यक्ति के बीच भारी समानता है।

एक अवसर पर गांधी ने कहा था, "आचार्य कृपालानी श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं और मेरे विचारों और कार्यों के योग्यतम प्रवक्ता है।" और उन्होंने अपने जीवन द्वारा इसे दर्शाया था।

यदि आप गत कई वर्षों की इस सदन की कार्यवाही का अध्ययन करें तो आप इस सदन की कार्यवाही पर आचार्य कृपलानी की अमिट छाप देखेंगे। बिना किसी पक्षपात के आधारों पर यह कहने की अनुमति दी जाये कि जब इस देश के पुनीत सदन में आचार्य विद्यमान थे तो वास्तव में वह राष्ट्र की अन्तरात्मा का प्रतीक थे। वह अन्तरात्मा यहां पर नहीं है और यह वास्तविक क्षति है।

जब वह इस सदन में कार्य करते थे तो वह न केवल तर्कों की अद्वितीय प्रबलता और मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करते थे अपितु उनका तीक्ष्ण मस्तिष्क था और हास्य और व्यंग्य का गहरा पुट था। विभिन्न कार्यवाहियों का अध्ययन करते हुए एक अवसर पर मुझे याद है जब वह कुम्भ दुर्घटना पर बोल रहे थे तो उन्होंने परम्परा और अन्ध-विश्वासों की शक्तियों पर उग्र आक्रमण किया था और अपने युक्तिसंगत मनोभावों की गवाही दी थी।

एक अन्य अवसर पर जब वह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की निडर होकर आलोचना कर रहे थे जो कि एक तरह से संसदीय व्यंग्य में और बिना किसी के प्रति दुर्भावना में कहा गया है। तब सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य ने कहा : दादा, आप विपक्ष में हैं परन्तु कांग्रेस पार्टी दीदी को पहले ही ले गयी है। उनको बुरा नहीं लगा, दादा ने तत्काल व्यंग्य में उत्तर दिया : मैंने तो अब तक सोचा था कि आप केवल बेवकूफ ही हैं परन्तु ऐसा लगता है कि आप गुन्डे हैं। आप मेरी पत्नी को लेकर मेला गए हैं। वह अपने पर हंस सकते थे। वह अपनी पत्नी पर हंस सकते थे और महोदय पत्नी का क्या स्थान है। जिस साथी को उन्होंने चुना था वह भारतीय संस्कृति को एक सुन्दर फूल का प्रतिनिधित्व करती है।

क्या मैं सभा को याद दिला सकता हूं कि दादा की साथी ऐसी थी कि वह सुचेता जी नेआखली की महान यात्रा में उनकी साथी थी, जब एक बार किसी पत्रकार ने सुचेता कृपलानी से पूछा : सुचेताजी यदि कोई आप पर आक्रमण करे और आप पर अत्याचार, बलात्कार हो तब आप क्या करेंगे ? उन्होंने अपने पर्स से एक छोटी बोतल निकाली और कहा कि यह विकल्प है। पत्रकार ने पूछा कि विकल्प क्या है ? उन्होंने कहा · घातक जहर, यदि मुझे लगता है कि मैं

अपनी मान की रक्षा नहीं कर सकती हूं, दादा और बापू ने मुझे अपने मान की रक्षा में मरना सिखाया है। मैं मर जाऊंगी परन्तु मैं बापूजी को नहीं छोड़ूंगी। यह संदेश मुझे आचार्य कृपलानी से मिला। महोदया हमारा ऐसा परिवार था। यह देश में गांधीवादी परम्पराएं हैं। यह आचार्य की बात नहीं है कि दादा शौकीन गतिविधियों में संलग्न रहे। ऐसा संयोग कभी नहीं रहा था कि जो देश में सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने शौकीन आंदोलन में भी हिस्सा लिया। यह कोई संयोग की बात नहीं थी कि गांधी जी की शिक्षा में रुचि थी ; मौलाना अबुल कलाम आजाद की शिक्षा में रुचि थी ; पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा में रुचि थी ; संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर की शिक्षा में रुचि थी। गुजरात विद्यापीठ आचार्य कृपलानी को कभी नहीं भूल सकता है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय आचार्य कृपलानी को कभी नहीं भूल सकता है। गांधीजी के हजारों अनुयायी, जिनके सच्चा आचार्य कृपलानी ने अपने प्रसिद्ध और उल्लेखनीय योजना में गांधी की व्याख्या की थी, दादा जी को नहीं भूल सकते हैं वे आचार्य कृपलानी को नहीं भूल सकते हैं।

उस समय आचार्य कृपलानी हमारी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे और हमने उन्हें चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए देखा है। उन्होंने परिवार के मुखिया की भाँति काम किया। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके जीवन में उसी तरह का दुख था जिस तरह गांधी जी के जीवन में था। गांधी जी जब दुनिया से गए तब वह अकेले थे। जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, गांधीजी पश्चिम बंगाल के गांवों में घूम रहे थे और इसलिए माउंटबेटन ने गाँधीजी को लिखा था कि जबकि हम देश की स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, हमारी नजरें महात्मा गाँधी की ओर हैं। उन्होंने उस पत्र में लिखा था: "मेरे पास 55,000 सैनिक हैं और तब भी पंजाब में दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारी सेना में एक ही व्यक्ति महात्मा गांधी हैं ; और बंगाल में शान्ति है।" यदि उन्होंने कहा था ; और इसी का आचार्य कृपलानी ने अनुसरण किया था।

अन्त में गाँधीजी की जब मृत्यु हुई तब वह अकेले थे। देश आजाद हुआ परन्तु देश का बंटबारा हुआ। हिन्दू-मुस्लिमों में दंगे हुए और इसलिए गाँधीजी की मृत्यु गोली लगने से पीड़ा में हुई।

दादा की मृत्यु भी पीड़ा में हुई। जिन्होंने दादा के चरणों पर बैठकर सीख ली थी उन्होंने ही उनकी बनाई हुई जनता पार्टी को तोड़ा। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ हमें यह कसम दिलाई थी कि हम जनता पार्टी की एकता के लिए काम करेंगे परन्तु हम ही पापी हैं। हमने जनता पार्टी को तोड़ा। आज आचार्य कृपलानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं अपना सिर शरम से झुकाता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि हम उस प्रतिज्ञा को क्रियान्वित नहीं कर सके हैं जो हमें आचार्य कृपलानी ने दिलाई थी परन्तु हमारे लिए यही ढ़ाढस की बात है कि हम उस प्रतिज्ञा को जो हमने जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी को दी थी, पूरी करें हालांकि आचार्य कृपलानी का निधन इसी दुख में हुआ।

मुझे दादा की मृत्यु से केवल कुछ दिन पहले उनसे मिलने का अवसर मिला। उन्होंने

यह बड़े व्यंग्य और दुख के साथ कहा था : "इस निर्दयी ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में जिन्दा क्यों छोड़ा हुआ है वह मुझे उठा क्यों नहीं लेता ?" यह उनके जीवन की व्यथा को दर्शाता है ।

मुझे दुख है कि दादा का निधन संतोष के साथ नहीं हुआ अपितु उनके मन में विवाद था । हमें यह देखना चाहिए कि उनकी मृत्यु के बाद हम कम से कम उनकी आत्मा को इस पीड़ा से मुक्ति दिला दें ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के साथ आचार्य, कृपालानी के निधन पर जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उनसे अपने को सम्बन्ध करता हूं । वह मुजफ्फ्रपुर कालेज में प्रोफेसर थे और वहाँ उनसे पढने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी कहानियाँ सुनता था । 1957 में जब मैं लोक सभा का सदस्य हुआ तो वह लोक सभा के सदस्य थे और उनके भाषणों को सुनने का मुझे मौका मिला । मैं समझता हूं कि उनके विचारों के किसी को मतभेद हो सकता है मगर देश की सेवा और राष्ट्रीय आन्दोलन में जो उनका योगदान रहा वह अमूल्य है । आप मेरी और मेरी पार्टी की भावनाओं का शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

श्री ए० नोलालोहिथादासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपालानी के निधन पर श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए आपने और इस सदन के अन्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमति प्रकट करता हूं ।

आचार्य कृपलानी हमारे गोरवमय अतीत के महान मूल्यों और तत्वों के प्रतिनिधि रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में जब कि हमारे सार्वजनिक जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है आचार्य कृपलानी जैसा महान व्यक्ति जो हमेशा सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के लिए संघर्ष करता रहा उनका निधन हमारे राष्ट्र और जनता के लिए बिल्कुल दुखदायक है । उनके निधन से जो नष्ट हुआ है वह तो किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता आचार्य कृपलानी हमारी स्वाधीनता के सच्चे पुजारी और प्रजातंत्र के शक्तिस्तम्भ रहे हैं ।

आजकल हमारी स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो राष्ट्रव्यापी धार्मिक आन्दोलन की जरूरत है, हम इस प्रतीक्षा में थे कि आचार्य कृपलानी जी उसका नेतृत्व करेंगे किन्तु आज उनका भौतिक शरीर हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, फिर भी हमें आशा है कि उनके जीवन और आदर्शों से स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए हमें और राष्ट्र को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी ।

राजनीति पर आधारित जो दल बटे हुए हैं, आचार्य कृपलानीजी उन सब से कहीं ऊपर थे और वह हमारे सारे राष्ट्र और जनता की सम्पत्ति थे । इसलिए आचार्य कृपलानी जी जैसे राष्ट्रीय नेता के निधन पर हमारी सरकार को कम से कम एक हफ्ते के राष्ट्र-शोक की घोषणा करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया । मैं उसके बारे में और कुछ कहना

नहीं चाहता । मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आचार्य कृपलानी जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज सदन की छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए ।

आचार्य कृपालानी जी का जीवन हमेशा संघर्षमय रहा है, शुरू से 94 वर्ष की आयु तक वह संघर्षरत रहे हैं । उनके इस जीवन से हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए हमें और आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी उनके निधन पर मैं और मेरी पार्टी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है ।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, हर राष्ट्रीय जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इतिहास बनाते हैं और बहुत सारे लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं और उस बने हुए इतिहास पर चलते हैं । आचार्य कृपालानी जी ने भी मानव-मूल्यों, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रीय निष्ठा का इतिहास बनाया । वह राष्ट्रीय मूल्यों की धरोहर थे और गांधीवादी थे, सादा जीवन और उच्च बिचारों में विश्वास करते थे । आज राष्ट्र शोकाकुल है, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से अपनी श्रदांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री जे० बी० कृपलानी के दुखद निधन पर जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं सहमत हूं । अपनी पार्टी और अपनी तरफ से मैं महान गांधी वादी श्री जे० वी० कृपलानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । राजनीतिक तौर पर हम उनसे असहमत हो सकते हैं परन्तु इस सभा में मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह एक महान बिचारक और गांधीजी के कट्टर अनुयायी थे, वह सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के बारे में लोगों को शिक्षित करते थे, इस सम्माननीय सभा में वह आपके बाएं तरफ बैठा करते थे, अपने आदर्शों के कारण उनके लिए दाहिने तरफ बैठना असंभव था । परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वह अपने विचारों में पक्के थे और तदुनुसार वे ऐसा करते थे । हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे ।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहमापुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में समी लोगों द्वारा और इस सभा की ओर से आपके द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं सहमत हूं । वह गांधी वादी युग के महान व्यक्ति थे परन्तु मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि अपनी कम आयु में गांधीवादी बनने के पूर्व जब उन्होंने भागलपुर में प्रोफेसर का पद ग्रहण किया था, वह भूमिगत क्रांतिकारी आन्दोलन के निकट संपर्क में आये थे, यह क्रान्तिकारी आन्दोलन स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हिंसक उपायों का प्रयोग करने में विश्वास करता था । उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय मंच पर आये और आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये आन्दोलन और उनके जीवन दर्शन के प्रति आकर्षित हुए । उस समय से वह गांधीवादी जीवन दर्शन और अहिंसा के प्रति पूर्णतया निष्ठावान रहे । वह अन्त तक अहिंसा और विचारों की स्वतन्त्रता, विवेक और मानवता के समर्थक रहे, वह अन्त तक इन मूल्यों के लिए लड़ते रहे । मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आचार्य कृपलानी के निधन के साथ गांधीवादी युग का महान राजनीतिज्ञ भी चला गया। मैं कुछ महीनों से आचार्य कृपलानी द्वारा लिखित पुस्तक "गांधी-ए-स्टैट्समैन" पढ़ रहा हूं, मैंने अब तक ऐसी किताब नहीं देखी है। जिसमें इस देश में किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीयता के व्यक्तित्व का इतनी गंभीरता के साथ विश्लेषण किया गया है।

आचार्य कृपलानी हमेशा एक निडर व्यक्ति और राजनीति में सिद्धांतों के प्रति आस्थावान व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। महात्माजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के लिए उनके मन में सम्मान था परन्तु ऐसा समय भी आया जब उनके विचारों से उनका मतभेद हो गया था। वह अपने विचार निडरता से रखते थे। वह अपनी राजनीतिक पैनेपन. अपनी देश भक्ति और अपने मजाक और व्यंग के लिए याद किए जाते रहेंगे, जो लोग उनसे मतभेद रखते थे उनके मन में भी उनके लिए आदर था क्योंकि स्वतन्त्रता आंदोलन और इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में उनका योगदान था, उन्होंने पूर्ण जीवन जिया। बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो ऐसा लंबा जीवन जीते हैं, वह अंतिम समय तक क्रियाशील रहे और लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। यह उनका देश के प्रति सबसे बड़ा योगदान था यह देश राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में उनकी अनुपस्थिति को महसूस करेगा। आपने और इस सभा में अन्य सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे में पूर्णतया सहमत हूं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमने सार्वजनिक जीवन में एक महान व्यक्ति को खो दिया है। उनके विचार, उनके विश्वास हमें सदा अभिप्रेरित करते रहेंगे कृपया उनके परिवार के सदस्यों को मेरी समवेदना भेज दीजिएगा।

***श्री के० कुन्हम्बु** (कन्नानूर) : अध्यक्ष महोदय, आचार्य जे०बी० कृपलानी महान राष्ट्रीय आन्दोलन के केवल एक ऐसे जीवित नेता था जिन्होंने देश और हमारे लोगों को एक किया। उनके निधन से फटानपूर्ण और महान युग इतिहास बन गया और अब केवल यह याद बन कर रह गई हैं।

विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में आने से पूर्ण ही आचार्य कृपलानी स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक उनग्रर्पन योद्धा रहे थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने यह सोचा कि एक मजबूत और रचनात्मक विपक्षी होना चाहिए और इस उद्देश्य से उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की।

यद्यपि स्वीकृत विपक्ष की अपनी परिकल्पना और गाँधीवादी मार्ग जिसका उन्होंने अनुसरण किया था के सम्बन्ध में वह निराश हो गए थे, फिर भी वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अन्त तक अपने आदर्शों और सिद्धान्तों का पालन किया, मैं इस महान नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकाकुल परिवार को समवेदना भेजने में मेरा साथ देगी ।

यह सभा अपना दुख प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी ।

(इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†दालों तथा तिलहनों की काश्त का आधुनिकीकरण

*395. †**श्री हरीनाथ मिश्र :**

श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "कल्टीवेशन आफ पल्सिज, आयलसीड्स माड्रेनाईज्ड" (दालों, तिलहनों की काश्त का आधुनिकीकरण किया गया) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने इस विचारधारा का खंडन किया है कि उपयुक्त प्रौद्यौगिकी के अभाव में तिलहनों तथा दालों के उत्पादन में गतिरोध पैदा हो गया था;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिक पहले ही ऐसी तकनीकों का विकास कर चुके हैं जो इन फसलों के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के उक्त दावे को सिद्ध करने हेतु क्या-क्या विभिन्न प्रयोग किए जा चुके हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) से (घ) एक वक्तव्य सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने इस धारणा का खंडन करते हुए कि प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण तिलहनों और दालों का उत्पादन स्थिर था कहा कि काफी मात्रा में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए अब नई औद्योगिकी उपलब्ध हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान । दालों और तिलहनों की कम अवधि में तैयार होने वाली अनेक उन्नत किस्में विकसित की गयी हैं । इससे विभिन्न सस्य पद्धतियों और अनुक्रम के अन्तर्गत इन फसलों के अधीन क्षेत्रों में विस्तार होगा और अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा । फसल प्रबन्ध प्रौद्योगिकी का, जिसमें पौध संरक्षण अनुसूचियां शामिल हैं, मानकीकरण किया गया है जो इन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और उसे स्थिर करने में सहायक होगी ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

ग्रीष्म मूंग प्रौद्योगिकी

अल्प अवधि में तैयार होने वाली मूंग की अनेक किस्में विकसित की गयी हैं जो अनेक बहु फसली सस्य पद्धति, जिसमें गन्ना, आलू, सरसों और गेहूं जैसी फसलें शामिल हैं, के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में धान की परती भूमि में भी ये उगायी जा सकती हैं । ग्रीष्म के दौरान उत्तर भारत की स्थितियों में परखी गयीं मूंग की आठ किस्मों की औसत पैदावार 63 से 65 दिनों में 7.36 क्विंटल से 9.97 क्विंटल प्रति हैक्टर के बीच थी । इन किस्मों में से एक किस्म जैसे—पी एस—16 की पैदावार 1977 में गर्मी के मौसम के दौरान हरियाणा और उत्तर-प्रदेश में कृषकों के खेतों में 9.00 से 11-4 क्विंटल प्रति हैक्टर थी ।

अरहर की अल्प अवधि वाली किस्में

अरहर की अनेक किस्में विकसित की गयी हैं जो 150 दिनों में काटी जा सकती हैं और गेहूं के फसल चक्र के साथ उगाई जा सकती हैं । खरीफ 1981 के दौरान नजफगढ़ ब्लाक के पोचनपुर के कृषकी के खेतों में किये गये 20 प्रदर्शन परीक्षणों में 20 क्विंटल/हैक्टर औसत पैदावार प्राप्तकी गयी थी ।

चना की उन्नत किस्में

चना की अनेक उन्नत किस्में विकसित की गयी हैं । चना की एक किस्म पूसा-203 से हरियाणा के भिवानी जिले में कृषकों के खेतों पर भारतीय कृषि अनुसंधानशाला द्वारा किये गये प्रदर्शन परीक्षणों में करीब 30 क्विंटल/हैक्टर पैदावार प्राप्त हुई है ।

तोरिया-सरसों की उन्नत किस्में

तोरिया-सरसों की उन्नत किस्में विकसित की गयी हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 20-25 क्विंटल/हैक्टर है । दिल्ली राज्य में किये गये प्रदर्शन-परीक्षणों में कृषकों के खेतों से करीब 20 क्विंटल/हैक्टर पैदावार प्राप्त हुई है ।

अरंडी की उन्नत किस्में

अरंडी की तीन उन्नत किस्में विकसित की गयी हैं जो 120-150 दिनों के बीच पकती हैं और उनमें पैदावार देने की क्षमता बहुत अधिक है ।

कीट-नियंत्रण उपाय

चना के टरमाइट और कटवार्म, चना और अरहर के पौड बोरर; तोरिया-सरसों के एफिड्स और मस्टर्ड साफ्लाई को नियंत्रित करने के लिए पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी का मानकीकरण करने के लिए अनेकों परीक्षण किये गये हैं । सिफारिश की गयी पौध संरक्षण अनुसूचियों को अपनाने पर यह देखा गया कि तोरिया के 34% से 77% और सरसों के 9% से 22% तक फसल की क्षति को कम किया जा सका ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने इस विवरण को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसके अध्यक्ष मंत्री महोदय हैं, के निदेशक डा० एच० के० जैन ने यह घोषणा की है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक दालों और तिलहनों के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की विधि जानते हैं, बशर्ते कि संबंधित लोगों को कुछ बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई जायें । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे बुनियादी चीजें कौन सी हैं जिनकी जरूरत है और इसे संबंधित लोगों को उपलब्ध कराने के लिये वह कितनी शीघ्रता से आवश्यक कदम उठायेंगे ।

राव वीरेन्द्र सिंह : ये कुछ प्रमुख उपादान हैं जो थोड़े समय में तैयार होने वाले और अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हैं । कुछ ऐसी फसलों के लिए अत्यावश्यक सिंचाई और संरक्षणात्मक सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है जहां अब बारानी भूमि में खेती होती है और लोग वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं । पौधा संरक्षण भी एक आवश्यक उपाय है जो तिलहनों और दालों को अनेकों किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए किया गया है । ये ऐसी अनेक दिशायें हैं जिनमें अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं ।

दालें और तिलहनों की जल्दी तैयार होने वाली कुछ किस्मों का तो उत्पादन भी कर लिया गया है, इनके बीजों में वृद्धि की जा रही है, सिंचाई व्यवस्था का प्रसार किया जा रहा है और पौधा संरक्षण उपायों का विस्तार हो रहा है । इसके अलावा इन फसलों के लिए अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधरी हुई तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है । ये कुछ उपाय हैं जो हमने किये हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कम समय में तैयार होने वाली मूंग की किस्में तैयार करने की कार्यवाही की गई है । चने की अधिक उपज देने वाली किस्मों का भी विकास किया गया है । कम समय में तैयार होने वाली अरहर का भी विकास किया गया है । पहले अरहर की फसल 1 वर्ष या 11 महीने में तैयार होती थी, पर अब यह पांच महीने की अवधि में ही तैयार हो जाती है । मूंग की कुछ किस्में तो 60-65 दिनों में ही तैयार की जा सकती हैं

और इन्हें फसलों के बीच के समयान्तराल में उगाया जा सकता है। गेहूं, अरहर और चावल या गेहूं और मूंग या अन्य कोई फसल उगाने की पद्धति किसानों द्वारा अपनाई जा सकती है।

श्री हरिनाथ मिश्र : सदन में और सदन के बाहर भी अनेकों बार यह घोषणा की जा चुकी है कि खाद्यान्नों के बारे में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जहाँ तक दालों के उत्पादन और आम जनता में उनकी उपलब्धता का सम्बन्ध है पिछले तीन दशकों या उससे अधिक समय के दौरान इसमें कमी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि दालों की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता जो 1951 में 67.40 ग्राम थी 1967 में घटकर 41.10 ग्राम रह गई थी और आज यह केवल 39 ग्राम है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह मात्रा एक आम आदमी की औसत आवश्यकता से विशेष रूप से उसकी प्रोटीन की आवश्यकता से बहुत ही कम है। दूसरे क्या यह सच नहीं है कि देश खाद्य तेलों के आयात के लिए औसतन एक हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है ? इन सब बातों को देखते हुए इन प्रयोगों को कार्यान्वित करने के लिए तथा इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने कुछ उपायों का उल्लेख किया है। मैंने यह भी बताया है कि अधिक उपज देने वाली दालों की कुछ किस्मों का विकास किया गया है।

इसी प्रकार तिलहनों के लिये हमने रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी की अच्छी किस्मों का विकास किया है और हमने सोयाबीन तथा मूंगफली के अधिकाधिक उत्पादन की विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिये एक विशेष योजना की स्वीकृति दी गई थी और गुजरात में मूंगफली के लिए भी एक दूसरी परियोजना स्वीकृत की गई थी। यह दो अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय हैं जो हमने आदर्श (पायलट) परियोजनाओं के रूप में उठाये हैं। गुजरात में मूंगफली उत्पादन के लिये 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सोयाबीन परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, लेकिन यह एक स्वीकृत तथ्य है कि हमारे यहां दालों के उत्पादन की गति को जनसंख्या में वृद्धि की गति के अनुरूप नहीं बढ़ाया गया है और इसीलिये माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि देश में प्रति व्यक्ति दालों की औसत सप्लाई में कमी हुई है, परन्तु हम अनेकों उपाय कर के इस स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। उपाय मैं बता ही चुका हूं।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग ने यह सिफारिश की है कि डी०पी०ए०पी० की ही तरह देश में एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। महोदय, 'इन्डो मैजेटिक' पट्टी का 'डायरा'-क्षेत्र तिलहनों और दालों के उत्पादन के लिए बहुत उत्तम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह विश्वास दिलायेंगे कि दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शीघ्र ही चलाया जायेगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं ऐसा कोई आश्वासन देने में असमर्थ हूं कि बाढ़ आयोग द्वारा दी गई इन सिफारिशों की निश्चित रूप से शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जायेगा। जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। परन्तु मैं सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा असम के कुछ भागों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ किया जाना आवश्यक है जहाँ हमें उन बड़ी नदियों के पानी के लिए समुचित भंडारण स्थान तलाश करने में होने वाली कुछ कठिनाइयों के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिए कुछ ज्यादा करने में असमर्थ रहे हैं जो एक पड़ौसी देश से भारत की ओर बहती है। उन क्षेत्रों की जमीन बड़ी उपजाऊ है और हमने दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों के वास्ते कुछ विशेष परियोजनायें तैयार करने और उन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। और मैंने बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों का उत्पादन करने के प्रश्न की जांच करने के लिये वैज्ञानिकों से कह दिया है।

श्री डी०पी० यादव : बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप यह प्रश्न सिंचाई मंत्री से अलग से पूछ सकते हैं।

श्री डी०पी० यादव : कृषि मंत्रालय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करवाने वाला मंत्रालय है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं-आप ने अलग अलग राज्य में किन क्षेत्रों में दाल की पैदावर अधिक हो सकती है और कहां तिलहन की पैदावार अधिक हो सकती है, इस दृष्टि से कोई मूल्यांकन कराया है ? यदि कराया है, तो बिहार के कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दालों की पैदावार अधिक हो सकती है और जहां तिलहन की पैदावार अधिक हो सकती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने जवाब दिया है-जहां-जहां हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज लोगों को दे सकते हैं, वहां कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अच्छे बीजों पर काश्त शुरू हो जाय। बिहार के सब इलाके अच्छे हैं, लेकिन उत्तर बिहार का तो सारा इलाका दलहन और तिलहन की अच्छी पैदावार दे सकता है।

मुद्रण विभाग के लिए विस्तार कार्यक्रम

*396. श्री जेवियर अराकल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण विभाग के विस्तार कार्यक्रम क्या-क्या हैं और उन कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन मुद्रणालयों में से बहुत से मुद्रणालयों में बहुत पुरानी मशीनें हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा उनका आधुनिकीकरण करने का है ; और

(ग) केरल में कोरट्टी गवर्नमेंट प्रैस को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। और उसके लिए क्या विस्तार योजनायें बनाई गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान मुद्रण निदेशालय के विकास कार्यक्रम का एक संक्षिप्त सार सभा पटल पर रखा है।

(ख) भारत सरकार मुद्रणालयों में कुछ मशीनें पुरानी हो गई हैं, जिन्हे धीरे-धीरे बदला जा रहा है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कोरट्टी (केरल) स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में लगभग 56.68 लाख रुपये की लागत पर फार्मों के उत्पादन के लिए आफसैट प्रिंटिंग मशीनें और प्रोसेस उपस्कर लगाकर उसका विस्तार किया जा रहा है।

विवरण

मुद्रण निदेशालय के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की स्कीमों तथा उनकी योजना परिव्यय की सूची इस प्रकार है—

	लाख रुपयों में
फरीदाबाद, रिंग रोड और मिन्टो रोड स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों में हिन्दी की मुद्रण क्षमता (द्वितीय चरण) बढ़ाना	6
भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी और भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़ में फार्मों की मुद्रण क्षमता (द्वितीय चरण) बढ़ाना	63
चण्डीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित तीन भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों में फार्मों की मुद्रण क्षमता (तृतीय चरण) बढ़ाना।	50

	लाख रुपयों में
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में संसद के कागजातों की छपाई के लिए एक नए स्कन्ध की स्थापना।	560
तीन नए भारत सरकार के मुद्रणालयों की स्थापना।	348
चल रही परियोजनाओं और सन्तरागाछी स्थित भारत सरकार मुद्रणालय हेतु नए भवन के लिए स्पिल ओबर व्यय को पूरा करने के लिए।	153
जोड़	1200

श्री जेवीयर अराकल : महोदय सरकार के मुद्रणालयों ने आधुनिक तकनीकों को नहीं अपनाया है। इसलिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट अन्तर है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया है कि "भारत सरकार मुद्रणालयों में कुछ मशीनें पुरानी हो गई हैं जिन्हें धीरे-धीरे बदला जा रहा है।" मुझे यह बताया गया है कि बदलने की इस विशेष प्रक्रिया में कुछ अच्छी और ठीक ठीक काम करने वाली मशीनें भी नीलाम कर दी जायेंगी। उदाहरण के तौर पर मिन्टो प्रेस में 19-3-1982 को एक नीलामी हुई थी। इसलिए यह पूछना बिल्कुल स्वभाविक है कि वे कौन से कल पुर्जे है जिन्हें सरकार ने बदलने का इरादा किया है।

यदि आप छठीं पंच वर्षीय योजना का उल्लेख करते हैं तो कुल आवंटन 1200 लाख रुपये का है। यह धन राशि इस मांग को कैसे पूरा कर सकती है? यदि हम नई और आधुनिक तकनीक को नहीं अपनाते तो गैर-सरकारी अंग को ज्यादा काम मिलेगा और इन्हें भारी मुनाफा होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मशीनों को बदलने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है। और नई तकनीके अपनाने के लिए पुरानी मशीनों की नीलामी करने का क्या प्रस्ताव है।

श्री बृज मोहन महन्ती : जहाँ तक उनके राज्य में स्थित मुद्रणालय विशेष का सम्बन्ध है कोरठ्ठी मुद्रणालय के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना को 1982-83 के दौरान पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिए जाने की आशा है। हम दो वैब आफसेट छपाई मशीनें लगा रहे हैं जो सुधरी हुई तकनीक की है। जहाँ तक पुरानी मशीनों को बदलने का सम्बन्ध है, इसका प्रस्ताव है और हम प्रस्ताव को पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

पुरानी मशीनों को बदलने की हमारा एक पंच वर्षीय कार्यक्रम भी है और 1983-84 के लिए मशीनों का आयात किया जाएगा तथा आयात करते समय आधुनिकतम मुद्रणालय तकनीकों पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री जेवीयर अराकल : उन्हें इस उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए । फिर भी मैं प्रश्न के भाग 'ग' का उल्लेख करता हूं । हम छठी पंच वर्षीय योजना के 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं । यदि आप भाग 'ग' के उत्तर को देखें तो इसमें यह बताया गया है कि कोरट्टी मुद्रणालय के लिए 56.88 लाख रुपये रखे गये हैं । लेकिन यदि आप छठी पंच वर्षीय योजना को लें तो 63 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं । इसलिए यह पूछना स्वाभाविक है कि कितना रुपया खर्च किया गया है और किसलिए खर्च किया गया है ? उत्पादकता वर्ष में केवल आधी उत्पादकता का ही उपयोग किया गया था ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह हाल है कार्यक्षमता का ।

श्री जेवीयर अराकल : जी नहीं । मैं इससे सहमत नहीं हूं । इसलिए यह पूछना स्वभाविक है कि किस प्रयोजन के लिए यह खर्च किया गया है । मेरा पहला पूरक प्रश्न सामान्य किस्म का था । अब मैं मंत्री महोदय से कोराट्टी के सरकारी मुद्रणालय के बारे में पूछता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना रुपया किस प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है । कार्य की प्रगति कैसी चल रही है ।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, पहला चरण तो पूरा हो गया है और दूसरे चरण के लिए चालू वर्ष में (1981-82) में 30 लाख रुपये निर्धारित राशि में से 22.44 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं । अगले वर्ष (1982-83) के लिए योजनागत राशि 25.09 लाख रुपए हैं जिसमें सिविल निर्माण कार्य के लिए एक लाख रुपये की राशि भी शामिल है । 4 एककों के लिए अलग अलग दो-दो बैब आफसेट छपाई मशीनें कोराट्टी में आ चुकी हैं और शेष दो वैब आफसेट छपाई मशीनों के परियोजना स्थल पर शीघ्र ही पहुच जाने की संभावना है । परियोजना के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी उपकरण या तो आ चुके हैं या उनके लिए आर्डर दे दिया गया है । कोराट्टी मुद्रणालय के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना 1982 के दौरान पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर लिए जाने की आशा है । इससे फार्मों की छपाई के लिए वैब आफसेट छपाई की आधुनिक तकनीक प्रारम्भ हो जाएगी और लगभग 195 तकनीशियनों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान हो जायेंगे । कोराट्टी मुद्रणालय में 62 पदों का तो सृजन किया भी जा चुका है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोराट्टी मुद्रणालय लाभ में चल रहा है या घाटे में इसका ब्यौरा क्या है । इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्या वे कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं या केन्द्रीय सरकार सेवा नियमों के अन्तर्गत ?

श्री बृजमोहन महन्ती : इसमें 360 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

श्री ए० लीलोलोहिथादसन नाडर : क्या यह मुद्रणालय घाटे में चल रहा है या लाभ में ?

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है कि सभी स्थानों में मुद्रणालय लाभ में चल रहे हैं या घाटे में । मेरे पास लाभ या हानि का कोई लेखा जोखा नहीं है ।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : बिना लाभ-हानि का विचार किए हुए ही वह इसके विस्तार की बात कर रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि हमारे सरकारी मुद्रणालयों में कार्यक्षमता को कोई स्तर ही नहीं है । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली स्थित सरकारी मुद्रणालय जो सरकारी कार्यों के लिए ही निर्धारित हैं, 20 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से गैर सरकारी मुद्रणालय से कार्य करा रहे हैं और लोक सभा से 110 रुपए प्रति पृष्ठि वसूल कर रहे हैं । क्या इस बात से दिल्ली के सरकारी मुद्रणालयों की अक्षमता जाहिर नहीं होती और यदि हां तो खासतौर से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुद्रणालयों से सामान चोरी हो जाने की शिकायतों के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ? कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मेरे पास ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं आई है । इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य ऐसी किसी बात के बारे में मेरे पास जानकारी भेजते हैं..... ।

श्री सतीश अग्रवाल : वे संसदीय कार्य मंत्री हैं । यह मामला लोक सभा से संबंधित है । लोक सभा से एक सौ दस रुपये प्रति पृष्ठ लिए जाते हैं जबकि वे इस काम को 20 रुपये प्रति पृष्ठ पर करवाते हैं;

श्री भीष्म नारायण सिंह : यही बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । वास्तव में लोकसभा का काम ऐसा है कि उसे दो या तीन घंटे में ही करना होता है । कभी-कभी कोई काम बहुत ही जल्दी किया जाता है । यदि आप इस बात को ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि भारत सरकार मुद्रणालय में कुशलता से काम किया जाता है और वह अत्यन्त आवश्यक कार्य को करने की स्थिति में है ।

श्री सतीश अग्रवाल : लेकिन वह प्राईवेट प्रेसों से 20 रु० प्रति पृष्ठ पर काम करवाते हैं और सरकार लोकसभा के काम के लिए उन्हें एक सौ दस रुपया प्रति पृष्ठ देती है । लोकसभा के खाते में तो 110 रुपया प्रति पृष्ठ ही डेबिट किया जाता है । क्या यह आपकी सरकारी प्रेस की आकार्यकुशलता नहीं है ? आप लोक सभा से एक करोड़ रुपए से भी अधिक चार्ज कर रहे हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप हर काम को जल्दी करवाना चाहते हैं तो अधिक पैसा देना ही पड़ेगा । यह प्राइवेट प्रेसों का मामला बिल्कुल नहीं है ..... ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जिस काम को प्राइवेट प्रेसों से 20 रु० प्रति पृष्ठ पर करवाते हैं उसके लिए लोक सभा को 110 रु० प्रति पृष्ठ देना पड़ता है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : बात ऐसी नहीं है मैं इसे स्पष्ट करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : यह बात बिल्कुल सही है। आप इसे चुनौती नहीं दे सकते। हमने ऐसा ही देखा है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं आप एक प्राइवेट प्रेस की तुलना सरकारी प्रेस से कर रहे हैं·····।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं सरकारी प्रेस की ही बात कर रहा हूं। लोक सभा का काम 20 रुपए प्रति पृष्ठ पर प्राइवेट प्रेसों से करवाया जा रहा है जबकि लोक सभा से 110 रु० प्रति पृष्ठ लिया जा रहा है। वे बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें एक और नोटिस दें, मैं इसका उत्तर दिलवाऊंगा।

श्री भीष्ण नारायण सिंह : मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : लोक सभा एक करोड़ से भी अधिक रुपया दे रही है। आप बहुत अधिक पैसा ले रहे है·····(व्यवधान)।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, एक माननीय सदस्य ने एक गंभीर आरोप लगाया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इस की जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसमें जांच का कोई सवाल नहीं है। लोक सभा के काम के लिए, पार्लियमेंट के काम के लिए एक नया प्रेस देने की योजना बनायी है कि एक नए प्रेस की सुविधा पार्लियामेंट को उपलब्ध करायी जाए। अध्यक्ष महोदय इस बात को जानते हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि वे कमेटी की मीटिंग जल्दी करके इसकी स्वीकृति दें जिससे कि जल्दी आपको प्रेस अवेलबल हो।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं भी कमेटी का मेम्बर हूं। आपके गवर्नमेंट प्रेस में चोरी होती है। मैंने इसको रुकवाया है। आप इसको अगर नहीं रोकेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद होता जाएगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सतीश अग्रवाल जी यदि चोरी का कोई स्पेसिफिक केस देंगे तो·····।

श्री सतीश अग्रवाल : स्पेसिफिक केस लोक सभा की कमेटी के सामने हैं, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं।

श्री भीष्म नरायण सिंह : तो जब आप लिखकर सूचित करेंगे····· ।

श्री सतीश अग्रवाल : सूचित क्या करना है ? सारे रिकार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, आपके आदमी मीटिंग में मौजूद होते हैं, इसलिए लिखकर क्या देना है । (व्यवधान) ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी

*397. श्री एम० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 में देश में कच्चे पटसन के उत्पादन का अनुमान 78 लाख गांठों का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1980 से इसके उत्पादन में 4 लाख गांठों की कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) वर्ष 1982 में इसकी स्थिति क्या है; और

(च) चालू वर्ष में इसके उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) कच्चे पटसन का उत्पादन 1979-80 में 79.81 लाख गांठों की तुलना में 1980-81 में 81.95 लाख गाँठ था ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ङ) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 1981-82 में कच्चे पटसन का उत्पादन 80 और 82 लाख गांठ के बीच होने का अनुमान है ।

(च) देश में कच्चे पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार पटसन/मेस्ता उगाने वाले प्रमुख राज्यों के चुने हुए जिलों में सघन पटसन/मेस्ता विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है । योजना के तहत प्रामाणीकृत बीजों, खरपतवारनाशी दवाओं, बीज ड्रिलों, तन्तुवेचन हौजों और प्रदर्शनों पर राज सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त चुने हुए जिलों से बाहर के क्षेत्रों के लिए चालू वर्ष से पटसन के प्रमाणीकृत बीजों पर भी राज सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

मत्स्य उद्योग में कठिन आर्थिक स्थिति

*398. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री के०ए० स्वामी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य उद्योग में कठिन आर्थिक स्थिति के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) निर्यात-मूल्य में हुई कमी और कम मात्रा में पकड़ी गई झींगा मछली के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिए गत दो वर्षों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं (ट्रालरों) को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में पहले ही एक योजना है, जो ऐसे मत्स्यन जलयानों पर लागू होती है, जिनकी लम्बाई 13.7 मीटरीटन से कम न हो तथा जिन में 150 अश्व शक्ति से कम का इन्जन न लगा हो । इस योजना में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

( ) उत्पाद शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट, चाहे निर्यात किये गये हो या नहीं; और

(2) निर्यात की गई झींगा मछली के प्रत्येक एक मीटरी टन के लिए प्रत्येक 1.08 किलो लिटर डीजल पर उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत कीअतिरिक्त छूट ।

इस योजना को छोटे यंत्रीकृत जलयानों पर लागू करने के लिए जाँच की जा रही है । महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक नौका के लिए हाई स्पीड डीजल के प्रति लिटर पर 15 पैसे की राहत प्रदान कर रही है, जो प्रति वर्ष प्रति नौका अधिकतम 1060 रुपये तक है । हाल ही में, गोवा सरकार को भी इसी तरह की राहत प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेकिन प्रति वर्ष प्रति नौका अधिकतम राशि 650 रुपये कर दी गई है । समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने ऊष्मारोधी मत्स्य वाक्स प्रदान करने के लिए 9.75 लाख रुपये की राजसहायता की एक योजना शुरू की है । यंत्रीकृत नौकायें तथा ट्रालर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जलयानों की खरीद करने के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान ऋण सुविधा के अन्तर्गतपुर्नभुगतान की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गयी हैं, जिससे उद्यमियों का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पशुधर

*399. श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जीव रसायन डिवीजन संबंधी तलवार समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस डिवीजन में एक ऐसा पशुघर है जहां कोई पशु नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि 1949 से पोषण कार्य के लिए रखे गये एक ही नसल के एल्बीनो चूहे पशुघर के वैज्ञानिकों की लापरवाही के कारण 1976 में समाप्त हो गये थे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पशुघर में इस समय किये जा रहे पोषण कार्य का नया औचित्य है जिसमें कोई पशु नहीं है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां श्रीमान । तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह देखा था कि "हम लोगों के निरीक्षण के समय पशुघर बिना पशु का था ।"

यह जरूरी नहीं है कि एक पशुघर में पूरे वर्ष पशु रहने चाहिए । ऐसा इसलिए है, क्योंकि पशुओं का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है और इन परीक्षणों में अवलोकन के बाद उन्हें बेच दिया जाता है । पशुओं का स्टाक समय-समय पर फिर से रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । यद्यपि यह सही है कि 1949 से, शुद्ध नस्ल के रंजकहीन चूहे पौषणिक कार्य के लिए रखे जाते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है कि 1976 में पशुघर में ये चूहे वैज्ञानिकों की लापरवाही के कारण मार दिए गये थे ।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, समय-समय पर पशुओं का स्टाक फिर से रखा जाता है । बिना किसी व्यवधान के पौषणिक कार्य किया जा रहा है । पशुओं के खान-पान से संबंधित परीक्षण निम्नलिखित वस्तुओं पर किया गया है—

गेहूं के निष्कर्षणों और उससे बने पदार्थों;
ट्रीट्रीकेल,
सोयाबीन,
खेसारी दाल,
चावल की भूसी,
अरहर,
ज्वार,
मछली के प्रोटीन संकेन्द्रणों,
ज्वार के आहार,
बाजरा,

चावल की किस्में,
मूंगफली की विभिन्न किस्में और बने पदार्थ,
शैवाल,
अनाज और दालों से बने आहार,

पशुधर में उच्चकोटि का पोषणिक कार्य किया गया है जैसा कि यह विभिन्न प्रकाशनों से स्पष्ट है। इस कार्य में अभी भी प्रगति जारी है।

अनाज के रक्षित भण्डारों का फैलाव

*400. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाज के रक्षित भण्डारों को इस तरह जगह-जगह बनाने के प्रस्ताव हैं कि उनसे आपातकाल या विपत्ति के समय देश के किसी भी भाग में शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं :

(ग) क्या इस मामले में राज्यों से विचार-विमर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) भण्डारण क्षमता की उपलब्धता संचलन सम्बन्धी व्यवहार्यता आदि जैसी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, देश के विभिन्न केन्द्रों पर खाद्यान्नों के स्टाक को गोदाम में रखा जाता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं और किसी आपातकालीन आवश्यकता को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों समेत विभिन्न सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजना

*401. **श्री भोकूराम जैन :**

श्री गदाधर साहा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विषय का अनेक समितियों ने अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ;

(ग) इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) और (घ) ब्यौरे अभी भी तैयार किए जा रहे हैं ।

जिला तथा खण्ड स्तरों पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

*402. के० टी० कोसल राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जिला तथा खण्ड स्तरों पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई विशेष संगठनात्मक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इस समय पंचायती राज संस्थाएं काम कर रही हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जिला स्तर पर, मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/सोसायटी का गठन करने की सिफारिश की थी । यह एजेंसी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसे भूतपूर्व लघु कृषक विकास एजेंसी के प्रतिमान पर गठित किया गया है । विद्यमान लघु कृषक विकास एजेंसियों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/सोसायटियों में परिवर्तित कर दिया गया है और इसी एजेंसी को जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है । अधिकाँश राज्यों में इस एजेंसी के अध्यक्ष समाहर्ता/उप आयुक्त बनाये गए हैं और इस एजेंसी के पास पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है जो सामान्यत: वरिष्ठ स्तर का आई० ए० एस० अधिकारी अथवा राज्य सेवाओं से लिया गया कोई समतुल्य स्तर का अधिकारी होता है । एजेंसी के पास कृषि, पशुपालन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के सहायक परियोजना अधिकारी हैं । कार्यक्रम का प्रबोधन करने हेतु एक सहायक परियोजना अधिकारी भी है । एक आयोजना दल, जिसमें एक अर्थशास्त्री अथवा सांख्यिकी-विद, एक ऋण आयोजना अधिकारी तथा एक ग्रामीण उद्योग अधिकारी होंगे, की सिफारिश भी की गई है । एजेंसी के पास उपयुक्त लेखा तथा लिपिकीय कर्मचारी-वर्ग होता है । जिले के आकार, कार्य की मात्रा तथा अन्य कारणों पर निर्भर करते हुए राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का गठन किया है जिनमें उपयुक्त संख्या में अधिकारी तथा कर्मचारी रखे गए हैं ।

2. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां शासी निकाय के निर्देशानुसार कार्य करती हैं जिसके प्रमुख जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष होते हैं। शासी निकाय के सदस्यों में संसद सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि (इनमें से एक अनुसूचित जातियों/जनजातियों में से लिया जाएगा), ग्रामीण महिलाओं का एक प्रतिनिधि, जिला परिषद का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। शासी निकाय की बैठक तीन महीने में एक बार होने की सम्भावना है और कार्य के शीघ्र निपटान हेतु एक लघु कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है जिसमें शासी निकाय के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं और इस समिति की बैठक तभी आयोजित की जाती है जब आवश्यकता होती है।

3. चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को आंशिक रूप से बैंक ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है अतः आसानी से ऋण प्राप्त करने हेतु एक तंत्र भी स्थापित किया गया है। एक सलाहकार समिति, जिसमें बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कार्य करती है और ऋण जुटाने की स्थिति का निरीक्षण करने तथा उसमें आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने एवं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से इस निकाय की समय-समय पर बैठक बुलाई जाती है। खंड स्तर पर भी, अधिकांश राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में बैंकों सहित कार्य दलों व अन्य उपयुक्त प्रबन्धों की व्यवस्था की गई है।

4. खण्ड स्तर पर, कार्यक्रम को खण्ड दल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारियों, ग्राम सेवकों तथा अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है और इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य नए संगठन का सृजन नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से आग्रह किया है कि पर्याप्त संख्या में विस्तार अधिकारियों, ग्राम सेवकों तथा अन्य कर्मचारियों, जहां आवश्यक हो, को शामिल करके खण्ड प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए। खण्ड स्तर पर इस प्रकार के अतिरिक्त कार्मिकों को नियोजित करने की 50 प्रतिशत लागत को इस मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के खण्डों को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं तथा इन्हें राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् अनुमोदित किया जाता है।

(ख) पंचायती राज संस्थाएं मेघालय तथा नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों में कार्य कर रही हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

*403. श्री सूरजभान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसानों तथा अन्य व्यक्तियों से कुल कितने एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है ;

(ख) उनको कुल कितना मुआवजा दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार के दिए गए मुआवजे के बारे में, शिकायतें मिली हैं ;

(घ) यदि हां, तो किस तरह की शिकायतें मिली हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) मुआवजे का भुगतान सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिगृहीत की जाती है तथा दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी जाती है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, 6209 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मुआवजे के रूप में 13,02'77,931.59 रुपये की कुल राशि अदा की गई है ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । कम मुआवजे की अदायगी के विरुद्ध अभ्यावेदन थे । सरकार वर्तमान विधान की कमियों को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को संशोधित करने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेगी ।

(ङ) समय समय पर यथा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है ।

कृषि ऋणों के लिए ब्याज की ऊंची दरें

*404. **श्री आर० वाई० घोरपाड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के 35वें वार्षिक सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि उद्योगपतियों को दिए गए ऋणों की तुलना में कृषि ऋणों पर ब्याज की ऊंची दरों के बारे में जो शिकायतें मिली हैं वे निराधार नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या उद्योगपतियों को अपनी फैक्टरियों में उत्पादन शुरू होने पर ही ऋण का भुगतान करना पड़ता है जबकि किसानों को अपनी फसल की सम्भावनाओं पर ध्यान दिए बिना ही छः माह के भीतर ऋण का भुगतान करना शुरू करना होता है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने ऐसी गम्भीर असमान्यताओं को ठीक करने का प्रश्न संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याओं का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने यह कहा था कि किसानों की शिकायतों में से एक शिकायत यह है कि कृषि ऋणों पर उनसे लिए जाने वाले ब्याज की दर ऊंची है ।

(ख) और (घ) और (ङ) कृषि ऋणों तथा अन्य ऋणों के संबंध में ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समग्र अर्थ व्यवस्था, आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं । कृषि ऋणों के लिए ब्याज दर की संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ग) कृषि प्रयोजनों हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान को कटाई के मौसम के साथ जोड़ा जाता है । प्राकृतिक आपदाओं के आने की स्थिति में पैदावार में आई गिरावट के अनुसार, जिससे उधार लेने वाले व्यक्तियों की पुनर्भुगतान की क्षमता कम हो जाती है, अल्पावधि फसल ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदल दिया जाता है, जिनकी अवधि आमतौर पर 3 से 5 वर्ष की होती है । उत्पादकता संबंधी निवेश के लिए आवधिक ऋणों के मामले में ऐसी ही परिस्थितियों में देय किश्तों को स्थगित/पुनर्निर्धारण करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

दुग्ध संग्रह और प्रशीतन केन्द्रों को पुनः शुरू करने की मांग

*405. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्थापित किए गए दुग्ध संग्रह और प्रशीतन केन्द्र जनवरी, 1981 में बन्द कर दिए गए थे और उन्हें राज्य सहकारी समितियों को सौंप दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य दुग्ध सहकारी समितियों ने इन केन्द्रों पर ताला डाल दिया है और वे मनमाने ढंग से ग्रामीण लोगों से दूध खरीद रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों को पुनः अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खोले गए 21 दुग्ध संचयन तथा प्रशीतन केन्द्रों में से 7 केन्द्रों को जनवरी, 1977 से पहले बन्द कर दिया गया था 2 केन्द्रों को नवम्बर, 1977 में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ को सौंप दिया गया था और 11 केन्द्रों को 1978 और 1980 में बन्द कर दिया गया था । एक केन्द्र को चालू ही

नहीं किया गया था । बन्द केन्द्रों में से 5 केन्द्रों का चार्ज उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ को और तीन केन्द्रों का हरियाणा डेरी सहकारी संघ को सौंप दिया गया है ।

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश और हरियाणा डेरी संघ दोनों ही तीन-तीन केन्द्रों को चला रहे हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी डेरी संघ मुख्यतः सहकारी समितियों के जरिए दूध खरीद रहे हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । कुछ दुग्ध संचयन और प्रशीतन केन्द्रों को बन्द करने व हस्तांतरित करने का फैसला राज्य एजेंसियों की मदद करने के लिए लिया गया था ताकि वे ग्रामीण जनता के हित में सहकारी समितियों के जरिए दूध की अधिप्राप्ति करके उसे दिल्ली दुग्ध योजना को सप्लाई कर सकें ।

झींगा मछली पालन

*406. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों से तटीय किसानों की रुचि झींगा मछली पालन की ओर जा रही है और वे कृषि को छोड़कर इस लाभप्रद धंधे को अपना रहे हैं ।

(ख) क्या सरकार खारे पानी को अंदर आने से रोकने के लिए बांध का निर्माण करने हेतु भारी राशि व्यय करती है और इसके रखरखाव पर आने वाला खर्च भी बहुत अधिक है तथा इन जमीनों पर जो फसल उगायी जाती है उससे मिलने वाले लाभ से यह खर्च अधिक है ;

(ग) क्या अनेक तटीय राज्यों में किसान यह समझते हुए कि झींगा मछली पालन अधिक लाभप्रद है, खुद ही बांध काट देते हैं और अपने खेतों को समुद्र के जल से आप्लावित होने देते हैं ताकि वहां झींगा मछली पालन किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बांध को इस प्रकार काटे जाने पर नियंत्रण रखते हुए झींगा मछली पालन को, यदि ऐसा करना किसानों के लिए लाभप्रद है, बढ़ावा देगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या झींगा मछली पालन के नए काम के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाई जायेगी तथा छठी योजनावधि में इस प्रयोजन के लिए तटीय राज्यों को क्या सहायता दी जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) बांधों के निर्माण तथा रख-रखाव पर खर्च की गई राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में खाद्य एवं कृषि संगठन की परि-

योजना के तहत बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है । जहां तक बांधों के निर्माण एवं रख-रखाव पर हुए खर्च तथा उगाई गई फसलों से प्राप्त आय के बीच लागत लाभ के अनुपात का संबंध है इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ) इस संबंध में इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । तथापि, मौसम से इतर अवधि के दौरान जहां कहीं व्यवहार्य होता है लवणीय जल को खेतों में भरने दिया जाता है ताकि झींगा तथा मछली की अतिरिक्त पैदावार प्राप्त की जा सके । बाँधों को अवैध रूप से काटे जाने को रोकने का दायित्व राज्य सरकारों का है । सरकार की नीति झींगा पालन को प्रोत्साहित करने की है जो किसानों के लिए लाभकारी है ।

(ङ) जी हां । छठी योजना के दौरान खारे पानी में जल कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में झींगे तथा खारे पानी की मछलियों के पालन हेतु समुद्र तटीय राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करने का प्रस्ताव है । छठी योजना के दौरान खारा जल कृषि फार्म के विकास के लिए समुद्र तटीय इंजीनियरिंग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक परियोजना को आरम्भ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

वन वृक्षों की वाणिज्यिक उद्देश्य से कटाई

*407. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को वन वृक्षों की 'वाणिज्यिक उद्देश्य से कटाई' किए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी है,

(ख) यदि हां, तो उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और इस सम्बन्ध में निगरानी रखने के लिए किस तन्त्र की स्थापना की गई है ; और

(ग) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान देश भर में (एक) अधिक उम्र हो जाने से, (दो) झंझाय तूफान से, (तीन) वनों में आग लग जाने से, और (चार) वाणिज्यिक उद्देश्य से की गई कटाई से लगभग कितने वृक्ष गिर गए/गिराए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक प्रयोजनों से ही वृक्षों की कटाई करना वन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नहीं है । वृक्षों की कटाई वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धान्तों तथा इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई कार्यकारी योजनाओं और स्कीमों के अनुसार की जाती है ।

राज्य वन विभागों के क्षेत्र कर्मचारियों का प्रमुख कार्य तदनुसार कटाई सुनिश्चित करना तथा इससे विचलन के विरुद्ध सतर्कता बरतना है ।

(ग) वृक्षों के पुराने हो जाने या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि झंझाय अथवा तूफान से या वनों में आग लग जाने इत्यादि से नष्ट हुए वृक्षों की कोई संगणना राज्य वन विभागों द्वारा नहीं की जाती । तथापि 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकारी वनों से काटी गई लकड़ी की कुल मात्रा क्रमश: 2।1 लाख और 2।0-8 लाख घन मीटर थी ।

शुष्क भूमि खेती

*408. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०सी०ए०आर० के परियोजना निदेशक के अनुसार शुष्क भूमि खेती के लिए भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना ने बताया है कि यदि शुष्क भूमि रखने वाले भारत के प्रत्येक किसान को, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई शुष्क भूमि खेती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए राजी किया जा सके या उसे अपनाने में उसकी सहायता की जा सके तो इस तरह की भूमि में खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1981 में 160 लाख टन के अल्प उत्पाद की तुलना में प्रति वर्ष 2100 लाख टन का भारी उत्पादन प्राप्त हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उक्त तकनीक अपनाने को प्रेरित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में किसानों को किस सीमा तक राजी कर पायी है तथा वर्ष 1982 के दौरान तत्संबंधी क्या परिणाम निकलेंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमान् । यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रायोजना निदेशक ने नहीं बल्कि शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान प्रायोजना के समन्वयक ने दिनांक 4-2-1982 को एक प्रैस पार्टी से कहा कि शुष्क भूमि के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन 60 एम०टी० से 150 एम०टी० तक बढ़ाया जा सकता है यदि पहले से ही उन्नत शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी के उपलब्ध पैकेज अपनाये जाते हैं ।

(ख) तथा (ग) जी हाँ, श्रीमान् सरकार केन्द्रीय और राज्य विस्तार विभागों द्वारा उन्नत शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी को कृषकों तक पहुंचाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है । फिर भी, इस प्रौद्योगिकी को किस सीमा तक अपनाया गया और खाद्यान्न उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इससे संबंधित सही सूचना सहज उपलब्ध नहीं है ।

नर्मदा नदी से सिंचाई क्षमता का विकास

*409. श्री बी० आर० नहाटा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी से सिंचाई क्षमता के विकास करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना योजना परिव्यय रखा गया है ; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी पर सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए कितना धन व्यय किया है और इससे कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त हुई है ?

सिंचाई मंत्री श्री (केदार पाण्डेय) : (क) माननीय सदस्य संभवतः मध्य प्रदेश में नर्मदा विकास स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा बेसिन में निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 163.54 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, पांच नई वृहद स्कीमों, जिनसे नर्मदा के जल से सिंचाई परिकल्पित है, और नर्मदा बेसिन के बाहर एक स्कीम के लिए 68 करोड़ रुपये के एकमुश्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) नर्मदा बेसिन में निर्माणाधीन वृहद सिंचाई स्कीमों पर मार्च, 1982 के अन्त तक 203.60 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण-पूर्व वर्क्स पर लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। जून, 1982 के अन्त तक 3.2 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की प्रत्याशा है।

गांवों का सुधार

*410. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को जरूरत के समय सहायता देने के लिए द्रुतगति से चलने वाले वाहन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उन्हें अपनी उत्पादन द्रुतगति तथा आसानी से ले जाने में सहायता करने हेतु गांवों को नगरों तथा मण्डियों से पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) देश के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंच जाने की आशा है ताकि गांवों में, विशेषकर हरिजनों के गांवों में, अन्धेरे में फैलने वाली अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके ; और

(ग) पिछड़े तथा अल्प विकसित गांवों के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से राज्यवार जोड़े गए गांवों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों द्वारा तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजनाओं के अनुसार, 1994-95 तक सभी गाँवों में बिजली पहुंचाये जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुछ मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ; (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ; (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (घ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम ।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

अनन्तिम

31.3.1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांव

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31.3.1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221	10627
2.	असम	22026	11136
3.	विहार	67566	19094
4.	गुजरात	18275	8691
5.	हरियाणा	6741	6560
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	2115
7.	जम्मू तथा काश्मीर	6503	3465
8.	कर्नाटक	26871	7448
9.	केरल	1268	1268
10.	मध्य प्रदेश	70883	14072
11.	महाराष्ट्र	36033	9554
12.	मणिपुर	2000	394†
13.	मेघालय	4583	2185
14.	नागालैण्ड	960	628
15.	उड़ीसा	54606	717

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31.3.1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गये गांवों की संख्या
16.	पंजाब	12188	11997
17.	राजस्थान	33305	5287
18.	सिक्किम	434	161
19.	तमिलनाडु	23047	11530
20.	त्रिपुरा	4930	1250
21.	उत्तर प्रदेश	112561	9081
22.	पश्चिम बंगाल	38074	16870
केन्द्रशासित क्षेत्र			
23.	अरुणाचल प्रदेश	3463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा तथा नगर हवेली	72	55†
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा, दमन तथा दीव	435	402
29.	लक्षद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	पांडिचेरी	333	286
32.	मिजोरम	237	40
	योग	591929	155166

† 31 मार्च, 1980 तक

सहकारी शिक्षा कार्यक्रम का बन्द किया जाना

*411. श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को पुनः शुरू करने के लिए निदेश जारी करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) राज्यों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों की पुनः व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण और उनका उचित क्रियान्वयन करें।

(घ) प्रश्न ही नही होता।

सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर नहर और चुरू लिफ्ट नहर

*412. श्री दौलत राम सारण : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगानगर और चुरू जिलों (राजस्थान) के सिद्धमुख नहर, नोहर फेडर नहर और चुरू लिफ्ट नहर सिंचाई योजनाओं के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इन योजनाओं के लिए प्रारम्भिक और अन्तिम सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं, क्षेत्रवार कितनी भूमि की सिंचाई की जाएगी, और प्रत्येक नहर द्वारा कितने क्यूसेक पानी ले जाया जाएगा, प्रत्येक योजना में अनुमानतः कितना खर्चा आएगा और कब तक उनके पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ग) क्या वे क्षेत्र, जिनके लिए ये योजनाएं हैं, अत्यधिक उपजाऊ हैं और वहां सभी गांवों में उपलब्ध पानी खारा है ; और

(घ) क्या उन क्षेत्रों में लगातार सूची की स्थितियां विद्यमान हैं और क्या ये सिंचाई योजनाएं स्थानीय लोगों को स्थाई रोजगार प्रदान करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (घ) राजस्थान के सिद्धमुख तथा नोहर क्षेत्रों की सिंचाई के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति यह है कि रावी-व्यास के अधिशेष जल के आवंटन के सम्बन्ध में राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित करार के पैरा (चार) के अनुसार, एक निर्णय दिया गया है। उक्त करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-3698/82] दिया गया निर्णय यह है कि राजस्थान वर्तमान नहर प्रणाली में समुचित आदान-प्रदान करके, सिद्धमुख तथा नोहर के क्षेत्रों में, 2.94 लाख एकड़ क्षेत्र में जल के अपने हिस्से के 0.47 मिलियन एकड़ फुट जल का प्रवाह द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। इस निर्णय के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राजस्थान सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

चुरु लिफ्ट सिंचाई स्कीम के मामले में, राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई संभाव्यता रिपोर्ट अन्तर्राज्यिक पहलुओं का समाधान न हो पाने के कारण लम्बित पड़ी है, चूंकि इसमें यमुना के जल का उपयोग अन्तर्ग्रस्त है, जिसके बेसिन वाले राज्यों के बीच बटवारे के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। चुरु लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए अन्वेषण राजस्थान सरकार द्वारा अभी किए जाने हैं।

राजस्थान सरकार यह महसूस करती है कि नोहर, सिद्धमुख तथा चुरु के क्षेत्र सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं।

राष्ट्रीय आपदा कोष

*413. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकाल तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों के लिए (राज्य-वार) कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष में वर्ष 1977-78 में और पहले अधिक राशि दी थी ;

(ग) क्या गम्भीर अकाल की स्थिति तथा मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार देश के पचास प्रतिशत रेगिस्तानी क्षेत्र वाले राजस्थान के लिए, जहां तीन वर्ष से सूखे की गम्भीर स्थिति है, एक वर्ष से साधारण सूखा पड़ा है तथा जहां पांच वर्षों में केवल एक वर्ष सामान्य वर्षा होती है, इस राशि को दुगुना करने हेतु समुचित कदम उठाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने कोई राष्ट्रीय आपदा निधि स्थापित नहीं की है। अतः (क) से (घ) तक के भागों से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

तैयार आहार की मांग

*414. श्री जी० नर सिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से भारतीय तैयार आहार की विदेशों में मांग बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी माँग बढ़ी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य को बड़े पैमाने पर करवाने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधर सके और इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुधारने में मदद मिल सके ; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विधायित खाद्यों के निर्यात और वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	विधायित खाद्यों के निर्यात का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
1978-79	102.64	29.27
1979-80	128.73	25.42
1980-81	131.83 (अस्थायी)	2.41 (अस्थायी)

सरकार ने खाद्य विधायन के क्षेत्र में छोटे पैमाने के यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) लघु उद्योग के बारे में संयंत्र और मशीनरी के लिए सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर देने से भारी संख्या में खाद्य विधायन यूनिट लघु उद्योग के यूनिटों के लिए अनुमेय रियायतों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे ;

(2) छोटे आकार के अन्य यूनिटों की भांति, छोटे पैमाने के खाद्य विधायन यूनिटों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं—रियायती शर्तों पर ऋण सुविधाएं देना, सेवा

प्रभारों और प्रतिभूति मार्जिन में कमी करना, करों में राहत देना, चुनींदा दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन करने पर 50 प्रतिशत की राजसहायता और चुनींदा पिछड़े जिलों में कुल निर्धारित पूंजी लागत के 15 प्रतिशत तक और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 20 प्रतिशत तक केन्द्रीय पूंजी राजसहायता सुलभ करना ;

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम नाम का एक निगम स्थापित किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय असम में होगा और जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बागवानी उत्पादों के उत्पादन, विधायन और विपणन को विशेष रूप से बढ़ावा देना होगा ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के खाद्य विधायन केन्द्र स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है । फल और सब्जी उत्पाद विकास निगम स्थापित करने के बारे में भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसका उद्देश्य विशेषतया फलों और सब्जियों के विधायन करने और विधायित उत्पादों का विपणन करने के कार्य को बढ़ावा देना होगा ।

मध्य प्रदेश के शहदोल जिले में सिंचित क्षेत्र

***415. श्री दलबीर सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का शहदोल जिला देश के उन जिलों में एक है जहां सबसे कम सिंचित क्षेत्र हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अत्यधिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इन उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को राष्ट्रीय औसत स्तर तक आने में कितने वर्ष लग जायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के सभी जिलों के, उनकी अपनी-अपनी सिंचाई क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात्, सिंचाई के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने की संभावना नहीं है । जहां तक शाहडोल जिले का संबंध है, जून, 1980 तक 5460 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता पहले ही सृजित की जा चुकी है । दो निर्माणाधीन मध्यम स्कीमों, तथा अन्तर्राज्यीय बृहद बाणसागर परियोजना के पूर्ण होने जाने के पश्चात, इस जिले में सिंचाई क्षमता बढ़कर 13500 हैक्टेयर हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने छठी योजना के दौरान एक और बृहद स्कीम नामश: बमराहा का प्रस्ताव किया है, जिसके पूर्ण होने पर 46000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी । लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए जिसमें भूमिगत जल का उपयोग शामिल है, सिंचाई के और अधिक विकास की गुंजाइश है । शाहडोल जिले की अन्ततः सिंचाई क्षमता को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, जो मध्य प्रदेश सरकार इस जिले के लिए निश्चित करेगी ।

पश्चिम बंगाल में 'टंगरो' रोग और समुद्री तूफान से हुई फसलों की हानि

*288. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'टंगरो' रोग और समुद्री तूफान से हुई फसलों की हानि के कारण पश्चिम बंगाल में कृषक अत्यन्त गंभीर स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्वित बड़े पैमाने पर करने के लिए अधिक खाद्यान्न तत्काल सप्लाई करेगी ;

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजनाओं के लिए वर्ष 1981 में पश्चिम बंगाल को कितने खाद्यान्न का आवंटन किया था ; और

(ङ) वर्ष 1981 के दौरान पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई की गई वास्तविक मात्रा कितनी थी ?

कृषि, तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द सिंह) : (क) अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार टंगरो रोग ने पश्चिम बंगाल में कुछेक जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में चावल की फसल को न्यूनाधिक रूप में प्रभावित किया है । 10 दिसम्बर, 1981 की शाम को लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से एक समुद्री तूफान (तेज समुद्री हवा सहित) आया था, जिससे मिदनापुर तथा 24-परगना जिलों के लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्रों को आघात पहुंचा था और इसने 5.5 लाख एकड़ कृषि भूमि को प्रभावित किया था तथा अधिकांश झोंपड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया था ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक और अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और रोग के आक्रमण का मुकाबला करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपयुक्त उपायों का सुझाव दिया था । धान की फसल के मुख्य कीड़ों पर नियंत्रण पाने हेतु उपदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1.8 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है ।

एक केन्द्रीय दल ने समुद्री तूफान से हुई हानि और अपेक्षित राहत का मूल्यांकन करने के लिए जनवरी के शुरू में राज्य का दौरा किया था । उच्चस्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास हेतु और समुद्री तूफान से नष्ट हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत करने तथा उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए 1981-82 के दौरान 1817.87 लाख रुपये और 1982-83 के दौरान 757 50 लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दी है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1981-82 के दौरान, पश्चिम बंगाल को 22500 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था। सम्पूर्ण मात्रा बंटित की जा चुकी है। इसके अलावा, गत वर्षों की उठाई न गई मात्रा के मुकाबले में 12715 मीटरी टन खाद्यानों की मात्रा को पुनर्वेधीकृत किया गया था, जिसमें से 4800 मीटरीटन खाद्यान्न वास्तविक रूप में बंटित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में 13.48 करोड़ रुपये का नकद घटक भी बंटित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध किए जाते हैं। शेष मजदूरी का भुगतान केवल नकदी में किया जाता है। इस प्रकार, खाद्यान्नों की सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली नकद निधियों की धनराशि से सम्बन्धित है। चूंकि नकद सहायता में वृद्धि होने की कोई आशा नहीं है इसलिए खाद्यान्नों की कोई अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई करना भी सम्भव नहीं है।

(ङ) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1-4-1981 को उनके पास उपलब्ध उपयोग में न लाई गई 16,223 मीटरीटन खाद्यान्नों की शेष मात्रा के अलावा, 1-4-1981 से 31-1-1982 तक की अवधि के दौरान 8700, मीटरीटन खाद्यान्नों की मात्रा उठाई गई थी।

उड़ीसा में भीमकुंड सिंचाई परियोजना

4419. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा की भीमकुंड सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान कार्यान्वित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बांध के निर्माण का स्थान चुन लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस स्थान के सबंध में ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) उड़ीसा की उक्त बांध परियोजना को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1982-83 के दौरान भीमकुण्ड परियोजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ;

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने जून, 1980 की अपनी संशोधित परियोजना रिपोर्ट में, जो केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है, वैतरणी नदी पर क्योंझर जिले में न्योपाड़ा ग्राम के निकट एक स्थल का प्रस्ताव किया है।

(घ) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखकर, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता और सप्लाई

4420. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की उर्वरकों की आवश्यकता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की गई, उनका वर्षवार और राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसमें कोई कमी आयी है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) प्रत्येक फसल मौसम के लिए उर्वरकों की मांग उसके प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकार आदि के परामर्श से निकाली जाती है । चालू खरीफ. 1982 (फरवरी-जुलाई, 1982) के लिए कुल मांग 29.65 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों के रूप में आंकी गई है । मांग का राज्यवार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-सभा पटल पर रख दिया गया है ।

रबी, 1982-83 (अगस्त, 1982 से जनवरी 1983 तक) के लिए इसी तरीके से मूल्यांकन जुलाई, 1982 में किया जाएगा ।

(ख) देशी स्रोतों द्वारा सप्लाई की गई तथा वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक (अनुमानित) के लिए पूल से उठायी गयी पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण-2 सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण-1

(एन+पी+के हजार मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य	खरीफ 1982 के लिए कुल मांग
1.	आन्ध्र प्रदेश	321.00
2.	केरल	159.80
3.	कर्नाटक	270,00
4.	तमिलनाडु	245.00
5.	गुजरात	225.00
6.	मध्य प्रदेश	149.00
7.	महाराष्ट्र	363.00
8.	राजस्थान	69.30
9.	हरियाणा	103.70
10.	पंजाब	280.00
11.	उत्तर प्रदेश	430.00
12.	हिमाचल प्रदेश	17.10
13.	जम्मू तथा कश्मीर	31.00
14.	असम	11.50
15.	बिहार	83.00
16.	उड़ीसा	53.10
17.	प० बंगाल	138.20
18.	मणिपुर	4.30
19.	मेघालय	2.90
20.	नागालैण्ड	0.50
21.	त्रिपुरा	3.10
22.	सिक्किम	0.20
23.	अन्य	104.50
	अखिल भारतीय	2965.20

विवरण—2

1979-80 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान उर्वरक पूल से उर्वरक की उठायी गयी वास्तविक मात्रा तथा देशी स्रोतों से सप्लाई की गई वास्तविक मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा

(एन+पी+के पोषक तत्वों के रूप में हजार मीटरी टन)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1979-80	1980 81	1981-82
1.	आन्ध्र प्रदेश	576 66	629.90	740.73
2.	कर्नाटक	319.67	355.95	404.69
3.	केरल	107 89	112.42	123.01
4.	तमिलनाडु	601.60	586.88	517.00
5.	गुजरात	445.76	371.43	371.35
6.	मध्य प्रदेश	147.09	204.28	245.09
7.	महाराष्ट्र	395.84	408.98	589.05
8.	राजस्थान	146.00	114 15	133.89
9.	हरियाणा	214.71	204.07	237 95
10.	पंजाब	638.92	600.97	624.44
11.	उत्तर प्रदेश	818.10	880.93	963.97
12.	हिमाचल प्रदेश	14.88	19.51	17.34
13.	जम्मू तथा कश्मीर	20.73	23.04	26.73
14.	असम	19.31	26.74	20.06
15.	बिहार	203.40	188.24	269.03
16.	उड़ीसा	56.92	55.87	72.58
17.	प० बंगाल	209.40	196.73	235.79
18.	मणिपुर	2.46	2.58	4.65
19.	मेघालय	2.64	1.65	2 31
20.	नागालैण्ड	0.05	0.04	0.67
21.	त्रिपुरा	2.12	2.25	3.89
22.	सिक्किम	0.06	0.64	0.52

वर्ष 1982-83 के दौरान वनस्पति घी संयंत्रों की स्थापना

4421, श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान सरकार का देश में वनस्पति घी के कुछ संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वित्तीय वर्ष में ऐसे कितने संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर करने का विचार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) से (घ) : वनस्पति घी के उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षमता कुल मिलाकर पर्याप्त है । तथापि, उपयुक्त क्षेत्रो और उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ और अधिक क्षमता सृजित करने के बॉरे में उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

विकास मार्ग में दिल्ली नगर निगम का मल व्ययन पम्पिग स्टेशन-स्वास्थ्य के लिए हानिकर

4422. श्री कमल नाथ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांस यमुना क्षेत्र में विकास मार्ग में स्थिति दिल्ली नगर निगम का मलव्ययन पम्पिंग स्टेशन वहां के ईर्द-गिर्द रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कहीं दूर बदलने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यात्रा भत्ते में गबन के मामलों की जाँच

4423. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यात्रा भत्ते में गबन तथा जालसाजी के हाल के मामलों की जांच का काम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्योरे क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि तीन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है, कर्मचारियों के लगभग 6 अन्य मामलों में संरक्षण दिया जा रहा है यद्यपि उन्होंने 3-4 वर्षों में की गई जालसाजी एवं गबन का अपना दोष स्वीकार कर लिया है और कपट का पैसा वापस अदा कर दिया है;

(घ) क्या जालसाजी के मामलों में माफी देने की शक्ति सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति के महानिदेशक और/अथवा प्रधान को प्रत्यायोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को भरती, चयन, विदेशों में प्रशिक्षणों तथा प्रतिनियुक्तियों आदि में दोहरे मानदड लागू करने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के सभी वर्गों में व्यापक रूप से व्याप्त अराजकता तथा असुरक्षा की भावना का पता है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पिछले तीन वर्षों और उससे अधिक समय में कुछ अधिकारियों को दिये गये अनिर्णित बकाया अग्रिम राशि के मामले की छान-बीन करने पर पता चला कि कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठकों में शामिल होने के लिए आने पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए कथित रूप से जो यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान के रूप में दिया गया दिखाया गया था वह गलत था क्योंकि वास्तव में उन्होने बैठक में भाग नहीं लिया था लेकिन वह भुगतान उनके नाम दिखा दिया गया था । इसलिए, प्रत्यक्षत: इसमें कुछ गबन/दुरुपयोग का मामला दीख पड़ा और इसे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया । गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की भुगतान के लिए 6 अधिकारियों के नाम से निकाली गयी अग्रिम राशि से संबंधित मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को भेज दिया गया है और इन मामलों में से 5 के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एफ० आई० आर/पहले ही दर्ज किया जा चुका है और इस पर आगे जांच-पड़ताल की जा रही है । जहां तक छठे अधिकारी का संबंध है, परिषद द्वारा उनको भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरम्भिक जांच-पड़ताल का काम किया जा रहा है ।

(ग) यह सच है कि अधिक से अधिक 6 अधिकारियों द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के लिए ली गयी अग्रिम राशि में अनियमितता का पता चला है । इन 6 अधिकारियों

में से 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। जहां तक तीन अधिकारियों का प्रश्न है, इन प्रत्येक अधिकारियों से संबंधित तथ्यों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है। इस मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सोसायटी के या तो महानिदेशक या अध्यक्ष द्वारा अब तक जालसाजी के मामले में माफी नहीं दी गयी है।

(ङ) नियुक्ति, चयन, विदेशों में प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि के मामलों को निपटाने में दोहरे मानदंड को लागू नहीं किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए इस आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के सभी वर्गों में अराजकता और असुरक्षा की व्यापक भावना पैदा नहीं हो सकती।

शीत भंडारण क्षमता को बढाना

4424. **श्रीमती माधुरीसिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद और उपलब्ध शीत भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में शीत भंडारण की कमी के कारण मूल्यों में कमी और यातायात की समस्यायें पैदा होती हैं; और

(ग) सरकार इस समस्या के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यद्यपि फलों और सब्जी उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि अनुमान है कि वर्ष 1979-80 में सब्जियों का उत्पादन लगभग 314 लाख मीटरी टन और फलों का उत्पादन लगभग 211 लाख मीटरी टन था। दिसम्बर 1980 तक देश में कुल शीत-भण्डारण क्षमता 38. 74 लाख मीटरी टन है।

(ख) व (ग) सभी नष्ट होने वाली वस्तुओं को शीत भण्डारों में रखना आवश्यक नहीं है। तथापि यह सत्य है कि अधिक उत्पादन के क्षेत्र में कटाई के व्यस्ततम काल में कीमतों में गिरावट आती है। समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

1. मंडी के बारे में सूचना एकत्र करना।

2. सहकारी अधिकरणों के माध्यम से अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में उपयुक्त वितरण करना ।

3. नष्ट होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की उपयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

4. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफड). भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और प्रादेशिक सरकारी संघ द्वारा मंडियों में सीमित हस्तक्षेप करवाना ।

5. विद्यमान शीत भंडारण क्षमता में वृद्धि करना ।

6. नष्ट होने वाली वस्तुओं के संसाधन और निर्यात को प्रोत्साहन देना ।

7. नष्ट होने वाली वस्तुओं के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन,, संसाधन और विपणन के लिए समेकित आधार भूत ढांचे का विकास करना ।

8. विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता से पहाड़ी फलों, विशेषकर सेब के लिए आधुनिक विपणन आधारभूत ढांचे को तैयार करना ।

छठी योजनावधि में सिंचाई क्षमता

4425 **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य क्या है ;

(ख) उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या योजनाएं बनाई जानी है; और

(ग) उस परियोजन के लिए क्या आबंटन किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) छठी योजना अवधि के दौरान अतिक्ति सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 14 मिलियन हैक्टेयर है ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय मानक संस्था की मानक विशिष्टियों का उल्लंघन

4426. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय मानक संस्था की मानक विशिष्टियों के उल्लंघन के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के ध्यान में लाये गये; और

(ख) क्या सरकार भारतीय मानक संस्था की मानक विशिष्टियों के उल्लंघन के लिए भयोत्पादक दण्ड की व्यवस्था करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) : सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनिमम, 1952 में कुछ संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड बढ़ाना भी शामिल है।

एक्शन-फार-फुड प्रोडेक्शन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या

4427, श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्शन-फार-फूड प्रोडक्शन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी नियुक्त किये गए ;

(ख) एक्शन-फार-फूड प्रोडेक्शन द्वारा अनुसूचित जातियों/अमुसूचित जनजातियों/पिछड़े क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक्शन-फार-फूड प्रोडेक्शन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त नहीं करता है, और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व न देने के लिए एक्शन-फार-फुड प्रोडक्शन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1979 15

1980 36

1981 27

(ख) से (घ) एक्शन-फार-फूड प्रोडक्शन एक धर्म-निरपेक्ष गैर-सरकारी संगठन है और यह अपने कर्मचारियों का सामाजिक तथा धार्मिक स्तर का कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

चन्दन की लकड़ी तथा उसका मूल्य

4428. श्री एस० बी० सिंदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चन्दन की लकड़ी के बहुत बड़े भंडार तथा नीलामी के दौरान चन्दन की लकड़ी की गिरती हुई कीमतों के बारे में जानकारी है ; और

(ख) इस मूल्यवान वन उत्पादन के हित सम्बर्द्धन के लिए सरकार के विचाराधीन कौन से प्रस्ताव हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, सूचित किया गया है कि तमिलनाडु में चंदन की लकड़ी की कीमत, स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण गिर गयी है ।

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । तथापि चंदन की लकड़ी के उपयुक्त विकास का संवर्धन करने के लिए चंदन की लकड़ी पर लगने वाले स्पाईक रोगों पर अनुसंधान किया जा रहा है ।

हीराकुण्ड बांध में दरार की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का दौरा

4429. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के हीराकुण्ड बांध में आई दरार की जांच करने के लिये वहां पर एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति भेंजने का हाल में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उस उच्च शक्ति प्राप्त तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा उड़ीसा की उस बांध परियोजना का दौरा कब किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । तथापि, उडीसा सरकार ने हीराकुंड कंक्रीट उमड़मार्ग (स्पिलवे) में दरारों की समस्या की जांच करने के लिए मार्च, 1981 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है ;

(ख) उक्त समिति जनवरी, 1982 के दौरान पहले ही बांध का निरीक्षण कर चुकी है और उसने राज्य सरकार को एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा घटिया बीजों का खरीदा जाना

4430. **श्री वीरभद्रसिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा ठेकेदारों/उत्पादकों से घटिया किस्म के बीज खरीदे गये हैं ; और कुछ की अनुमति दी जा रही है क्योंकि उनमें सांठ-गांठ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अधिप्राप्त अधिकांश बीज, बीज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित के प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकृत होते हैं या वे बीज होते हैं जो सत्यतापूर्ण लेबल लगाए गए बीजों के लिए निर्धारित मानकों पर पूरे उतरते हैं। सांठ-गांठ के कारण घटिया किस्म के बीजों की अधिप्राप्ति नहीं की जाती।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए योजना

4431. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विकास कार्य की दृष्टि से सब से पिछड़ा राज्य है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) केवल बिहार विकास कार्य की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से एक है।

(ख) से (घ) : बिहार में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित मुख्य योजनाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम है। बिहार के सभी खण्ड समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिए गए हैं। इसके अन्तर्गत, लक्षित वर्ग जिसमें छोटे किसान सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक और ग्रामीण कारीगर शामिल है को सक्षम आर्थिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। बिहार में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो क्षेत्र में उपलब्ध भूमि, जल, पशु धन तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करने के लिए है, के अन्तर्गत 4 जिले लिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत सभी जिले लिए गए हैं, का उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। वर्ष 1980-81 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त हुई उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. वर्ष 1980-81 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति (अनंतिम)

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए खण्डों की संख्या		587
2. निधियों का केन्द्रीय आवंटन	...	1467.50 लाख रुपये
3. भारत सरकार द्वारा बंटित धनराशि	...	551 59 लाख रुपये
4. कुल व्यय (राज्य सरकार द्वारा सूचित)	...	1034.77 लाख रुपये
5. वितरित किया गया कुल आवधिक ऋण	...	1356.75 लाख रुपये
6. सहायियत परिवारों की संख्या :		
(क) अनुसूचित जाति के परिवार	...	21,037
(ख) अनुसूचित जनजातियों के परिवार	....	7,603
(ग) कुल	...	1,38,956

2. 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

1. उपलब्ध किए गए संसाधन		
(1) खाद्यान्न	...	1,64,000 मी० टन
(2) नकद	...	1,725,50 लाख रु०
2. उपयोग		
(1) खाद्यान्न	...	1,37,183 मी० टन
(2) नकद	...	शून्य
(3) सृजित अतिरिक्त रोजगार (लाख श्रम दिन)	...	280,74

3. 1980 81 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

1. अनुमोदित परिव्यय	—	1097 21 लाख रुपये

2. बंटित केन्द्रीय सहायता	...	283.00 लाख रुपये
3. किया गया व्यय	...	699.82 लाख रुपये
4. सहायियत परिवारों की संख्या (हजार में)		
(क) अनुसूचित जातियों के परिवार	...	17.73
(ख) अनुसूचित जनजातियों के परिवार	....	22.50
(ग) कुल	...	193.28
5. सृजित रोजगार के श्रमदिनों की संख्या (लाख में)	...	22.63

अपर सकारी जलाशय योजना और कोरीहारी जलाशय योजना को जोड़ा जाना

4432. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकारी जलाशय योजना और कासीहरी जलाशय योजना को जोड़ देने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है तथा इससे कासीहरी जलाशय के कमान क्षेत्र में हजारों एकड़ सिंचित भूमि के बढ़ जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त दो योजनाओं को जोड़ने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) और (ख) : जबकि कोरीहारी जलाशय स्कीम पूरी हो चुकी है, लेकिन अपर सकरी जलाशय स्कीम को अभी अनुमोदित किया जाना है । राज्य सरकार से दोनों जलाशयों को आपस में जोड़ने के लिए कोई स्कीम अनुमोदनार्थ नहीं भेजी है ।

महाराष्ट्र के लिए खाद्यान्न और चीनी

4433. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल में खाद्यान्नों और लेवी चीनी के मासिक आवंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो जून, 1981 से जून 1982 तक राज्य की मासिक मांग कितनी थी ;

(ग) अब तक प्रतिमाह कितना आवंटन किया गया ;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की कितनी मांग थी और अब तक कितना आवंटित किया गया ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकार सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के महीनों, जब रोलर फ्लोर मिलों के लिए उनकी गेहूं की मासिक मांग 50,000 मीटरी टन थी, को छोड़कर जून 1981 से मार्च 1982 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 75,000 मीटरी टन चावल, 60,000 मीटरी टन गेहूं और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 40,000 मीटरी टन गेहूं के मासिक आवंटन के लिए अनुरोध करती रही है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, राज्य सरकार अपनी मासिक मांग को नहीं बताती रही है।

(ख) और (ग) विवरण संख्या-1 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3699/82]।

(घ) विवरण संख्या 2 और 3 संलग्न हैं जिनमें जून, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की खाद्यान्नों की मांग और उनके आवंटन को बताया गया है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3699/82]। इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लेवी चीनी के मासिक कोटे विवरणसंख्या-4 में बताए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—3699/82]।

(ङ) महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है जिसमें केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताएं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के मासिक आवंटन को उपर्युक्त मानदंड के आधार पर 40,000 मीटरी टन से बढ़ाकर मार्च, 1982 में 45,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

जहां तक चीनी का संबंध है, यह निर्णय किया गया है कि पहली अप्रैल, 1982 से सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र समेत) को 1-3-1981 की जनगणना द्वारा बताई गई जनसंख्या के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर लेवी चीनी के कोटे दिए जाएं।

कृषि उद्योग विकास के बारे मे 'यूनिडो' मंत्रालयीय सम्मेलन

4434. **श्री गुलाम मोहम्मद खाँ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शिष्टमंडल ने इस वर्ष फरवरी में बगदाद में कृषि उद्योग विकास के बारे में 'यूनिडो' मंत्रालयीय सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(घ) सम्मेलन में क्या मुख्य निष्कर्ष निकला ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) शिष्टमंडल के सदस्य निम्नलिखत थे :—

1. श्री आर० वी० स्वामीनाथन, कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री ।

2. श्री पी० एल० सिनाई, ईराक में भारतीय राजदूत ।

3. श्री के० वी० एस मूर्थि, सलाहकार, योजना आयोग ।

4. श्री आर सी० गुप्त, संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग ; और

5. श्री ईश्वर प्रसाद द्वितीय सचिव, ईराक में भारतीय दूतावास ।

(ग) सम्मेलन में कृषि आदानों के उत्पादन और कृषि, पशुपालन, डेरी और बागवानी क्षेत्र के उत्पाद के परिसंस्करण में कार्यरत उद्योगों के विशेष संदर्भ में कृषि उद्योगों के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया ।

(घ) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

1, कृषि पर आधारित उद्योगों, विशेष कर खाद्य परिसंस्करण उद्योग जो कई विकासशील देशों के लिए एक मुख्य उद्योग है, की संबंधित सरकारों की विकास योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

2. कई विकासशील देशों ने अब आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिया है और कृषि पर आधारित और संबंधित ऐसे उद्योगों की स्थापना कर ली है जो उनकी अपनी आवश्यकताओं और अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुसार परिसंस्करण सम्बन्धी प्रौद्योगिकी में सुधार लाने तथा स्वीकार करने में सक्षम है । इस अनुभव की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समुचित तंत्र और/अथवा संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सभी इच्छुक विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

3. विकासशील देशों में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर कृषि और उद्योग के बीच एकीकरण के विचार से विचार किया जाना चाहिए । समेकित दृष्टिकोण में आर्थिक,

प्रौद्योगिकी तथा संगठनात्मक पहलुओं को लिया गया है और इसमें कृषि उत्पादन औद्योगिक परिसंस्करण विपणन और वितरण प्रक्रिया के सभी तत्व शामिल हैं।

4. कृषि पप आधारित उद्योगों के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग से उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन के विभिन्न चरणों का समन्वित विकास हो सकेगा। इस प्रकार के सहयोग से आपसी हित के क्षेत्र में प्रत्येक देश की क्षमता के बारे में विकासशील देशों की जागरूकता में वृद्धि होगी।

राज्य कृषि फार्म

4435. श्री कुम्भा राय आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राज्य कृषि फार्म हैं और प्रत्येक राज्य में वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन फार्मों के लिए निगम की स्थापना कब की गई थी और इस निगम ने तारीख-वार कौन से कार्यों को अपने हाथ में लिया है ;

(ग) इन कृषि फार्मों से कितनी आय हुई तथा इन पर कितना व्यय किया गया है ;

(घ) क्या कोई कृषि फार्म घाटे में चल रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय राज्य फार्म निगम सारे देश में 12 केन्द्रीय राज्य फार्मों की व्यवस्था करता है। राज्य-वार उनके स्थान तथा उनकी स्थापना के वर्ष संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत निगम 14 मई, 1969 को निगमित किया गया था। यह निगम मुख्य रूप से अपने आरम्भ से ही धान्यों, दलहनों, तिलहनों रेशे वाली फसलों, सब्जियों आदि के अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन करता है। कन्नानोर में अरालम स्थित फार्म मुख्य रूप से एक बागान फार्म है तथा यह फार्म, नारियल, काजू, रबड़, काली मिर्च आदि जैसी अनेक फसलों के लिए अच्छी रोपण सामग्री का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त, मिजोरम में स्थित दो छोटे फार्म सरकार की ओर से विस्तार सम्बन्धी कार्यकलाप करते हैं। निगम ऊसर भूमि सुधार परियोजना के रूप में रायबरेली में एक छोटा फार्म भी चलाता है। इसके अतिरिक्त, निगम अपनी मशीनरी बेड़े का उपयोग करके कस्टम भूमि विकास सम्बन्धी कार्य भी करता है।

(ग) 1980-81 के दौरान विभिन्न फार्मों से हुई आय तथा उन पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न वितरण 2 में दिया गया है।

(घ) 1980-81 के दौरान, पंजाब में लादोवाल, कर्नाटक में रायचूर, असम में कोकिला-बाड़ी, उत्तर प्रदेश में बहराइच तथा रायबरेली तथा तमिलनाडु में चेंगम स्थित फार्मों में हानि हुई है।

(ङ) भारतीय राज्य फार्म निगम के कब्जे में कुल 36671 हैक्टार क्षेत्र है, जिसमें से 27115 हैक्टार क्षेत्र को खेती योग्य समझा जाता है। इसकी तुलना में अब तक केवल 17070 हैक्टार क्षेत्र का उचित रूप से विकास किया गया है। शेष कृषि योग्य क्षेत्र का अभी और विकास करने की आवश्यकता है। लगभग ८0 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें नहीं है। इस प्रकार प्रकृति की अनियमिताओं के कारण फार्मों को हानि होती है।

विवरण — 1

भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे फार्मों के स्थान तथा उनकी स्थापना के वर्ष सहित उनकी सूची।

क्रम संख्या	स्थान सहित फार्म का नाम	स्थापना का वर्ष
1.	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1956
2.	केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1956
3.	केन्द्रीय राज्य फार्म जेतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1964
4.	केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा)	1968
5.	केन्द्रीय राज्य फार्म, जावलगेरा, जिला रायचूर (कर्नाटक)	1969
6.	केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, जिला कन्नानौर (केरल)	1971
7.	केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम मेलचेंगम, जिला नार्थ अर्कोट (तमिलनाडु)	1971
8.	केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलावाड़ी, जिला कामरूप (असम)	1971

9.	केन्द्रीय राज्य फार्म लाढ़ोवाल, जिला लुधियाना (पंजाब)	1971
10.	केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	1972
11.	केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच, जिला बेहराइच (उत्तर प्रदेश)	1973
12.	ऊसर सुधार फार्म, लालगंज जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	1973

विवरण – 2

भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में 1980-81 के दौरान आय, व्यय तथा लाभ-हानि को दर्शाने वाला विवरण ।

(मुख्यालय के भाग सहित व्यय)
(आंकड़े लाख रुपये में)

फार्म का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि (+) (—)
1. सूरतगढ़ (सरदारगढ़ सहित)	351.78	304.10	(+) 47.68
2. जेतसर	130.49	110.10	(+) 20.39
3. हिसार	160.48	107.48	(+) 53 00
4. रायचूर	44.76	71.67	(—) 26.91
5. कन्नानौर	67.97	66.51	(+) 1.46
6. चेंगम	16.89	42 30	(—) 25.41
7. कोकिलाबाड़ी	17.73	34.60	(—) 16.87
8. लाढ़ोवाल	45.52	60.82	(—) 15.30
9. बहराइच	32.17	63.80	(—) 31.63
10. रायबरेली	4.57	6.06	(—) 1.49

मिजोरम स्थित फार्म विस्तार सम्बन्धी कार्यकलाप करता है अतः यह भारतीय राज्य फार्म निगम के तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है ।

मछुओं का आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना

4436. श्री के० प्रधानी :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुओं का आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है अथवा की जायेगी ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे मछुओं के दैनिक व्यापार से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए उनमें सहकारिता आन्दोलन का प्रसार करें ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में मछुओं में सहकारी समितियां बनाई हैं ;

(घ) अन्य राज्यों में मछुओं द्वारा सहकारी समितियां बनाए जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) मछुआ विकास एजेंसी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मछुओं के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए 102 एजेंसियां स्थापित की गई हैं। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन जलयानों के ठहरने और माल उतारने की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। समुद्री राज्यों में खारे पानी में मछली पालन के विकास के लिए भी एक योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम, मछली परिसंस्करण और विपणन सर्वेक्षण तथा प्रमुख बन्दरगाहों के निर्माण जैसी केन्द्रीय योजनाओं से भी मछुओं को लाभ पहुंचेगा छोटे स्तर के मछुओं की दशा को सुधारने के उद्देश्य से छोटे पैमाने पर मात्स्यकी के विकास के लिए बंगाल की खाड़ी का कार्यक्रम नामक खाद्य और कृषि संगठन की क्षेत्रीय परियोजना भी चलाई जा रही है।

(ख) मछुओं के बीच सहकारी समितियों का संवर्धन करना सरकार की नीति है। मत्स्यकी सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकासनि गम के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ) सिक्किम को छोड़कर जहां सहकारी समितियां बनाने के लिए मछुओं की पर्याप्त संख्या नहीं हैं, सभी राज्यों में प्राथमिक मत्स्यकी सहकारी समितियां राज्य स्तरीय सहकारी संघ बनाये गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

30 जून, 1978 को मछुआ सहकारी समितियां और उनकी सदस्य संख्या ।

राज्य	संख्या			सदस्यता		
	राज्य स्तरीय समितियां	केन्द्रीय	प्राथमिक स्तरीय समितियां	राज्य स्तरीय समितियां	केन्द्रीय	प्राथमिक स्तरीय समितियां
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश *	—	5	662	—	445	65570
2. असम	1	—	473	—	—	81431
3. बिहार	—	—	366	—	—	26872
4. गुजरात	1	1	148	1032	1914	18138
5. हरियाणा	—	—	2	—	—	31
6. हिमाचल प्रदेश	—	1	10	—	3	1076
7. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	1	—	—	600
8. कर्नाटक	—	4	160	—	3617	38241
9. केरल	1	16	631	10	2257	73853
10. मध्य प्रदेश	—	7	236	—	90	9885
11. महाराष्ट्र	1	8	573	4155	7152	84770
12. मणिपुर	—	—	62	—	—	4130
13. मेघालय	—	—	35	—	—	1330
14. नागालैण्ड	—	—	1	—	—	112
15. उड़ीसा	1	—	210	136	—	25630

* आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्ष 1972-73 के आंकड़े उपलब्ध हैं । नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
16. पंजाब	—	—	3	—	—	87
17. राजस्थान	—	—	28	—	—	925
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	—	11	497	—	702	81858
20. त्रिपुरा	—	—	16	—	—	2989
21. उत्तर प्रदेश	—	2	104	—	14	4228
22. बंगाल	1	11	741	8	473	51367

रेगिस्तानों में राजहंसों का पता लगाया जाना

4437. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे हाल के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रेगिस्तान में राजहंस का पहली बार पता लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राजहंसों की संख्या का सर्वेक्षण करने उनके संरक्षण तथा उनकी संख्या बढ़ाने में विश्व वन्य जीवन निधि की सहायता लेने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : कुछ "बार हैडिड गीज", जिन्हें स्थानीय लोग राजहंस कहते है, जोधपुर क्षेत्र और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में देखे गए हैं ।

(ग) जी नही । इस प्रजाति को वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सूची 4 में शामिल करके पहले ही संरक्षण दिया जा चुका है ।

शुष्क शौचालयों को फ्लस प्रणाली में बदलना

4438. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी भी ऐसे शुष्क शौचालय हैं जिनकी सफाई आदमियों द्वारा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार अनुमानतः संख्या कितनी है ;

(ग) देश में इस बुराई को समाप्त करने हेतु और उन शौचालयों को फ्लस प्रणाली में तबदील करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब तक इस बुराई को समाप्त किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण इस मंत्रालय के पास कोई सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह विषय राज्य क्षेत्र में है तथा इस प्रयोजन के लिए योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं । मई, 1981 में सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत सिर पर कूड़ा ढ़ोने की पद्धति के उन्मूलन की योजना को हर सम्भव रूप से उच्च प्राथमिकता दें तथा नये शौचालयों जिनमें सिर पर मल ढोना अपेक्षित हो उनके निर्माण को रोकने के लिए पालिका अधिनियम को संशोधित करें । वर्तमान शौचालयों के बारे में राज्य सरकारों से शुष्क शौचालयों में बदलने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाने का अनुरोध किया गया था ।

नई दिल्ली में 4 तथा 5 फरवरी, 1982 को हुए राज्यों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि :—

"शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को बदलने तथा मानव मल को मनुष्य द्वारा ढोने की अमानवीय पद्धति को समाप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाय । इस प्रयोजन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय और यह कार्यक्रम यथासम्भव शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए । नए शौचालयों जिनमें मल सिर में ढोना अपेक्षित हो उनके निर्माण को रोकने के लिए पालिका अधिनियम में जहां आवश्यक हो संशोधन किया जाना चाहिए । जिन स्वयंसेवी अभिकरणों ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता के लिए उनका नाम सूचीबद्ध किया जाना चाहिए" ।

(घ) जी, नहीं ।

तमिलनाडु में गैर सरकारी इमारतों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

4439. डा० ए० कलानिधि : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को तमिलनाडु में भारत सरकार के कितने कार्यालय गैर सरकारी इमारतों में कार्य कर रहे थे;

(ख) उनके लिए प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है; और

(ग) इन कार्यालयों को सरकारी इमारतों में स्थित किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), से (ग) : –सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में गन्ने का उत्पादन

4440. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन सा क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 में गुजरात राज्य में कितना गन्ना उत्पादित हुआ; और

(ग) गुजरात राज्य में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) गन्ना प्रमुख रूप से गुजरात के सूरत, बुलसर, अमरेली, जूनागढ़ और राजकोट जिलों में उगाया जाता है ।

(ख) वर्ष 1978-79, वर्ष 1979-80 और वर्ष 1980-81 के दौरान गुजरात में क्रमश: 32.87, 31.92 और 44.35 लाख मीटरी टन गन्ने का उत्पादन हुआ था ।

(ग) गुजरात राज्य में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) उन्नत बीज की आपूर्ति करना,

(2) पेस्ट पाइ रिल्ला की रोकथाम करने के लिए हवाई छिड़काव करना,

(3) काश्त की उन्नत तकनीकों के प्रदर्शनों का आयोजन करन;

(4) प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना, और

(5) अनुसंधान प्रयासों का तेज करना ।

लेमिनेटेड पेपर के लिए स्विस फर्म की लाईसेन्स देना

4441. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टेट्पिक" के अतिरिक्त 'लेमिनेटेड पेपर' बनाने के लिए एक स्विस फर्म को लाइसेंस देने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी०स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 'टेट्पिक" के अतिरिक्त लेमिनेटेड पेपर बनाने के लिए किसी स्विस फर्म से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

आपरेशन फ्लड-2

4442. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार राज्यों ने "आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उप-परियोजना क्रियान्वयन योजना केवल सात राज्यों के लिए है जब कि धनराशि 13 राज्यों के लिए आवंटित की गई है, यद्यपि ऋण तथा अनुदान समझौते पर केवल 11 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) "आपरेशन फ्लड-1" के अनुभव को देखते हुए, जिसकी अवधि 6 वर्ष बढ़ाई गई थी, "आपरेशन फ्लड-2" की धीमी गति से प्रगति. क्योंकि इसे 1985 में समाप्त होना है या सरकार का विचार कोई कदम उठाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डेरी विकास कार्य और कार्यक्रम की स्वतन्त्र रूप से जांच कराने का है क्योंकि इसकी वजह से देश को पूरी तरह आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भर करना पड़ता है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत अभी तीन राज्यों द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

(ख) 12 राज्यों के लिए उप-परियोजना कार्यान्वयन योजनायें पूरी कर ली गई हैं । 13 राज्यों को धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है 12 राज्यों ने भारतीय डेरी निगम के साथ ऋण-एवं अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए हैं/हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दी है ।

(ग) आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम की लगातार समीक्षा की जा रही है और परियोजना के समग्र कार्य-निष्पादन का अनुश्रवण करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी 15 जनवरी, 1982 को प्रगति का पुनरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश/पंजाब में आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए राज्य और भारतीय डेरी निगम के अधिकारियों के साथ भी 16.3 82 को चर्चा की गयी।

(घ) जी नहीं। दुग्ध उत्पादों का वाणिज्यक आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि स्किम दुग्ध चूर्ण और बटर-आयल तथा कुछ मात्रा में सफेद मक्खन उपहार के रूप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त किया जा रहा है :

गेहूं का मूल्य

4443. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानी नगरों के खुले बाजारों में मार्च, 1981 से फरवरी, 1982 के दौरान प्रत्येक मास के अन्तिम दिन गेहूं की विभिन्न किस्मों के प्रति क्विंटल भाव क्या रहे ; और

(ख) 1981 में किसानों को दिया गया गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश की कुछ महत्वपूर्ण मंडियों के संबंध में दैनिक थोक मूल्य एकत्र किये जाते हैं। मार्च, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान हर महीने के अन्तिम दिन दिल्ली और अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों/महत्वपूर्ण मण्डियों में गेहूं के थोक मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) गेहूं के लिए किसानों को अदा किया जाने वाला समर्थन मूल्य : मार्च, 1981 तक 117 रुपये प्रति क्विंटल तथा तत्पश्चात् 130 रुपये प्रति क्विंटल था।

विवरण

गेहूं के मासिक थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य/मण्डी	किस्म	1981 मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	1982 जनवरी	फरवरी
दिल्ली													
दिल्ली	कल्याण	155	152	149	153	167	162	167	163	165	169	173	176
बिहार													
पटना	उबाला	170	150	165	165	190	200	210	210	190	200	205	215
गुजरात													
अहमदाबाद	कोधखानी	215	240	250	250	240	240	230	225	235	225	235	235
महाराष्ट्र													
बम्बई	कल्याण सोना	198	198	193	203	213	213	208	213	218	213	218	218
राजस्थान													
जयपुर	डब्ल्यू०एम०	162	155	157	172	174	172	185	182	182	186	186	190

		1981										1982	
		मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
उत्तर प्रदेश													
लखनऊ	फार्म	225	200	200	225	224	213	230	230	200	210	190	190
पंजाब													
अमृतसर	डब्ल्यू०एल० 711	145	130	130	134	145	144	150	165	164	155	165	164
हरियाणा													
करनाल	जी०आर० 1	140	130	130	130	135	135	150	150	155	153	146	156
मध्य प्रदेश													
सागर	308	180	200	230	230	220	210	200	190	180	180	200	210

डी०डी०ए० के जूनियर इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारी

4444. श्री रामविलास पासवान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ जूनियर इंजीनियरों ने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया है तथा विकासपुरी (बोडेला) में, जो कि प्राधिकरण के अधीन एक करोड़ रुपये की एक परियोजना है मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के निर्माण का कार्य हाल में ले लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा आरोप है कि इन जूनियर इंजीनियरों व अपने कार्य काल में दिल्ली विकास प्राधिकरण भी बहुत भारी राशि का गोलमाल कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जूनियर इंजीनियरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के एम०आई०जी० फ्लैटों के निर्माण के ठेके किस आधार पर दिये गये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोइ मामला नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर मार्ग तथा डी०आई०जेड० क्षेत्र नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

4445. श्री राम सिंह शाक्य : क्या निर्माण और आवस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल मार्किट, मन्दिर मार्ग और डी०आई०जेड० क्षेत्र में 28 फरवरी तक टाईप 1, 2 तथा 3 के कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया ;

(ख) टाईप-I, II तथा III क्वार्टरों में अलग अलग कुल कितने कमरे हैं तथा उन कमरों की लम्बाई चौड़ाई कितनी हैं।

(ग) क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि कर्मचारी डी०आई०जैड० क्षेत्र में बनाए गए एक कमरे के टाईप I के क्वार्टरों में अपने बच्चों तथा माता पिता को किस प्रकार रख सकेंगे ; और

(घ) क्या सरकार इन क्वार्टरों में एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण करने की व्यवस्था करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओल्ड महाबीर नगर कालोनी दिल्ली में सीवर डालना

4446. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओल्ड महाबीर नगर, जो कि पश्चिम दिल्ली की एक पुरानी तथा मंजूर शुदा कालोनी है, में सीवर नहीं डाले गए ; और क्या उक्त कालोनी के निवासियों ने सीवर के लिए धनराशि जमा करा दी है और यह धनराशि कब और कितनी जमा की गई है ; और

(ख) ओल्ड महाबीर नगर में अब तक सीवर न डालने के क्या कारण हैं और सीवर कब तक डाल दिए जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निर्यास संस्थान ने सूचित किया है कि ओल्ड महाबीर नगर मल निर्यास लाइन अभी भी नहीं बिछाई गई है। उनके अनुसार ओल्ड महाबीर नगर के निवासियों ने इस प्रयोजन के लिए विकास प्रभार के रूप में केवल 22,977.55 रुपये जमा कराये हैं :-

1971-72 में 8,880.00 रुपये

1979-80 में 14,097.55 रुपये

(ख) इस संस्थान ने बताया है कि महाबीर नगर तथा गणेश नगर (भाग) के लिए मल निर्यास योजना की अनुमानित लागत लगभग 32.39 लाख रुपये है। नियमित की गई कालोनियों में सेवा में उपलब्ध करने का कार्य दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निर्यात संस्थान द्वारा किया जाता यदि अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम रूप से लाभभोगियों से प्राप्त होता है। इस मामले में कार्य को आरम्भ करने के लिए कम अपेक्षित विकास प्रभार लाभ भोगियों द्वारा अभी तक जमा नही कराया गया है। यदि लाभ भोगी अपेक्षित विकास प्रभारों का भुगतान कर दें तो मल निर्यास वाली को बिछाने पर विचार किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल को घटिया किस्म के चावल की सप्लाई

4447. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में हाल ही में समुद्री तुफान से प्रभावित हुए लोगों को घटिया किस्म के चावल की सप्लाई की है ;

(क) क्या सरकार को उपरोक्त विषय पर कोई शिकायत/पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरबन में समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों को घटिया किस्म का चावल सप्लाई करने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, श्रीमुकन्द मण्डल से इस विषय पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी । इस शिकायत की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि सप्लाई किया जा रहा सारा स्टाक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था ।

भारतीय खाद्य निगम में सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध में छूट दिया जाना

4448. श्री एन० ई० होरो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा क्या है जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे भर्ती पर प्रतिबंध में छूट दी गई है ;

(ख) प्रतिबन्ध के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अलग अलग राज्यों में 1980 में पास किए एप्रेंटिस लोगों को खपाने के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति का मानदण्ड क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने उत्तरी जोन के पंजाब क्षेत्र को अनुदेश दिए हैं कि वे मंजूर शुदा पदों के प्रति उन प्रशिक्षुओं, जिन्होंने 1980 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, में से उपयुक्त प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के बारे में विचार करें ताकि उक्त क्षेत्र में वसूली/डिपो परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । पंजाब का क्षेत्रीय कार्यालय तदनुसार कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 22 (1) के अनुसार, नियोक्ता के लिए यह आवश्वक नहीं है कि वह उस प्रशिक्षु, जिसने उनके कार्यालय में प्रशिक्षुता की अपनी प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली हो, को किसी रोजगार की पेशकश ही करे और न ही प्रशिक्षु के लिए यह जरूरी है कि वह संबंधित नियोक्ता के अधीन रोजगार स्वीकार ही करे । प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद, यह नियोक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे उनमें से उपयुक्त उम्मीदवारों का रोजगार के लिए चयन करें बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और अतिरिक्त स्टाफ के लिए आवश्यकता महसूस की जाती हो ।

कन्हार जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य

4449. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कन्हार जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1977 में शुरू हुआ था और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1981 तक इस परियोजना से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होना था ;

(ख) क्या वर्ष 1982 तक इसका आठवां हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है और इसके प्राक्कलनों में दो बार संशोधनों द्वारा उस योजना का परिव्यय बढ़कर 70 करोड़ रुपये हो गया है ;

(ग) क्या उस परियोजना के पूरे होने पर इसकी कुल लागत 150 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है ;

(घ) क्या वन विभाग तथा किसानों से भूमि के अधिग्रहण में संबंधित अधिकारियों द्वारा साधारण विलम्ब किए जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य रुक गया है और लाखों रुपये का प्रतिस्थापना व्यय व्यर्थ जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों की उत्तरदायिता निर्धारित करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) परियोजना पर निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यिक पहलू अन्तर्ग्रस्त होने के कारण, परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत नहीं की गई है । 1975-76 में तैयार की गई प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट में 101 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना को अभी संशोधित नहीं किया गया है । तथापि, कन्हार जल के बारे में हाल में हुए अन्तर्राज्यिक करार को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना को अब राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा । संशोधित परियोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही संशोधित अनुमानित लागत का पता चल सकेगा ।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी आवास का पारी से बिना आवंटन

4450. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारी के बिना सरकारी आवास का आबंटन करते समय न तो सम्पदा निदेशालय से ही और न ही उस कार्यालय से जिसमें पदधारी प्राथमिकता के आधार पर आवास के आवंटन हेतु अनुरोध करता है, उससे कारण दर्शाने हेतु कहा जाता है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह शर्त निर्धारित करना अथवा स्वीकार करने में सम्भावित त्रुटि को आबंटन के समय इस बारे में पूछना उचित न होगा ; और

(ग) क्या इस कारण हुई त्रुटि पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी आवास के लिए तदर्थ आधार पर आबंटन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय उस आकस्मिता के समर्थन पर पर्याप्त प्रमाण पर बल दिया जाता है जिसके लिए कि आवेदन किया गया है । जब तक कि यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक तदर्थ आधार पर आवन्टन के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता । सामान्यतः स्वीकृति तथा आवन्टन पत्र के जारी होने में अधिक समय नहीं लगता और इसलिए वह आकस्मिकता जिसके लिए तदर्थ आधार पर आवन्टन के लिए आवेदन किया गया वह वास्तविक आवन्टन के आदेश जारी होने के समय भी विद्यमान होगी ।

(ख) स्वीकृति पत्रों में यह शर्त, कि वह कारण जिस तदर्थ आबंटन की प्रार्थना की गई थी अभी भी विद्यमान है, को सभी मामलों में सम्मिलित करने टी. बी. और कैन्सर के मामलों में यह शर्त पहले ही विद्यमान है । पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जो भी दृष्टिकोण अपनाया जायेगा वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

• **शुष्क भूमि को सिंचित भूमि में बदलना और खाद्यान्न उत्पादन पर इसका प्रभाव**

4451. **श्री दया राम शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार कितनी शुष्क भूमि को सिंचित भूमि में बदलने का है और इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी अनुमानित वृद्धि होगी ; और

(ग) किन-किन खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) छठी योजनावधि के दौरान 137.4 लाख हैक्टार अतिरिक्त असिंचित क्षेत्र को सिंचाई की बड़ी,

मध्यम और छोटी योजनाओं के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इसमें से सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत 57.4 लाख हैक्टार और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 80 लाख हैक्टार के शामिल किए जाने की संभावना है। सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ ये हैं – परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उपाय करना, दुर्लभ निर्माण सामग्री की सप्लाई करना, सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों का बढ़िया तरीके से प्रचालन करके इष्टतम लाभ उठाना, सक्षम जल प्रबंध और लघु सिंचाई विकास के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था में सुधार करना।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के 1979-80 में अनुमानित 1278.6 लाख मीटरी टन के आधार स्तर से 1984-85 तक बढ़कर 1536 लाख मीटरी टन हो जाने की संभावना है जिसका मुख्य कारण सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होना और उर्वरकों के इस्तेमाल, ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों, वनस्पति रक्षण और बहुशस्य प्रणाली आदि अन्य पहलुओं को अपनाना है। योजनावधि के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाजों और दालों सहित सभी प्रमुख खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

4452. **श्री इब्राहम सुलेमान सेट** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिकों को उनकी लगातार 30 वर्ष की सरकारी सेवा के उपरांत भी अस्थायी वेतनमान में नियुक्ति हेतु उन पर अब तक विचार नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का उन्हें निम्न श्रणी लिपिक के पद पर अस्थायी करने और उनके मामलों को किसी विशेष ग्रेड में पदोन्नत करने हेतु कोई विचार है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सांसदों के लिये आवासीय फ्लैटों/भू-खण्डों का आबंटन

4453. **श्री राम लाल राही :**
श्री दया राम शाक्य :
श्री एन० सुन्दरराजन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे वर्तमान या भूतपूर्व सांसदों को शहरी क्षेत्रों में मकान या प्लाट आबंटित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है, जिनका शहरी क्षेत्रों में अपना निजी या पैतृक मकान और यहां तक की आवासीय प्लाट भी नहीं हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार सांसदों को दिल्ली में आवासीय गृह/प्लाट आबंटित करने के प्रश्न पर, जैसा कि पहले किया था, विचार करेगी और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) भूमि तथा आवास राज्य के विषय हैं और विभिन्न वर्गों को प्लाटों/फ्लैटों की बिक्री की नीतियां केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई जाती हैं। जहां तक दिल्ली का संबंध है, वर्तमान संसद सदस्यों के लिए दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की कतिपय प्रतिशतता के आरक्षण के प्रस्ताव पर है अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कीटनाशक दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण

4454. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीट-नाशक दवाओं के मूल्य पर औषधों और उर्वरकों की भांति, कानूनी नियन्त्रण रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

गायों तथा खेती के काम आने वाले पशुओं पर पर्यावरण उष्मा भार का प्रभाव

*4455. **श्री डी०एम०पुत्ते गौडा :**

श्री के० लकप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यावरण उष्मा भार का गायों और खेती के काम आने वाले पशुओं की उत्पादकता और उनकी वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो पशुओं के पर्यावरण ऊष्मा से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर तथा केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (राजस्थान) में इस पहलू पर गहन अनुसंधान से यह मालूम हुआ है कि :

(1) पशुओं के चरने की प्रबन्ध प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए तथा पशुओं को दिन के ठण्डे समय के दौरान यानी गर्मी में प्रातः काल तथा शाम को देर तक उन्हें चरने के लिए छोड़ना चाहिए ।

(2) पशुओं को सौर विकिरण के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से दिन की अधिक गर्मी के समय उन्हें उचित आश्रय देना चाहिए तथा सीधी धूप से उन्हें दूर रखना चाहिए ।

(3) गर्मी में दिन के समय जब अधिक गर्मी पड़ रही हो पशुओं को खाने के लिए मोटा आहार नहीं देना चाहिए ।

(4) गर्मी के महीनों के दौरान पशुओं को स्वतन्त्ररूप से पीने का पानी पीने देना चाहिए ।

हथिनी कुंड बाध स्थल का चयन

4456. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि हथिनी कुंड बांध स्थल के चयन के संबंध में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : यमुना पर तीन-क के 75 मीटर अनुप्रवाह में (ताजेवाला के 2540 मीटर प्रतिप्रवाह में) स्थित स्थल पर, वर्तमान ताजावाला वीयर के बदले एक नए बराज का निर्माण करने का निर्णय किया गया है । इस स्थल पर बराज के डिजायन प्राचलो (पेरामीटरों) के बारे में निर्णय करने के उद्देश्य से उच्चाधिकार प्राप्त एक तकनीकी बोर्ड का गठन किया गया है, जो इस संबंध में सिफारिशें करेगा ।

अनधिकृत कालोनियों में बिजली और पानी के कनेक्शनों पर प्रतिबंध लगाना

4457. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1982 के इण्डियन ऐक्सप्रेस में "अन अथौराइज्ड ड्वैलर्स प्लान एसीटेशन" शीर्षक समाचार से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित

किया गया है । जिसमें अनधिकत कालोनियों में बिजली और पानी के कनेक्शनों में प्रतिबन्ध लगाने की अधिसूचना वापस लेने तथा उप राज्यपाल और अन्य लोगों का घेराव करने के बारे धमकी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह व्यवस्था करने के लिए पहले ही संशोधित अनुदेश जारी कर दिए हैं कि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण से या संबंधित स्थानीय विकास अर्थात दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका अथवा दिल्ली छावनी बोर्ड से भवन नक्शे की अपेक्षित सार्विधिक स्वीकृति प्राप्त किए बगैर नया निर्माण किया जाता है; जैसा भी मामला हो, उस स्थिति में नये निर्माण के लिए पानी और, या बिजली के कनैक्शन देने के लिए अनुरोध को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक ऐसे निर्माण के लिए बैध स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की जाती है । तथापि, यह प्रतिबन्ध पुनर्वास कालोनियों/झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों और लाल डोरे के भीतर उन गाँव आवादियों जहां किसी भवन नक्शों की स्वीकृति देना अपेक्षित नहीं है के मामले में लागू नहीं होगा । तथापि, अनधिकृत कालोनियों के मामले में यह व्यवस्था की गई है कि किसी उन नये संरचनाओं में कोई बिजली/पानी के कनैक्शन नहीं दिए जायेंगे जो 1 जनवरी, 1981 के बाद बनाई गई हों ।

आसाम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति का अधिनियम

4458. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से भूमि की गैर-स्थायी वासिन्दों द्वारा खरीद पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बंधी राष्ट्रपति के अधिनियम का आसाम की जनता द्वारा स्वागत किया गया है; और

(ख) पड़ौसी राज्यों से गैर-आदिवासी लोगों अथवा बंगला देश से घुसपैठ करने आए विदेशियों द्वारा इन लोगों से निकट अतीत में खरीदी गई अथवा छीनी गई भूमि को वापस दिलाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) असम भूमि तथा राजस्व विनियम, 1981 को असम विधान से सम्बन्धित परामर्शदात्री

समिति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के अधिनियम, (1981 की संख्या 2) द्वारा संशोधित किया गया था । चूंकि संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था और इसका परामर्शदात्री समिति द्वारा समर्थन किया गया था अत: जनता का अनुमोदन मान लेना उपयुक्त होगा । अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अधिसूचित क्षेत्र अथवा खण्ड में राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा संशोधित विनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किए गए सभी हस्तांतरण अमान्य होंगे और अंतरिती को उस भूमि पर कब्जे चाहे प्रतिकूल हो अथवा नहीं की दीर्घ अवधि से किसी प्रकार का अधिकार अथवा हक प्राप्त नहीं होगा । इस उपबन्ध के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों जिन्हें उनकी भूमि से वंचित रखा गया है, को पुन: कब्जा मिलने की सम्भावना है ।

देश में पेय जल की सप्लाई

4459. **श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश-भर में पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए कोई बृहद् योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि अब तक कोई प्रगति हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता (1981-91) पर एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करने के प्रयोजनाथ, निर्माण और आवास मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अपने वृहत योजना दस्तावेज तैयार करने के लिए मार्च, 1981 में मार्गनिर्देशन जारी किए थे । कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दशक वृहत योजना दस्तावेज अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं । पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता पर एक राष्ट्रीय दर्शक दस्तावेज तैयार करने के प्रश्न पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य दशक बृहत योजना दस्तावेज के प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जाएगा ।

(ख) से (घ) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को अशुद्ध जल की सप्लाई

4460. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर, सरोजिनी नगर तथा नौरोजीनगर कालोनियों को मन्दा तथा अशुद्ध पानी सप्लाई किया जा रहा है जो कि स्थास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उपरोक्त कालोनियों में पानी का प्रवाह बहुत कम रहता है जिसके फलस्वरूप ऊपरी मंजिलों में रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कालोनियों के लोगों को चेतावनी दी है कि वे केवल उबला हुआ पानी ही पियें; और

(घ) उक्त स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इन कालोनियों में ललौंए पानी की कुछ रिपोर्टें थी। पानी का ललोंया रंग पाइपों में पपड़ी के कारण था।

(ख) जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया है विगत एक वर्ष के दौरान लक्ष्मीवाई नगर नौरोजी नगर तथा सरोजिनी नगर के आई०जे०के०एल० तथा एम ब्लाकों में बूस्टिंग प्रबन्धों सहित भूमिगत टैंकों की व्यवस्था की गई है। ऐसी योजना शेष सरोजिनी नगर के लिए भी स्वीकृत की गई है।

(ग) पानी के रंग की तुरन्त ही नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जांच की गई थी और पाइप लाइनों को साफ किया गया था। अतः नई दिल्ली नगर पालिका ने निवासियों को गर्म पानी पीने की चेतवनी देना आवश्यक नहीं समझा।

(घ) पपड़ी जमने की रोकथाम के लिए पाइपों को समय पर फ्लश किया जा रहा है।

वायु प्रदूषण रोकने में नीम और इमली के वृक्षों का सहायक होना

4461. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम और इमली के वृक्ष वायु प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति में सुधार करने के लिए इन वृक्षों के लगाए जाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ तो उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केन्द्र ने पर्याप्त प्रयोग करने के बाद नीम और इमली के पेड़ लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ङ) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नीम तथा इमली सहित तमाम वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

(ख) तथा (ग) नीम तथा इमली के पौधरोपण के लिए विशेष तौर पर कोई योजना विशेष तैयार नहीं की गई है। तथापि राज्यों द्वारा विभिन्न रोपण कार्यक्रमों में नीम और इमली के पेड़ लगाए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है और उनके द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता।

झुग्गियों में रहने वालों को ऋण

4462. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बम्बई में झुग्गियों में रहने वालों को अपने आवासों को फिर से बनाने हेतु ऋण देने की एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति

4464. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभी हाल में कमी होने लगी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किये गये अनेक आर्थिक उपाय अब कीमतों में कमी की प्रवृत्ति में दिखायी दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां तो जून, 1981, में थोक मूल्य सूचकांक क्या था और दिसम्बर, 1981 अथवा जनवरी 1982 में क्या था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यह सही है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है ।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान मूल्यों में आया गिरावट का रुख मुख्य रूप से इन कारणों से कहा जा सकता है : आवश्यक वस्तुओं और आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाना; आधार ढ़ांचे की सुविधाओं में सुधार होना; देशी सप्लाई की अनुपूर्ति के लिये कुछ वस्तुओं का आयात करना; प्रतिबंधात्मक ऋण नीति लागू करना और आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू करना ।

(ग) समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक जून, 1981 में 279.8, जनवरी, 1982 में 278.7, फरवरी, 1982 में 277.2 और 6.3.1982 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 275.0 था ।

मिन्टो रोड नई दिल्ली में पंजाबी साहित्य सभा को प्लाट का आबंटन

4465. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंटन पत्र सं० 3/150/62-1 दिनांक 17.12.1965 के अन्तर्गत पंजाबी साहित्य सभा को मिन्टो रोड संस्थागत क्षेत्र में प्लाट नं० 10 आबंटित किया गया था और 10 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व सरकार को 37,442,60 रुपये की पूर्ण अदायगी प्राप्त हो गयी थी ;

(ख) सभा को आवंटित प्लाट में निर्मित 8 कोटला लेन की इमारत को किस तारीख को तोड़ा गया और इसके तोड़ने में कितना धन लगा ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो सही स्थिति क्या है ; और

(घ) अप्रैल, 1969 से इमारत को तोड़े जाने की तारीख तक सरकार को नियमित और अस्थायी आबंटियों से कितना किराया प्राप्त हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राउज ऐवेन्यू, नई दिल्ली के सांस्थानिक क्षेत्र में 0.365 एकड़ परिमाप का प्लाट दिसम्बर, 1965 में पंजाबी साहित्य सभा को आबंटित किया गया था। सभा ने प्रीमियम की लागत, भूमि किराया और पट्टे के करार, को तैयार करने हेतु 37,442 रुपये 50 पैसे की राशि का भुगतान किया।

(ख) तथा (ग) 8 कोटला लेन में ढांचे को गिराने का कार्य 29.7.81 को पूर्ण किया गया था। इससे 32,553 रुपये प्राप्त हुए। 8 कोटला लेन की भूमि के अन्दर प्लाट संख्या 10 का केवल एक हिस्सा आता है।

(घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों (उद्यान) के ग्रेड में स्थायीकरण

4466. **श्री डुंगर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 980, 1981 और 1982 के दौरान अनुभाग अधिकारियों के कितने स्थायी पद वर्षवार मंजूर किए गए ;

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान (वर्षवार) अनुभाग अधिकारी (उद्यान) के कितने स्थायी पद भरे गए ; और

(ग) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कितने स्थायी पद भरे जाने थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1980, 1981 तथा 1982 (आज तक) के दौरान अनुभाग अधिकारी (उद्यान) के कोई स्थाई पद स्वीकृत नहीं किये गये थे।

(ख) 1980, 1981, 1982 (आज तक) के दौरान किसी अनुभाग अधिकारी (उद्यान) को स्थाई घोषित नहीं किया गया है।

(ग) अनुभाग अधिकारी (उद्यान) के पिछले शेष 32 स्थाई पदों को 1980, 1981 तथा 1982 (आज तक) के दौरान आगे अग्रेनीत किया गया तथा इनमें अभी तक किसी भी अनुभाग अधिकारी (उद्यान) को स्थाई घोषित नहीं किया गया है।

डी. डी. ए. की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मकानों का आबंटन

4467. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान डी० डी० ए० को किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वे शिकायतें किस तरह की हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के बारे में पिछले एक साल के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फरक्का सुपर ताप बिजली केन्द्र का प्रभाव

4468. **श्री जियानल अबेदिन :**

श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में आयोजित हुई वायु प्रदूषण गोष्ठी में स्मोक नुईसेन्स बोर्ड के चीफ इन्स्पैक्टर द्वारा की गई इन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि फरक्का सुपर ताप बिजली केन्द्र का मुर्शिदाबाद स्थित आमों के बाग तथा रेशम की कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) यदि हां तो क्या उनके मंत्रालय ने वायु-प्रदूषण को रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय से इस मामले में आग्रह किया है ताकि आमों और अमरूदों के बागों को बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाढ़ नियन्त्रण के लिए उड़ीसा से प्रस्ताव

4469. **श्री रास विहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) उड़ीसा में बोलनगीर जिले के कालाहांडी के तेल नदी कटिबन्ध, महानदी कटिबन्ध में बाढ़ आने के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ग) बाढ़ नियन्त्रण के लिए उड़ीसा को पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ों के कारण हुई कुल क्षति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	वर्ष	कुल क्षति (लाख रुपयों में)
1.	1979	523
2.	1980	11,716
3.	1981	120

बाढ़ों द्वारा हुई जिलेवार तथा क्षेत्रवार कुल क्षति का ब्यौरा शायद उड़ीसा सरकार के पास उपलब्ध होगा ।

(ग) चूंकि बाढ़ नियंत्रण एक राज्य विषय है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों की व्यवस्था करती है । केन्द्रीय सरकार ने रेंगाली बांध परियोजना के बाढ़-नियंत्रक घटक के लिए 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 296.00 लाख रुपये, 350.00 लाख रुपये और 350 लाख रुपये की व्यवस्था की थी और 1980-81 के दौरान उड़ीसा की राज्य सरकार को प्राथमिकता-प्राप्त बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 8.00 लाख रुपए दिए थे ।

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बाघ परियोजना

4470. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 'बाघ परियोजना' के नाम से राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य विकसित हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ तो (एक) परियोजना के क्षेत्र (दो) विस्थापित होने वाले गांवों और लोगों की संख्या (तीन) परियोजना के पूरा होने की अवधि के विशेष संदर्भ में ब्यौरा क्या है ;

(ग) विस्थापितों के पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि बाघों और मगरमच्छों का पुनर्वास करने के लिए लोगों को उनके क्षेत्र से हटा दिया जायेगा ;

(ङ) क्या कोई विदेशी एजेंसी भी इस परियोजना का वित्तपोषण कर रही है ;

(च) क्या इससे वहां के आदिवासी लोगों में रोष पैदा हो गया है ; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बाघ परियोजना के अन्तर्गत सिमलीपाल बाघ आरक्षण स्थल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 1974 से पहले से ही विद्यमान है ।

(ख) (1) सिमलीपाल बाघ आरक्षण-स्थल का कुल क्षेत्र 2750 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) स्थानीय लोगों को वहां से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आरक्षण-स्थल के दूरस्थ क्षेत्र से 9 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 109 परिवार हैं, के पुनः स्थान-निर्धारण पर विचार किया गया है ।

(3) बाघ परियोजना छठी योजनावधि के दौरान जारी रहने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक चालू योजना है ।

(ग) स्थान निर्धारण करने में उपयुक्त कृषि भूमि वाले वैकल्पिक स्थानों में समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करने का विचार है । पुनर्वास की लागत सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) बाघ परियोजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसकी कुल लागत केन्द्र और राज्यों के बीच शेयर की जाती है । विश्व वन्य प्राणि निधि-अन्तर्राष्ट्रीय ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक स्वैच्छिक संरक्षण संगठन है, कुछ उपकरण तथा वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की है ।

(च) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(छ) प्रश्न ही नहीं होता ।

"वन लाख लेबरर्स विदाउट राशन कार्डस" शीर्षक समाचार

4471. श्री बापूसाहिब परूलेकर : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वन लाख लेबरर्स विदाउट राशन कार्डस" (एक लाख श्रमिकों के पास राशन कार्ड न होना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व (ख) जी हां । दिल्ली प्रशासन की नीति के अनुसार स्थायी रिहाइश/नियमित रूप से रहने वाले आवेदकों को नियमित खाद्य कार्ड दिए जाते हैं और दूसरों को अस्थायी खाद्य कार्ड दिए जाते हैं । मौसमी श्रमिकों को, जो किसी कार्य विशेष के लिए दिल्ली आते हैं और उसके बाद अपने मूल निवास स्थान को वापिस चले जाते हैं, खाद्य कार्ड नहीं दिए जाते हैं किन्तु उसके बजाय ऐसे श्रमिकों को चावल और आटे की सप्लाई के लिए अस्थायी परमिट दिए जाते हैं ।

हिमाचल प्रदेश से सेव विपणन के लिए विश्व बैंक सहायता

4472. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश हार्टिकल्चरल प्रोडयूस मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन की विश्व बैंक सहायता के बारे में 7 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ख) से (ङ) तक राज्य सरकार से सूचना प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) क्या सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रख कर सेव उत्पादकों तथा उनकी एसोसिएशनों द्वारा बार-बार की गई मांग के अनुसार प्रोसेसिंग कार्यों के लिए सेव खरीदने की 85/- रु० प्रति क्विन्टल की अलाभकारी दर को बढ़ा कर लगभग 150 रु० प्रति क्विन्टल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादकों द्वारा वहन किए जा रहे अदानों को बढ़ी हुई लागत, उर्वरक, श्रम और कीटनाशक औषधियों के मूल्यों को ध्यान में रखकर उन्हें बढ़ी हुई दरों पर अर्थात सेव के 1981 के मौसम और आगामी मौसम के लिए अदायगी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आटा मिलों को लाइसेंस जारी करना

4473. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों के लाइसेंस जारी करने पर 1979 में लगाए गए प्रतिबन्ध के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र में आटा मिल लगाने के लिए आज तक, राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या हाल में लाइसेंस जारी करने पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात् अब तक राज्यवार कितने लाइसेंस जारी किए गए तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने के लिए नये लाइसेंस न देने का निर्णय मई, 1980 में लिया था, न कि 1979 में प्रतिबन्धों में ढील देने के बारे में फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। तदनुसार, मई, 1980 के बाद इस संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि०, एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान, को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने वर्तमान मक्का मिलिंग संयंत्र को एक सहायक यूनिट के रूप में फ्लोर मिलिंग प्लांट में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है।

चावल पेषण उद्योग (नियमन और लाइसेंसिंग) नियम 1959 का संशोधन करना

4474. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिलों को, रबर रोलर डि-हुस्कर लगाकर, आधुनिक अनाज की दृष्टि से, चावल पेषण उद्योग (नियमन और लाइसेंसिंग) नियम, 1959 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे केरल जैसे उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जहां सेला चावल प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) राइस मिलिंग उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंसिंग) नियम, 1959 में संशोधन करने के लिए सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 1970 और 1976 में किए गए संशोधनों में धान क्लीनर और पैडी स्प्रेटर के साथ रबर रोल शैलर या सेन्ट्रीफ्यूगल डीहुस्कर लगाने की व्यवस्था है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस उपकरण के लगने से सेलीकृत धान के विधायन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

डेरी उपकरणों का आयात

4476. श्री हरिकेश बहादुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फलड 1 तथा 2 परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने मूल्य के डेरी उपकरणों का आयात किया गया और कितने मूल्य के उपकरण देश में खरीदे गए ;

(ख) क्या सरकार ने न्यूजीलैण्ड से स्टेनलैस स्टील के बैरलों के अनधिकृत आयात के लिए डेरी बोर्ड को अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है और यदि हां, तो बोर्ड द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या इसी प्रकार की अनियमिताएं सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) डेरी मशीनरी फैक्टरी के सरकार की अनुमति के बिना बन्द हो जाने के बाद एच० एम० टी० के डेरी मशीनरी निर्माता एकक को कितने मूल्य के क्रयादेश दिए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फलड 1 और 2 परियोजनाओं के तहत खरीदी गई आयातित और स्वदेशी डेरी मशीनों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	आयातित	स्वदेशी (लाख रुपये)
आपरेशन फलड—1	842	4214
आपरेशन फलड 2 (फरवरी, 1982 तक)	909	3114

(ख) और (ग) 1979 में रेल दुग्ध टैंकरों के बैरलों के लिए स्टेनलैस स्टील के 4 इनर शैल न्यूंजीलैण्ड से उस समय प्राप्त हुए थे जब आयात लाइसेंस के लिए भारतीय डेरी निगम के आवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था। उस समय, भारतीय डेरी निगम को सलाह दी गई थी कि भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना कोई आर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद भारतीय डेरी निगम किसी फर्म को आर्डर देने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रही है।

(घ) भारतीय डेरी निगम द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को अब तक 1.60 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर दिए हैं। डेरी उपकरणों के उत्पादन के लिए भारतीय डेरी निगम के प्रस्तावित यूनिट को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पक्ष में बन्द कर दिया गया था।

सरकारी संगठन का विघटन/अधिक्रमण किया जाना

4477. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य सरकारों ने अधिकांश सहकारी संगठनों के प्रबंध मण्डलों का विघटन कर दिया है और उनके कार्यकरण की देखभाल के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त किए हैं तथा इन सहकारी संगठनों के चुनाव कितने वर्ष से नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून बनाने का है जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न सहकारी संगठनों के प्रबंध मण्डलों का विघटन करने तथा अतिलंघन करने, उनमें सरकार का दखल समाप्त करने की शक्तियां दी गई हों; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कानून कब तक बनाया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) "सहकारी समितियां" राज्य के विषय के अन्तर्गत आती हैं और राज्यों में सहकारी समितियों की देख रेख करने तथा मार्गदर्शन देने संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ये समितियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उपचारात्मक उपाय के तौर पर और कुछ परिस्थितियों में सामान्य प्रशासनिक कार्यवाई के रूप में किसी भी सहकारी समिति को प्रबंध समिति को भंग करने का अधिकार है।

राज्यों में सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों में भी यह व्यवस्था है कि जहां निवर्तमान समिति ठीक समय में प्रबंध समिति के लिए चुनावों का आयोजन नहीं करती वहां उक्त समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ऐसी समितियों में रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधक नियुक्त किया जा सकता है। भंग किए जाने की अवधि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है और यह अवधि आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं होती।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सहकारी समितियों की भंग प्रबंधक समितियों के शीघ्र चुनाव कराने और उन्हें चुने हुए पदाधिकारियों तथा समिति के सदस्यों को सौंपने के लिए अनुरोध किया है इनमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें भी शामिल हैं।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून बनाने का विचार नहीं हैं जो राज्यों में सहकारी समितियों पर लागू हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

डी०डी०ए० की नीलामी में दोषी निर्माणकर्ताओं का शामिल किया जाना

4478. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डी०डी०ए० की भावी नीलामियों और ऐसे समान वाणिज्यिक मामलों में दोषी निर्माणकर्ताओं को शामिल करने की अनुमति दे रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) डी०डी०ए० अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने योग्य उचित प्रथा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दोषी निर्माणकर्ताओं को नीलामियों में भाग नहीं लेने दिया जाता है। तथापि जिन निर्माणकर्ताओं को समयवृद्धि दी जाती है उन्हें दोषी नहीं समझा जाता है।

मिदनापुर जिले में स्वर्णरेखा नदी द्वारा मिट्टी का कटाव

4479. **श्री नारायण चौबे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में सोनपरिया पुलिस स्टेशन दनतान, जिला मिदनापुर जैसे काफी बड़े क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी द्वारा प्रत्येक वर्षा ऋतु में मिट्टी के कटाव से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सोनकारी के निकट उड़ीसा ट्रंक रोड को कटाव के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ग) वर्ष 1970 और 1980 में नदी के किनारे से सड़क की दूरी कितनी थी ; और

(घ) सरकार का इस क्षेत्र के लोगों के हितों की सुरक्षा और उड़ीसा ट्रंक रोड को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आए गांव, कस्बे और शहर

4480. **श्री उत्तम राठौड** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितने कस्बे और शहर हैं ;

(ख) अभी कितने कस्बे और नगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने बाकी हैं ; और उनके कब तक इसके अन्तर्गत आ जाने की संभावना है ;

(ग) क्या देश के गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) शेष गांवों को कब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा; और

(च) यदि उपयुक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो गांवों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जारगी । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 2.98 लाख उचित दर की दुकानें काम कर रही हैं, जिनमें से लगभग 2.38 लाख दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष शहरी क्षेत्रों में हैं । नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत और अधिक उचित दर की दुकानें, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में चलती-फिरती दुकानें भी शामिल हैं, खोली जानी हैं ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

4482. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त श्रमिकों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला नि:शुल्क अनाज, जैसाकि जनता शासन के दौरान किया गया था, देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रोजगार प्राप्त श्रमिकों को सप्लाई किये जाने वाले कूपन और ई०जा०एस० के अन्तर्गत काम करने वाले लोगों को आधा कि० ग्राम के कर दिये गये हैं और उन्हें अनाज की दुकानों से 1.40 प्रति कि० ग्राम कि दर से अनाज खरीदना पड़ता है जबकि पी०डी०एस० सरकार श्रमिकों की मजदूरी से 30 पैसे प्रति कि० ग्राम की कटौती करती थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों को परामर्श देगी कि पी०डी०एस० सरकार की नीति को न छोड़े और श्रमिकों को 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से अनाज दें तथा एक किलोग्राम के कूपन जारी करें ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) महाराष्ट्र की रोजगार गारन्टी योजना पूर्णतया एक राज्य योजना है । तथापि, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यो की अधिकांश मदें काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मदों के समान थी, अत: राज्य सरकार को काम के बदले अनाज कार्यक्रम

के अन्तर्गत दिए गए साद्यान्नों को रोजगार गारन्टी योजना के अधीन ग्राह्य निर्माण कार्यों पर उपयोग में लाने की अनुमति दी गई थी। जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए राज्यों को केवल खाद्यान्न दिए गए थे, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसने काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया है, के अन्तर्गत अब अक्तूबर, 1980 से मजदूरों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1 किलोग्राम निर्धारित कर दी गई है। इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति बन्द नहीं की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र की रोजगार गारन्टी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, राज्य में अलग-अलग कार्यान्वित की जाएगी। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.1982 के पश्चात दिये जाने वाले संसाधनों का उपयोग केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों पर ही किया जाएगा।

(ग) व (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्टर इनसिस्टस आन पेमेन्ट इन काइण्ड स्टेट्स रिलक्टेन्ट टू लिफ्ट ग्रेन्स अंडर एन० आर० ई० पी० शीर्षक समाचार

4483. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 में "सेन्टर इनसिस्ट्स आन पेमेन्ट काइन्ड सटेट्स रिलकटेन्ट टू लिफ्ट ग्रेन्स अंडर एन० आर० ई० पी. शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और राज्यों ने उसके बाद खाद्यान्न की उठान की हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम को आरम्भ किए जाने से इसके अधीन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया और उनके द्वारा प्राप्त किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 31 जनवरी तक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-3700/82]।

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा 1977-78 से 1980-81 तक के वर्षों के दौरान वास्तविक रूप में उठाई गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-2 भी संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-3700/82]।

वर्ष 1980-81 में पेय जल के लिए राजस्थान को दी गई राशि

4484. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अलग-अलग पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान को कितनी राशि दी गई है और जिलावार कौन-कौन से गाँव इस पेय जल की समस्या से प्रभावित हुए थे जिसके लिए राशि दी गई थी और इसका क्या परिणाम रहा और राज्य में कितने गांवों की पेयजल की समस्या हल हो गई है और बाकी कितने गांव में अभी तक यह समस्या बनी हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : पता लगाये समस्याग्रस्त ग्रामों के पेय जल मुहैया करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार को जलपूर्ति कार्यों के लिए वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान क्रमश: 559.10 लाख तथा 1433.19 लाख रुपए दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्राप्त किए गए ड्रिलिंग रिंगों की लागत तथा तत्संबंधी खर्चों के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 के दौरान 1,96,59,659 रुपए की राशि दी गई थी ।

केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण राज्य के लिए दी जाती है न कि जिला-वार इसलिए इस मंत्रालय के पास उन ग्रामों की सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्हें राशियाँ दी गई थी । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31.3.1980 की स्थिति के अनुसार 19,803 समस्याग्रस्त ग्राम थे । जिन्हें पेय जल मुहैया कराया जाना था । इनमें से 2402 समस्याग्रस्त ग्रामों को वर्ष 1980-81 के दौरान तथा 1623 समस्याग्रस्त ग्रामों को वर्ष (सितम्बर 1981 तक) में पेय जल मुहैया कराया गया था ।

राज्यों में सोयाबीन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना

4485. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्यों में, जहाँ बड़े पैमाने पर सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है, सोयाबीन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) राज्यवार उन स्थानों और उनके नामों का ब्यौरा क्या है जहां सोयाबीन बड़े पैमाने पर उत्पादित की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान, ।

सरकार के पास सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए नये प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि राज्यों में सोयाबीन सुधार के लिए जहां इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है—

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनों के अंतर्गत पहले से ही कई अनुसंधान केन्द्र हैं। अनुसंधान केन्द्रों की सूची विवरण रूप में संलग्न की जा रही है।

(ख) 1981-82 वर्ष में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सोयाबीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

क्रम सं	जिला
1	2
मध्य प्रदेश	
1.	उज्जैन
2.	बेतूल
3.	इन्दौर
4.	सिहोर
5.	देवास
6.	शाजापुर
7.	रायसेन
उत्तर प्रदेश	
1.	झांसी
2.	नैनीताल
3.	जालौन
4.	पिथोरागढ़
5.	टिहरी गढ़वाल
6.	अल्मोड़ा

विवरण

सोयाबीन के सुधार के लिए कार्य कर रहे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

1. समन्वयक एकक, पंतनगर

अनुसंधान केन्द्र

2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
3. परभनी
4. बंगलौर
5. पंतनगर
6. जबलपुर
7. पालमपुर
8. रांची
9. कल्याणी
10. धारवाड़
11. कोरपुट
12. जोरहाट
13. लुधियाना
14. जुनागढ़
15. अमरावती
16. पूना
17. मजेहरा
18. कोयम्बटूर
19. श्रीनगर

नेताजी नगर, नई दिल्ली के रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन की शिकायतें

4486. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजीनगर के रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन नगरपालिका से कालोनी में सड़क की बत्तियों और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की व्यवस्था न करने के बारे में अनेक बार शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऐसी आवश्यक जन सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं और इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में वनस्पति एककों को रेपसीड तेल न मिलना

4487. **श्री मुकुन्द मंडल :**
श्री अजीत बाग : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के वनस्पति एककों को अशोधित रेपसीड तेल न मिलने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार वनस्पति एककों को किस आधार पर अशोधित रेपसीड तेल आवंटित कर रही है ;

(ग) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितनी मात्रा आवंटित की गई और सप्लाई की गई ; और

(घ) इन एककों को अशोधित रेपसीड तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि उनको कोई समस्या न हों ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) विभिन्न आयातित खाद्य तेलों में से केवल सोयाबीन के तेल और निर्विषमीकृत ताड़ के तेल का आवंटन वनस्पति उत्पादन के लिए किया जाता है और कभी-कभी, इन दो तेलों के न होने पर, कामचलाऊ प्रबंध के रूप में वनस्पति उत्पादकों को कुल आवंटन के 20 प्रतिशत तक की मात्रा अपरिष्कृत रेपसीड तेल की दी जाती है । पश्चिम बंगाल में भी वनस्पति उत्पादक एककों को इसी आधार पर आवंटन किया गया है और इसलिए कठिनाई होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपरिष्कृत रेपसीड तेल का आवंटन बन्द कर दिया गया है । पहले के वर्षों में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपरिष्कृत रेपसीड तेल की कुछ मात्रा दी गई थी, जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(घ) जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, पश्चिम बंगाल के वनस्पति उत्पादक एककों को अपनी मांग के अनुरूप आयातित खाद्य तेल प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई अपरिष्कृत रेपसीड तेल की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

	1978-79	1979-80	1980-81
आन्ध्र प्रदेश	12,897	5,983	—
मध्य प्रदेश	5,092	19,425	6,681
मणिपुर	805	1,872	—
नागालैण्ड	2,968	1,497	—
पश्चिम बंगाल	20,215	—	—
दिल्ली	1,200	3,520	7,500
योग:	43,177	32,297	14,481

पारी से बाहर सरकारी आवास का आबंटन

4488. श्री हीरालाल आर० परमार :
श्री मीखा भाई :
श्री केशव राव पारधी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मानवीय आधार पर पारी से बाहर दिल्ली में रिहायशी मकानों को आबंटन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उन में से कुछ अनुरोध भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं से प्राप्त हुए थे जिन्हें उनकी मृत्यु के कुछ ही महीनों के पश्चात सरकारी आवास का प्रस्ताव भेज दिया था ;

(ग) यदि हां तो ऐसे अनुरोध का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन विधवाओं की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन्हें पारी से बाहर अनुकम्पा तथा मानवीय आधार पर सरकारी आवास आबंटित करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 182 (ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"एच० पी० एप्पल ग्रोवर आर इन सूप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4489. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स" में एच० पी० एप्पल ग्रोवर आर इन सूप " शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त आलेख में उल्लिखित समर्थन मूल्य न होने, अपर्याप्त प्रोसेसिंग और विपणन सुविधाएं और बिचौलियों द्वारा शोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं । लेख अब प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) व (ग) सेबों की अति शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति के कारण किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए इस समय इनकी समर्थन मूल्य प्रणाली के कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है ।

आधुनिक प्रोसेसिंग और विपणन सुविधाओं (ग्रेडिंग)/पैकिंग गृह, शीत भण्डार, प्रोसेसिंग संयंत्र तथा सड़कों के परिवहन जाल और केबल (लाइनें), जिनसे सेबों की विपणन प्रणाली में तेजी आएगी, की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहाय्यित हिमाचल प्रदेश सेब प्रोसेसिंग तथा विपणन परियोजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादक विपणन और प्रोसेसिंग निगम स्थापित किया है । इस परियोजना के अन्तर्गत 10 पैकिंग ग्रेडिंग गृह, 5 शीत भंडार, । फल प्रोसेसिंग संयंत्र कुडली (दिल्ली-हरियाणा सीमा) में एक गोदाम, आदि स्थापित किए गए हैं । यह परियोजना हाल ही में पूरी हुई है तथा आशा है कि 1982 के सेबों के मौसम तक उपरोक्त आधारभूत ढांचे की सुविधायें पूरे उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएंगी ।

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादक विपणन और प्रोसेसिंग निगम ने अपने पैकिंग गृहों के लिए एक कार्यात्मक योजना विकसित की है, जहां किसानों के उत्पाद फार्म के गेट/सड़क शीर्ष से उठाए जाएंगे, उनका संबंद्ध शीत भंडारों में उपयुक्त क्वालिटी नियंत्रण के अधीन प्रोसेसिंग श्रेणी करण और पैकिंग की जाएगी तथा तत्पश्चात उत्पादकों के अनुदेशों के अनुसार उनको बेचा जाएगा। किसान अपने उत्पादों का विपणन हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रोसेसिंग निगम के सीमान्त बाजारों में स्थित विपणन केन्द्रों के माध्यम से भी कर सकेंगे। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर किसान बिचौलियों को समाप्त कर सकने की स्थिति में आ सकेंगे।

गेहूं का खरीद तथा समर्थन मूल्य

4491. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) इस वर्ष खरीदे जाने वाले गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) सरकार ने विपणन मौसम 1982-83 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

कुनो और कुवारी नदियों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण

4492. **श्री बादूलाल सोलंकी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिला (मध्य प्रदेश) में कुनो और कुवारी नदियों से किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु एक बांध का निर्माण करने के लिए एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय किया जायेगा और उसके परिणामस्वरूप भूमि का कितना क्षेत्र सिंचित होगा ; और

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) इस संबंध में प्रस्तावित कोई परियोजना मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

एशियाई खाद्य बैंक की स्थापना

4493. डा० कृपा सिंधु भोई :
श्री चिरन्जी लाल शर्मा :
श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई और प्रशान्त देशों के आर्थिक और सामाजिक आयोग ने, जैसा कि हाल में उनकी रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है उक्त क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की कमी की पूर्ति तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए एशियाई खाद्य बैंक की स्थापना करने की शिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) बैंकाक में 23 मार्च से 3 अप्रैल, 1982 तक होने वाले एशियायी और प्रशान्त देशों के आर्थिक और सामाजिक आयोग के आगामी अधिवेशन में एशियायी प्रशान्त देशों में खाद्य की पूर्ति और वितरण करने विषयक रिपोर्ट जिसमें साथ-साथ एशियायी खाद्य बैंक स्थापित करने के बारे में विचार व्यक्त किया गया है, पर विचार-विमर्श किया जाएगा । इस संबंध में कुछ और कहना बहुत जल्दबाजी होगी ।

राज्यों में सूखा और अकाल

4494. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में सूखा और अकाल की स्थिति अभी भी विद्यमान है;

(ख) इन राज्यों की सहायता के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार हैं; और

(ग) उनमें से कितने राज्य गेहूं और चावल उत्पादक राज्य हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1981 के मानसून के बाद राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति बनी हुई है ।

(ख) राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दौरा किया और केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय

समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने संबंधित राज्यों को व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा मंजूर की है :—

राज्य का नाम	1981-82 के मानसून के बाद के सूखे के लिए व्यय की अधिकतम सीमा
	(लाख रुपये)
राजस्थान	5264.98 (सितम्बर, 1982 तक)
हरियाणा	425.00
हिमाचल प्रदेश	265.00

बिहार सरकार ने केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है ।

मध्य प्रदेश :

राज्य सरकार ने 2-3-1982 को एक ज्ञापन भेजकर केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है । एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा ।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी है :—

राज्य का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत अल्पकालीन ऋण		
	नकद सहायता	खाद्यान्न (मीटरी टन)	(लाख रुपए)
1	2	3	4
राजस्थान	468	8000	2000
हरियाणा	160	2500	1350
हिमाचल प्रदेश	120	2000	15
बिहार	2420	40000	1400
मध्य प्रदेश	1320	22000	1200

(ग) राजस्थान प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, जब कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश गेहूं तथा चावल दोनों का उत्पादन करते हैं ।

कर्नाटक में "स्लम क्लियरेन्स बोर्ड"

4495. **श्री टी०आर०शमन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में "स्लम क्लियरेन्स बोर्ड" कब बना था ;

(ख) कर्नाटक में स्लम क्लियरेन्स बोर्ड बनाए जाने के बाद कितनी गंदी बस्तियों को हटाया गया है या इनमें सुधार किया गया है;

(ग) "स्लम क्लियरेन्स बोर्ड," बनने से पहले बंगलौर शहर में कितनी गंदी बस्तियां थी;

(घ) 1 जनवरी, 1982 को बंगलौर में कितनी गंदी बस्तियां थी; और

(ङ) कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी आवास का आबंटन

4496. **श्री राम स्वरूप राम : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाइप तीन और टाइप चार की श्रेणियों में आबंटन प्रयोजनों हेतु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ग्रहहयता की अवधि क्या है;

(ख) राजधानी में इस समय टाइप तीन और टाइप चार की श्रेणी के अन्तर्गत अलग-अलग कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ;

(ग) क्या टाइप चार के लिए उन्हें पात्र बनाने हेतु 700-999 रुपए की वेतन परिधि में एक तदर्थ श्रेणी के बनाए जाने से वे गैर- आबंटन धारी कर्मचारी वंचित रह गए है जिन्हें इस श्रेणी के अन्दर लाया गया था ;

(घ) क्या एक तदर्थ श्रेणी बनाए जाने से ऐसे कर्मचारियों के अवसर पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिनकी सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है क्योंकि टाइप चार की श्रेणी के क्वार्टरों का निर्माण काफी सीमित है ;

(ङ) ऐसे गैर आबंटन धारी सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जो 20 वर्ष की सेवा वधि पूरी कर चुके हैं और जिन्हें अब इस तदर्थ श्रेणी में लाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 17 मार्च, 1982 को टाइप तीन और टाइप चार आवास में जिन अग्रता तिथि तक आबंटन किया गया है वे इस प्रकार है :—

टाइप तीन	26 जून, 1964
टाइप चार	
(1) नियमित	15 सितम्बर, 1954
(2) तदर्थ	1 अक्तूबर, 1950

(ख) टाइप तीन के 345 क्वार्टर निर्माणाधीन है जब कि टाइप चार में केवल 16 क्वार्टर निर्माणाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ हद तक उनकी प्रतीक्षा अवधि बढ़ी है।

(ङ) 3410

(च) 700-999 रुपये के वेतन सीमा में तदर्थ श्रेणी राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी। यह श्रेणी तदर्थ आधार पर उस समय तक के लिए बनाई गई है जब तक आगे और पुनरीक्षण नहीं किया जाता जब कि भारी मात्रा में क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाए जा रहे नए क्वार्टरों को सामान्य पूल वास में शामिल कर लिया जायेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

4497. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है और इन कार्यक्रमों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों से कितने गांवों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण पुनर्निर्माण के कई मुख्य कार्यक्रम पहले ही क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इनमें से कुछेक कार्यक्रम नीचे दिए जा रहे हैं।

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। छठी योजना के दौरान उपदानों और संस्थागत ऋण का प्रावधान करके प्रत्येक खण्ड में लघु/सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्ग से सम्बन्धित परिवारों के कम से कम 3,000 परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है जिससे वे सक्षम आर्थिक गतिविधियां आरम्भ कर सकेंगे। छोटे किसानों के लिए उपदान की दर परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों आदि के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत है जो अधिक से अधिक 3000 रुपए तक दिया जा सकता है। आदिवासियों के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत है जो कि अधिकतम 5,000 रुपये होगी। कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से लिए जाने हैं और इन वर्गों को कुछ लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग ऋण और उपदान के रूप में दिया जाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना और उसके द्वारा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। परिव्यय का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के समाजार्थिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/केन्द्र-शासित क्षेत्रों को आवंटन संबंधित राज्य में कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत तथा गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल देते हुए किया जाता है। 1-4-1981 से इस योजना पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

इस केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :—

1) सिचाई संसाधनों का विकास और प्रबन्ध ,

2) भूमि तथा जल संरक्षण और वनरोपण ;

3) फसल पद्धति की पुनसंरचना तथा चरागाह विकास ;

4) शुष्क भूमि पर खेती की तकनीकों को लोकप्रिय बनाना ;

5) पशुधन विकास ; और

6) छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों आदि का विकास ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 73 जिले आते हैं।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

यह 1977-78 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरम्भ हुआ था परन्तु 1979-80 से यह केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर व्यय वहन करने के आधार पर चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्म तथा ठंडे, दोनों तरह के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों का भौतिक, मानवीय तथा पशुधन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के माध्यम से उत्पादकता, आय स्तर तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके समन्वित विकास करना है। परिकल्पित मुख्य गतिविधियां वनरोपण, चरागाह विकास, भू-जल विकास, जल-संचयन हेतु ढांचों का निर्माण, पम्प सैटों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि बागवानी और पशुपालन के विकास से सम्बन्धित हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 21 जिले आते हैं।

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	750.00
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	980.00
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	175.00
4. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	50.00

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम. जो केवल चुने हुए क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, को छोड़कर अन्य कार्यक्रम सभी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में चल रहे हैं और लाभ पहुंचा रहे हैं।

गणेश फ्लोर मिल

4498. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणेश फ्लोर मिल एक सरकारी उपक्रम है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह उपक्रम बिना निविदाओं के खाली टिन खरीद रहा है और उसमें बिक्री के लिए भी कोई प्राथमिकता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस उपक्रम की बिक्री और खरीद का विनियमन क्यों नहीं करती ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि० का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा 3.11.1972 से उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18 क क के तहत अपने हाथ में ले लिया गया है ।

(ख) तथापि, कुछ मौकों पर टिन प्लेटों की आपूर्ति की स्थिति कठिन होने के कारण, कम्पनी को खुले बाजार से खाली टीन खरीदने पड़े, ताकि वनस्पति/परिष्कृत तेल पैक करने के कार्य में बाधा न पड़े । टीन की चादरें आमतौर पर सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, दि हिन्दुस्तान स्टील लि० और कभी कभी टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया लि०, के माध्यम से खरीदी जाती हैं ;

इस कम्पनी की एक व्यापक विक्रय नीति है जिसके अन्तर्गत इसके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री लाइसेंसशुदा थोक विक्रेताओं और स्टाकधारियों के माध्यम से की जाती है । इसके अतिरिक्त, वनस्पति घी की स्थानीय रूप से होने वाली कमी को दूर करने के लिए कम्पनी द्वारा आम जनता को समाचार-पत्रों के माध्यम से सूचना देकर वनस्पति घी की बिक्री चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) सरकार ने कम्पनी के रोजाना के कार्यों की देखरेख के लिए, जिसमें बिक्री और विपणन भी शामिल है, एक प्रबन्ध-मंडल नियुक्त किया है ।

बिहार में नदी घाटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4499. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण तथा पन बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन-कौन से विशिष्ट नदी घाटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है अथवा की जानी हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और जल-विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं और राज्य सरकार द्वारा छठी योजना में प्रस्तावित नई स्कीमों के नामों की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिंचाई बाढ़-नियन्त्रण और जल-विद्युत उत्पादन से संबंधित विहार की निर्माणाधीन परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के नामों की जानकारी देने वाला विवरण

एक- सिंचाई स्कीमें

क-छठी योजना से पहले की स्कीमें

1. बृहद स्कीमें

अनुमोदित स्कीमें

1. गंडक परियोजना
2. कोसी बराज तथा पूर्व नहर
3. बागमती सिंचाई
4. पश्चिमी कोसी नहर
5. सोन उच्च स्तरीय नहर
6. राजपुर नहर
7. उत्तरी कोइल जलाशय
8. दुर्गावती जलाशय
9. बरनार जलाशय
10. अपरफियूल जलाशय
11. बटेश्वर स्थान, चरण-एक

अनुमोदित नहीं की गई स्कीमें

12. अजय बराज सिक्तिया
13. सुवर्णरेखा परियोजना
14. कोनार व्यपवर्तन
15. तिलैया व्यपवर्तन
16. बाणसागर बांध का भाग

दो- मध्यम स्कीमें

अनुमोदित स्कीमें

1. नकटी
2. उद्र स्थान सिंचाई

3. पैमार बराज
4. बेलहरण जलाशय
5. अजान (कुकुझाप) जलाशय
6. बटनदुहाजलाशय
7. बैटेन जलाशय
8. बदुआ द्वितीय अनुपूरक
9. अजनवा जलाशय
10. बकसा बांध
11. गोवई बराज
12. उड़ीसा डमरू जलाशय
13. मलय जलाशय
14. बायां बंके जलाशत
15. जनशिया जलाशय
16. तजना बराज
17. चिरका जलाशय
18. सुन्दर जलाशय
19. छिन्दा जलाशय
20. गुमानी जलाशय
21. सुगथान जलाशय
22 डकरानाला पम्प नहर, चरण-एक
23. सूरजगढ़ पम्प नहर
24. जलमार्गो का निर्माण
25. चौसा में गंगा पम्प नहर
26. हीरू जलाशय
27. लोटला जलाशय
28. अनराज जलाशय
29 तोराई जलाशय
30. पारस जलाशय
31. मसारिया जलाशय
32. चिरगांव जलाशय

33. जयपुर जलाशय
34. कंस जलाशय
35. बुछोपा बांध का नवीकरण
36. पलसा जलाशय
37. लरगारा जलाशय
38. झरझरा जलाशय
39. मुराहिर जलाशय
40. ओर्नी जलाशय
41. बिलासी जलाशय
42. बटेश्वरस्थान पम्प नहर चरण-दो
43. फुलवारिया जलाशय
44. सकरीगली पम्प
45. बदुआ अपर नाला जलाशय
46. पंडारवा जलाशय

ख. नई स्कीमें

1. बृहद स्कीमें (अनुमोदित)

1. सोनुआ जलाशय

अनुमोदित नहीं की गई स्कीमें

2. औरंगा जलाशय
3. कन्हर जलाशय
4. अजगार्वनाथ पम्प नहर
5. जमानिया पम्प नहर (रोहतास)
6. पुदार्श जलाशय
7. बढ़ाई जलाशय
8. बंसलोई जलाशय
9. अमानत जलाशय
10. तहले जलाशय

11. मोहाने जलाशय
12. लीलाजन जलाशय
13. अपर सकर्रं जलाशय
14. ढकवा जलाशय
15. सरकुंडा जलाशय
16. कांची जलाशय
17. सुकशेनाघाट पम्प नहर
18. बरारी पम्प नहर
19. मासान बाँध
20. झरूहई बराज
21. परासन बराज
22. महानन्दा पर बगदोब बराज
23. दोमनपुर जलाशय
24. जियाजीरे जलाशय
25. तैयाबपुर में महानन्दा बराज
26. कोइलकारी सिंचाई परियोजना

मध्यम स्कीमें

अनुमोदित स्कीमें

1. सिंह बरनी जलाशय
2. खुदिया जलाशय
3. सुरू जलाशय
4. तोरलो जलाशय
5. नकटी जलाशय
6. टपकारा जलाशय
7. नन्दिनी जलाशय
8. लोटराटू जलाशय
9. कसजोर जलाशय
10. डकरानाला पम्प नहर (दो)

अनुमोदित नहीं की गई स्कीमें

11. कुदार जलाशय
12. मोरहार जलाशय
13. पुनमुन बराज
14. सुआरत जलाशय
15. काओं जलाशय
16. तुतला जलाशय (रोहतास)
17. सोन पम्प नहर
18. कोमिनिआनाला जलाशय
19. कामारबेरा जलाशय
20. पुस्ता घाघ जलाशय
21. केवलदाग जलाशय
22. कुले घाट जलाशय
23. अपखर जलाशय
24. करनासा पम्प
25. भारिआरका जलाशय
26. रासी भाद्री जलाशय
28. खेरी जलाशय
29. अपकर जलाशय
30 बिसनपुर जलाशय
31. भुरभुरी जलाशय
32. बिजय जलाशय
33. बिल्लीगोरा जलाशय
34. अपर बंकी जलाशय
35. पंचखरी जलाशय
36. झिकिया जलाशय
37. हसरी जलाशय
38. हथुआ नाला जलाशय
39. कारारोबार जलाशय

40. दार्या बैक जलाशय
41. जिनजय जलाशय
42. रामरेखा जलाशय
43. हंसदा जलाशय

ग. आधुनिकीकरण स्कीमें

1, सोन नहर
2. लोअर सकरं नहर प्रणाली
3. कपला नहर प्रणाली
4. कांचं नहर प्रणाली
5. दुर्गावती नहर प्रणाली
6. कर्मनास प्रणाली
7. लोअर कियूल घाटी प्रणाली
8. चन्दन नहर प्रणाली
9. बदुआ नहर प्रणाली
10. आठ हैक्टेयर के ब्लाक तक जलमार्गों का निर्माण

दो बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें

क. चालू स्कीमें

1 तटबन्ध स्कीमें

1. बागमती वाढ नियंत्रण
2. महानन्दा बाढ़ नियन्त्रण
3. बक्सर कोइलवार तटबंध
4. भूटानी बेलान दार्या नटबन्ध
5. कटरमाला खगारिया तटबंध का विस्तार
6. उत्तरी विहार में तटबंध को ऊंचा करना और सुदृढ़ बनाना
7. माधोपुर रिटायर्ड लाइन
8. अशोक घाट रिटायर्ड लाइन
9. नारायणपुर रिटायर्ड लाइन

10. डुपर्रं छपरा तटबन्ध
11, जोनिया कुरसेला तटबन्ध
12. सोन तटबन्ध (नान सागर से कोइलवार)
13. दरजिया से फुलवारिया तक कमलाबालान तटबन्ध का विस्तार
14. तिपरार्स पिषराघाट तटबंध
15. भूसाई बालान वाया तटबंश्र
(चरण एक और दो)
16. नयागांव डुपरिया बुजुर्ग तटबंध

दो जल- निकास स्कीम

तीन बैंक सुरक्षा स्कीम

1. काढ़ोगोला कटाव-रोधी बर्क्स
2. मासी मंगेर घाट वर्क्स
3. खुटरिया सुरक्षा वर्क्स
4. नारायणपुर सुरक्षा वर्क्स
5. कटाव-रोधी वर्क्स (कोसी तटबन्ध में)

चार नगर सुरक्षा वर्क्स इत्यादि

1. दरभंगा सुरक्षा वर्क्स
2. पटना वाढ़ सुरक्षा स्कीम
3. वल्लभपुर सुरक्षा स्कीम

ख नई स्कीमें

1. तटबन्ध स्कीमें

1. छहरा सोनपुर तटवन्ध
2. हाजीपुर वाजिदपुर तटबन्ध
3. वदला घाटनगरापारा तटवन्ध
4. नारायणपुर कुरसेला
5. पुनपुन दायां तटवन्ध

6. परमन बाढ़ नियन्त्रण
7. रतुआ बाढ़ नियन्त्रण
8. तिरमुहान् कुरसेला
9. अपर महानन्दा
10. लोअर महानन्दा दायां तटबंध (चरण—दो)
11. लोअर महानन्दा बायां तटबंध (चरण—तीन)
12. नगर तटबंध
13. पूर्व कंकई तटबंध
14. संकरी तटबन्ध स्कीम
15. फल्गू बाढ़ नियन्त्रण तटबंध
16. कियूल तटबंध स्कीम
17. पचाने तटबंध स्कीम
18. पिपरासी रीपरघाट फोंकर्ड संरेखण
19. चम्पारन तटबंध (0—9 कि० मी०)
20. वाम बूढी गंडक (72-77 कि० मी०)
21. पश्चिमी कंकई तटबंध
22. पुदपुन—मोरहर दरूहा तटबंध
23. मेची तटबन्ध स्कीम
24. तिलेर बंध
25. जयनगर से पिचिया (नेपाल) तक अपर कपला तटबन्ध
26. मनिहारी से टोपरा तटबन्ध
27. लखीसराय से साहब गंज तक रोड डोवल
28. गंगा बुगुमानी तटबन्ध
29. पश्चवर्ती रेखा तटबंध
30. जमींदारी तटबन्ध को सुदृढ़ करना

II जल निकास स्कीमें

1. कोसी और गण्डक के कमान के बाहर जल-निकास स्कीम
2. मेकमेह ताल जल-निकास स्कीम (चरण-दो रोड डोवल)
3. घाखरा नदी खंडों का पुनर्विभाजन

4. बाया नदी खंड का पुर्नविभाजन
5. कढैया-रिंग बंध

चार. नगर सुरक्षा स्कीमें

1. पटना नगर सुरक्षा (दीघा दीदारगंज)
2. कहलगांव सुरक्षा स्कीम
3. साहबगंज सुरक्षा स्कीम
4. छपरा नगर सुरक्षा स्कीम
5. अरारिया नगर सुरक्षा स्कीम
6. भागलपुर नगर सुरक्षा स्कीम
7. राजमहल सुरक्षा स्कीम
8. मुंगेर किला सुरक्षा स्कीम
9. सम्पूर्ण बिहार में नगर तथा ग्राम सुरक्षा स्कीम

तीन. जल विद्युत परियोजनाएं

1. स्वर्ण-रेखा परियोजना
2. कोइल कारो परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लेने का प्रस्ताव है)
3. पूर्वी गंडक नहर (जल विद्युत परियोजना)
4. उत्तरी कोइल जल विद्युत परियोजना
5. संख जल-विद्युत परियोजना

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

4500. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब तक दिल्ली में कुल कितने एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है ; और

(ख) उपयोग में लाई गई भूमि और बिना उपयोग किए खाली पड़ी भूमि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में धान की वसूली

4501. **श्री जय राम वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से सीधे धान खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार कितना धान खरीदेगी और इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा अब तक कितना धान खरीदा गया है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल भी धान की सीधी खरीद की थी और यदि हां, तो पिछले साल इस समय तक उसने कितने धान की खरीद की थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने धान की खरीदारी करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । तथापि, 17.3.1982 तक दी गई सूचनानुसार राज्य की एजेंसियों ने मूल्य समर्थन प्रणाली के अधीन 1.03 लाख मी० टन धान की वसूली की है जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि तक 5.90 लाख मीटरी टन की मात्रा वसूल की गई थी । इसके अलावा, राज्य सरकार ने चावल के मिल-मालिकों से लेवी के रूप में लगभग 4.95 मीटरी टन चावल इकट्ठा किया है जबकि पिछले मौसम में उसी अवधि तक 1.24 लाख मीटरी टन चावल इकट्ठा किया गया था ।

धान की वसूली करने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं जिनमें वसूली एजेंसियां नियुक्त करना, पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना, बोरों की सप्लाई करना, नकद उधार सुविधायें उपलब्ध करना, किसानों को तुरन्त भुगतान करना और हैंडलिंग और परिवहन संबंधी सुविधायें मुहैय्या करना आदि शामिल हैं ।

मत्स्य उद्योग की कठिनाइयां

4502. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मत्स्य उद्योग को पुरानी पद्धतियों तथा एम० एम० डी० के स्तर के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) विभिन्न आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मत्स्य उद्योग की सहायता की जा सके ;

(ग) क्या सरकार ने व्यापारी बेड़ा विभाग के नियमों और विनियमों से सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में मत्स्य उद्योग से परामर्श किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मत्स्य उद्योग द्वारा अन्य समुद्री जलयानों के लिए एम० एम० डी० द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहने की बजह से उद्योग को हो रही परेशानियों के संबंध में सरकार को जानकारी है ।

(ख) सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मत्स्यन उद्योग से विचार-विमर्श करके मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

जानवरों के गोबर से बायो गैस बनाया जाना

4503. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि हमारे देश में उपलब्ध जानवरों का गोबर और कार्बनिक कूड़ा-करकट का उपयोग करना है तो इससे लगभग 7000 करोड़ क्यूबिक मीटर बायो गैस बनाई जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्रोतों के उपयोग करने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के अनुसार देश में मवेशियों द्वारा त्यागे गए कुल मल से प्रतिवर्ष 7,000 करोड़ घन मीटर बायोगैस बनाए जा सकने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) कृषि मन्त्रालय ने छठी योजना की शेष अवधि में बायो गैस के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय की एक राष्ट्रीय परियोजना पहले ही मंजूर कर दी है, जिसमें देश में 400,000 बायो गैस यूनिटों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है ।

दिल्ली में सहकारी सामूहिक गृह निर्माण समितियों को भूमि

4504. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की कुछ सरकारी सामूहिक गृह निर्माण समितियों ने अपनी प्रतीक्षा सूची में सदस्यों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 1978-79 में अतिरिक्त भूमि के आवंटन की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की वर्तमान नीति सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का है जिससे कि ऐसी समितियां राजधानी में आवास की मांग/समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के आश्वासन में भागीदार बन सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुना सहकारी ग्रुप आवास समिति तथा नन्नू बारादरी सहकारी ग्रुप आवास समिति ने अपनी प्रतीक्षा सूची के अपने सदस्यों को आवंटित करने के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया था । इन दोनों समितियों के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(ख) तथा (ग) सरकार, सहकारी आवास की गतिविधि को प्रोत्साहन कर रही है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस नीति के अनुसरण में हाल ही में 400 से अधिक सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि की पेशकश की है ।

समेकित उद्यानिकी परियोजनाओं के लिए आन्ध्र सरकार का अनुरोध

4505. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस राज्य में समेकित उद्यानिकी परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय को मंगाई गई चीजों की सप्लाई

4506. **श्री हरीशकुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली स्थित पूछताछ कार्यालयों द्वारा मंगाई गई चीजें पिछले एक वर्ष से उन्हें नहीं भेजी गई है;

(ख) पूछताछ कार्यालयों द्वारा मंगाई गई चीजों का ब्यौरा क्या है और उन्हें भेजी गई चीजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भंडार में कुल कितने सामान की वास्तव में कमी है;

(घ) भंडार की मदों की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन्हें ये चीजें शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(च) क्या एशिया, 1982 से संबंधित परियोजनाओं में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धनराशि/राजस्व लगाने के कारण यह स्थिति उतपन्न हुई है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली स्थित पूछताछ कार्यालयों द्वारा मंगाई गई चीजें उन्हें निरन्तर भेजी जाती हैं/भेजी गई हैं सिवाय इसके कि जब ये चीजें भण्डार में उपलब्ध नहीं होती हैं।

(ख) मांगी गई चीजें, सीमेंट, इस्पात, कांच जी० आई पाइप और जुडनार एवं भण्डार की अन्य छोटी-मोटी चीजें थीं ये चीजें मंगाई गई और इनकी पूछताछ कार्यालयों को पूरी सप्लाई की गई।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय भंडार के स्टाक में सामान की वे मदें होती हैं जिनकी सामान्यतया पूछताछ कार्यालयों को दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए जरूरत होती है। जिन चीजों की पूछताछ कार्यालयों को सामान्यता जरूरत नहीं होती है, उनका प्रबन्ध स्थानीय खरीद से किया जाता है कुछेक ही मामलों में, जहां केन्द्रीय भण्डारों द्वारा आमतौर से दी जाने वाली चीजें भण्डार में नहीं होती हैं, तो पूछताछ कार्यालयों की अत्यन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय खरीद की जाती है।

(च) एशिया 1982 की परियोजनाओं का पूछताछ कार्यालयों हेतु निधियों के प्रावधान पर कोई प्रभाव नहीं है।

राजस्थान को आबंटन खाद्यान्न

4507. **श्री चतुर्भुज** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को ग्रामीण विकास के लिए, 1 जनवरी, 1981 से 20 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान कुल कितने खाद्यान्नों का आवंटन किया गया और इस अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उपर्युक्त खाद्यान्नों और धनराशि का उपयोग कर लिया है और यदि हां, तो प्रत्येक जिले को कुल धनराशि के साथ खाद्यान्नों की कुल की कुल कितनी मात्रा आबंटित की गई और तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे सहित वहां कितना कार्य हुआ ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1 जनवरी, 1981 से लेकर अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को बंटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा नकद निधियां निम्न प्रकार हैं :—

नकद निधियां (लाख रुपए में)	खाद्यान्न (मोटरी टनों में)
798.20	8.000

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

घाडबों तिलैया बांध

4508. **श्री रणजीतसिंह :**

श्री कुवर राम : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में घाडबों तिलैया बांध के निर्माण की कोई योजना बीस वर्षों से भारत सरकार के अधीन पूरी होने के लिए पड़ी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत गया, हजारीबाग और अन्य जिलों में लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और इसकी संस्थापना पर प्रति वर्ष लाखों रुपयों का व्यय किया जाता है; और

(घ) यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं, तो सरकार इस योजना को कब तक पूरा करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) यह प्रश्न संभवत: तिलैया धादर व्यपवर्तन स्कीम से संबंधित है । इस स्कीम को, जो अक्तूबर, 1974 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी, अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है और इस समय इसके बारे में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है । इस स्कीम पर 48 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे गया तथा नवादा जिलों में 48600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना की गई है ।

(ग) इस परियोजना पर मार्च, 1982 के अन्त तक 1.62 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना के सातवीं योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो जाए।

भगीरथ में पदों का भरा जाना

4509. **श्री आर० यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी और हिन्दी "भगीरथ" में काम कर रहे सम्पादकों की अर्हता और अनुभव का ब्योरा क्या है और प्रधान सम्पादक की नियुक्ति के लिए क्या आवश्यक है;

(ख) पिछले सम्पादक के अवकाश ग्रहण करने के बाद अंग्रेजी सम्पादक को तदर्थ नियुक्ति देने और उसी पद पर उसको बाद में नियमित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ग) उपर्युक्त प्रक्रिया को ही हिन्दी में सम्पादक, उपसम्पादक और अंग्रेजी में सहायक सम्पादक और आर्टिस्ट के पदों को भरने में न अपनाने के क्या कारण हैं; इस अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) मंजूर शुदा पदों को अविलम्ब भरने के लिए अन्य प्रकाशनों की तरह पत्रिका के लिए प्रधान सम्पादक के पद का सृजन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) सम्पादक, अंग्रेजी भगीरथ का पद भरा हुआ है और वर्तमान पदधारी के अनुभव तथा उसकी अर्हताओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

अनुभव

(1) व्यावसायिक सहायक (प्रकाशन) 1955-58।

(2) सहायक सम्पादक (भगीरथ) 1958 दिसम्बर, 1972।

(3) सम्पादक (भगीरथ) दिसम्बर, 1972 से अब तक।

अर्हता

विज्ञान स्नातक।

सम्पादक हिन्दी भगीरथ का पद अभी तक भरा नहीं गया है। भगीरथ पत्रिकाओं के लिए प्रधान सम्पादक का कोई पद नहीं है।

(ख) सम्पादक, अंग्रेजी भगीरथ का पद, किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति किए जाने तक के लिए, दिसम्बर, 1972 में तदर्थ आधार पर भरा गया था। यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति द्वारा 1 सितम्बर, 1973 से नियमित आधार पर भर लिया गया था।

(ग) सम्पादक, उपसम्पादक तथा कलाकार के पद हाल में सृजित किए गए हैं और उनके भर्ती नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भर्ती नियमों को अधिसूचित कर दिए जाने के तुरन्त बाद इन पदों को भर लिया जाएगा। सहायक सम्पादक, हिन्दी भगीरथ का पद पहले ही नियमित आधार पर भरा हुआ है।

(घ) सम्पादक, उपसम्पादक तथा कलाकार के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है और नियमों के अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात ये पद भर लिए जायेंगे। प्रधान सम्पादक का कोई पद सृजित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तिलहन की मांग और इसका आयात

4510. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान मांग की तुलना में तिलहन की पूर्ति में कितनी कमी रही है;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में तिलहनों का आयात किया गया और उसके लिए कितनी देशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी;

(ग) खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के लिए तिलहन खाद्य तेल का आयात कहां तक जिम्मेदार हैं; और

(घ) तिलहन का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) प्रायः खाद्य तेलों के रूप में कमी का अनुमान लगाया जाता है। नवम्बर, 1980 से अक्तूबर 1981 तक की अवधि में 36 से 37 लाख मीटरी टन की अनुमानित मांग की तुलना में 26 लाख मीटरी टन की घरेलू आपूर्ति का अनुमान लगाया गया था।

(ख) तिलहनों का आयात महत्वहीन रहा है।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेलों के आयात से खाद्य तेलों के मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगाने में सहायता मिलती है । आयातित खाद्य तेलों के न होने पर देशी मण्डियों में इनके दाम आज के दामों की अपेक्षा शायद और अधिक होते ।

(घ) तिलहनों का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम/ इस योजना का लक्ष्य किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करना बीज उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, तथा किसानों और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है ।

(2) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन की विशेष परियोजनाएं शुरू करना ।

(3) तिलहनों के विकास के लिए आवंटन में वृद्धि करना जो, पांचवी योजना के 14 करोड़ रुपये के आवंटन से बढ़ाकर छठी योजना के दौरान 65 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

(4) तिलहन की फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र को वर्ष 1979-80 के 8 लाख हैक्टार से बढ़ाकर वर्ष 1984-85 तक 14 लाख हैक्टार करना ।

(5) सोया बीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहन की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना ।

(6) अनुसंधान प्रयासों को तेज करना ।

(7) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना; ताकि किसानों को अपनी उपज के उपयुक्त दाम मिल सकें । उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 1981-82 में तिलहनों का उत्पादन वर्ष 1980-81 में 94.18 लाख मीटरी टन के उत्पादन स्तर से अधिक होने का अनुमान है ।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में वनस्पति घी की बिक्री के लिये लाइसेंस

4511. **श्री केशव राम पारधी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी नगर, नई दिल्ली में वनस्पति घी की बिक्री के लिए कितने दुकानदारों को लाइसेंस दिये गये हैं और क्या यह सच है कि एक स्थान विशेष पर केवल एक दुकानदार को लाइसेंस दिया जाता है ;

(ख) नेताजी नगर, नई दिल्ली में फरवरी, 1982 में लाइसेंसधारी दुकानदार को कितना वनस्पति घी सप्लाई किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निदेश दिये हैं कि दुकान के लिए यह जरूरी है कि वह वनस्पति घी के प्रत्येक किलोग्राम के साथ उपभोक्ता साबुन की एक टिकिया भी बेचे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि नेताजी नगर के दुकानदार द्वारा ऐसा किया जा रहा है और क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) नेताजी नगर, नई दिल्ली में पांच दुकानदारों को वनस्पति घी बेचने के लिए लाइसेंस दिये गए हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लाइसेंस देने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, फरवरी, 1982 में नेताजी नगर के खुदरा लाइसेंसधारियों को खाद्य कार्डों पर उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए 16.5 किलोग्राम के लगभग 200 टीन दिये गये थे।

(ग) जी नहीं। इस इलाके से ऐसा कोई दृष्टांत दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा संभरण विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का संरक्षण

4512. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु और केरल प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के मामले पर गहराई से विचार किया है जिनका अधिकांश जल बह कर समुद्र में चल जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि उपयुक्त परियोजनायें शुरू करके पानी की कमी वाले राज्य तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाओं के लिये उपयोग हेतु जल संरक्षित किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु और केरल के बहुत से लोगों की भलाई से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के निर्माण-कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था।

समिति ने सूचित किया है कि पूर्व की ओर व्यपवर्तित करने के लिए केरल और कर्नाटक के कुछ बेसिनों में अधिशेष जल उपलब्ध है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन बेसिनों से अधिशेष जल के व्यपवर्तन के लिए परियोजनाओं के अन्वेषण के कार्य को हाथ में लेने हेतु तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार के साथ द्विपक्षीय आधार पर विचार-विमर्श आरम्भ करें।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों को पश्चिमी घाटों के पूर्व में अपने सूखा प्रवण जिलों में क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। इस रिपोर्ट की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को पहले ही भेजी जा चुकी है।

पंजाब तथा अन्य राज्यों में गेहूं और चावल की वसूली के लिए बोनस

4513. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब तथा अन्य राज्यों में गेहूं और चावल की वसूली के लिए बोनस का भुगतान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर तथा ग्रामीण आयोजन संगठन के कार्य

4514. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नगर तथा ग्रामीण आयोजन संगठन के कार्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे नगर तथा ग्रामीण आयोजन संगठन के समाज शास्त्रियों के कार्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो कैसे और किस आधार पर ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) पुनः परिभाषित लक्ष्यों एवं कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) तथा (घ) संगठन की पुनः संरचना के अंग के रूप में, तकनीकी पदों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक अध्ययन किया गया है। यह मूल्यांकित किया गया है कि संगठन की आवश्यकता के लिए कतिपय श्रेणियों के कुछ पद फालतू हो सकते हैं। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

1. देश में विभिन्न क्षेत्रों तथा जीवन पद्धति की नानाविधता को ध्यान में रख कर स्थानिक योजना के लिए उचित वर्गीकरण विज्ञान तथा तकनीकियों का विकास करना।

2. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को जो कि वास्तविक तथ्यों पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय पक्षों पर भी आधारित हों विकास योजनाओं के बनाने में मार्ग निर्देशन देना।

3. विशिष्ट क्षेत्र विकास योजनाओं, एकीकृत विकास योजनाओं तथा नगरीय प्रबन्ध पद्धतियों के लिए वर्गीकरण विज्ञान तैयार करने में जानकारी देना जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन समन्वयन तथा प्रबोधन के लिए अपेक्षित है।

4. नगर तथा ग्राम आयोजन तथा ऐसी योजनाएं अपनाने की प्रक्रिया में सामान्य रूप में लोक हित तथा विशिष्ट रूप में केन्द्रीय सरकार के हित का प्रतिनिधित्व करना।

5. नगरीय आयोजना तथा मानव बस्तियों स्थानिक पक्षों के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करना।

6. लोगों की परिस्थिति एवं संसाधनों तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध आयोजना मानकों तथा भवन कोडों को विकसित करना, उनको निरन्तर पुनरीक्षण करना उन्नत करना तथा सम्बद्ध उचित विनियमन तथा विधायी उपायों के विकास में सहायता करना।

7. पारम्परिक समुदायों तथा ऐतिहासिक, वास्तुकीय अथवा पर्यावरणीय महत्व के क्षेत्रों के परिरक्षण तथा नवीकरण के लिए कार्यक्रम एवं नीतियां बनाना।

8. ग्रामीण अथवा नगरीय समुदायों की आयोजना से सम्बद्ध अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगे रहना अथवा उन्हें प्रवृत्त करना।

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि पर आधारित उद्योगों की सम्भावना

4515. श्री चिंगबांग कोनयक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों की सम्भावनाओं के लिए एक सर्वेक्षण किया और हाल में अपनी रिपोर्ट भेजी है ;

(ख) केन्द्रीय खाद्य और प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की सिफारिश की है और इस क्षेत्र के लिए कृषि पर आधारित कुछ उद्योगों का अस्थायी तौर पर चयन किया है इसने जिन उद्योगों को चुना है उनमें अनान्नास, संतरा, अमरूद, आलू अदरक और हल्दी के विधायन जैसे उद्योग शामिल हैं ।

(ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने अब तक 10 परियोजना रिपोर्ट तैयार की हैं जोकि विचार/कार्यान्वियन करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की सिफारिश की है और इस क्षेत्र के लिए कृषि पर आधारित कुछ उद्योगों का अस्थायी तौर पर चयन किया है । इसने जिन उद्योगों को चुना है उनमें अनान्नास, संतरा, अमरूद, आलू. अदरक और हल्दी के विधायन जैसे उद्योग शामिल हैं ।

(ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने अब तक 10 परियोजना रिपोर्ट तैयार की हैं जोकि विचार/कार्यान्वियन करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

राष्ट्रीय वन नीति की उपलब्धि

4516. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत वन का अवैध कब्जा कुल मिला कर मामूली से जुर्माने के भुगतान से प्रशमित हो जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिरले अवसरों पर ही कब्जे को खाली कराया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो हम किस प्रकार अपनी राष्ट्रीय वन नीति का पालन कर पायेंगे ; और

(घ) इस स्थिति के सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके स्वरूप तथा तथ्यों के अनुसार संबंधित कानून की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं होता।

चीनी कारखानों को प्रोत्साहन

4517. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान, गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में (महीनेवार) कारखानों में चीनी का कितना कितना उत्पादन हुआ और उनसे चीनी की कुल कितनी कितनी खरीद हुई ; और

(ख) चीनी के चालू मौसम के दौरान चीनी के कारखानों को अपना-अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाने की घोषणा की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) चीनी वर्ष 1981-82 में अक्तूबर-फरवरी (अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982) और चीनी वर्ष 1980-81 (अक्तूबर, 1980 से फरवरी, 1981) की अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन और चीनी फैक्ट्रियों से उठाई गई चीनी की मात्रा के मासवार आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(ख) चालू मौसम 1981-82 के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का पिराई कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट देने के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा सरकार द्वारा 28 अक्तूबर, 1981 को की गई थी।

विवरण

1980-81 और 1981-82 चीनी मौसम में अक्तूबर-फरवरी की अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन और उसकी निकासी को बताने वाला विवरण

(लाख मीटरी टन)

मास	उत्पादन	निकास	उत्पादन	निकासी
अक्तूबर	0.21	3.40	0.57	4 18
नवम्बर	4.14	2.67	5.68	2.99
दिसम्बर	9.64	4.18	11.77	4 44
जनवरी	12.15	4.20	14.21	4.25
फरवरी	10.73	3.91	13.62	4.65

नगर निगमों में निर्वाचित निकाय

4518. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने नगर निगमों में इस समय निर्वाचन निकाय विद्यमान हैं ; और

(ख) कितने नगर निगमों में इस समय कोई निर्वाचित निकाय नहीं हैं तथा प्रत्येक मामले में ऐसी स्थिति कब से है और उनके लिए चुनाव न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 18 नगर निगमों में इस समय निर्वाचित निकाय हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन निगमों में निर्वाचित निकाय नहीं है उनकी संख्या 41 है। जिस तारीख से इन नियमों में निर्वाचित निकाय नहीं है, वह तारीख विवरण में दी गई है। स्थानीय शासन, राज्य का विषय होने के कारण, नगर निगमों में चुनाव कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

विवरण

उन निगमों के नाम जहां निर्वाचित निकाय नहीं है।

क्र० सं०	राज्य	निगमों का नाम	निगम का नाम और वह तारीख जिस दिन से इनमें निर्वाचित निकाय नहीं है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	हैदराबाद (3.8.70)
2.	बिहार	3	मुजफरपुर (16.4.81) भागलपुर (24-4.81) रांची (15.9.79)
3.	गुजरात	2	भावानगर जमना नगर (ये अभी बताए गए)
4.	हिमाचल प्रदेश	2	शिमला (27.6.69)
5.	कर्नाटक	6	वेलगांव (1.3.74) मंगलोर (15.3.74) मैसूर (4.1.73) बंगलोर (9.1.75) हुबली— धारबाड़ (28.8.75)
6.	मध्य प्रदेश	13	भोपाल (26.8.67) ग्वालियर (22.9.73) इन्दौर (14.7.70) उज्जैन (9.5.80) रीवा (1.1.81) कटनी (1.1.81) सागर (1.1.81)

क्र०सं०	राज्य	नियमों का नाम	निगम का नाम और वह तारीख जिस दिन से इनमें निर्वाचित निकाय नहीं है ।
			विलासपुर (1.1.81)
			रतलाम (1.1.81)
			खंडवा (1.1.81)
			ब्रहमपुर (1.1.81)
			सतना (1.1.81)
			दुर्ग (1.1.81)
7.	महाराष्ट्र	2	शोलापुर (6.2.81)
			नागपुर (11.2.81)
8.	पंजाब	3	अमृतसर (30.3.77)
			लुधियाना (30.3.77)
			जल्लन्धर (5.7.77)
9.	सिक्किम	1	गंगटोक (दिसम्बर, 79)
10.	तमिलनाडु	2	मद्रास (1.12.73)
			कोयम्बटूर (1.5.81)
11.	उत्तर प्रदेश	8	कानपुर
			लखनऊ
			इलाहबाद (जून, 76 से)
			आगरा
			वाराणसी
			मेरठ, गोरखपुर, बरेली — ये हाल ही में बताए गए हैं
12.	पश्चिम बंगाल	1	कलकत्ता (22.3.72)
13.	दिल्ली	1	दिल्ली (11.4.80)

पोषण और खाद्यान्न प्रोसेसिंग एककों के लिए डिस्टोनर

4519. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान केन्द्र (सी. एफ. टी. आर. आई.) ने एक "डिस्टोनर" का विकास किया है जो खाद्यान्नों में से पत्थरों तथा अन्य गंदगियों को निकाल देता है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न प्रोसेसिंग और पोषण एककों को इसकी सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने "डिस्टोनर" तैयार करने के लिए देश भर में 27 पार्टियों को डिजाइन के ब्यौरे सप्लाई किए थे ।

(ग) यह उपकरण घनत्व पृथक्करण के सिद्धान्त पर कार्य करता है । डिस्टोनर के ब्लू प्रिन्ट उद्योग को केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर से प्राप्त हो सकते हैं ।

केरल में नारियल विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

4520. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ एक नारियल विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि निम्नलिखित तीन योजनाओं को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में शुरू किया जाये :—

1. बृहत नारियल विकास कार्यक्रम ;
2. नारियल के पत्तों पर लगने वाले मुरझान रोग के नियंत्रण के लिए बृहत हवाई छिड़काव ;

3. नारियल के अच्छे किस्म के पौध की अधिप्राप्ति तथा वितरण । इन प्रस्तावों पर विचार किया जा है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट की चोरी

1521. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुल कितनी सीमेंट की चोरी

) इस संबंध में अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या गई है ?

ीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहर बनाने हेतु राशि का आबंटन

श्री माधवराव सिंधिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

या यह सच है कि जबकि 170 करोड़ रुपए की राजघाट योजना बन रही है, ार उससे पैदा होने वाली सिंचाई क्षमता का उपयोग में लाने हेतु नहर बनाने में के कारण असमर्थ हो रही है ;

हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपेक्षित नहरों को बनाने के लिए कोई हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी ल गत कितनी है ; और

लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ?

ालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्ररहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । के लिए 45.89 करोड़ रुपए की आगे लाई गई लागत के प्रति, छठी पंच- ज्य सरकार ने केवल 6 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

। मध्य प्रदेश सरकार ने राजघाट नहर परियोजना की रिपोर्ट तैयार की है, ैबटेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 46.15 करोड़ का अनुमान है । योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना ार किया जा चुका है । उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नहर के संरेखण के बारे प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समस्त विकास योजनाओं में की जाती है।

महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजना में हुई प्रगति

4523. श्री ए० टी० पाटिल : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) महाराष्ट्र में क्रियान्वित की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) क्रियान्विति में तेजी लाने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्ररहमान अंसारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 4 बृहद और 24 मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई थी, जबकि अन्य निर्माणाधीन बृहद/मध्यम परियोजनाओं पर प्रगति जारी रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिव्यय की व्यवस्था और प्राप्त लाभ निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	अतिरिक्त लाभ (हैक्टेयर)
79-80	150-00	49000
80-81	175.27	83000
81-82	213.73	1,09000 (प्रत्याशित)

(ख) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है।

आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4524. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार गन्दी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं देने तथा झोंपड़ियों को हटाने संबंधी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए केन्द्र से सहायता हेतु अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य को सहायता देने के बारे में रिजर्व बैंक को समुचित निदेश देने का है ;

(ग) क्या केन्द्र का विचार इस कार्यक्रम के लिए निधि में वृद्धि करने का है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार तथा अन्य आवास कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं । महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए बम्बई महानगर क्षेत्र के लिए एक आश्रय गृह परियोजना बनाई है । इस योजना में लगभग 278 करोड़ रुपए की लागत से बम्बई महानगर में स्थल तथा सेवायें, गन्दी बस्ती उन्नयन, शहरी नवीकरण तथा शहरी आव-संरचनाओं की व्यवस्था है ।

(ख) चूंकि महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से चलाने का है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गन्दी बस्ती सुधार तथा आवास के लिए आवश्यक निधियां राज्य योजना में दी जानी होती है तथा केन्द्र द्वारा कार्यक्रम के लिए निधियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उपर्युक्त (क) में यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन

4525. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को इसकी सिंचाई योजनाओं (परियोजनाओं) के लिए 1981-82 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और इसमें कितनी धनराशि खर्च की गई और कौन सी योजनाओं पर खर्च की गई ; और

(ख) आगामी वर्ष के लिए क्या योजना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) मध्य प्रदेश में 1981-82 के लिए बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए 119.58 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई थी । प्रत्याशित व्यय 119.65 करोड़ रुपए है । स्कीमवार प्रत्याशित व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 1982-83 के दौरान बृहद और मध्यम स्कीमों के लिए 136.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहमति हुई है ।

विवरण

1981-82 के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों पर प्रत्याशित व्यय :

क्रम सं०	स्कीमों का नाम	(लाख रुपये) प्रत्याशित व्यय
क-निर्माणाधीन स्कीमें		
एक-बृहद स्कीमें		
1.	चम्बल	344
2.	राजघाट यूनिट-1	300
	यूनिट-2	100
3.	बाणसागर यूनिट-1	600
	यूनिट-2	150
4.	बार्गी यूनिट-1	1400
	यूनिट-2	600
5.	महानदी जलाशय (चरण 1,2 तथा 3) (मध्य प्रदेश संयुक्त)	1336
6.	हंसदेव बांगो	800
7.	कोलार	250
8.	तवा	475
9.	बर्ना	16
10.	सुक्ता	90
11.	बेरिआरपुर बायां तट नहर	170
12.	उर्मिल	30
13.	रंगवान उच्च स्तरीय नहर	40
14.	हंसदेव दायाँ तट नहर	26

क्रम सं०	स्कीमों का नाम	(लाख रुपए) प्रत्याशित व्यय
15.	अपर वेनगंगा	700
16.	सिन्ध, चरण-एक	233
17.	भन्दर नहर	25
18.	हलाली	100
19.	पैरी (आदिम जाति भाग)	15
20.	कोडार	150
21.	जोंक	90
22.	थन्वर (आदिम)	210
	अन्य स्कीमें	9
	जोड़	8.259
	दो मध्यम स्कीमें (64 सं०)	2.181
	जोड़ क (एक तथा दो)	10.440
	ख. नई स्कीमें	
	बृहद स्कीमें	
1.	सिंघ चरण-दो	118
2.	बावनथाडी	25
3.	अपर ताप्ती	20
4.	अर्पा	25
5.	माही	125
6.	पंचम नगर	25
7.	चम्बल एल. लाई. सी. (केनरा)	10
8.	चिरपानी	45
9.	माहवार	6

क्रम सं०	स्कीम का नाम	(लाख रुपए) प्रत्याशित व्यय
10.	बाह	6
11.	सागर	1
12.	बरचाई	7
13.	केसरटेडा	84
14.	राजमियाखल	6
15.	कुंवारी	11
16.	कन्हार गांव	11
		525
	कुल जोड़ (क + ख)	11965

यमुनापार में राशन की चीजों का अनुपलब्धता

4526 **श्री मंगत राम प्रेमी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1982 के 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित "यमुनापार राशन व्यवस्था चरमराई" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि: —

(एक) समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार राशन की कमी और उचित दर दुकानों के मालिकों का लखपती होना ;

(दो) पाम आयल और रेपसीड आयल को उपभोक्ताओं में अनुपलब्धता और उसकी काले बाजार में बिक्री ;

(तीन) वनस्पति तेल का गायब हो जाना ; और

(चार) खुले वनस्पति घी की 12.54 रु० प्रतिकिलो की अपेक्षा 15 रु० या 16 रु० रु० प्रतिकिलो बिक्री ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसे उचित दर दुकानों के मालकों के लेखाओं जो प्राधिकृत राशन डिपो (ए० आर० डी०) के बदले गये हों, की जांच के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) सभी दुकानों पर खुला घी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय पूल में उपलब्ध गेहूं, चावल, चीनी और आयातित खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के स्टाक में से ही केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन वस्तुओं के उचित आवंटन की व्यवस्था करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली को किए गए आवंटनों में से, दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों को, उनमें से प्रत्येक के पास दर्ज यूनिटों के अनुपात में, इन वस्तुओं को उचितरूप से पुनः आवंटित करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, जिनमें यमुनापार क्षेत्रों के केन्द्र भी शामिल हैं, के कार्यकरण पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। दिल्ली प्रशासन द्वारा, नियत मूल्य पर खुले वनस्पति घी की बिक्री के लिए भी आवश्यक नियामक एवं प्रवर्तन सम्बन्धी उपाय किए गये हैं। प्रशासन ने घौंड़ा-गोदाम को भी अधिग्रहीत किया है, ताकि यमुनापार के क्षेत्रों में आसानी से सप्लाई हो सके। कुल मिलाकर, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक वितरण के लिए वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक है, यद्यपि किसी भी वस्तु की अस्थायी तथा स्थानीय स्वरूप की कमी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) यह कार्य आयकर अधिकारियों का है। दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (विनियमन तथा वितरण) आदेश, 1981, जिसके तहत उचित दर की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाते हैं, में उचित दर के दुकानदारों की परिसंपत्ति की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा उचित दर की दुकानों के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है, ताकि राशन की वस्तुओं को अनधिकृत माध्यमों तक जाने से रोका जा सके।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं कि लाइसेंसशुदा खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से खाद्य कार्डों पर खुला वनस्पति घी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। कदाचारों को रोकने तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए खुदरा व्यापारियों को लाइसेंस देना आवश्यक है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कम लागत के मकान

4527. श्री ओस्कर फर्नान्डीस : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए 1981 की दर पर बनाये जाने वाले मकानों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की सहायता के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे मकानों के निर्माण हेतु लोगों को क्या वित्तीय सहायता दी जाती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :(क) वर्ष 1981-82 के दौरान (31-1-82 को) हुडको की सहायता प्राप्त परियोजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रिहायशी एककों की औसतन कुल लागत क्रमशः 3,945 रुपये और 7,952 है ।

(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए लोगों को सीधे ही वित्तीय सहायता देने के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सरकारी सहायता नहीं दी जाती है । सरकारों को योजना नियतन 'ब्लाक ऋण' और 'ब्लाक अनुदान' के रूप में दिए जाते है । तथापि, राज्य सरकारें, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवास सहित आवास के लिए आवास तथा नगर विकास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त कर सकती हैं ।

चीनी की थोक बिक्री करने वाले लाइसेंस धारियों पर किए गए जुर्माने

4528. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली छावनी क्षेत्र में चीनी लाइसेंसों को रद्द किए जाने के बारे में 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के पूर्वार्द्ध में चीनी का व्यापार न करने के कारण चीनी की थोक बिक्री करने वाले कितने लाइसेंस धारियों पर जुर्माने किये गए थे, किस हिसाब से व किस नियम/आदेश के अधीन और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन पर किए गए जुर्माने की राशि लौटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस मामले के बारे में दिल्ली के खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त के साथ बातचीत की थी परन्तु उसकी कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्ष 1981 की प्रथम छमाही के दौरान चीनी का व्यापार न करने के कारण दिल्ली में चीनी के किसी थोक लाइसेंसधारी को जुर्माना नहीं किया गया था । वास्तव में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास चीनी के लाइसेंसधारी पर जुर्माना करने की शक्तियां नहीं हैं । दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने पर दोष की गम्भीरता को देखते हुए जमानत जमा की पूरी अथवा आंशिक राशि जब्त की जा सकती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक संसद सदस्य ने 25 जनवरी, 1982 को आयुक्त, खाद्य एवं संभरण, दिल्ली प्रशासन के साथ मामला उठाया था और आयुक्त ने 5 फरवरी, 1982 को उन्हें उत्तर भेज दिया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि के लिए उपयोग

4530. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भवनों के निर्माण जैसे गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि योग्य भूमि का उपयोग करने से सम्बद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार कृषि योग्य सारी भूमि का कृषि के उपयोग करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि भूमि का अधिग्रहण कम से कम किया जाये । राज्यों ने बताया है कि चूंकि अच्छी कृषि योग्य भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कृषि उत्पादन के लिए यथासंभव भूमि का संरक्षण करना लोकहित में होगा ।

1971 की जनगणना के आधार पर चीनी का कोटा

4531. **श्री बो० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों का राशन की चीनी का कोटा 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या चीनी के लगभग 68 लाख टन के संभावित उत्पादन के साथ सन्तोषजनक स्थिति के कारण केन्द्र सरकार ये निर्णय ले सकी है ;

(ग) क्या उन्होंने किसानों को लाभप्रद मूल्य और उचित विपणन एवं भाण्डागार सुविधाओं का आश्वासन दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार वितरण की ऐसी नीति अपनाने की सोच रही है जिसके अनुसार किसानों को उपभोक्ता वस्तुएं उचित मूल्यों पर एवं अपने द्वार पर मिल सकेंगी ; और

(ङ) यदि हां. तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1977 में निर्धारित किए गए लेवी चीनी के वर्तमान राज्यवार मासिक कोटे 1.4.1978 को परियोजित जनसंख्या के संदर्भ में 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित थे । वर्तमान चीनी वर्ष के दौरान 68 लाख मीटरी टन से भी अधिक चीनी का उत्पादन होने की प्रत्याशा को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को 1.4.82 से 1.3.1981 तक की जनगणना में उल्लिखित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर लेवी कोटे देने का निर्णय किया है ।

(ग) सरकार का हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिले ताकि भण्डारण और विपणन में उनकी यथा सम्भव मदद की जा सके ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करें । ये कार्यक्रम किसानों समेत सभी उपभोक्ताओं के लिए हैं । इस सम्बन्ध में लोक सभा में 8.3.82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2507 के उत्तर में पूर्ण विवरण पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं ।

रावी व्यास के फालतू पानी के लिए सतलुज यमुना-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण

4532. श्री बी० वी० देसाई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने रावी-व्यास के फालतू पानी को ले जाने के लिए सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) उस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या यह भी सच है कि तीन हेड-वर्क्स जो नदी जल के बहाव को नियन्त्रित करते हैं तीनों राज्यों के संयुक्त नियन्त्रण में रखे जायेंगे और उसका कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना का निर्माण, विभाजन-पूर्व उपयोगों के अतिरिक्त, रावी तथा व्यास नदियों के अधिशेष प्रवाहों के आवंटन और सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 को हस्ताक्षरित करार के पैरा (4) के अनुसार किया जाना है। चूंकि संरेखण को अभी हाल में ही अन्तिम रूप दिया गया है, अतः लागत पंजाब तथा हरियाणा राज्यों द्वारा अभी निकाली जानी है ।

उपर्युक्त करार के उप-पैरा (3) के अनुसार, आपूर्ति के उचित विवरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निर्माण-कार्यों (हैडवर्क्स) सहित, सभी नियन्त्रण स्थलों पर फाटकों का प्रचालन, भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के निदेशकों के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्रों में किया जाएगा। तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर में, जो 22 मार्च, 1982 को दिया जाना है, करार की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बादली गांव दिल्ली की भूमि का अधिग्रहण

4533. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र के बादली गांव के किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी भूमि को कम मुआवजा पर अधिगृहीत नहीं किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि, मौजूदा कानून में त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से, भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का एक विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने की सम्भावना है।

"एक्शन फार फूड प्रोडक्शन"

4534. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एक्शन फार फूड प्रोडक्शन" को आरम्भ से लेकर चर्च वर्ल्ड सर्विस, यू० एस० ए० से प्रतिबंध कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या दान विशेष परियोजनाओं के लिए प्राप्त होते हैं अथवा सामान्य निधि के लिए ;

(ग) क्या "एक्शन फार फूड प्रोडक्शन" ने भारत में ग्रामीण विकास के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(घ) क्या यह सच है कि "एफप्रो" केवल अपने पसन्द के संस्थानों को सहायता देता है ; और

(ङ) "एफप्रो" द्वारा भारत से कितना फन्ड एकत्र किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक्शन फार फूड प्रोडक्शन से प्राप्त जानकारी का विवरण संलग्न हैं।

(ख) एक्शन फार फूड प्रोडक्शन की स्थापना प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा विशिष्ट, नवीकरण और प्रदर्शक परियोजनाओं के लिए दान प्राप्त किया जाता है। एक्शन फार फूड प्रोडक्शन सामान्य निधि के लिए दान प्राप्त नहीं करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इसके प्रारम्भ (1966) से 31.12 1981 तक 19,98,063.78 रुपये।

विवरण

चर्च वर्ल्ड सर्विस से एक्शन फार फूड प्रोडक्शन द्वारा प्राप्त की गई धन राशि :

वर्ष	राशि
1966	शून्य
1967	शून्य
1968	शून्य
1969	3,88,840.00 रुपये
1970	71,616.65 रुपये
1971	1,69,842.22 रुपये
1972	1,79,413.75 रुपये
1973	35,963.53 रुपये
1974	56,250.00 रुपये
1975	37,500.00 रुपये
1976	शून्य
1977	15,07,158.81 रुपये (पाडी के माध्यम से)।
1978	7,27,254.65 रुपये
1979	शून्य
1980	शून्य
1981	शून्य।

राज्यों में सिंचाई विकास निगम

4535. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सिंचाई विकास निगम गठित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का उक्त राज्य सिंचाई निगमों के स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को निर्देश भेजने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो जिन राज्यों में ऐसे सिंचाई विकास निगमों का गठन नहीं किया गया है उन राज्यों को ऐसे निर्देश कब तक भेजे जायेंगे ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने लिफ्ट सिंचाई के लिए सिंचाई विकास निगमों की स्थापना की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि-ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र

4536. श्री बीरेन्द्रसिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है ; और

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ठोस और द्रव्य अपाहीजों को पुनः काम में लेने हेतु संयंत्र स्थापित किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के छठी योजना 1980-85 में एक कृषि-ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव शामिल किया गया है फिर भी, यह प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के विचाराधीन नहीं है । फिर भी, कृषि विभाग (उर्वरक प्रभाग) 6 शहरों अर्थात अहमदाबाद, वदोदरा, कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई और जयपुर में यांत्रिक कम्पोस्ट संयन्त्रों की स्थापना की है जिनमें शहरी कूड़ा कर्कटों से कम्पोस्ट खाद बनायी जाती है ।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

4537. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने का लक्षित वर्ष क्या है और इनमें से प्रत्येक परियोजना किस चरण में है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने निर्माण की तालिका को बनाए रखने के लिये आदानों की धीमी उपलब्धता के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया था और यदि हां, तो राज्य सरकार को आवश्यक आदानों की सप्लाई सुधारने के लिये क्या केन्द्रीय कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ पर किसी विशेष परियोजना के लिये केन्द्र द्वारा धन राशि मन्जूर की गई हो परन्तु पिछले दो वर्षों में उसका उपयोग नहीं किया जा सका हो और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कर्णाटक में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राज्यों से भू-जल की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए योजना बनाने का अनुरोध

4538. श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भू जल संरचनाओं का भू भौतिक अन्वेषण जल विज्ञान सर्वेक्षण और इंजीनियरी आरेखन करने के लिये भू जल संसाधनों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक योजना आरम्भ करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक और 1982-83 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है ;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ङ) वर्ष 1981-82 के दौरान कुल कितना क्षेत्र और कितने गांव शामिल किये गये

और 1982-83 में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और संघ प्रदेश में कितना क्षेत्र और कितने गांवों को इसमें शामिल किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी : (क) जी,हां ।

(ख) भूतल जल (लघु सिंचाई) परियोजनाओं तथा भूमिगत जल स्कीमों से संबन्धित सर्वेक्षणों, आयोजन तथा अभिकल्प के लिए उत्तरदायी राज्य संगठनों को सुदृढ़ बनाने हेतु पाँचवी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के दौरान राज्यों में भूमिगत जल तथा भूतल जल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम आरम्भ की गई थी । इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र से 50 प्रतिशत के बराबर के अनुदान राज्यों को इस शर्त पर उपलब्ध किए जाते हैं कि अन्य 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने बजटगत साधनों से की जाए । यह मुख्यत: वर्तमान लघु सिंचाई संगठन को सुदृढ़ करने/आधुनिकतम सांख्यिकीय उपकरणों और गणितीय प्रतिरूपण की सहायता से फोटो भू-वैज्ञानिक प्रणालियों, भू-भौतिकी, जल वैज्ञानिक विश्लेषण जैसे नए क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों में नए एककों के निर्माण के लिए और छोटी संरचनाओं के मितव्ययी इंजीनियरी अभिकल्प तैयार करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने की एक स्कीम है ।

यह स्कीम इस समय 17 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और फिलहाल यह मार्च, 1982 तक स्वीकृत की गई है । इस स्कीम को मार्च, 1982 के बाद छठी योजना, 1980-85 के अन्त तक जारी रखने के प्रयासों के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है अनुमोदित छठी योजना में, 1980-85 की अवधि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 5,00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(ग) और (घ) 50 प्रतिशत की बराबर की केन्द्रीय सहायता के प्रतीक के रूप में 70.60 लाख रुपये की राशि 1981-82 के दौरान दस राज्यों को रिलीज की गई थी । राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

1982-83 के लिए 130 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है ।

(ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम मुख्यत: कर्मचारियों की व्यवस्था करने तथा विशिष्ट इंजीनियरी अध्ययन करने के लिए उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए है । 1981-82 के दौरान तथा 1982-83 के दौरान इसके अन्तर्गत आने वाला राज्य/संघ राज्यवार संभावित क्षेत्र इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	स्कीम	1981-82 के दौरान रिलीज की गई राशि
1.	2.	3	4
1.	बिहार	भूतल/भूमिगत जल	13.85
2.	हिमाचल प्रदेश	भूमिगत जल	5.54
3.	केरल	1) भूतल जल	5.40
		11) भूमिगत जल	4 26
4.	मध्य प्रदेश	भूमिगत जल	4.70
5.	महाराष्ट्र	भूमिगत जल	3.50
6.	पंजाब	भूमिगत जल (दो स्कीमें)	10.8
7.	तमिलनाडु	भूतल तथा भूमिगत जल	1.50
8.	त्रिपुरा	भूतल तथा भूमिगत जल	2.51
9.	उत्तर प्रदेश	भूतल तथा भूमिगत जल	4.30
10.	पश्चिमी बंगाल	भूमिगत जल	14.24
		जोड़	70.60

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कृषि उद्योगों का विकास करना

4539. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में कृषि उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के समस्त 22 जिले, जिला उद्योग केन्द्रों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कुटीर, ग्राम तथा लघु उद्योगों (कृषि उद्योगों सहित) के विकास को जारी रखेंगे। 1980-81 के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य को 14.39 लाख रुपए की राशि दी गई थी।

इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 140 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसे आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड के जरिए कार्यान्वियन किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण आवासन

4540. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण आवास विकास के लिए अधिक ग्रामीण सहायता की माँग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार का मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण आवास के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जीवन बीमा के 10 करोड़ रुपये तथा सामान्य बीमा निगम के 10 करोड़ रुपये ऋण के लिए अनुरोध किया है। तथा इसके अतिरिक्त विशिष्ट रूप से ग्रामीण आवास की आवश्यकता को बताये बिना कमजोर वर्ग की आवास योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम के 15 करोड़ रुपये के ऋण का अनुरोध किया है। आन्ध्र

प्रदेश सरकार को जीवन बीमा निगम सामान्य बीमा निगम के कुल 5.93 करोड़ रुपये के ऋण का नियतन किया गया है । जिसमें से जीवन बीमा निगम के 1 करोड़ रुपये का ऋण ग्रामीण आवास के लिए उद्दिष्ट है और सामान्य बीमा निगम का 1.63 करोड़ रुपये का ऋण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और ग्रामीण आवास के लिए उद्दिष्ट है हुडको को आन्ध्र प्रदेश से ग्रामीण आवास के लिए 23 योजनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 18 योजनायें हुडको की 8.55 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से मन्जूर की गई हैं ।

"लाट" को मारने के लिए कीट-नाशक

4541. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई कीट-नाशक बनाया गया है जो फसलों को क्षतिग्रस्त करने वाले सफेद कीड़े "लाट" को मारने के लिए प्रभावी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कीट नाशक का नाम क्या है और यह कहां पर उपलब्ध है ; और

(ग) यदि उक्त कीट नाशक इस कीड़े को मारने के लिये पूरी तरह से प्रभावी नहीं है तो ऐसा कीटनाशक बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं जो इस कीड़े को मारने के लिए प्रभावी हों ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कई कीटनाशी दवायें विकसित की गई हैं जो "लाट" नामक सफेद कीड़े को मारने के लिए प्रभावी हैं ।

(ख) ऐसी कीटनाशी दवाओं और उन फर्मों के नामों जो उनके विनिर्माण निरूपण/सप्लाई का काम करते हैं, की सूची विवरण रूप में संलग्न है ।

(ग) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, प्रभावशाली कीटनाशी दवायें उपलब्ध हैं ।

विवरण

ह्वाइट ग्रब के नियन्त्रण के लिए सुझाई गई कीटनाशी दवाओं की सूची और उन पंजीकृत फर्मों के नाम जो उनका विनिर्माण निरूपण/सप्लाई करते हैं :—

क्रम संख्या	कीटनाशी दवाओं के नाम	उन पंजीकृत फर्मों के नाम जो उनका विनिर्माण निरूपण/सप्लाई करते हैं
1	2	3
	(क) ह्वाईट ग्रब ग्रडल्ट के नियन्त्रण के लिए	
1.	वी०एच०सी० 10 प्रतिशत डस्ट	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०, नई दिल्ली ।
		मैसर्स अलकली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया कलकत्ता ।
		मैसर्स टाटा केमिकल्स, बम्बई ।
		मैसर्स कनोरिया केमिकल्स कलकत्ता ।
2.	फेनीट्रोथियन	मैसर्स बायर इण्डिया लि० बम्बई ।
		मैसर्स रैलिस इण्डिया लि० बम्बई ।
3.	फेनथियन	मैसर्स रैलिस इण्डिया लि० बम्बई ।
4.	मोनोक्रोटोफास	मैसर्स सिबा नेगेगी लि० बम्बई ।
	(ख) ह्वाइट ग्रब (लार्वे) के नियन्त्रण के लिए	
1.	वी०एच०सी० 10 प्रतिशत	जैसा ऊपर बताया गया है ।
2.	फोरेट 10 जी	मैसर्स सिर्नामिड इण्डिया लि० बम्बई ।
		मैसर्स पेस्टीसाइड्स इण्डिया, उदयपुर ।
3.	कारबोफूरान 3 जी	मैसर्स रेलिस इण्डिया लि० बम्बई ।
4.	अडिफोलेशन 5 जी	—तदैव—
5.	अलडीकार्ब 1 जी	मैसर्स यूनियन कारबाइड, भोपाल ।
6.	एंडोस्लफान 35 ई०सी०	मैसर्स एक्सेल इण्डस्ट्रीज, बम्बई ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वागान कार्यक्रम

4542. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वृक्षारोपण कार्यक्रमों को अन्तिम रूप किन तारीखों को दिया गया ;

(ख) 135.38 करोड़ वृक्ष लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य-वार आवंटित कोटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पौधों के रखरखाव के लिये क्या प्रबंध किए गए हैं और उस पर क्या व्यय किया जाना है ;

(घ) इस वारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वृक्षारोपण कार्यक्रमों को 24.6.1981 को अन्तिम रूप दिया गया ।

(ख) ब्यौरा विवरण के स्तम्भ-3 में दिया गया है ।

(ग) वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों को यह कहा गया है कि वे पौधों की भली-भांति सुरक्षा करें तथा उनकी देख-भाल करें । इस प्रयोजन के लिए व्यय सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा वहन किया जाना है ।

(घ) जानकारी विवरण के स्तम्भ 4 में दी गई है ।

विवरण

1981-82 के दौरान राज्यवार वृक्षारोपण सम्बन्धी लक्ष्यों/उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	508.13	680.00
2.	असम	40.00	313.00
3.	बिहार	578.11	553.40

1	2	3	4
4.	गुजरात	1534.44	1494.10
5.	हरियाणा	624.85	600.00
6.	हिमाचल प्रदेश	454.77	277.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	135.00	80.00
8.	कर्नाटक	742.66	1414.00
9.	केरल	162.50	162.00
10.	मध्य प्रदेश	3550.00	2456.00
11.	महाराष्ट्र	701.13	874.00
12.	मणिपुर	69.60	63.29
13.	मेघालय	29.50	35.42
14.	नागालैण्ड	41.91	66.12
15.	उड़ीसा	529.95	607 41
16.	पंजाब	220.00	373.00
17.	राजस्थान	270.00	305.00
18.	सिक्किम	56.00	36.00
19.	तमिलनाडु	1183 34	817.00
20.	त्रिपुरा	126.30	147.60
21.	उत्तर प्रदेश	1209.00	1052.00
22.	पश्चिम बंगाल	420.00	430.00
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अण्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.36	80.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	94.92	58.00
3.	चण्डीगढ़	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	9.39	9.51
5.	दिल्ली	25.00	--
6.	गोवा, दमन और दीव	12.89	—
7.	मिजोरम	204.52	204.00
8	पाण्डिचे ी	—	—
	अखिल भारतीय योग	13,538.27	131,88.25

सिधमुख परियोजना के बारे में हरियाणा और पंजाब के उत्तर

4543. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई सिधमुख परियोजना के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1979 में आयोजित गत बैठक में दिये गये सुझावों पर हरियाणा और पंजाब सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन उत्तरों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सिद्धमुख (तथा साथ ही नोहर) क्षेत्रों की सिंचाई के संबंध में अद्यतन स्थिति यह है कि 31 दिसम्बर, 1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित करार के पैरा (iv) के अनुसार, 15 जनवरी, 1982 को एक निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अनुसार राजस्थान वर्तमान नहर प्रणाली में उचित आदान-प्रदान करके, प्रवाह द्वारा सिद्धमुख तथा नोहर क्षेत्रों की सिंचाई कर सकता है। निर्णय के आधार पर, परियोजना रिपोर्ट राजस्थान सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

गंगा/बीकानेर नहर की मरम्मत के संबंध में पंजाब और हरियाणा सरकार से प्राप्त उत्तर

4544. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नहर जिसे पंजाब में बीकानेर नहर के नाम से पुकारा जाता है, के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिये केन्द्रीय जल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा तकनीकी दृष्टि से इसके व्यावहारिक हल का उत्तर पंजाब और हरियाणा सरकारों से प्राप्त हो गया ; और

(ख) यदि उत्तर प्राप्त हो गया है तो उसका स्वरूप क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूध तथा घी के मुल्यों में वृद्धि

4545. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के घी और मक्खन के मूल्यों में हाल में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1981 के दौरान और 1982 में अब तक दिल्ली दुग्ध योजना के घी और मक्खन के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है ; और

(घ) इस लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के घी तथा मक्खन के मूल्य निम्नलिखित रूप में संशोधित किए गए हैं :—

(1) घी पैकिंग	विक्री मुल्य (करों सहित) (रुपए)
1 किलोग्राम का टिन	40.00
2 किलोग्राम का टिन	78.00
(2) मक्खन **पैकिंग**	**बिक्री मूल्य** **रुपए**
टेबुल बटर	
25 ग्राम	0.85
100 ग्राम	3.25
250 ग्राम	7.75
500 ग्राम	15.25
सफेद मक्खन	
250 ग्राम	8.25
500 ग्राम	16.25

(ग) जानकारी सलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) कच्चे-दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि होने तथा आदान की अन्य मदों की लागत में वृद्धि होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना की समय-समय पर घी तथा मक्खन के बिक्री मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी ।

विवरण

वर्ष 1981 तथा 1982 (अब तक) के दौरान घी तथा मक्खन के बिक्री मूल्यों को प्रदर्षित करने वाला विवरण ।

पैकिंग	घी का बिक्री मूल्य			टिप्पणी
	16-5-81 से	31-7-81 से	11-2-82 से 1-3-82	
(घी टिन में)				
1 किलोग्राम	32.00	35.00	—	40.00
2 किलोग्राम	63.00	58.00	—	78.00
4 किलोग्राम	122.00	130.00	—	—
घी (पोली पैक में)				
1 किलोग्राम	24-11-81 से 35.00 रु०			दिल्ली दुग्ध योजना 5-3-1982 में पोली पैकों में घी नही बेच रही है ।
1 किलोग्राम	11-2-82 से 37.00 रु०			
मक्खन				
25 ग्राम	0.75	0.80	0.85	—
100 ग्राम	2.60	3.00	3.25	—
250 ग्राम	6.50	7.00	7.75	—
500 ग्राम	12.50	13.50	15.25	—
सफेद मक्खन				
250 ग्राम	700	7.50	8.25	
500 ग्राम	13.00	14.00	16.25	

सामाजिक आवास योजना

4546. श्री हरिहर सोरन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में कुछ सामाजिक आवास योजनायें आरम्भ की है;

(ख) क्या वे योजनायें राज्यों तथा संघ अन्य क्षेत्रों में लागू की गई है;

(ग) उनमें से उड़ीसा में अभी तक कितनी लागू की गई हैं; और

(घ) उड़ीसा में लागू की गई योजनाओं द्वारा उड़ीसा के लाभान्वित हुए व्यक्तियों के ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ;

(ग) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर सभी सामाजिक आवास योजनायें उड़ीसा में लागू कर दी गई हैं ।

(घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के आवास

4547. डा० ए० कलानिधि : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) इन क्वार्टरों की कुल संख्या की तुलना में क्या प्रतिशतता है;

(ग) क्या इस प्रतिशतता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल स्टाफ क्वार्टर केवल

मद्रास में हैं, 1 जनवरी, 1982 में इन मकानों की संख्या और संतुष्टि की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :—

टाईप	क्वार्टरों की संख्या	सन्तुष्टि की प्रतिशतता
(1) (ए)	84	2.73
(2) (बी)	513	7.38
(3) (सी)	168	4.07
(4) (डी)	272	40.36
(5) (ई)	54	34.18
(6) (इ 1)	16	24.62

(ग) जी, हां।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्रास में "सामान्य पूल" के जिन क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे इस प्रकार है :—

टाइप	संख्या
(1) (ए)	216
(2) (बी)	207
(3) (सी)	96

बाध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

4548. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा वित्तपोषित बाध परियोजनाओं की कुल संख्या तथा उनके नाम क्या है;

(ख) उन बाध परियोजनाओं के लिए वर्ष 1981-82 में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1982-83 में उड़ीसा की किसी बाध परियोजना को लेने का है और

(घ) यदि हां तो उड़ीसा की बाघ परियोजना के लिए दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बाघ परियोजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 11 बाघ आश्रयस्थल है ।

बाघ आश्रयस्थल का नाम	राज्य
मानस	असम
पलामाउ	बिहार
सिमलीपाल	उड़ीसा
कार्बेट	उत्तर प्रदेश
कान्हा	मध्य प्रदेश
मेलघाट	महाराष्ट्र
बाँदीपुर	कर्नाटक
सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल
रणथम्भोर	राजस्थान
सरिस्का	राजस्थान
पेरियार	केरल

(ख) 1981-82 के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय अंशपूंजी के रूप में कुल 60 लाख रुपए की सहायता दी गई । योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भी इतनी राशि देनी होगी ।

(ग) उड़ीसा में पहले ही सिमलीपाल में बाघ आश्रयस्थल है ।

(घ) 1982-83 के दौरान सिमलीपाल बाघ आश्रयस्थल के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9.25 लाख रुपए अस्थाई तौर पर देने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार को भी इतनी ही राशि की व्यवस्था करनी होगी ।

समुद्र के निकट बसे गाँवों को समुद्री तूफानों से बचाना

4540. श्री मती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार समुद्र के निकट बसे गाँवों को विशेषत: समुद्री तूफान के समय निकटवर्ती समुद्र के ज्वार भाटा से बचाने के लिए कोई कदम उठाने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि समुद्रतट के निकट ही लगाये गए और वहां सीमावर्ती गावों के लगाये गए वृक्षों का परिरक्षण किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में विभिन्न तटवर्ती राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से समुद्र तट पर सघन वनरोपण कार्यक्रम को क्रियान्वित के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आशा है ; और

(च) यदि हां; तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यदि तटीय क्षेत्र मृदा क्षरण-संवेदनशील है तो समुद्र तटों पर उनकी सुन्दरता को क्षति पहुंचाये बिना समुचित वृक्षों का रोपण किया जाए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उड़ीसा में नारियल की खेती

4550. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में नारियल की खेती के विकास के लिए उड़ीसा में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 1982-83 में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में ऐसी कोई योजना शुरू करने का विचार है ; और

(घ) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में नारियल की खेती के संवर्धन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए है:—

1. विभिन्न राज्यों में नारियल संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

2. नारियल के समेकित विकास के लिए नारियल विकास अधिनियम, 1979 के तहत नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

3. नारियल विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड ने सात नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है।

(ख) जी, हां। वर्ष 1981-82 में उड़ीसा में तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात (1) नारियल संबंधी प्रेकेज कार्यक्रम (2) टी०डी० संकर किस्म के नारियल के पौदों का उत्पादन तथा वितरण, तथा (3) टी०डी० संकर किस्म के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट बीज फार्म की स्थापना, चालू हैं।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त (ख) में दी गई परियोजनाएं 1982-83 में भी जारी रहेंगी। इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 1982-83 में उड़ीसा में क्रियान्वित करने के लिए तीन योजनाओं का प्रस्ताव भी किया है। जो इस प्रकार है : —

(1) नहरों के किनारों पर नारियल विकास की योजना (2) क्षेत्र विस्तार तथा (3) नारियल की क्षेत्रीय नर्सरी की स्थापना।

मछली पालन विकास के लिए विदेशी सहायता

4552. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जो देश में मछली पालन के विकास के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नार्वे, डेनमार्क और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ उन प्रमुख देशों में से हैं जो भारत में मात्स्यकी के विकास में सहायता दे रहे हैं।

(ख) हर देश की सहायता देने की शर्तें भिन्न-भिन्न हैं नार्वे नकद अनुदान के रूप में सहायता देता है। डेनमार्क अनुदान के रूप में तथा अंशतः 0.75 प्रतिशत ब्याज की दर पर उदार शर्तों पर ऋण के रूप में सहायता देता है तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ जिस के रूप में अर्थात विशेषज्ञों, उपस्करों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप लें सहायता देता है।

सोन नदी की एक सहायक नदी कनहर के पानी को बाँटने पर मुख्य मंत्रियों की बैठक

4553. श्री एन० ई० होरो :
श्री एम० एम० ए० खां :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी की एक सहायक नदी कनहर के पानी को बांटने के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर हुए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) 19 फरवरी, 1982 को आयोजित की गई बैठक में कन्हर के जल का निम्न प्रकार से नियतन करने पर सहमति हुई है :-

बिहार	———	0.43 मिलियन एकड़ फुट
उत्तर प्रदेश	———	0.25 मिलियन एकड़ फुट
मध्य प्रदेश	— — —	0.62 मिलियन एकड़ फुट
	जोड़ :	1.30 मिलियन एकड़ फुट

कम्पोस्ट खाद का प्रयोग

4554. श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रधान मन्त्री ने ईन्दौर में किसानों से यह आग्रह किया है कि वे कम्पोस्ट खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि रासायनिक उर्वरक के आयात में जिसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, कटौती की जा सके, और उस विदेशी मुद्रा का उपयोग अन्य विकास परियोजनाओं में किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 और 1980 में देश में कम्पोस्ट खाद का कितना-कितना उत्पादन हुआ और कितना-कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्पोस्ट खाद का अधिक उत्पादन करने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है,

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिव्यय क्या है और उत्पादन में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है,

(ड़) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में यूरिया तथा अन्य नाइट्रोजीनियस खादों की तुलना में कम्पोस्ट खाद पर अधिक लागत आती है, और

(च) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि कम्पोस्ट खाद के मूल्य इतने अनुकूल हों, ताकि किसान खुद—ब—खुद इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित हों ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस सम्बन्ध में 16 फरवरी, 1982 को एन० आई० पत्रिका, इलाहाबाद में एक समाचार छपा था ।

(ख) कम्पोस्ट खाद का आयात नहीं किया जाता है । वर्ष 1979-80 और वर्ष 1980-81 के दौरान देश में कम्पोस्ट खाद का वार्षिक उत्पादन 2320 लाख मीटरी टन हुआ था ।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय ने पहले ही बायो-गैस विकास के लिए छठी योजना अवधि में 50 करोड़ रूपये के परिव्यय सहित एक राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत की हैं । योजना अवधि के दौरान, परियोजना में 4,00,000 बायो-गैस इकाईयों की स्थापना करने का लक्ष्य परिकल्पित है, जिनसे प्रति वर्ष लगभग 100 लाख मीटरीटन खाद का उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ङ) और (च) ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पोस्ट का उत्पादन किसानों द्वारा स्वयं बिना किसी लागत के किया जाता हैं ।

पानी तथा हवा से भूमि का कटाव

4555. **श्री जेवियर अराकल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी और हवा से भूमि के कटाव के कारण प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना नुकसान होता हैं - और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) देश व्यापी आधार पर जल तथा हवा से भुक्षरण के कारण हुई क्षति का वर्षानुवर्ष मूल्यांकन नहीं किया जाता हैं । तथापि, समग्र अनुमान से यह पता चलता है कि जल तथा हवा से लगभग 1500 लाख हैक्टार क्षेत्र में भूक्षरण होता है तथा अन्य 250 लाख हैक्टार झूम खेती (30 लाख हैक्टार), दर्रे एवं खन्डों (40 लाख हैक्टार), अम्लीयता, लवणीयता (70 लाख हैक्टार), जल लग्नता (60 लाख हैक्टार) आदि से प्रभावित होता है भूमि उपयोगवार कृष्य भूमि (जिसमें स्थाई चरागाह शामिल हैं) की लगभग 1050 लाख हैक्टार, 195 लाख हैक्टार वन भूमि तथा 79 लाख हैक्टार अकृष्य भूमि इन समस्याओं से ग्रस्त है । अनुमान हैं कि लगभग 4000 लाख मीटरी टन मृदा जिसमें लगभग 84 लाख मीटरी टन पोषक-तत्व हैं, वार्षिक रुप से भूरक्षण से खराब होती है । यह भी अनुमान है कि दर्रे तथा खडड 8000 हैक्टार वार्षिक की दर से उत्पादक पठारी भूमि को प्रभावित कर रहे हैं । दर्रा भूमि के विकास न किए जाने से देश को फल, चारे तथा ईधन की लकड़ी के अतिरिक्त, लगभग 30 लाख मीटरी टन के खाद्यान्नों की वार्षिक रूप से क्षति पहुंचती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार ने मृदा तथा भू आकर्षण की समस्या को स्वीकार करते हुए प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अनेक मृदा संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं । बाद की योजना अवधियों में इन कार्यक्रमों को, कृषि तथा गैर-कृषि दोनों प्रकार की भूमि के उपचार के लिए व्यापक बनाया गया और उनमें विविधता लाई गई । समस्याओं से सम्बन्धित आधारभूत जानकारी एकत्र करने, पैकेज पद्धति तैयार करने, उनको हल करने तथा व्यवसायिक संवर्ग तैयार करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कई अनुसंधान, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई थी ।

राज्य क्षेत्र के तहत के कार्यक्रम मुख्यतया कृषि भूमि तथा कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों का विभिन्न सस्य विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा जैविक उपायों से उपचार करने पर संकेन्द्रित सहायता नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों के स्थिरिकरण एवं उपचार के लिए दी जाती है प्राथमिकता प्रतिक्रिया वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा आधारभूत श्रवण विशेषताओं को उपलब्ध कराने के लिए अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन श्रवण क्षेत्रों तथा चुनींदा जिलों में अनेक प्रकार के मृदा सर्वेक्षण कार्य कर रहा है । 100 हैक्टार से कम क्षेत्र वाले ब्लाकों में कृष्य बंजर भूमि के सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण से सम्बन्धित योजना के तहत 17

राज्यों में उत्पादक विकास के लिए 2.3 लाख हैक्टार क्षेत्र का निर्धारण किया गया, जबकि सुधारी गई 1.9 लाख हैक्टार बंजर भूमि में भूमिहीन श्रमिकों के 1.1 लाख परिवारों को बसाया गया। इसी प्रकार एक अन्य केन्द्रीय योजना के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 8.3 लाख हैक्टार दर्रा भूमि का सर्वेक्षण किया गया, उनकी गहन श्रेणी तथा निजी सरकारी तथा पंचायत जैसे विभिन्न स्वामित्व सम्बन्धी पद्धति में वर्गीकरण किया गया। पठारी भूमि के भूक्षरण तथा दर्रों को बढ़ने से रोकने, कृषि/बागवानी के लिए छिछले दर्रों के सुधार तथा ईधन एवं चारे क्षेत्रों द्वारा मध्यम तथा गहरे दर्रों के स्थिरिकरण के लिए दर्रा भूमि से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय नीति भी तैयार की गई है। इस कार्यक्रम की तकनीकी संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को केन्द्रीय सहायता से मार्ग दर्शी परियोजना के तहत चौथी तथा पांचवीं योजनाओं के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। पांचवीं योजनावधि के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं तथा दर्रा क्षेत्रों के स्रवण क्षेत्रों में कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त, झूम खेती के क्षेत्रों के नियन्त्रण तथा लवणीयता से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की गई थी। 1979-80 तक केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों दोनों के अन्तर्गत 66400 लाख रुपए की लागत से 234.00 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया।

छठी योजना के दौरान विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त कृषि एंव गैर कृषि भूमि को सुधारने के लिए राज्य क्षेत्र के तहत किए जा रहे प्रमुख प्रयासों को जारी रखा गया, जबकि केन्द्र से विशेष सहायता निम्मनलिखित योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ;

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रवन्ध ;

(3) संघ राज्य क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ करना ;

(4) संघ राज्य क्षेत्रों में झूम खेती को नियन्त्रित करना ;

(5) अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ करना ;

इसके अलावा, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन को स्थिर करने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए जल संरक्षण /जल उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रचार की एक केन्द्रीय योजना को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। मृदा की स्थिति तथा विभिन्न विभागों में मृदा संरक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने से सम्बन्धित मामलों के बारे में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्रीय भूमि संसाधन संरक्षण एवं विकास आयोग की स्थापना की जा रही है। यह आयोग 26 राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के कार्यकलापों को भी देखेगा तथा उनका समन्वय करेगा। छठी योजना के दौरान इन योजनाओं के तहत 65 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाओं के तहत, जोकि छठी योजना में भी क्रियान्वित की जा रही है, 1980-81 तक मृदा संरक्षण तथा बनरोपण उपायों से कुल 22.38 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया :—

(1) हिमालय के क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण ।

(2) सामाजिक वानिकी तथा ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण ।

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।

(4) मरु विकास कार्यक्रम ।

एशियाड गाँव में दुर्घटनाएं

4557. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए खेल गांव (एशियाड गांवों) में निर्माण कार्य के शुरू होने से अब तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं की कोई जांच कराई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दो ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन दोनों मामलों की अभी भी जांच पड़ताल चल रही है ।

सरकारी ऋणों को माफ करना

4558. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया था कि ऋणो को, खास तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए सहकारी ऋणों को माफ कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनमें कितना धन निहित है ; और

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जैसाकि 14 दिसम्बर, 1981 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3629 के उत्तर में बताया गया था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में क्रमश: 7.81 लाख और 4.52 लाख छोटे किसानों के संस्थागत ऋणों को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया था । तमिलनाडु सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाली जाने वाली ऋणों की राशि अक्तूबर, 1980 को 4200 करोड़ रुपये थी और महाराष्ट्र में यह राशि जुलाई, 1980 को 49.00 करोड़ रुपए थी । अन्य राज्यों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बारे में लिए

गए निर्णयों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसाकि 7 दिसम्बर, 1981 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, केरल, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने ऋणों पर ब्याज की माफी, ऋणों का पुनर्निर्धारण करना और पेनल ब्याज की माफी, जैसे राहत उपाय शुरू किए हैं।

वनस्पति घी निर्माताओं के लिए आयातित खाद्य तेल

4559. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान विदेशों से कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया और इसमें से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा वनस्पति घी निर्माताओं को सप्लाई की गई ; और

(ख) सरकार द्वारा 1982-83 में खाद्य तेलों के आयात के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा वनस्पति घी निर्माताओं को सप्लाई की जाएगी और किस मूल्य पर सप्लाई की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 1980 अक्तूबर, 1981) के दौरान खाद्य तेलों की 10.74 लाख मी० टन मात्रा आयात की गयी। 1981-82 के तेल वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी—देशी तेल और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की उपलब्धता तथा मुख्य, देश में तेल की मांग, विदेशी मुद्रा की स्थिति आदि। तेल वर्ष 1982-83 के लिए इस तरह का कोई अनुमान लगाने का समय नहीं आया है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है, जिससे देश खाद्य तेलों का उत्पादन तथा उनकी उपलब्धता भी शामिल है। वनस्पति उत्पादकों को आयातित तेल का आवंटन तथा इसका निर्गम मूल्य भी देशी तेल उत्पादन से जुड़ा हुआ है।

अदरक की खेती को राहत देना

4560. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अदरक नामक परम्परागत मसाले के उत्पादन को उसके उत्पादन की अधिक लागत, इसके मूल्य में भारी गिरावट और उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में अदरक के उत्पादकों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अदरक की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है । इसके साथ साथ अदरक के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृति दिखाई दे रही है । अदरक की खेती के लिए भूमि की कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सहकारी और भूमि विकास बैंक

4561. **श्री सुधार कुमार गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि सुधार बैंक कितने-कितने हैं;

(ख) इन बैंकों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में उन कर्यचारियों के वेतनमान के ढांचे क्या क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी०स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित बैंकों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार के चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

4562. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला वितरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में प्रत्येक चीनी मिल से इस समय किस दर से वसूली की जाती है;

(ख) इन मिलों के चालू होने के समय से इनमें से प्रत्येक का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आधुनिकीकरण किये जाने के संबंध में क्या प्रत्येक मिलों की आवश्यकताओं के बारे मे अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वर्तमान पिराई मौसम 1981-82 पूरे वेग पर है और फैक्ट्रियां गन्ने की निरन्तर पिराई कर रही हैं । अबतन उपलब्ध सूचनानुसार, बिहार की 30 में से 28 फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं और इन फैक्ट्रियों की प्रत्येक की वर्तमान औसत रिकवरी के अस्थायी आंकड़े ,संलग्न वितरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता सहित कुल मिलाकर चीनी उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए समय-समय पर विभिन्न

समितियां गठित की गई हैं। सरकार केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से चीनी फैक्ट्रियों की अपनी पुरानी मशीनरी और अलाभकारी क्षमता का आधुनिकीकरण और पुनर्वासन करने के लिए सहायता करने के लिए सुगम ऋण की एक योजना को कार्यान्वित कर रही है। तथापि, सरकार के लिए प्रत्येक मिल की आवश्यकताओं के बारे में विचार करना और उसे तैयार करना सम्भव नहीं है। मिलों द्वारा आवेदन पत्र देने की पहल की जानी चाहिए। सरकार ने हाल ही में चीनी विकास निधि नामक विकास निधि का सृजन करने के लिए कानून बनाया है। कमजोर/रूग्ण चीनी फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण और पुनर्वासन करने और गन्ने के लिए विकास योजनाएं शुरू करने के लिए इस निधि का केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इस्तेमाल किया जाएगा।

चालू पेराई मौसम (1981-82) के दौरान बिहार राज्य में फैक्टरी वार गन्ने से चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम तथा पता	गन्ने से चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता
1.	विहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० लोहाट, जिला दरभंगा	8 02
2.	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, सकरी, जिला दरभंगा	8.20
3.	न्यू इण्डिया शुगर मिल्स लि० हसनपुर रोड, पो० आ० हंसनपुर शुगर मिल्स जिला दरभंगा	9.62
4.	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, समस्तीपुर यूनिट	8.01
5.	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट श्याम, जिला दरभंगा	7.95
6.	बेलसूद शुगर कं० लि० रिघा, जिला मुजफ्फरपुर	10.44
7.	दि मोतीपुर शूगर फैक्ट्री (प्रा०) लि० मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर	8.62
8.	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट गरौल, जिला मुजफ्फरपुर	7.68

9.	श्री हनुमान शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, मोतीहारी, जिला चम्पारन	9.46
10.	मोतीलाल पदमपत उद्योग लि० मझोलिया, जिला चम्पारन	9.47
11.	चम्पारन शुगर कं० लि० चनपटिया, जिला चम्पारन	9.03
12.	एस०के०जी० शुगर लि० लावरिया, जिला चम्पारन	9.02
13.	नार्थ बिहार शुगर मिल्स लि० बघा, पो०आ० नराईपुर	9.18
14.	दि न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि० नरकटियागंज, जिला चम्पारन	9.77
15.	हरिनगर शुगर मिल्स लि० हरिनगर, जिला चम्पारन	10.33
16.	दि सुगौली शुगर वर्क्स (प्रा०) लि०, सुगौली जिला चम्पारन	8.65
17.	चम्पारन शुगर कं० लि० बरचकिया, जिला चम्पारन	8.90
18.	न्यू सावन शुगर मिल्स; पी० आर० सिवान, जिला सरन	8.22
19.	दि बिहार शुगर वर्क्स, पछरूखी, जिला सारन	कार्य नहीं किया
20.	एस०के०जी० शुगर लि० हथुआ, पी० आ० मीरगंज	8.87
21.	भारत शुगर मिल्स लि० सिधवलिया, जिला सारन	9·21
22.	कानपुर शुगर वर्क्स लि० मढौरा, जिला सारना	9.04
23,	सासा मुसा, शुगर वर्क्स (प्रा०) लि०. सासा मुसा, जिला सारन	8.70

24.	दि विष्णु शुगर मिल्स लि० पो० आ० विष्णु शुगर मिल्स, गोपालगंज, जिला सारन	8.77
25.	एस० के० जी० शुगर लि०, पो०आ० सिवान जिला सारन	8.05
26.	गुरारू चीनी मिल्स पो० आ० गुरारू, जिला गया	8.07
27.	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट बारस लोगंण, जिला गया	8.17
28.	दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट बिहटा, जिला पटना	7.53
29.	रोहताश इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० डालमिया नगर, जिला शाहाबाद	कार्य नहीं किया गया
30.	बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, बनमनूखी, जिला पूर्णिमा	8.95

पूर्वी कोशी नहर के निर्माण पर व्यय

4563. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) पूर्वी कोसी नहर के अन्तर्गत सिंचाई के लिए कितना क्षेत्र आता है और जब से पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से सिंचाई की जानी आरम्भ हुई है, तब से अब तक वर्ष-बार कितने-कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई है ; और

(ग) यदि उपलब्धि मूल अनुमानित लक्ष्य के अनुसार नहीं रही है, तो उसके कारण और औचित्य क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) राजपुर नहर सहित, पूर्वी कोसी नहर प्रवाली के निर्माण पर मार्च. 1982 तक लगभग 129 करोड़ रुपये का कुल व्यय होने की संभावना है ।

(ख) कृषि योग्य कमान क्षेत्र 4.98 लाख हैक्टेयर है । कोसी कमांन क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्षवार वार्षिक सिंचाई दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) क्षमता के उपयोग में विलम्ब होने के कुछ मुख्य कारण ये हैं – (1) भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयां पेश आने के कारण जलमार्गों के निर्माण में देरी होना, (2) मुख्य नहर और वितरण प्रणाली में भारी गादीकरण तथा (3) कमान क्षेत्र में जल निकास एवं जल जमाव की समस्या।

विवरण

राजपुर नहर सहित पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की वर्ष-वार सिंचाई उपलब्धियां

क्रम सं०	वर्ष	वर्ष-वार वार्षिक सिंचाई (हजार हैक्टेयर)	अभ्युक्ति
1.	1964-65	4.03	
2.	1965-66	26.04	
3.	1966-67	72-30	
4.	1967-68	130 45	
5.	1968-69	126.28	
6.	1969-70	118.88	
7.	1970-71	88.24	
8.	1971-72	83.94	
9.	1972-73	185.57	
10.	1973-74	108.52	
11.	1974-75	123.30	
12.	1975-76	169.75	
13.	1976-77	176.28	
14.	1977-78	180.40	
15.	1978-79	152.59	
16.	1979-80	198.00	

मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों को बोनस

4564. **श्री जेविअर अराकल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रण, लेखन सामग्री तथा प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों को बोनस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों को बोनस दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इन विभागों के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा किसी उत्पादकता संबंद्ध बोनस योजना का अनुमोदन नहीं किया गया है ।

मैक्सिकन ट्रालरों की बिक्री

4565. **श्री डी. पी जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न कम्पनियों के क्या नाम है जिन्होंने 1973 ट्रॉलर आयात योजना के अधीन आयातित मैक्सिकन ट्रालर बेच दिए हैं ;

(ख) उन विभिन्न कम्पनियों अथवा राज्य निगमों या व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त योजना के अधीन आवंटित ट्रॉलरों को पट्टे पर चढ़ा दिया है ;

(ग) मैक्सिकन ट्रॉलरों की उक्त बिक्री करने तथा किराये पर चढ़ाने संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसी कार्यवाहियाँ गहन समुद्र में मत्स्य उद्योग के सुस्पष्ट अलाभकारी परिस्थितियों के कारण की जा रही हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मैसर्स ई. आई. डी. फेरी (इंडिया) लि० मद्रास ।

(ख) मैसर्स प्रोन मेगनेट प्राईवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम और मैसर्स मेरीन फिसरीज प्राइवेट लि० विशाखापत्तनम ।

(ग) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में कम्पनी के अनुसार इसके कारण विभिन्न अन्य परियोजनाओं में किए गए वायदों के अलावा, उनके चीनी परिचालनों में भारी क्षति और इस क्षेत्र में और निवेश करने की क्षमता का न होना है। जहां तक उपरोक्त (ख) में दिए गए उत्तर का सम्बन्ध है, पारादीप बन्दरगाहों से दूर प्राकृतिक गैस तथा तेल से सम्बन्धित समन्वेषी कार्य को करने के उद्देश्य से मैसर्स प्रोन मेगनेट प्रा० लि० ने अपने जलयानों में से एक जलयान मार्च-अप्रेल, 1979 में मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० को तथा मार्च-अप्रैल, 1980 में आयल इंडिया लि० को किराए पर दिया था। यह दोनों भारत सरकार के प्रतिष्ठान हैं। मैसर्स मेरीन फिशरीज प्रा० लि० ने अपने जलयानों में से एक जलयान फरवरी-मार्च 1981 के दौरान मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि० को किराए पर दिया था।

(घ) जी नहीं।

तलवार समिति के निष्कर्ष

4566. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान डिविजन स्थान की जीव-रसायन के बारे में तलवार समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि उक्त डिविजन का प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तलवार समिति द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट में जीव-रसायन प्रभाग की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें प्रयोगशाला के स्थान की कमी, अपर्याप्त कोष, केन्द्रित सुविधाओं का अभाव और उपकरणों की मरम्मत, नियमित विभागीय कर्मचारियों की बैठकों का अभाव व्याख्यानों और सम्मेलनों में भाग लेने में वैज्ञानिकों की आयोग्यता आदि शामिल हैं।

सरकार ने जीव-रसायन प्रभाग के वैज्ञानिकों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाया है। मुख्य कठिनाई यह रही है कि इस प्रभाग का कोई अपना प्रयोगशाला भवन नहीं है और यह मृदा विज्ञान और कृषि रसायन प्रभाग के एक भवन में स्थित है। इसके लिए अब एक नया प्रयोगशाला भवन बनाया जा रहा है जो निर्माण की अग्रिम, अवस्था में है जो अनेक समस्याओं पर ध्यान रखेगा। जीव-रसायन प्रभाग की निधिकरण सहायता को भी बढ़ा दिया गया है।

वैज्ञानिकों की शिकायत के सम्बन्ध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि समिति ने यह पाया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक दो वैज्ञानिकों, जो गम्भीर और विशिष्ट शिकायतें लेकर सामने आये थे, की मांग को पूरा करने में नियम की अवहेलना की है।

समिति ने यह बताया है कि पिछले दो वर्षों में, इन दो वैज्ञानिकों के लिए जो कोष और स्थान आवंटित किया गया था वह किसी भी अन्य वैज्ञानिक को आवंटित किए गए कोष और स्थान से अधिक रहा है। इन दो वैज्ञानिकों की उनके असहयोग पूर्ण आचरण और सम्पूर्ण प्रभाग के लिए समस्या पैदा करने के लिए समिति ने निन्दा की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव-रसायन डिविजन के विरुद्ध शिकायत

4567. **श्री रशीद मसूद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव-रसायन डिविजन के बारे में गठित तलवार समिति के मतानुसार इस डिविजन के गलत कार्यकरण के बारे में संतप्त वैज्ञानिकों द्वारा की गई आम तथा विशिष्ट शिकायतें आधारभूत तथा न्यायोजित थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की शिकायतें की हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समिति यह यह स्वीकार किया है कि सामान्य किस्म की अनेक शिकायतें न्यायोचित थीं। फिर भी, यह देखा गया है कि जीव-रसायन प्रभाग के दो वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति विशेष और संगठन के विरुद्ध की गई अधिकांश विशिष्ट शिकायतें न्यायोचित नही हैं।

(ख) सामान्य किस्म की अधिकांश शिकायतें प्रयोगशाला के स्थान की उपलब्धता, निधिकरण सहायता, आंतरिक प्रबन्ध और संगठन की समस्यायें औजार और उपकरणों जैसी प्रमुख मदों का उपलब्ध न होना और उनका आसानी से उपलब्ध होना तथा उपस्कारों एवं उपकरणों तथा रसायनों की छोटी वस्तुओं की उपलब्धता से संबंधित हैं। सामान्य किस्म की इन शिकायतों के संबंध में, संस्थान ने वैज्ञानिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले ही एक गंभीर कदम उठाया है। प्रयोगशाला की एक नई इमारत निर्काण की अग्रिम अवस्था में है और यह जीव-रसायन प्रभाग के वैज्ञानिकों की प्रमुख समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी। जीव-रसायन प्रभाग की निधिकरण सहायता भी बढ़ा दी गयी है। अति आधुनिक किस्म के वैज्ञानिक उपकरणों की नई मदों में वृद्धि की गई है और उपस्करों की कुल उपलब्धता में सुधार हुआ है।

प्रभाग के दो वैज्ञानिकों द्वारा की गई विशिष्ट शिकायतों के सम्बध में, समिति ने यह बताया है कि व्यक्ति विशेष और संगठन के खिलाफ की गई ये अधिकांश शिकायतें न्यायोचित नहीं हैं और इससे उनके वैज्ञानिक न होने के आचरण और व्यवहार का पता चलता है। फिर

भी, संस्थान ने इन वैज्ञानिकों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करना जारी रखा है। समिति की इस सिफारिश पर की इन दो वैज्ञानिकों का जीव रसायन प्रभाग से स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां उनकी मौजूदगी न तो उनकी उत्पादकता और न प्रभाग को सुचारू रूप से चलाने में प्रेरक सिद्ध होगी, ध्यान दिया गया है। संस्थान द्वारा इन दो वैज्ञानिकों को संस्थान के दूसरे प्रभाग में भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

हुडको को ऋण सहायता के तरीके पर कार्यकारी ग्रुप की सिफारिश

4568. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको की ऋण सहायता के तरीके पर कार्यकारी ग्रुप ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हुडको की विद्यमान वित्त सहायता प्रणाली की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सहायता के मापदण्डों में और हुडको की वित्त सहायता पर ब्याज की दरों में न्यूनतम परिवर्तन करने की सिफारिश की है। कार्यकारी दल की महत्वपूर्ण सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

हुडको की वित्त सहायता की प्रणाली पर कार्यकारी दल की महत्वपूर्ण सिफारिशें

अधिकतम सीमा लागत, ब्याज दरों, पुनर्भुगतान की अवधि और वित्त सहायता की सीमा को इस प्रकार संशोधित किया जाय :-

वर्ग	अधिकतम सीमा (रुपए)	वित्त सहायता की सीमा प्र० श०)	ब्याज दर (कुल) (प्र० श०)	पुनर्भुगतान अवधि (वर्ष)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग				
आवास				
1. स्थल तथा सेवाएं	5000 (2700)	100	4(4)	20(20)
2. कोर हाऊसिंग	5000	100	5(5)	20(.0

3. मकान ढाँचे	5000	100	5(5)	20(20)
4 ग्रामीण आवास	6000(4000)	50	5(5)	10(10)
5. गंदी बस्ती उन्नयन	2000	50	5(5)	10(10)
6. नगरीय आवास(क)	12000(8000)	वर्गीकृत मांग के आधार पर	7(5)	20(20)
नगरीय आवास (ख)	20000(18000)	-वही-	8(7)	15(15)
7. विकसित प्लाट				
(क) श्रेणी (क)	5000(2700)	-वही-	5(5)	20(20)
(ख) श्रेणी (ख)	8000(45000)	-वही-	8(7)	15(15)
मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग आवास				
1. मध्यम आय वर्ग I	30000(25000)	-वही-	$10\frac{1}{2}$(9.5)	12(12)
2. मध्यम आय वर्ग II	50000(42000)	-वही-	$11\frac{1}{2}$ (10.5)	12(12)
3. उच्च आय वर्ग	125000 100000 (किसी भी मामले में 60000 रुपए से अधिक नहीं)	-वही-	$12\frac{1}{2}$ (11.5)	10(10)
4. विकसित प्लाट				
(क) मध्यम आय वर्ग	20000(12500)	वर्गीकृत मांग के आधार पर	$11\frac{1}{2}$ (9.5)	12(12)
(ख) उच्च आय वर्ग	50000(25000)	-वही-	$12\frac{1}{2}$(11.5)	10(10)
अन्य योजनाएं				
किराया	125000	70(70)	$13\frac{1}{2}$ (13)	7(7)
वाणिज्यिक	उपलब्ध नहीं	100(100)	15(14)	8(8)

'भवन निर्माण सामग्री योजना	-वही-	100(100) (सार्वजनिक क्षेत्र 80(80) (निजी क्षेत्र)	13 10(75)	(88)
नगर विकास योजना	-वही-	50(50)	10(8.5)	12(12)
प्राइवेट बिल्डर्स	30,000 रुपए 50 प्र०श० एककों के लिए तथा शेष 50000 रु० से अधिक नहीं।	50	15(14)	5(5)

टिप्पणी: कोष्टकों में दिए गए आंकड़े वर्तमान स्थिति बतलाते हैं।

2. आवास तथा नगर विकास निगम को सीधे मूल गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण देना चाहिए और ऐसी समितियों से वही दरें वसूल करनी चाहिए जो यह अन्य ऋणियों से वसूल करेगा।

3. निधियों का निग्तन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए 55 प्रतिशत और शेष वर्गों के लिए 45 प्रतिशत होना चाहिए। हुडको की कुल ऋणों का कम से कम 15 प्रतिशत ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए होना चाहिए।

4. जहां कोई पात्र ऋणी किसी प्रमाणित निर्माण अभिकरण से बने बनाए रिहायशी मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है, वहाँ हुडको को अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निधियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

5. इस समय आवास तथा नगर विकास निगम को $8\frac{1}{2}$ तक ब्याज दरों पर ऋणों के लिए सरकारी गारंटी स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। ब्याज दर ढांचे में हाल ही में किए गए परिशोधन को दृष्टि में रखते हुए, यह सीमा कम से कम 10 प्रतशित तक बढ़ा दी जानी चाहिए।

6. नगर विकास योजनाओं को 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अनधिक आवादी वाले शहरों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

7. अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक आरक्षित फण्ड बनाया जाना चाहिए।

दालों और तिलहनों की व्यस्था में सुधार करना

4569. श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिश्रित फसल प्रणाली के अन्तर्गत उगाए गए दालों और तिलहनों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : बहुत सी दालें और तिलहन अन्य फसलों के साथ उगाए जाते हैं और इससे मुख्य फसल को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए वगैर अन्तवर्ती फसलों की अतिरिक्त उपज लेना संभव हुआ है। अन्तवर्ती फसलों के रूप में दालों और तिलहनों को मुख्य फसल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आदानों और अपनायी जाने वाली प्रबन्धकीय पद्धतियों का लाभ मिलता है। विशिष्ट रूप से दालों और मूंगफली और सोयाबीन जैसे फलीदार तिलहनों के लिए कुशल रिजोवियम कल्चर के साथ बीज निवेशन की सिफारिश की जाती है। प्रयोगों के परिव्ययों से पता चलता है कि इष्टतम सस्य विज्ञान पद्धति के अर्न्गत बीज निवेशन का प्रयोग करके फलीदार पौद की लगभग 100 प्रतिशत तक नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। फलीदार फसलें अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की बड़ी सीमा तक पूर्ति करने की क्षमता रखती है। उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उपयोग करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृषकों को मिश्रित फसल पद्धति में दाल अथवा फलीदार तिलहन की कम से कम एक फसल चुनने की सलाह दी जा रही हैं। नाइट्रोजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के संतुलित उपयोग की भी सिफारिश की गई है।

भूमि सम्बन्धी रिकार्डों को अद्यतन करना

4570. श्री के० टी० कोसल राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां भूमि संबंधी रिकार्डों को अद्यतन करने का काम शुरू नहीं किया गया है और किन किन राज्यों ने वैधानिक स्वामित्व सहित भूमि रिकार्ड पास बुकें जारी कर दी हैं ; और

(ख) फालतू घोषित की गई लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि का कब्जा लेने तथा उसे वितरित करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने का कार्यक्रम उन सभी राज्यों में आरम्भ कर दिया गया है जिनमें अभी से अभिलेख अद्यतन नही हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में भू-स्वामियों को पास बुकें जारी की जा रही हैं।

(ख) फालतू घोषित की गई भूमि के वितरण में होने वाली देरी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण कारण न्यायालयों में मामलों का लम्बित होना है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकतम सीमा से फालतू घोषित की गई भूमि में से कुछ कृषि के लिए अनुपयुक्त है।

अक्तूबर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

4171. **श्री सूरजभान :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखत जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1980 से अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन राज्य वार अनुमानत: कितनी आस्तियों का सर्जन किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन आरम्भ की गई परियोजनाओं तथा आरम्भ किए जाने के लिए योजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य में कौन कौन से राज्य पीछे रह गए हैं, इसके क्या कारण है ,

(घ) प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम पर, राज्यवार कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(ङ) क्या इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्र तथा वनों में रचित दूरस्थ गांव भी शामिल हैं, यदि हां, तो क्षेत्रों संबंधी इस कार्यक्रम की विशेष बातें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1980 से लेकर अब तक सृजित परिसम्पतियों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर इस अवधि के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 3701/83]।

(ख) ग्रामीण सड़कों का निर्माण लघु सिंचाई तथा बाढ़-बचाव कार्यों, विद्यालय तथा बालवाड़ी भवनों, ग्रामीण तालाबों, पेय जल कुंए आदि वनरोपण तथा सामाजिक बानिकी के कार्यों और नमी तथा जल संरक्षण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं को कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया था। भविष्य में भी ऐसे ही निर्माण-कार्यों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) निम्नलिखित राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पीछे रह गए हैं। इस प्रकार, चालू वर्ष की तीसरी तथा चौथी तिमाहियों के लिए निधियां उन्हें बंटित नहीं की गई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन राज्यों ने संसाधनों का धीमा उपयोग किया है :

1. बिहार	2. जम्मू तथा काश्मीर	3. मणिपुर
4. मेघालय	5. सिक्किम	6. अरुणाचल प्रदेश
7. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह	8. पाँडिचेरी	9. चण्डीगढ़

(घ) 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान सूचित राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। [ग्रन्थालस मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3701/82]।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों तथा वनों के दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है। सभी तरह के निर्माण कार्यों जिनसे टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है को इन क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है तथा वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है।

विवेक बिहार, शाहदरा दिल्ली और सफदरजंग एन्क्लेव, नयी दिल्ली में एक मंजिले क्वार्टर

4572. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विवेक विहार, शाहदरा दिल्ली और सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में कितने एक मंजिले फ्लेटों का निर्माण किया था और आबंटियों द्वारा उनमें से कितने फ्लेट बेच दिए गए हैं और कितने आबंटियों ने फ्लेट नहीं बेचे हैं ; और

(ख) क्या 15 वर्षों तक किस्तों का भुगतान किए जाने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण उन फ्लैटों को उन लोगों के नाम अन्तरित कर देगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विवेक विहार में 252 सफदरजंग एन्क्लेव में 207 सी० एस० पी०/जनता फ्लैट निर्मित किए गए थे। उसने उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आगे कहा है कि किसी भी आवंटी द्वारा कोई फ्लैट नहीं बेचा गया है।

(ख) दिल्ली प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैट की लागत का पूरा भुगतान लेने के बाद ही प्रतिहस्तान्तरण विलेख निष्पादित किया तथा आवंटी के नाम में पंजीकृत किया जाएगा।

दिल्ली के झुग्गी निवासी

4573. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस शिकायत की जाँच करायेगी कि जिन झुग्गी निवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो वैकल्पिक प्लाट आबंटित किए जाते हैं वे उन्हें बेच देते हैं और किसी अन्य स्थान में झुग्गी बना लेते हैं और इस प्रकार समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पुनर्विकास कालोनियों में कितने मूल आबंटी निवास कर रहे हैं और कितने आबंटी प्लाट बेचकर कालोनियों से चले गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं । सरकार ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि झुग्गी झोंपड़ी प्लाटों के आबंटियों को स्वेच्छा से प्लाटों का अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु उन्हें उनके द्वारा अदा की गई लागत प्राप्त हो जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्लाट वापिस करने का विकल्प होगा ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

अनाजों और उपयोग की उपलब्धता

4574. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के अनाजों की कितनी खपत हुई ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में इन मदों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1978 से प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्नों में कमी आई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 1982 के दौरान अनाजों की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1977, 1978 और 1979 के दौरान देश में खपत के लिए विभिन्न प्रकार के अनाजों की निवल उपलब्धि नीचे दी गई है :—

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज
1977	38852	26800	23778	89430
1978-79	46223	29719	23593	99532
1979-80	48338	31258	23857	103453

(ख) 1977 से 1979 तक प्रत्येक वर्ष में विभिन्न अनाजों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि नीचे दी गई है :—

(प्रति वर्ष किलोग्राम में)

वर्ष	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज
1977	62.1	42.8	38 0	142.9
1978	72.4	46.5	37.0	155.9
1979	74.3	48.0	36 5	158.9

टिप्पणी– कुल और प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि वस्तुतः खपत के वास्तविक स्तर को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करती ; क्योंकि इसमें व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के पास पड़े हुए भंडारों में किसी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। प्रति व्यक्ति उपलब्धि सम्बन्धी आंकड़े अस्थायी हैं।

(ग) 1979-80 के मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी गिरावट आने और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण 1978 की तुलना में 1980 और 1981 के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि में सीमान्त कमी आई है।

(घ) 1981-82 के दौरान अनाज के सम्भावित रिकार्ड उत्पादन, सरकारी भण्डारों में वृद्धि करने सम्बन्धी उपायों और 1982-83 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने के लिए कार्यवाही कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप 1982 के दौरान खाद्यान्नों की उपलब्धि बेहतर होगी।

दुर्लभ नस्लों के पक्षियों का समाप्त होना

4575. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि सर्वेक्षण संस्था के अनुसार चार दुर्लभ नस्लों के पक्षी समाप्त हो गये हैं और अन्य दुर्लभ नस्लों के पक्षियों के समाप्त होने का खतरा है ;

(ख) क्या विख्यात पक्षी-वैज्ञानिक डा० सलीम अली ने मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र के भागों में बस्टर्ड परिवार के एक पक्षी लेसर फलोरीकेन की दुर्लभ नस्ल को हो रहे नये खतरे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ग) क्या बम्बई राष्ट्रीय इतिहास सोसाइटी ने भी देश में वन्य प्राणि और वनस्पति के लिए बढ़ते हुए खतरे की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(घ) यदि हां, तो दुर्लभ नस्लों के पक्षियों को खतरे से बचाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और तंत्र की स्थापना की गई है ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) वर्तमान शताब्दी में केवल चार पक्षी प्रणालियों के विलुप्त होने की सूचना है। ये हैं पहाड़ी बटेर जेर्डन कोर्जर, पीले सिर वाली बत्तख और जंगली चित्तीदार उल्लू।

(ख) जी हाँ।

(ग) हाल ही में ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) दुर्लभ तथा खतरे में पड़ी पक्षी प्रजातियों को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाने हेतु अधिग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून

4576. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री राम प्यारे पनिका : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है कि जिसके द्वारा कोई भी राज्य ऐसी भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये अधिग्रहण नहीं कर सकेगा जो उर्वरा हो अथवा जिसमें जन संसाधन उपलब्ध हो ; और

(ख) क्या सरकार उसमें यह भी प्रावधान करेगी कि उन किसानों को जिनकी भूमि उद्योग, आवास आदि जैसे गैर कृषि कामों के लिये अधिग्रहीत की जाये, उन्हें तुरन्त ही भूमि का उचित मूल्य अदा कर दिया जाये ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। तथापि, राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है कि भूमि का अधिग्रहण सर्वथा कम से कम किया जाए तथा कृषि योग्य भूमि जो पहले ही बहुत कम है, का अधिग्रहण गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए, करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा उस दशा में किया जा सकता है जबकि ऐसा करना किसी महत्वपूर्ण जनहित के कार्य में सहायक हो।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

आयातित गेंहूं का वितरण

4577. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में अमेरिका से कुल कितने गेहूं का आयात किया गया ; और

(ख) मिल वालों को सार्वजनिक वितरण हेतु खुले बाजार में अलग-अलग कितना वितरित किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 15.15 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने का एक ठेका किया गया था ।

(ख) रोलर फ्लोर मिलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित गेहूं का वितरण करने विषयक सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । तथापि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में आयातित गेहूं की कोई बिक्री नहीं की गई है ।

विदेशज पौधों का खतरा

4578. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रन आफ कछ तथा राजस्थान रेगिस्तान के भागों में मैंजगटज नामक विदेश उष्ण कटिबंधीय अमरीकी पेड़ के उगने के खतरों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या परिस्थितियां विशेषज्ञों ने एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रो० डा० जी० एम० ओझा द्वारा स्पेशल सवश्विल कमीशन की 55 वीं बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम को उनकी रिपोर्ट में दिये गये पेपर की ओर ध्यान दिया है कि मैंजगट नामक विदशज पेड़ों का उगना भारतीय रेगिस्तानी में पाये जाने वाले स्वदेशी वन्य गधों के लिए बहुत खतरनाक है ;

(ग) कुछ के रन में जंगली रेगिस्तानों गधे की जातियों के बारे में नवीनतम अनुमानित आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) उष्ण कटिबन्धीय अमरीकी मैंजगट विदेशज पेड़ों से इस जाति के लिए खतरे को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) इस प्रकार के खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(ख) इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मेसक्वाइट वृक्ष से लिटिल रन आफ कछ के वन्य गधों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके विपरीत, मेसक्वाइट वृक्ष की फलियों को वन्य गधे अधिक पसंद करते हैं।

(ग) रन आफ कछ में वन्य गधों की पिछली गणना 1976 में की गई थी जिसमें पता चला कि उनकी संख्या 720 है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

ट्रेक्टर उद्योग में संकट

4579. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1981 से ऋण में अत्यधिक कमी करने के कारण भारत का ट्रेक्टर उद्योग, जो दूनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, अचानक गहरे संकट में पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण के संकट के कारण पिछले दिसम्बर और जनवरी में फुटकर बिक्री पहले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत तक गिर गयी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सूचित किया गया है कि यदि वाणिज्यिक बैंकों को कृषि ऋण पुनः जारी करने के लिए स्पष्ट और तत्काल आदेश नही दिये गये तो न केवल ट्रेक्टर और उसके सहायक उद्योगों पर संकट आयेगा बल्कि अनिश्चितता से किसानों का निर्णय भी आगामी मौसम में प्रभावित होगा ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या कृषि मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है ; और

(ड़) यदि हो, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) अर्थ व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के फैलाव की मात्रा को रोकने और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को कम करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीने के उपलब्ध आकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में ऋण का विस्तार जिसमें ट्रेक्टरों की खरीद के लिए ऋण भी शामिल है, बढ़कर 866 करोड़ रुपये तक हो गया है, जबकि यह पिछले वित्तीय वर्ष के तदनुरूपी 8 महीने में 529 करोड़ रुपये और इससे पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में 806 करोड़ रुपये था। तथापि, पिछले वर्ष की फुटकर बिक्री की तुलना में दिसम्बर और जनवरी, 1981-82 में ट्रेक्टरों की फुटकर बिक्री कम हुई। कृषि ट्रेक्टरों के लिए कम ऋण के

सम्बन्ध में ट्रैक्टर विनिर्माता संघ से प्राप्त अभ्यावेदन पर, कृषि मंत्रालय ने इस मामले को वित्त मंत्रालय में बैंकिंग विभाग के साथ उठाया है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा स्फीति के उतार-चढ़ाव को रोकने, उत्पादन की वृद्धि सुनिश्चित करने और किये गये विनियोजन की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण नीति सम्बन्धी उपायों की लगातार समीक्षा कर रही है।

आयातित गेंहूं का पहुंचना

4580. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम देश में गेहूं विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व अप्रैल के मध्य तक सारा आयातित गेहू मंगा लेने पर विचार कर रहा है या मंगाने के लिये उत्सुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा हो जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) ठेकाबद्ध 22.65 लाख मीटरी टन आयातित गेहूं में से (15.15 लाख मीटरी टन संयुक्त राज्य अमेरिका से और 7.5 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलिया से) सितम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक विभिन्न भारतीय बन्दरगाहों पर अब तक लगभग 14.05 लाख मीटरी टन आयातित गेहूं उतारी जा चुकी है। अतः 1.3.82 तक लगभग 8.60 लाख मीटरी टन आयातित गेहूं अभी प्राप्त होनी थी/उतारी जानी थी। फरवरी, 1982 में 3.61 लाख मीटरी टन की अब तक की अधिकतम मात्रा उतारी गई थी। उतरान की इस मात्रा को देखते हुए लगभग 8.60 लाख मीटरी टन की शेष समस्त मात्रा को हैंडल करने/उतारने के कार्य को अप्रैल, 1982 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

4581. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनके अन्तर्गत राजधानी में बड़ी संख्या में जाली राशन कार्ड बन गये हैं जबकि आपातकाल के दौरान इनको समाप्त कर दिया गया था और राशन कार्ड हेतु सभी आवेदनों की क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा पूरी तरह छानबीन कर ली जाती है ;

(ख) क्या इन कार्डों की भरमार का कारण नागरिक पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार कहा जा सकता है और इस तरह के कार्डों की अनुमानित संख्या कितनी है और उनका पता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या जाली राशन कार्डों का उन्मूलन करने हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करके राशन कार्डो का सत्यापन करने का कार्य, नागरिक पूर्ति विभाग के अलावा किसी अन्य एजेंसी को सौंपे जाने का विचार है और जिससे उचित दर की दुकानों द्वारा राशन की वस्तुओ को कालेबाजार में बेचने के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झुग्गी झोपड़ी में/पटरी पर रहने वालों और बेघर लोगों को खाद्य कार्ड जारी करना वर्ष 1977 से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान स्थगित रहा था। समाज के कमजोर वर्गो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ पहुंचाने की दुष्टि से, दिल्ली प्रशासन ने अगस्त, 1980 में इस नीति को उदार बनाया और उन्हें केवल आवेदन देने पर ही खाद्य कार्ड जारी किये गये। हो सकता है कि कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग जाली खाद्य कार्ड प्राप्त करने के लिए किया गया हो।

(ख) और (ग) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए जांच की जाती रहती है। इसने 1981 के शुरू में दो मंडलों के सभी खाद्य कार्डो की सरगर्मी से घर घर जाकर जांच की थी, जिनके अन्तर्गत लगभग 4 लाख की आबादी आती है। संबंधित इलाकों के उपमंडलीय मजिस्ट्रटों के पर्यवेक्षण में इस जांच कार्य में बिक्री कर, उद्योग, श्रम आदि कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। तथापि, जाली पाये गए खाद्य कार्डो की संख्या नगण्य थी।

खाद्य-एवं संभरण आयुक्त, दिल्ली द्वारा 6 फरवरी, 1982 को एक सूचना जारी की गई थी, जिसमें खाद्य कार्डधारियों को सलाह दी गई थी कि यदि उनके पास कोई जाली खाद्य कार्ड हों तो उन्हें जमा करा दें और उन व्यक्तियों के नाम भी अपने खाद्य कार्डो से कटवा दें जो किसी भी कारण से चले गये हों। ऐसा करने की अन्तिम तारीख 15 मार्च, 1982 थी। लोगों को इस बात से भी अगाह कर दिया गया था कि यद्यपि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, जो निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से फालतू कार्ड जमा करवा अथवा यूनिट कटवा देंगे, तथापि उन मामलों में जिनका पता इस निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात चलेगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत दाण्डिक कार्रवाई की जायेगी, जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है।

चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में स्वीकृत उचित दर दुकानें

4582. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग ने कितनी अतिरिक्त उचित दर दुकानों की मंजूरी दी है तथा उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी दुकानें आरक्षित थीं ;

(ख) आरक्षित दुकानों और सामान्य श्रेणी की दुकानों के लिए इन जातियों से सम्बद्ध लोगों की और से कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ; और

(ग) उन्हें कितनी कितनी राशन की दुकानें, कोल-डिपो और मिट्टी के तेल के डिपो आवंटित किए गए हैं तथा ऐसे आवंटनों के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित दर की दुकानों का कोई आरक्षण नहीं है । तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार जब कभी इन वर्गों का कोई पात्र अभ्यर्थी किसी अधिसूचित की गई रिक्त उचित दर की दुकान के लिये आवेदन करता है, तो उसे अन्य अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाती है । वर्ष 1982 के दौरान, उचित दर की 32 अतिरिक्त दुकानें मंजूर की गई । इनमें से उचित दर की 3 दुकानें अनुसूचित जातियों के पात्र आवेदकों को आवंटित की गई ।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान, अतिरिक्त उचित दर की दुकानों की 32 रिक्तियों के लिए सामान्य वर्ग के आवेदकों से 155 तथा अनुसूचित जातियों के आवेदकों से 13 आवेदन प्राप्त हुये थे ।

(ग) उचित दर की 3 दुकानें तथा मिट्टी के तेल के 11 डिपो, अनुसूचित जातियों के पात्र आवेदकों को आवंटित किये गये । इस वर्ग के आवेदकों को कोयले का कोई डिपो आवंटित नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी आवेदक इसके लिए पात्र नही पाया गया । आवंटन के लिये निम्नलिखित मानदंड अपनाये गये थे :-

(क) उस क्षेत्र में परिसर उपलब्ध होना, जिसके लिए रिक्त अधिसूचित की गई है ।

(ख) प्रस्तावित परिसर किसी केन्द्रीय स्थान, में होना चाहिये, जहां भारी वाहन आ जा सकते हों, और यह अच्छा होगा यदि वह वाणिज्यिक क्षेत्र में हो तथा परिसर का आकार निम्नलिखित हो :-

1) उचित दर की दुकानों के मामले में 5x4x3 मीटर

2) मिट्टी के तेल के डिपुओं के मामले में 4x3x3 मीटर

3) कोयले के डिपुओं के मामले में भण्डारण के लिए 80 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का खुला स्थान या 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दुकान ।

(क) आवेदक की आर्थिक स्थिति उचित रूप से अच्छी होनी चाहिए ।

(घ) वह इतना पढ़ा-लिखा होना चाहिए कि लेखा बहियां रख सके ।

(ङ) उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दूसरा लाइसेंस नहीं होना चाहिए ।

(च) वह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सजायाफता नहीं होना चाहिए ।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नाले का ढकना

4583. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पलिका अफ्रीका पुल से कुशक नाले तक का एक किलोमीटर लम्बा नाला लगभग 20 लाख रुपये की लागत से ढकेगी जिसका शिलान्यास रेल मन्त्री ने 21 फरवरी, 1982 को किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दो निम्न वेतन भोगा कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र सेक्टर-I और II, आर०के० पुरम नई दिल्ली के बीच से गुजरने वाले नाले को भी ढका जायेगा जिसके लिए रेजीडेण्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) आर० के० पुरम की बहुत लम्बे समय से की गई मांग लम्बित पड़ी हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त को पार्क एवम् उधान के लिए स्थान उपलब्ध कराने तथा चारों और के पर्यावरण को सुधारने और प्रदूषण को रोकने के लिए ढका जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां

4584. श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 3,000 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों में से 60 प्रतिशत से अधिक समितियां कोई विपणन नहीं कर रहा है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) देश के लघु और सीमान्त किसानों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उनसे कृषि उत्पादों का काम हाथ में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्सा कार्यवाही हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 3592 प्राथमिक विपणन समितियों में से 2280 समितियां (करीब 64 प्रतिशत) अन्य कार्य करने के अतिरिक्त विपणन संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए थे । शेष समितियों में से कई कार्यकारी समितियां सिर्फ कृषि आदानों का वितरण करने तथा उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने में लगे हुए थे । अनेक समितियों द्वारा विपणन सम्बन्धी कार्यकलाप न करने के निम्न कारण हैं :-

(1) प्राथमिक विपणन समितियों की संगठनात्मक तथा वित्तीय स्थिति का कमजोर होना ।

(2) सहकारी विपणन समितियों के प्रबन्ध और प्रबन्धकों में व्यापार सम्बन्धी कुशाग्रता तथा सक्षमता का अभाव ।

(3) निजी व्यापार जिसकी मंडियों परम्परागत गढ़ रहे हैं, की ओर से प्रबल प्रतियोगिता का होना ।

(4) खाद्यान्न, कपास, पटसन, आदि की अधिप्राप्ती के लिये भारतीय खाद्य निगम, भारतीय तथा कपास और राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की अधिप्राप्ति एजेंसियों को अधिक कार्य सौंपा जाना ।

(5) जिला/राज्यस्तरों पर प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों और उनके संघों के बीच कमजोर संगठित व्यापार सम्बन्धों का होना ।

(ख) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को सुदृढ़ और पुनः गठित करें ताकि वे छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन के विपणन में कारगर सहायता दे सकें । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक सांविधिक निगम है, में रूग्ण तथा कमजोर प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को पुनः जीवित करने तथा अच्छा कार्य करने वाली समितियों के विपणन व्यापार में विस्तार और विविधता लाने के लिये उनकी शेयर पूंजी का आधार मजबूत करने के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु विशेष योजनाएं शुरू की हैं ।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

4585. श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय (राज्य-वार) कुल कितनी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ कार्यरत है ;

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन सालों के दौरान इन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में घाटा हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन सालों के दौरान इनमें से किसी समिति के कार्यकर ण की जांच करवाई ; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) इन समितियों की कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं या करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध नवीतम जानकारी वर्ष 1979-80 से सम्बन्धित है । यह विवरण 1 में दी गई है ।

(ख) से (घ) 1978-79 नवीनतम वर्ष है जिसके लिए इन समितियों की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध है । 1978-79 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गयी है :-

समितियों की संख्या	76-77	77-78	78-79
1. लाभ दिखाने वाली	68611	60292	52634
2. हानि दिखाने वाली	43288	46621	36712
3. बिना लाभ या हानि वाली	11179	8936	6436
कुल	123078	115849	95782

ऋण सम्बन्धी मन्दा कारोबार, अधिक बकाया धन राशि तथा अकुशल प्रबन्ध इनमें से कुछ समितियों की हानि के मुख्य कारण हैं ।

सहकारी समितियां सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत उनके प्रशासनिक नियंत्रण तथा देख-रेख में कार्य करती हैं ।

इन सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर समीक्षा की गयी है । संरचनात्मक पुनर्गठन तथा उनके कार्यकलापों को तर्कसंगत बनाकर इन समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किये गये हैं । संरचनात्मक सुधार समितियों के अनुकूलन आकार तथा कार्यो को निश्चित करने की दिशा में किया गया है, ताकि इनको आर्थिक रूप से सक्षम तथा प्रबन्धीय दृष्टिकोण से कुशल बनाया जा सके । इन समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम तीन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में पहले ही शुरू कर दिया गया है ।

विवरण-1

वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1978-79	1979-80 (अस्थाई)
आन्ध्र प्रदेश	7059	7059
असम	3019	3019
बिहार	6605	6605
गुजरात	7756	7684
हरियाणा	2406	2390
हिमाचल प्रदेश	2296	2233
जम्मू तथा कश्मीर	1461	1432
कर्नाटक	4994	4994
केरल	1616	1616
मध्य प्रदेश	5601	5585
महाराष्ट्र	18474	18372
मणिपुर	715	704
मेघालय	180	180
नागालैंड	205	212
उड़ीसा	3010	2962
पंजाब	3183	3195
राजस्थान	5180	5198
तमिलनाडू	4789	4785
त्रिपुरा	396	397
उत्तर प्रदेश	8654	8384
पश्चिम बंगाल	7739	7739
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	45	45
चंडीगढ़	32	32
दादरा तथा नगर हवेली	11	11
दिल्ली	162	162
गोवा, दमन तथा दीव	125	125
लक्ष्यद्वीप	7	7
पांडिचेरी	62	60
कुल	95782	95187

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों (उद्यान) के चयन ग्रेड के पद

4586. श्री डूंगर सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982 (वर्षवार) के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारी (उद्यान) के पदों की कुल संख्या के प्रतिशत के अनुसार चयन ग्रेड के कितने पदों का आकलन किया गया है;

(ख) वर्ष 1980, 1981, 1982 के दौरान चयन ग्रेड के कितने पद भरे गये ;

(ग) कुल संख्या की प्रतिशता के आधार पर वर्ष 1980, 1981, 1982 के दौरान चयन ग्रेड के कितने पद भरे जाने थे; और

(घ) यदि उपर्युक्त पद शैड्यूल के अनुसार नहीं भरे गए तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पर पटल पर रख दी जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं का वितरण

4587. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्गों के लोगों को गेहूं वितरित करने की बजाय इसका अधिकांश भाग नगरों और कस्बों में वितरित कर दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो उनकी उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत उन गांवों को भी गेहूं सप्लाई नहीं किया जाता, जो गत तीन-चार वर्षों से अकाल की गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को अधिक लाभकारी और न्यायोचित बनाने के लिए उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन तथा प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गेहूं का आवंटन इसकी कुल उपलभ्यता तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की

उनकी मांग के आधार पर किया जाता हैं। देश में खोली जा चुकी लगभग 2.98 लाख उचित दर की दुकानों में से लगभग 2.38 लाख दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष शहरी क्षेत्रों में हैं। इन दुकानों द्वारा वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं में से एक गेहूं है। यद्यपि इन दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और अन्य ब्यौरा राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथापि यह कहना सही नही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। केन्द्रीय सरकार भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के, अधिकाधिक उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाए। सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्टें नहीं मिली है कि सूखा-ग्रस्त गांवों को गेहूं की सप्लाई नहीं की जा रहीहै।

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक उचित दर की दुकानें जिनमें दुरस्थ इलाकों के लिए चलती-फिरती दुकानें भी शामिल हैं, खोली जायेंगी। छठी योजना में भी उन इलाकों के लिए चलती-फिरती उचित दर की दुकानें खोलने की परिकल्पना की गई है जहां ग्राम निर्माण-कार्य चल रहा हैं।

भारतीय खाद्य निगम, पंजाब द्वारा चावल की भूसी उतारने वाली मशीनों का सौदा

4588. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक घन्टे में 1300 टन तक चावल की भूसी उतारने की क्षमता रखने वाली एक हजार मशीनें पंजाब के पास उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम की पंजाब शाखा ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के व्यापारियों से चावल की भूसी उतारने संबंन्धी कोई समझोता किया है और यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है; और

(ख) क्या इस लेन देन में करोड़ों रुपए का दूर्विनियोजन हुआ है और यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) 1981-82 के खरीफ मौसम के दौरान पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई 16.77 लाख मीटरी टन धान की इस मात्रा में से अब तक 12.53 लाख मीटरी टन धान की सिलिंग के लिए निगम ने पंजाव के मिल मालिकों के साथ ठेके किए हैं।

निगम ने 1981-82 मौसम के दौरान पंजाब में खरीदी गई धान की मिलंग के लिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मिल मालिकों के साथ अब तक कोई ठेका नहीं किया है।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना

4589. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हरीश रावत:
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पूर्णत: सज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे कि बीजों की किस्मों, उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का परीक्षण किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में ऐसी कितनी प्रयोगशालायें कहां और कब स्थापित की जायेंगी ;

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कृषकों को दिये जाने से पूर्व सभी प्रकार के बीजों, उर्वरकों और कीट नाशक दवाईयों की उत्पादन क्षमता की जांच कर ली जाये ;

(घ) क्या इन प्रयोगशालाओं द्वारा कुछ फील्ड कर्मचारी भी नियुक्त किए जायेंगे जो इस बात को जांच करेंगे कि उत्पादन को स्वीकृति प्रदान करने और उन्हें अशिक्षित किसानों तक पहुंचाने के बीच के समय में उनमें कोई मिलावट न हो ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जहां तक कृमिनाशी दवाइयों के गुण नियंत्रण का सम्बन्ध है, देश में कृमिनाशी दवाइयों के लिए पांच क्षेत्रीय गुणनियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है । उर्वरक गुण नियन्त्रण के लिए, राज्य सरकारों की उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, एक केन्द्रीय प्रयोगशाला को पहले ही स्थापित किया जा चुका है । उर्वरक तथा बीज से सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की एक यूनिट पहले ही केन्द्रीय वनस्पति रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में कार्य कर रही है । उर्वरकों के लिए आँध्र प्रदेश में पहले से ही पांच राज्य प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं ;

(ग) (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत उत्पाद के विनिर्माण/विक्रय के लिए पंजीकृत करने से पूर्व कृमिनाशी उत्पाद के जैव क्षमता तथा सुरक्षा मूल्यांकन/परीक्षण के आधार पर पंजीयन कराना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, किसानों को कीटनाशी दवाइयां देने से पहले इनकी राज्य की खरीद करने वाली ऐजेसियां सामान्यतया खरीद पूर्व परीक्षण करती हैं । भारतीय

मानक संस्थान की गुण प्रमाणीकरण योजना के तहत, उपयोग कर्त्ताओं को "थर्ड पार्टी गारन्टी" देने के लिए फैक्टरियों तथा बाजार से भी परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते हैं। कीटनाशी अधिनियम के तहत स्थापित की गई 27 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा फरीदाबाद में स्थित केन्द्रीय सरकार की 1 प्रयोगशाला, जिसकी शाखाएं बम्बई तथा हैदराबाद में हैं, गुण की जांच करने के लिए बाजार से लिए गए नमूनों की जांच करने के लिए राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की विद्यमान कुल वार्षिक क्षमता 30,000 नमूना है।

(2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के तहत निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उर्वरकों को ही विनिर्माता तथा व्यापारी बेच सकते हैं।

(3) बीज अधिनियम 1966, (1966 का 54) के तहत अधिसूचित प्रकार/किस्मों के बीजों पर शुद्धता एवं अंकरता से संबंधित न्यूनतम लेबल लगाने की सीमा को पूरा करना होता है।

(घ) (1) देश में कृमिनाशियों की गुण नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित एक अन्य योजना के तहत बाजारों से नमूना लेने तथा उन्हें प्रस्तावित क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषित करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित क्षेत्रीय आधार पर 5 प्रवर्तन यूनिटों की स्थापना की जा रही है।

(2) वर्तमान बीज अधिनियम के तहत यह कार्य निर्धारित योग्यता वाले उन अधिसूचित बीज निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति धारा 13 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अन्दर निर्धारित क्षेत्र के लिए की जाती है।

(3) उर्वरकों के सम्बन्ध में, इस प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करने से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) केन्द्रीय सरकार इस आवश्यकता और गुण नियंत्रण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों के बारे में सजग है, ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के आदान मिलें। राज्य सरकारों से क्वालिटी उपायों को सुदृढ़ सुधार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में बेघर परिवार

4590. श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके अपने मकान नहीं हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : क्योंकि 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं इसलिए इस सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसा कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने सूचित किया है, 1971 की जनगणना

के अनुसार दिल्ली में जिन परिवारों के अपने मकान नहीं हैं (जो किराये के मकानों में रह रहे हैं) उनकी संख्या 4 0 लाख थी । 1981 के लिए इस संख्या का अनुमान 5.3 लाख लगाया गया है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4591. **श्री तारिक अनवर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने राज्यों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए क्षेत्र विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाने और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं में ब्लाक स्तर के लिए प्रसार कर्मचारियों के सहयोग को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए निदेश दिए हैं; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धनराशि के कम उपयोग होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1980-81 के दौरान, केन्द्रीय अंश के 91.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले में विभिन्न राज्य सरकारों को 82.58 करोड़ रुपए बंटित किए गए थे जो 90 प्रतिशत बनते हैं । 250 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में राज्य सरकार के अंश सहित वास्तविक व्यय 150.44 करोड़ रुपए का हुआ था । इसका कारण यह है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार 2.10.1980 से ही सभी खण्डों में किया गया था और ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना करने तथा अनिवार्य प्रशासनिक तंत्र का सृजन करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी । अपेक्षित ऋण का उपलब्ध होना दूसरी अड़चन थी ।

आयातित पाम-आइल के लिए पंजाब का अनुरोध

4592. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब सरकार की ओर से समाज के निर्बल वर्गों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में आयातित पाम-आयल की सप्लाई से संबंधित अपने वायदे को पूरा करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई राजसहायता योजना के अंतर्गत सप्लाई निर्बल वर्गों को भी लाभ पहुंचाने के लिए है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित आर्थिक सहायता योजना हेतु प्रति माह 3000 मीटरी टन आर०बी०डी० ताड़ के तेल का आबंटन करने के लिए कहा है।

राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन हर माह किया जाता है और इसके लिए राज्य की माँग के यथार्थपरक अनुमान, इसकी खपत के स्वरूप, राज्य, में देशी तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, पहले आवंटित किए गए तेल को उठाने की गति और ऐसी ही अन्य बातों को ध्यान में लिया जाता है।

इन बातों के आधार पर चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1981 से अक्तूबर, 1982) के दौरान पंजाब को अब तक आर० बी० डी० ताड़ के तेल की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की गई हैं :—

नवम्बर, 1981	—	350 मीटरी टन
दिसंबर, 1981	—	350 मीटरी टन
जनवरी, 1982	—	720 मीटरी टन
फरवरी, 1982	—	720 मीटरी टन
मार्च, 1982	—	900 मीटरी टन

पिछड़े राज्यों में दूध संयंत्र की स्थापना

4593. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले में दूध को ठंडा करने का एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यहि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत डेरी विकास कार्यक्रम उड़ीसा सहित अधिकांश सभी राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना, जो 9.66 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से उड़ीसा में 6 वर्षों की अवधि में लागू की जायेगी, की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार है :—

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत किउंझार, धेनकनाल, कटक तथा पुरी नामक चार जिले लाए जाएंगे तथा दूध की बिक्री राउरकेला और बेरहमपुर/सम्बलपुर में की जाएगी ।

2. प्रति दिन 1.00 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन करना ।

3. आनन्द पद्धति के आधार पर 500 समितियों की स्थापना करना ।

4. 20.000 लिटर दुग्ध प्रशीतन सुविधायों के साथ 1.10 लाख लिटर दुग्ध परि-संस्करण सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

5. प्रति दिन 50 मीटरी टन क्षमता वाले नए पशु आहार संयंत्र का निर्माण करना ।

6. कार्यक्रम में स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत 1.2 लाख पशु तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा के अंतर्गत 53,000 पशुओं को लाना ।

7. चारा उत्पादन, उन्नत पशु पालन तथा मिश्रित खेती को बढ़ाबा देने के लिए विस्तार कार्यक्रम को तेज करना ।

8. अग्रणी दल, डी० सी० एस० तथा यूनियन स्टाफ को प्रशिक्षण देना ।

9. तकनीकी सहायता और क्रियान्वयन का प्रावधान करना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

देश में भुमिहीन लोगों को भूमि का आबंटन

4594. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार से जनता शासन के दौरान बहुत से भूमिहीन लोगों को भूमि का कब्जा नहीं दिया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ भूमि मालिकों ने आबंटित की गई भूमि पर कब्जा कर लिया है और बहुत से उत्पीड़ित व्यक्तियों को जबरन अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है ; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भारत सरकार भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अंतर्गत केवल फालतू भूमि के वितरण के सम्बन्ध में ही सूचना का प्रबोधन करती है। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के बारे में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कब्जे दिलाने की कार्यवाही राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित-प्रशासनों द्वारा की जाती है। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1979 में समाप्त हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा में अधिकतम सीमा से फालतू 47,931 एकड़ भूमि वितरित की गई थी। वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार है :—

1977	41,723	एकड़
1978	3,461	एकड़
1979	2,747	एकड़

(घ) व (ङ) भूतपूर्व भू-स्वामियों द्वारा व्यापक स्तर पर भुमि पर पुनः कब्जा लेने के कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया है कि भूतपूर्व भू-स्वामी तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले लोग भू-आवंटियों को बेदखल न करें तथा उनके कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप न करें।

विवरण

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अंतर्गत भूमिहीन लोगों को आवंटित भूमि

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आबंटित भूमि (क्षेत्र एकड़ों में)	अवधि जिससे सूचना संबंधित है।
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	88,677	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
असम	2,117	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
बिहार	6,362	1.1.1979 से 31.8.1981 तक
गुजरात	6,037	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
हरियाणा	15.484	1.1.1979 से 30.11.1981 तक
हिमाचल प्रदेश	278	1.10.1980 से 31.10.1981 तक
जम्मू और काश्मीर	—	—
कर्नाटक	23,299	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
केरल	7,739	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
मध्य प्रदेश	24,288	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
महाराष्ट्र	5,780	1.1.1979 से 31.10.1981 तक
मणिपुर	—	1.1.1979 से 31.7.1981 तक
उड़ीसा	7,228	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
पंजाब	7,572	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
राजस्थान	—	1.1.1979 से 30.10.1981 तक
तमिलनाडु	27,039	1.1.1979 से 31.12.1981 तक
त्रिपुरा	576	1.1.1979 से 30.10.1981 तक
उत्तर प्रदेश	38,090	1.1.1979 से 30.11.1981 तक
पश्चिम बंगाल	19,562	1.1.1979 से 30.9.1981 तक
दादर और नगर हवेली	2	1.1.1979 से 30.11.1981 तक
दिल्ली	—	1.1.1979 से 30.7.1981 तक
पाण्डिचेरी	1	1.1.1979 से 31.10.1981 तक
योग :	2,80,455	

उड़ीसा के लिए भाण्डागार

4595. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम उड़ीसा राज्य में भाण्डागारों का निर्माण करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाई जाएगी ; और

(ग) राज्य में कितने केन्द्रीय भाण्डागार बनाए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निगम की क्षेत्रवार अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने की योजना है, न कि राज्यवार । इसने उड़ीसा में 23,000 मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए अभी तक 4 केन्द्रों का चयन किया है, जिसकी अनुमानित लागत 87.00 लाख रुपए होगी ।

आई. डी. सी. का राष्ट्रीय डेरी बोर्ड के साथ विलय

4596. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई. डी. सी. का आनन्द स्थित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ विलय करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आई. डी. सी.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड विलय के माध्यम से फिजूल खर्ची बचाई जा सकेगी जिससे समेकित दृष्टिकोण और श्रेष्टतर समन्वय होगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि आयोग और सार्वजनिक उपक्रम समिति, दोनों ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम नामक दो संगठनों के विलय करने की सिफारिश की थी । यह महसूस किया गया था कि इस प्रकार के विलय से समेकित दृष्टिकोण उचित समन्वय और कार्य करने में आर्थिक रूप से बचत हो सकेगी ।

विशेषज्ञा बिकायों ने सिफारिश की थी कि यह विलय इस ढँग से हो कि विलय के बाद भी डेरी बोर्ड के क्रियाकलापों में उसी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए जैसी इस समय है तथा इसकी गतिविधियों में कार्यप्रणाली संबंधी कठिनाइयों के कारण बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।

ऊपर दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एक सामान्य निकाय गठित करने के विचार से मामले का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी ।

अब तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

जहांगीरपुरी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, दिल्ली में सुविधाएं

4597. **श्री आर० आर० भोले** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहांगीरपुरी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, दिल्ली के 'ए' ब्लाक में जहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता क्वार्टर बनाए गए हैं, कोई पर्याप्त पेय-जल सुविधा नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वहां पर पेय-जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पानी के 21 नलके और 62 हैण्डपम्पों की व्यस्वथा की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में मास्टर प्लान की भूमि पर अनधिकृति कब्जा

4598. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में मास्टर प्लान की भूमि पर कुल कितने एकड़ों में अब तक अनधिकृत कब्जा किया गया है ;

(ख) इस प्रकार कब्जे में ली गई भूमि पर किस प्रकार का निर्माण किया गया है ;

(ग) सरकार ने राजधानी में गैर-कानूनी निर्माणों की वृद्धि को रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) प्राप्त हुए परिणामों और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लगभग 8,000 से 9,000 एकड़ तक भूमि अनधिकृत कब्जे सहित अनधिकृत कालोनियों के अधीन है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि अधिकांश निर्माण निम्न स्तर के हैं ।

(ग) तथा (घ) मानवीय समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने गैर-सरकारी भूमि पर विद्यमान अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है जिसमें क्रमशः 30-6-77 और 16-2-77 तक उनमें बने रिहायशी एवं वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं । यह भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि नए अनधिकृत निर्माणों की अनुमति न दी जाए । स्थानीय निकायों ने बताया है कि अनधिकृत निर्माणों और कब्जे से निपटने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है । यह भी प्रस्ताव किया गया है कि दिल्ली में और अधिक प्रभावशाली रूप से इन अपराधों से निपटने के लिए इस विषय पर कानून के उपबन्धों को कड़ा बनाने के लिए संबंधित विधानों में संशोधन किया जाय ।

वर्ष 1982-83 के दौरान अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए बजट में रखी गई राशि

4599. श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए बजट में कुल कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) राज्यवार राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि में उड़ीसा राज्य में कौन-कौन सी परियोजनाएं निष्पादित की जायेंगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1983-83 के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए बजट में, केन्द्रीय सेक्टर में, किसी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अकाल से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

4600. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाल से प्रभावित कुछ राज्यों ने वर्ष 1981-82 के दौरान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों को अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए क्रमश: कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) कर्नाटक, हरियाणा तथा राजस्थान सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 1981 -82 के दौरान अधिक अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा उन पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इन राज्यों को 1981-82 के दौरान सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा की मन्जूरी दी है :—

राज्य	सूखे की अवधि	व्यय की अधिकतम सीमा की रकम
		(लाख रुपए)
कर्नाटक	मानसून-पूर्व 19.1.1982 को मन्जूर की गई	806.00
	अतिरिक्त धनराशि	575.00
	कुल	1381.00
हरियाणा	मानसून-पूर्व	400.00
	मानसून के बाद	425.00
	कुल	825.00
राजस्थान	मानसून-पूर्व 9.2.1982 को मन्जूर की गई	3392.80
	धनराशि	1437.00
	कुल	4829.80
	मानसून के बाद (सितम्बर, 1982 तक)	5264.98
	मानसून-पूर्व तथा मानसून के बाद के लिए कुल योग	10094.78

व्यय की अधिकतम सीमा के अलावा, भारत सरकार ने निम्नलिखित रूप में अन्य केन्द्रीय सहायता दी है :—

राज्य का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत		अल्पकालीन ऋण
	नकद सहायता (लाख रुपए)	खाद्यान्न (मीटरी टन)	(लाख रुपए)
कर्नाटक	828.00	14000	1100
हरियाणा	160.00	2500	1350
राजस्थान	468.00	8000	2000

चावल भोगी राशन कार्डों को गेहूं भोगी राशन कार्डों में बदलना

4602, **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल खाने वाले लोग अपने राशन कार्डों को चावल भोगी के स्थान पर गेहूं भोगी राशन कार्डों में नहीं बदलवा सकते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में क्या ब्यौरा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) इस बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गेहूं की अधिक मांग होने के कारण चावल के खाद्य कार्डों को गेहूं के खाद्य कार्डों में केवल वास्तविक आवश्यकता के मामले में ही बदला जाता है, ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग न हो सके।

अन्वेषक मत्स्य परियोजना का केरल ले जाया जाना

4603. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्वेषक मत्स्य परियोजना को, जो 1973 में पराद्वीप में स्थापित की गई थी और तब से कार्य कर रही थी, केरल ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं जबकि पराद्वीप एक मत्स्य पत्तन होने जा रहा है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसे स्थानान्तरित किये जाने का विरोध किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा सरकार और पाराद्वीप पत्तन न्यास द्वारा जहाजों को ठहराने और अवतरण, बंकरों, कर्मशाला सुविधाओं, कार्यालय के स्थान, आदि के लिए वायदा की गई सुविधाओं की व्यवस्था न करने के कारण इसे अस्थायी रूप से बन्द करने का निर्णय किया गया था। विद्यमान सुविधाएं वापस ले ली गई थीं। नवम्बर, 1981 में परियोजना को कार्यालय के भवनों को खाली करने के लिए 15 दिन की सूचना दी गई थी। राज्य सरकार ने बन्दरगाह से दूर, जो वैकल्पिक स्थान देने का प्रस्ताव किया था, वह परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, परियोजना के कार्यालय और कर्मचारियों के लिए पाराद्वीप में निजी आवासीय और गैर-आवासीय स्थान उपलब्ध नहीं था। पत्तन न्यास पाराद्वीप अवतरण, वर्फ की आपूर्ति, मरम्मत, आवास आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही थीं। इसके फलस्वरूप, पिछले आठ वर्षों के दौरान जलयान न तो कोई दीर्घकालीन मत्स्यन यात्रा कर सके और नहीं नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सके। परियोजना के कार्यों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है और उड़ीसा तट के सर्वेक्षण को विशाखापत्तनम से किये जाने वाले परियोजना कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

पाराद्वीपमत्स्यन बन्दरगाह को कार्य करने में कुछ समय लगने की सम्भावना है। प्रमुख बन्दरगाह के पूरे होने में बाद भी वर्फ आपूर्ति, मरम्मत सुविधाएं आवासीय क्वाटरों आदि जैसी तटीय सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पाराद्वीप से मात्स्यकी सर्वेक्षण कार्य शुरू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

(ग) जी, हां। बेसको बन्द करने के लिए आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार ने इसे हटाने का विरोध किया है, परन्तु बेसको कार्य करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने का वायदा नहीं दिया है।

मछुआरों से ज्ञापन

4604. प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र गुजरात और गोवा के मछुआरों की कार्यवाही समिति ने 12 फरवरी, 1982 को प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को डिजिल आयल की कीमतों में हुई अत्याधिक वृद्धि सहित अपनी शिकायतों को दूर करने की मांग के बारे में पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मछुआरों की शिकायतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) महाराष्ट्र, गुजरात और गोआ की मछुओं की कार्यवाही समिति से दिनांक 15.2.1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति, बम्बई से दिनांक 15.2.1982 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) इस मामले की अन्तर मंत्रालय स्तर पर जांच की जा रही है ।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई

4605. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र गत वर्षों में पश्चिम बंगाल को 3.5 लाख टन अनाज प्रति वर्ष सप्लाई करता था ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में केन्द्र से सप्लाई में कमी आयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में सरकार से पूर्व कोटा फिर से दिये जाने के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं । पश्चिम बंगाल को 1980 में 38.85 लाख मीटरी टन और 1981 में 31.32 लाख मीटरी टन अनाज का वार्षिक आवंटन किया गया था ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है जिसमें केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताएं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है । चावल और गेहूं का कम मासिक उठान और स्टाक की सूझबूझ के साथ उपयोग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य के खाद्यान्नों के आवंटन को युक्तियुक्त बनाया गया था ताकि उसे वास्तविक उठान के अनुरूप लाया जा सके । 1980 और 1981 के दौरान पश्चिम बंगाल को फिर किये गये खाद्यान्नों के आवंटन और इन वर्षों के दौरान इनकी उठाई गई मात्रा संबंधी स्थिति को बताने वाला परिशिष्ट संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3702/82] ।

(घ) और (ङ) जी हां । सार्वजनिक वितरण के लिए गेहूं के आवंटन को 55,000 मीटरी टन से बढ़ाकर मार्च, 1982 में 60,000 मीटरी टन कर दिया गया है । तथापि, चावल का मासिक आवंटन 1.30 लाख मीटरी टन रह गया है क्योंकि चावल की मासिक उठान कभी भी आवंटन के स्तर तक नहीं पहुंचा है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

4606. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा अपर्याप्त सहायता के कारण उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के छठी योजना के अन्त तक प्रत्येक समस्या वाले गांव को जल सप्लाई करने के अपने निर्धारित लक्ष्य में, कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह देखने के लिए समुचित कार्यवाही करेगी कि कार्यक्रम समय पर क्रियान्वित हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है और राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को अनुदान सहायता देती है।

छठी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहने वाले कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करके पेय जल मुहैया कराने के प्रयास किये जायेंगे।

राशन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कमाये जा रहे धन के बारे में समाचार

4607. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1982 के "सांध्य टाइम्स" (नई दिल्ली) में "राशन विभाग के कर्मचारी लाखों रुपया बना रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) दिल्ली में उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के व्यापारियों और कोयला व्यापारियों ने पिछले एक वर्ष में कितनी बार सरकार से कमीशन बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन व्यापारियों के खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी उचित मांग स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार में दिए गए आरोप अस्पष्ट तथा आधारहीन हैं। उचित दर की दुकानों आदि के लिए लाइसेंस, निर्धारित नीति के अनुसार दिए जाते हैं। इसी प्रकार उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, इन वस्तुओं की कुल उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर किया जाता है। दिल्ली प्रशासन अपने अधिकारियों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन को उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की विभिन्न ऐसोसियेशनों से लगभग चार या पाँच बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कमीशन की दरों में वृद्धि करने के लिए कहा गया था। तथापि, दिल्ली प्रशासन को मिट्टी के तेल/कोयले के डिपोधारियों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। दिल्ली प्रशासन ने ऐसोसियेशनों की मांगों का गहराई से अध्ययन करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की। इस समिति ने पहली मार्च, 1982 को अपनी रिपोर्ट दे दी है और दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है।

गंगा नदी में कटाव के कारण फरक्का बांध को खतरा

4608. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के किनारों के होने वाले कटाव ने अब इतना भयावह रूप ले लिया है कि अब उससे फरक्का बांध को ही खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या प्रीतम सिंह समिति की रिपोर्ट में इस खतरे की ओर संकेत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ कदम उठाने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जो सुझाव दिए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में गंगा के बायें किनारे पर उत्तरोत्तर कटाव पिछले दिनों देखने में आया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) ठोकर (स्पर्स) 7 तक बायें पार्श्ववर्ती (मार्जिनल) तटबंध को सुदृढ़ करने का कार्य भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से जून, 1980 में ले लिया गया था। बराज काम्प्लक्स की सुरक्षा और इस भाग में बायें पार्श्ववर्ती कटबंध और ठोकरों (स्पर्स) को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय आरम्भ कर दिए गए हैं।

कृषि पर आधारित उद्योग

4609. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योग और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वां० स्वामीनाथन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित कुछ उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

क्रम संख्या	उद्योग	क्षमता	उत्पादन
1.	चीनी	80 लाख मीटरी टन	76.4 लाख मीटरी टन
2.	सभी धागे (काटन ब्लेन्डेड मिश्रित)	228 लाख स्पिण्डिल	14250 लाख किलोग्राम
3.	पटसन विनिर्माण	15 लाख मीटरी टन	15 00 लाख मीटरी टन

(ख) तथा (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

राज्यों की खाद्य तेलों की मासिक आवश्यकता और उनको इसका आवंटन

4610. श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खाद्य तेलों के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) इसकी मासिक आवश्यकता और नवम्बर, 1981 से मार्च, 1982 तक खाद्य तेलों के आवंटन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र की खाद्य तेल की आवश्यकता और मासिक आवंटन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक कितनी मात्रा में कितने मूल्य खाद्य तेलों का आयात किया गया और प्रत्येक राज्य को (महीनेवार) इसमें से कितना आवंटन किया गया है ; और

(ङ) इस बारे में राज्यों की पूरी मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व (ख) महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 1981 अक्तूबर, 1982) के दौरान उनकी आयातित खाद्य तेलों की आवश्यकता 1.56,000 मीटरी टन है, जिसके प्रति कम से कम 10,000 मीटरी टन की मात्रा प्रति मास उन्हें आवंटित की जाये ।

राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन हर माह किया जाता है और इसके लिए राज्य की आवश्यकता के यथार्थपरक अनुमान, इसके खपत के स्वरूप, राज्य में देशीय तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, पहले आवंटित गये तेलों को उठाने की गति तथा ऐसी अन्य बातों को ध्यान में लिया जाता है ।

इन बातों के आधार पर तेल वर्ष 1981-82 के दौरान, महाराष्ट्र को अब तक निम्नांकित मात्रा आवंटित की गई है : —

नवम्बर, 1981	—	5000 मीटरी टन
दिसम्बर, 1981	—	4000 मीटरी टन
जनवरी, 1982	—	3431 मीटरी टन
फरवरी, 1982	—	3431 मीटरी टन
मार्च, 1982	—	3431 मीटरी टन

आवंटन में कमी करने का मुख्य कारण यह है कि महाराष्ट्र तेल उत्पादक राज्यों में से एक है और दिसम्बर से मार्च तक की खरीफ के बाद की अवधि के दौरान देशीय तेलों की उपलभ्यता की स्थिति आमतौर पर अच्छी रहती है ।

(ग) व (घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त औसत मासिक मांग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मासवार किया गया आवंटन दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सख्या एल०टी०—3703/82 ।] इस

अवधि के दौरान, राज्य व्यापार निगम ने लगभग 10.70 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात किया, जिनका मूल्य 504 करोड़ रु० के लगभग था ।

(ङ) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई मांगों को पूर्णतः पूरा करना सम्भव नहीं है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कार्य दल की रिपोर्ट

4611. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के "कवरेज" की पुनरीक्षा करने के लिए कृषि योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में जून, 1980 में गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब भेजी गई थी और इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्य दल की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) व (ग) जनवरी, 1982 में प्राप्त हुई रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है । कार्यदल ने 13 राज्यों के 511 खंडों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है । इस सम्बन्ध में कार्यदल की सिफारिशों का सार विवरण-1 में दिया गया है । अन्य मुख्य सिफारिशों का सार विवरण—2 में दिया गया है ।

विवरण—1

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए कार्य दल द्वारा सिफारिश किए गए खंडों की राज्यवार संख्या ।

राज्य	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए सिफारिश किए गए खंडों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	66
2. बिहार	31
3. गुजरात	42
4. हरियाणा	9
5. जम्मू तथा काश्मीर	13
6. कर्नाटक	70
7. मध्य प्रदेश	48
8. महाराष्ट्र	53
9. उड़ीसा	39
10. राजस्थान	18
11. तमिलनाडु	30
12. उत्तर प्रदेश	63
13. पश्चिम बंगाल	29
योग	511

विवरण—2

कार्य दल की मुख्य सिफारिशें

1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिनके व्यापक रूप में एक जैसे उद्देश्य है, के बीच वर्तमान परस्पर व्यापन को समाप्त किया जाए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को ऐसे मामलों में (कच्छ को छोड़कर जहां सूखाग्रस्त को कार्यान्वित किया जाए) एकमात्र कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाए।

2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार होने चाहिए :

(क) क्षेत्र के नमी-जल-जलवायु स्रोत के आधार पर अधिक उत्पादी शुष्क भूमि खेती को विकसित करना ;

(ख) क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास और उनका उत्पादी उपयोग ;

(ग) भूमि तथा नमी संरक्षण जिसमें भूमि के उपयुक्त उपयोग की पद्धतियों का विकास शामिल है ;

(घ) वनरोपण जिसमें कार्य वानिकी शामिल है ; और

(ङ) पशुधन विकास जिसमें चरागाह विकास और चारे के स्रोत शामिल हैं।

3 प्रत्येक क्षेत्र के लिए जल का बजट सुनिश्चित करने हेतु नियमित अन्तर्क्षेत्रीय अध्ययन किए जाने चाहिएं तथा अधिक उत्पादी फसल पद्धति के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कार्य में अनुसंधान और विस्तार प्रयत्नों का आपस में समन्वय किया जाना चाहिए।

4. चरागाह क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने तथा चरागाह के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी को रोकने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है।

5. सार्वजनिक भूमि पर वनरोपण के अलावा, लोगों की सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमि पर वनरोपण के विकास पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। ठंडे रेगिस्तानों में वानिकी अनुसंधान तेज किए जाने चाहिएं।

6. रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों को जमाने की आवश्यकता है। जहां रेतीले क्षेत्र निजी स्वामित्व के अधीन हैं, वहां भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली जानी चाहिए।

7. डेरी विकास के लिए सहायता अधिमानतः निम्न स्तर की गतिविधियों से संबंधित होनी चाहिए तथा विधायक परिवहन तथा विपणन के लिए सहायता कम की जानी चाहिए।

8. वर्षा के जल संचयन करने तथा उसका अधिकतम लाभकारी उपयोग करने के कार्य को अग्रता दी जानी चाहिए। खुदे कुओं के लिए दिया जाने वाला उपदान जारी रहना चाहिए।

9. सिंचाई संभाव्यता का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

10. भूमि संरक्षण एक अग्रता वाला कार्यक्रम ही रहे परन्तु परियोजना निधियों का प्रयोग ऋण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भूमि के उपयोग हेतु एक उपयुक्त नीति तैयार की जानी चाहिए।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में निकट का सम्पर्क होना चाहिए।

12. विभिन्न जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अलग से प्रबन्ध होने चाहिएं।

13. राज्य सरकारों द्वारा (क) विभिन्न परियोजनाओं में विशिष्ट कार्यक्रम गतिविधियों और (ख) एक परियोजना में सम्पूर्ण कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर, कार्यक्रम का नियमित प्रवोधन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएं। राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन के ब्यौरे निश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्तियों के दल गठित करने चाहिए।

14 मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होने चाहिए। तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन प्रति खंड 15 लाख रुपए की दर से दिए जाते रहने चाहिए। व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर आधार पर बांटा जाता रहना चाहिए।

दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी करने पर रोक

4612. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इन दिनों नये राशनकार्डों को जारी करने पर कोई रोक लगी हुई है अथवा नये राशन कार्डों को प्राप्त करना अत्यन्त मुश्किल कार्य है ;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर राजधानी में आए और एशियाई निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों और श्रमिकों के बारे में कोई सूचना एकत्र की है ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) नये कार्ड जारी करने पर ऐसी कोई रोक नहीं है। स्थायी रिहाइश/नियमित रूप से रहने वाले आवेदकों को नियमित खाद्य कार्ड दिए जाते हैं और दूसरों को अस्थायी खाद्य कार्ड दिए जाते हैं। मौसमी श्रमिकों को, जो किसी कार्य विशेष हेतु दिल्ली में आते हैं और बाद में अपने मूल निवास स्थानों की लौट जाते हैं, खाद्य कार्ड नहीं दिए जाते हैं, परन्तु उन्हें चावल और आटे की सप्लाई के लिए अस्थायी परमिट दिए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ईंटों के सभी भट्टों और एशियाड निर्माण के स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था और उन्हें चावल तथा आटे के अस्थायी परमिट दिए गए, जिन्होंने उनके लिए आवेदन किया था।

बिहार में अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

4613. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नामों का ब्यौरा क्या है जो जनवरी, 1982 के अन्त तक अपूर्ण पड़ी थीं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार में अपूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला एक **विवरण संग्लन है।**

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० —3704/82]

वर्ष 1980 में 'ट्राईसम" पर हुई गोष्ठी

4614. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण प्रबंधों का अनुमान लगाने के लिऐ गांव और ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने के लिए देश के विभिन्न भागों के चुने हुए जिलों के लिए कुछ प्रायोगिक चुने हुए जिलों के लिए कुछ प्रायोगिक अध्ययन किये है जैसा कि 1980 में "ट्राईसेम" पर हुई गोष्ठियों में सिफारिश की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ये प्रायोगिक अध्ययन कौन-कौन से हैं

और वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें ये शुरू किये गये हैं ;

(ग) ये अध्ययन अनुमानतया किस तारीख तक पूरे हो जायेंगी ; और

(घ) यदि नहीं तो निकट भविष्य में ऐसे मार्गदर्शी अध्ययन शुरू करने के क्या कारण हैं और ऐसे जिले और राज्य कौन से हैं जिनके लिए उन्हें शुरू किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) : जी हां। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राईसेम) के समवर्ती मूल्यांकन के लिए ऐसे अध्ययन अभी तक सात राज्यों में किए गए हैं ।

(ख) इस प्रकार के अध्ययन अभी तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में शुरू किए गए हैं ।

तीन राज्यों में अध्ययन निम्नलिखित जिलों में पूरे कर लिए गए हैं:-

राज्य	जिला
1. आन्ध्र प्रदेश	सभी जिले, लेकिन विशाखापट्नम जिले में व्यांपक रूप से अध्ययन किया गया है
2. गुजरात	1. बलसार
	2. बड़ौदा
	3. मैहसाना
	4. पंचमहल
	5. राजकोट
3. हिमाचल प्रदेश	1. सोलन
	2. मन्डी
	3. चम्बा
	4. सिरमौर

(ग) शेष चार राज्यों अर्थात कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में अध्ययन पूरे किए जाने की सम्भावना है ।

(घ) असम, बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा तथा गोआ दमन और दीव के संघ शासित प्रदेश में अभी कुछ और अध्ययन करने का प्रस्ताव है । जिलों का चयन अभी करना है ।

'आई० एस० बी०' और 'ट्राईसेम' कार्यक्रम

4615. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किए गये दो कार्यक्रम 'आई० एस० बी०' और 'ट्राईसेम' का स्वरूप और कार्य-क्षेत्र क्या है और इन दो कार्यक्रमों के बीच समानतायें असमानतायें क्या हैं : और

(ख) केन्द्र और राज्यों के लिये गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अलग अलग इन कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग द्वारा कितना आवंटन किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) फरवरी, 1979 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक (आई० एस० बी०) को शामिल किया गया था जिसका उद्देश्य द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना है। अगस्त 1979 में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना (ट्राईसेम) को ग्रामीण युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के प्रमुख उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के घटक के रूप में शामिल कर दी गई थी।

दोनों योजनाओं में समानताएं तथा असमानताएं निम्नलिखिता हैं :—

(क) दोनों योजनाओं में छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के एक जैसे लक्षित वर्ग हैं।

(ख) आई० एस० बी० के अन्तर्गत सभी आयु-वर्गों के व्यक्तियों को ले लिया जाता है जबकि "ट्राईसेम" युवाओं अर्थात 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों पर ही केन्द्रित है।

(ग) आई० एस० बी० केवल द्वितीय क्षेत्र (उद्योग) तथा तृतीय क्षेत्रों (सेवा में तथा व्यापार | व्यवसाय) से ही सम्बन्धित है जबकि ट्राईसेम प्राथमिक क्षेत्र सहित सभी तीनों क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर कवर करती है।

(घ) आई० एस० बी० के अन्तर्गत मौजुदा कुशलताओं वाले व्यक्ति भी आते हैं। जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ट्राईसेम केवल उन्हीं युवाओं तक सीमित है जिन्हें पहले कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(ङ) आई० एस० बी० में आधारभूत ढाचे के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है जबकि "ट्राईसेम" योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता सुलभ की जाती है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक (आई० एस० बी०) को समन्वित ग्रामीण विकास आवंटनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसेम) घटक में दो घटक हैं । प्रशिक्षण वजीफों, प्रशिक्षण व्यय, उपदानों आदि जैसे आवर्ती व्यय को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आबंटनों के माध्यम से पूर्णरूप से वित्तपोषित किया जाता है । विद्यमान आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित गैर-आवर्ती व्यय को ट्राईसेम के अन्तर्गत अलग आवंटन से पूरा किया जाता है । गत तीन वर्षों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा ट्राईसेम के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन नीचे दिए गए हैं : –

(लाख रुपये में)

वर्ष	समन्वित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) आबंटन	ट्राइसेम आबंटन
1979-80	8430.00	300.000
1980-81	12780.00	150.00
1981-82	15336.00	150.00

उपयुर्क्त सभी आवंटन कुल व्यय के ·0 प्रतिशत केन्द्रीय अंश को दर्शाता है और इसके बराबर का अंश राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना है ।

हिमाचल प्रदेश के जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल सप्लाई योजना

4616. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, उना, बिलासपुर और कांगड़ा में गत दो वर्षों के दौरान निष्पादित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल सप्लाई योजनाओं के नाम क्या है ;

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं अब तक पूरी की जा चुकी हैं और उनके निष्पादन पर कुल कितनी लागत आई तथा प्रत्येक योजना से कितनी जनसंख्या लाभान्वित हुई ;

(ग) अन्य निष्पादन की जाने वाली योजनाओं के काम पूरा होने की सम्भावित तिथि क्या है और इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है तथा इनसे कितनी जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा ; और

(घ) इन योजनाओं के संचालन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रत्येक योजना को पूर्व होने में आमतौर पर 2 से 3 वर्ष का समय लगता है जोकि योजना में शामिल कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है । चूंकि योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है इसलिए इस संबंध में और ब्यौरे सुलब्धता से उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिले का नाम	विवरण							
	उन गांवों की संख्या जिनके लिए योजनायें निष्पादनाधीन हैं		शामिल किए गए गांवों की संख्या		लाभान्वित होने वाली जनसंख्या		किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	
	1980-81	1981-82	1980-81	198 -82*	1980-81	1981-82*	1980-81	1981-82*
हमीरपुर	511	284	247	40	43604	8735	113.82	56.70
उना	156	88	58	6	12690	4911	69.17	16.63
बिलासपुर	123	101	14	11	3053	3614	36.71	9.99
कांगड़ा	538	259	217	25	36090	3922	144.57	61.13

*सितम्बर, 1982 तक शामिल किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में पेय जल सप्लाई योजना

4617. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, उना, विलासपुर और कांगड़ा जिलों की उन पैयजल सप्लाई योजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में मंजूरी दी गई है, उनकी अनुमानित लागत क्या है, इनसे कितने लोगों को लाभ होगा और प्रत्येक योजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ख) उनमें से ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें निर्माण हेतु शुरू किया गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक योजनाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है; और

(ग) उनमें से ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और जिन पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है और उनके कब तक शुरू होने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार से है :—

जिले का नाम	योजना का नाम	पूर्ण होने की अवधि	अनुमानित लागत	1971 की जनगणना के अनुसार लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
			रुपये	
हमीरपुर	उर्ध्वाकार जल पूर्ति योजना बराचूरू	4 वर्ष	1410250	3790
उना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विलासपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कांगड़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) बराचूरू की उर्ध्वाकार जलमूर्ति योजना नवम्बर, 1981 में स्वीकृत की गई थी। यह सूचित किया गया है कि योजना का कार्य प्रगति पर है। योजनावार निधियों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंजूरी हेतु राजस्थान की सिंचाई योजनायें

4618. **श्री मुल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कितनी सिंचाई योजनायें भेजी गई और ये योजनायें किस तिथि को भेजी गई थीं और उनकी मंजूरी कब तक दी जाएगी तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इन स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने, लागत/लाभों के दृढ़ हो जाने और अन्तर्राज्यीय पहलू जहां कहीं आवश्यक हों, हल हो जाने के पश्चात् ही इन्हें स्वीकृत किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति/विलम्ब के कारण
1	2	3	4
क.	बृहद स्कीमें		
1.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल परियोजना, चरण-एक	3.2.79	मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यिक पहलू हल किया जाना है।
2.	बूंदी शाखा विस्तार चम्बल परियोजना, चरण-एक	26.2.79	
3.	मनोहर थाना सिंचाई परियोजना	1.7.81	
4.	नोहर सिंचाई	20.6.79	पंजाब और हरियाणा के साथ अन्तर्राज्यिक पहलू हाल में ही हल कर लिए गए है और उसके अनुसार राजस्थान से संशोधित परियोजना रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	सिद्धमुख सिंचाई	16.7.79	

1	2	3	4
6.	गलवा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	6.10.80	
7.	गुधा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	24.11.80	
8.	मोरेल सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	17.1.81	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/ उत्तर राज्य सरकार से
9.	जयसमन्द ताल का आधुनिकीकरण	21.1.81	प्राप्त नहीं हुए हैं ।
10.	हरीश चन्द्र सागर	11.2.81	
11.	राजस्थान फीडर-गंगा नहर लिंक चेनल का निर्माण	4.5.81	
12.	गागरिन सिंचाई परियोजना	6.5.81	
13.	नोहर सिंचाई परियोजना (राजस्थान फीडर से लिफ्ट)	12.6.81	
14.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	13.12.79	
15.	भाखड़ा नहर का आधुनिकीकरण	13.12.79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धातों के अनुसार आशोधित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।
16.	पार्वती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	17.1.81	केन्द्रीय जल आयोग की और टिप्पणियों के उत्तर
17.	गंभीरी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	29.1.81	राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।
ख.	मध्यम स्कीमें		
18.	परवान लिफ्ट सिंचाई स्कीम	22.10.80	योजना आयोग की सलाह-
19.	सुकली सिंचाई परियोजना	29.11.80	कार समिति द्वारा स्वीकृति
20.	गरारदा सिंचाई	8.6.81	की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
21.	बांदी सेन्द्री सिंचाई	16.5.81	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।
22.	वरनी सिंचाई	19.6.81	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत, बशर्ते कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी जाए ।

समुद्री—उत्पादन

4619. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मैरीन फिसरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट' ने समुद्र से मछली पकड़ने में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय प्रतिवर्ष समुद्र से कितनी मछली पकड़ी जाती है ; और

(घ) छटी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । फिर भी, संस्थान समुद्र में मछली पकड़ने तथा कल्चर फिसरीज पर बहु-शाखीय अनुसंधान करता है ताकि विवेकपूर्ण उपयोग और समुद्री संसाधनों की व्यवस्था के लिए अनुसंधान सहायता उपलब्ध करा सके एवं प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण द्वारा मत्स्यन उद्योग की वृद्धि के लिए विकास सहायता प्रदान कर सके ।

(ख) मछलियों के पकड़ने और कल्चर फिसरीज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जांच के लिए अनेक अनुसंधान प्रायोजनाएं तैयार की गयी हैं और संस्थान द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । बड़ी अनुसंधान प्रायोजनाओं में केवल आर्थिक क्षेत्र से ट्यूना, बिल फिसेज प्रॉम्फ्रेट, मैकरल, सार्डिन, एन्चोविज और प्रान्स के स्रोतों का मूल्यांकन, तटवर्ती लवणीय और

खारे जल में हैचरी उत्पादन और समुद्री झींगों को पालना, मिल्क फीश (कैनोश) और सुलेट का कल्चर, ओयेस्टर और समुद्री खरपतवारों का कल्चर शामिल किया गया है। इन अन्वेषणों के परिणाम से प्राकृतिक साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अतिरिक्त मत्स्य साधनों को विकसित करने के लिए प्रणालियों के सुझाव में सहायता मिलेगी।

(ग) 16.68 लाख मीटरी टन (अस्थायी)।

(घ) 22.00 लाख मीटरी टन (अस्थायी)।

काजू बोर्ड की योजना

4620. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू बोर्ड ने देश में काजू बागान क्षेत्रों का विकास करने/वृद्धि करने के बारे में सरकार के अनुमोदन के लिए कोई नई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित क्षेत्रों का राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में कोई काजू बोर्ड विद्यमान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में राशन की वस्तुओं की कमी

4621. **श्री आर. एन. राकेश :**
श्री दयाराम शाक्य :
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली विशेष रूप से नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उचित दर की दुकानों में राशन की वस्तुओं की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उचित दर दुकानों को वस्तुयें सप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल

जैसी आवश्यक वस्तुओं के स्टाक में से हो, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था करती है। आवंटन करते समय राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई मांग को भी ध्यान में रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली को किये गये कुल आवंटन में से दिल्ली प्रशासन आगे उचित दर की दुकानों को उनके पास दर्ज यूनिटों के अनुपात में आवंटन करता है। कुल मिलाकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (नई दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र सहित) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है, यद्यपि किसी वस्तु की अस्थायी तथा स्थानीय स्वरूप की कमी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जब-कभी कमी का पता चलता है सरकार द्वारा सप्लाई भेजने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वनीकरण योजना

4622. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में देश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनीकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने भाखड़ा बांध इत्यादि जैसे बाधों के निर्माण और केवल तथा संचार लाइनें बिछाने के परिणाम स्वरूप काटे गये पेड़ों की संख्या सुनिश्चित करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार नष्ट हुए पेड़ों के स्थान पर वनीकरण के लिए कोई प्रावधान किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) निम्नलिखित तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण की व्यवस्था की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता सहित कल निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

योजना का नाम	प्रावधान (करोड़ रुपए)
1. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	80.00
2. सिंध-गंगा बेसिन के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध	68.00

3. हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण 27.75

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में संसद सदस्यों को भूमि का आबंटन

4623. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों का विवरण क्या है जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में मकान निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई है ; और

(ख) इस तरह आबंटन के मामले में अपनाई गई नीति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) बवेजा समिति की सिफारिशों पर संसद सदस्यों तथा कतिपय अन्य वर्गों के लिए प्लाटों/फ्लैटों का आरक्षण 2-1-1979 से बन्द कर दिया गया था। तथापि, यह निर्णय किया गया था कि जो व्यक्ति उस तिथि को या उसके पहले संसद सदस्य थे और जिनके मामले उस तिथि तक निलम्बित पड़े थे उनको आरक्षण का लाभ दिया जाय। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बिगत दो वर्षों के दौरान आरक्षण कोटे से एक संसद सदस्य (श्री ओम मेहता) को एक प्लाट आबंटित किया गया है।

दिल्ली से बाहर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास

4624. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से नगर हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को अब तक आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिन्हें अब तक आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जहां तक सामान्य पूल आवास का सम्बन्ध है, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

31-12-1981 को विभिन्न स्थानों पर रिहायशी आवास की माँग, उसकी उपलब्धता एवं कमी का विवरण :

स्थान	मांग	उपलब्धता	(रिहायशी एककों की संख्या कमी
दिल्ली	100.384	49335	51,049
बम्बई	26,035	4857	21,178
कलकत्ता	47,685	2956	44,729
शिमला	3,825	663	3,162
नागपुर	7,648	1063	6.585
फरीदाबाद	2,438	1429	1,009
मद्रास	15,012	1091	13,921
चण्डीगढ़	8,390	1282	7,108
बंगलौर	7,123	173	6,950
गाजियाबाद	1,597	500	1,097
इन्दौर	449	164	285
जोड़	220,586	63,513	157,073

पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

4625. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान । देश में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ऐसे क्षेत्र भी सामान्य रूप में सम्बन्धित राज्यों के वर्तमान कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं । फिर भी, सरकार ने राज्य के छोटा नागपुर तथा दूसरे पिछड़े क्षेत्रों की सेवा के लिए जो प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में स्थित है, बिहार राज्य के रांची नामक स्थान में एक दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोलना स्वीकार कर लिया है ।

सिंचाई उद्देश्यों के लिए नहर जल का गैर कानूनी उपयोग

4627. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई उद्देश्यों के लिए नहर जल का गैर-कानूनी रूप से उपयोग होने के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या इन नहरों के नौवहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण किसानों द्वारा नहर जल को अनधिकृत रूप से लिया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहरों के जल के अनधिकृत उपयोग के बारे में केवल आम रिपोर्टें प्राप्त होती हैं ।

(ख) किसानों द्वारा नहरों के जल को अनधिकृत रूप से लिफ्ट करने की ऐसी कोई रिपोर्टें ध्यान में नहीं आई हैं जिसके परिणामस्वरूप इन नहरों की नौगम्यता की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो ।

(ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है और नहरों का रख-रखाव उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है । राज्य सरकारों को किसानों द्वारा जल के ऐसे अनधिकृत उपयोग की रोकथाम के प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती रही है ।

ओखला बाँध (बराज) का पूरा किया जाना

4628. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला बांध, जिससे 150 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई जल की व्यवस्था की जायेगी, कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) विद्यमान ओखला बन्द की तुलना में इस बांध से क्या-क्या लाभ होंगे ; और

(ग) भारत के अन्य बांधों से यह परियोजना किस प्रकार भिन्न है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) ओखला बराज के छठी योजना के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ख) नए बराज से कोई अतिरिक्त सिंचाई लाभ परिकल्पित नहीं किए गए हैं बराज वर्तमान हैडवर्क्स का स्थान लेगा जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है ।

(ग) इसमें कोई अंतर नहीं है ।

आर० के० पुरम के सेक्टर एक तथा दो के बीच पुल का निर्माण

4629. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री आर. के. पुरम के सेक्टर एक और दो के बीच वाले नाले पर पुल निर्माण के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2355 के ऊपर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : राम कृष्ण पुरम, सेक्टर-1 और 2 के बीच नाले के ऊपर मोटर चलने योग्य पुल बनाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आंकलन तैयार किया गया है और इसकी जांच की जा रही है ।

राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली में भूमि का विकास

4630. **डा० ए. यू. आजमी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली में भूमि के विकास के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्क एवं खेल मेदान का विकास करने के लिए भूमि इस बीच दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या है और हस्तांतरण के काम को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसकी देख-रेख तथा रख-रखाव में भूमि सौंपी गई है, अनुरोध किया गया है कि दिल्ली नगर निगम को भूमि कब्जा देने हेतु इस भूमि को भूमि तथा विकास अधिकारी को दे दिया जाय । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी भी इस भूमि को भूमि तथा विकास अधिकारी को नहीं सौंपा है । इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम ने उनको दिए गए करारनामें का निष्पादन तथा पंजीकरण नहीं किया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम दोनों को मामले को शीघ्र निपटाने के लिए अनुस्मरण कराया जा रहा है ।

दिल्ली में पेड़ों की काट-छांट

4631. डा. ए० यू० आजमी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 से दिल्ली में कितने वृक्ष काटे गए हैं और उनके काटे जाने के कारण क्या हैं ;

(ख) कितने पेड़ों की कांट-छांट की गई तथा उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के बागबानी विंग ने पेड़ों की कटाई और छंटाई न करके, जो सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणों के आने में रुकावट थे निवासियों की सुविधा की उपेक्षा की ;

(घ) क्या उनको आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली नई दिल्ली में नवम्बर, 1982 में पेड़ों की कटाई-छंटाई की दृष्टि से सभी सरकारी रिहायशी कालोनियों का सर्वेक्षण किया जाये ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान स्कन्ध ने 13 पेड़ काटे थे इनमें से 4 पेड़ सूखे थे और 9 पेड़ प्रस्तावित भवनों की नीवों में आ रहे थे ।

(ख) शून्य ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) अधिक बढ़ी हुई तथा खतरनाक शाखाओं की छटाई करने के लिए वृक्षों का नेभी रूप में सर्वेक्षण किया जाता है । विशेष अनुदेशों को जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

दिल्ली में वनस्पति घी की दोहरी बिक्री और लाइसेंस नीति

4632. **डा० ए०यू० आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में लोगों को खुला बनस्पति घी न मिलने के मुख्य कारण क्या हैं यद्यपि डिब्बों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; इन वस्तु की दोहरी लाइसेंस नीति और दोहरी विक्रय-नीति के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : वनस्पति घी की उपलभ्यता, कुल मिलाकर, संतोषजनक रही है। इस वस्तु के लिए कोई दोहरी लाइसेंसिंग नीति नहीं है और न ही कोई दोहरी विक्रय नीति है।

यह आम उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए दिल्ली प्रशासन वनस्पति घी के वितरण का नियमन कर रहा है। तदनुसार, खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे एक खाद्य कार्ड पर वनस्पति घी की अधिकतम 5 कि०ग्रा० तक की मात्रा प्रति पखवाड़े की दर से बेचें। तथापि, यदि कोई उपभोक्ता वनस्पति घी की एक किलोग्राम तक की मात्रा खरीदता है, तो उसके लिये खाद्य कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम

4633. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण रोजगार में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम कुछ राज्यों में बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस तारीख से और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी नहीं। अक्तूबर, 1980 से "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" का स्थान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ही चल रहा है। अब यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का भाग बन गया है। इस प्रकार, यह पूरी योजना अवधि के दौरान जारी रहेगा।

ग्रामीण परिवहन योजनाओं का क्रियान्वयन

4634. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण परिवहन योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलो में यह योजना क्रियान्वित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से राज्यवार जोड़े गए गाँवों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया है ।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

31-3-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांव

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गावों की कुल संख्या	31-3-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवो की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27221	10627
2.	असम	22026	11136
3.	बिहार	67566	19094
4.	गुजरात	18275	8691
5.	हरियाणा	6741	6560
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	2115
7.	जम्मू तथा कश्मीर	6503	3465
8.	कर्नाटक	26871	7448
9.	केरल	1268	1268
10.	मध्य प्रदेश	70883	14072
11.	महाराष्ट्र	36033	9554
12.	मणिपुर	2000	394*
13.	मेघालय	4583	2185
14.	नागालैंड	960	628

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	54606	717
16.	पंजाब	12188	11997
17.	राजस्थान	33305	5287
18.	सिक्किम	434	161
19.	तमिनाडु	23047	11530
20.	त्रिपुरा	4930	1250
21.	उत्तर प्रदेश	112561	9081
22.	पश्चिम बंगाल	38074	16870
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23.	अरुणाचल प्रदेश	3463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा नगर हवेली	72	55*
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा, दमन तथा दीव	435	402
29.	लक्ष्यद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	पाण्डिचेरी	333	286
31.	मिजोरम	237	40
	योग :	591929	155165

* 31-3-1980 तक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कमीशन के पुनर्निर्धारण के लिये समिति

4615. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानदारों के लिये ग्राह्य कमीशन के पुनर्निर्धारण के बारे में विचार करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देलही स्टेट फेयर प्राइस शॉप होल्डर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल उक्त समिति से 16 फरवरी को मिला था और उसने समिति को एक ज्ञापन दिया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) व (ख) जी हां। इस समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :-

1.	खाद्य एवं संभरण आयुक्त दिल्ली प्रशासन	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (वित्त) दिल्ली प्रशासन	सदस्य
3.	क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	सदस्य
4.	श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन	सदस्य
5.	निदेशक, परिवहन, दिल्ली प्रशासन	सदस्य
6.	खाद्य एवं संभरण उपायुक्त, दिल्ली प्रशासन	सचिव

(ग) जी हाँ।

(ख) ऐसोसिएशन की माँगे इस प्रकार हैं :-

(1) कमीशन की दर बढ़ाई जाये ;

(2) लाभ की मात्रा का परिक्लन मात्रा के आधार के बजाय प्रतिशतता के आधार पर किया जाये ।

(3) विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के स्टाक की सुपुदर्गी उचित दर की दुकानों को उनके व्यापार परिसर में की जाये ; और

(4) सभी विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के बोरों का मानक वजन हो ।

(ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 मार्च, 1982 को प्रस्तुत की है और दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है ।

पटना के नागरिकों को पेय जल

4636. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जल बोर्ड ने पटना के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पेय जल सप्लाई की एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस योजना को उनके पास भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने उनसे इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) इस मंत्रालय के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती और पदोन्नति

4637. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने यहां सभी श्रेणी के पदों और संवर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण करने संबंधी नियमों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वहां कुछ ऐसे सवंर्ग हैं जिनमें श्रेणी 1 के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संवर्गों की संख्या तथा नाम क्या हैं और उनमें श्रेणी—1 और II के अलग-अलग कितने पदों की मंजूरी दी गई है ;

(घ) श्रेणी—1 के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के श्रेणी II के पात्र अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ङ) श्रेणी—II के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य अधिकारियों के श्रेणी—1 के पद पर पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) योजना और अनुसंधान संवर्ग के श्रेणी—1 के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं ।

(ग) योजना और अनुसंधान संवर्ग में, उप प्रबन्धक के श्रेणी—1 के 6 पदों के लिए शुरू में मंजूरी दी गई थी । छः पदों में से एक पद पंजाब को हस्तांतरित कर दिया गया है और प्रबन्ध के निर्णय के अनुसार एक पद को नहीं भरा जाना है अतः योजना और अनुसंधान संवर्ग में स्थानपूर्ति के लिए उप प्रबन्धकों के 4 पद उपलब्ध हैं । श्रेणी —2 में, सहायक प्रबन्ध के 6 पदों के लिए मंजूरी दी गई है ।

(घ) योजना और अनुसंधान संवर्ग में, श्रेणी —2 में केवल एक अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं जोकि उस संवर्ग में श्रेणी—1 के पदों पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए पात्र हैं ।

(ङ) जब योजना और अनुसंधान संवर्ग में श्रेणी—2 से श्रेणी—1 में पदोन्नति की जायेगी तब पात्र अनुसूचित जाति के अधिकारी के बारे में बिचार किया जायेगा ।

आपरेशन फ्लड एक और दो का असफल होना

4639. **श्री हरिकेश बहादुर**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आपरेशन फ्लड एक और दो के अन्तर्गत दूध के उत्पादन के असफल होने तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के साथ किए गए सौतेले व्यवहार के बारे में (इण्डियन एक्सप्रेस, 9 जनवरी, 1982) समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन के बिना बड़े पैमाने पर धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न असंतुलन हो गए हैं;

(ग) राज्यवार मूल आवंटन क्या है और वास्तविक वितरण क्या है और परिवर्तन के कारण क्या है और क्या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पहले ही ये अनुमोदित किए गए थे; और

(घ) आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन क्या है और क्या सरकार द्वारा ये अनुमोदित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मानदण्ड क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड—1 का कुछ पहलुओं पर अभी वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। आपरेशन फ्लड—1 के अन्तर्गत राशि का आवंटन प्रत्येक महानगर की डेयरियों के दुग्ध स्रवण क्षेत्रों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने इन दुग्ध-स्रवण क्षेत्रों में दूध की संभावित अधिप्राप्ति, संबंधित दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में आवश्यक आधार भूत दाम की सुविधाओं और महानगरों में संसाधन और विपणन की अतिरिक्त सुविधाओं पर आधारित था राज्यवार आवंटन और उनका उपयोग तथा परियोजना में शामिल किए गए दुग्ध स्रवण क्षेत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	भारतीय डेरी निगम द्वारा आवंटित (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)	दुग्ध स्रवण क्षेत्रों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	7.22	4.92	1
बिहार	3.85	3.20	1
गुजरात	25.32	21.70	6
हरियाणा	5.07	3.70	2
महाराष्ट्र	25.76	17.88	2
पंजाब	5.45	5.12	3

राजस्थान	4.97	3.98	1
तमिलनाडु	18.58	14.17	6
उत्तर प्रदेश	7.96	5.65	2
पश्चिमी बंगाल	20.64	14.73	3

निधियों के आवंटन और निर्मुक्ति को भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल ने स्वीकृति दी थी। परियोजनाओं को पूरा करने की गति के मुताबिक कुछ राज्यों द्वारा और अधिक राशि उपयोग में लायी गई। भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के संयुक्त मिशन ने भी जिसने आपरेशन फ्लड—1 के क्षेत्रों का सितम्बर,1979 में दौरा किया था। परियोजनाओं की कार्य समाप्ति को ध्यान में रखते हुए इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।

(घ) राज्यवार आवंटन, परियोजनाओं में शामिल किए गए जिलों की संख्या, शामिल किए गए दुग्ध उत्पादकों और दुधारू पशुओं की संख्या, संसाधन सुविधाओं ओर विपणन सुविधाओं के सृजन तथा उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रम पर आधारित है। सरकार द्वारा गठित भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल ने इन आवंटनों की स्वीकृति दी थी। अब तक स्वीकृतराज्यवार आवंटन नीचे दिए गए हैं।

	(करोड़ रुपयों में)
1. अण्डमान तथा निकोबार	0.5715
2. असम	6.6500
3. गोवा	1.3200
4. गुजरात	53.9200
5. हरियाणा	26.9200
6. हिमाचल प्रदेश	3.3028
7. जम्मू और कश्मीर	6.8500
8. केरल	19.3600
9. मध्य प्रदेश	53.2600
10. मिजोरम	0.5777
11. उड़ीसा	9.6600

	(करोड़ रुपए में)
12. पांडिचेरी	1.0250
13. पंजाब	58.3200
14. सिक्किम	0.5604
15. तमिलनाडु	31.9600
16. त्रिपुरा	0.5604
17. पश्चिम बंगाल	33.2850

खराब भण्डारण के कारण खाद्यान्न का नुकसान

4640. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है (फाइनेंसिएल एक्सप्रेस 2.1.1982) कि खराब भण्डारण के कारण प्रतिवर्ष 1440 करोड़ रुपये का नुकसान होता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्य करने और उसे व्यवहार में लाने में असफल रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की कुछ क्षति हो ही जाती है ।

(ख) जी नहीं । अधिकांश क्षति किसान-स्तर पर ही होती है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और खाद्य विभाग देश में वैज्ञानिक भण्डारण के तरीकों को लोक प्रिय बनाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा अभियान सहित कई एक परियोजनाएं चला रहा है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहन

4641. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1982 के 'हिन्दू' में इंसेन्टिव टू बूस्ट फार्म आउटपुट अर्जेंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या सरकार के पास किसानों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ; और

(ग) किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) उल्लिखित समाचार में कृषि मूल्य की यथार्थ नीति और उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । सरकार इस आवश्यकता से भली प्रकार से परिचित है और वह निवेश और बढ़ी हुई उत्पादकता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की नीति का अनुसरण कर रही है । इसके अलावा संवर्धन सम्बन्धी उपाय जैसे कि राजसहायता, ऋण आपूर्ति, विस्तार सहायता उर्वरक वितरण मिनीकट आपूर्ति बीज उत्पादन और वितरण पहले से कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि बढ़े हुए कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके । और उसे बनाए रखा जा सके ।

खाद्यान्न का उत्पादन तथा भंडारण

4642. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्यान्न का कितना उत्पादन होने की संभावना है ;

(ख) चीनी का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य कितना है ;

(ग) क्या इस समय खाद्यान्न के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि नहीं, वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है और इसमें वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 के दौरान अनुमानतः लगभग 1340 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने की संभावना है ।

(ख) चीनी के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह गन्ने के उत्पादन और गुड़ तथा खंडसारी जैसे अन्य स्वीटनिंग एजेंट्स तैयार करने के लिए इसका जितना प्रयोग होता है, उस पर निर्भर करता है । तथापि, वर्तमान अनुमान के अनुसार 1981-82 के दौरान चीनी का उत्पादन 67 लाख 68 लाख मीटरी टन के आस-पास होने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम के पास 186.0 लाख मीटरी टन को जो भंडारण क्षमता (निजी, किराए की और कवर्ड एण्ड प्लिंथ की) है वह खाद्यान्नों के मौजूदा स्टाक स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती है । तथापि, भंडारण क्षमता में सोपानवार समुचित ढंग से वृद्धि करने का विचार है ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

खाद्य के मामले में राजसहायता को कम करना

4643. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य के मामले में राजसहायता कम करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या इससे खाद्यान्नों के निगर्मम मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं । तथापि, खाद्य राजसहायता को युक्तियुक्त करने और उसमें कटौती करने की दृष्टि से सरकार इसकी बराबर समीक्षा करती रहती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की नई किस्में

4644. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं वैज्ञानिकों ने वर्षा-सिंचित अथवा शुष्क भूमि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ नई किस्मों का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो शुष्क भूमि के साथ-साथ वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाई गई किस्मों के बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । वर्षा पर आश्रित और शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए अनेक उपयुक्त किस्मों का विकास किया गया है । राज्यवार किस्मों की सूची नीचे दी जाती है :—

राज्य	किस्मों के नाम
आन्ध्र प्रदेश	एन 59, एम ए सी एस 9, डब्ल्यू 657 एन आई 747-19, एन आई 5439,
कर्नाटक	बिजगा येलो, एच डब्ल्यू 657, एन आई 5439, एम ए सी एस 9, बिजगा रेड,
तमिलनाडु	एच डब्ल्यू 657, एम ए सी एस 9, बिजगा येलो, एन आई 5439.
गुजरात	ए 206, ए 624, ए 28, सी 306, मेघदूत, मुक्ता, सुजाता, जे यू-12.

मध्य प्रदेश	सी 306, मेघदूत,मुक्ता, ए-9-30-1, सुजाता, नर्बदा 4, नर्बदा 112, एन पी 832, एच वाई 65.
उड़ीसा पश्चिमी बंगाल, बिहार	
आसाम, मनीपुर, नागालैण्ड	एन पी 352, कल्याणसोना, सी-306
मेयालय, त्रिपुरा, मिजोरम,	
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	
हरियाणा, दिल्ली	सी 306, आई डब्ल्यू पी 72, डब्ल्यू एल-410, प्रताप
राजस्थान (कोटा और उदयपुर प्रभाग को छोड़ कर सम्पूर्ण राजस्थान)	सी 306, आई डब्ल्यू पी 72, डब्ल्यू एल-410, प्रताप.
राजस्थान (कोटा और उदयपुर प्रभाग)	ए 9-30-1, मुक्ता, मेघदूत, डी 134, सुजाता, सी 306.
महाराष्ट्र	एन 59, एन आई 747-19, एन आई 5479, एम ए सी एस 9, एन 5749, एच डब्ल्यू 557.
पंजाब	सी 306, आई डब्ल्यू पी 72, डब्ल्यू एल 410, प्रताप.
हिमाचल प्रदेश	वी एल 421, कल्याणसोना, रिडले, एच एस 86, एच बी 208, एच बी 501, डी एल 20-9
जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों के लिए	वी एल 421, एच एस 86, एच बी 208, एच बी 501, डी एल 20-9.
जम्मू क्षेत्र	सी 306, आई डब्ल्यू पी 72, डब्ल्यू एल 410, प्रताप.
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)	सी. 306, के 65, आई. डब्ल्यू. पी. 72, डब्ल्यू एल. 410, प्रताप
पूर्वी उत्तर प्रदेश	सी. 306, के 68, एन. पी. 852, कल्याणसोना
बुन्देलखंड प्रक्षेत्र	सी 306, मुक्ता, जे यू-12, सुजाता, मेघदूत, ए 9-30-1 एन पी 401
पहाड़ियाँ	वी एल 421, बी एल 404, वी एल 401, एन पी 846 रिडले, एच एस 86, एच बी 208, एच वी 501 डी एल 20-9

हाल ही में किस्म रिलीज केन्द्रीय उप समिति ने 30 अक्तूबर, 1981 की अपनी बैठक में दक्षिण की पहाड़ियों में सभी स्थितियों में खेती के लिये एच डब्ल्यू-517 किस्म की सिफारिश की है।

अगस्त, 1981 के दौरान पूना में आयोजित वार्षिक वर्कशाप ने गेहूं की नयी किस्मों की जानकारी दी। इन किस्मों में एल 2265 और एल-152 को उत्तरी मैदानों में (पंजाब, दिल्ली पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू) समय पर बुआई के लिये वर्षा पर आश्रित कम उर्वरक स्थितियों में तथा एच डब्ल्यू 741 को दक्षिणी पहाड़ियों में सभी स्थितियों के अन्तर्गत उगाने की सिफारिश की गयी।

दूग्ध चूर्ण का आयात

4645. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दुग्ध चूर्ण का आयात करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि बाल खाद्य निर्माता एककों को उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है ;

(ख) क्या देश में दुग्ध चूर्ण का उत्पादन नहीं किया जा सकता ;

(ग) ई ई सी और अन्य विदेशी संगठनों से 'उपहार' के रूप में कितना दुग्ध चूर्ण आता है ; और

(घ) भारत को उपहार में मिले इस आयातित दुग्ध चूर्ण को किस उपयोग में लाया जाता है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) यद्यपि स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यक आयात नहीं किया जाता है, तथापि आप्रेशन फ्लड-II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यह बटर आयल के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है।

(ख) दुग्ध चूर्ण का विनिर्माण देश में ही किया जा रहा है।

(ग) इस समय स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण केवल यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त किया जा रहा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय आप्रेशन फ्लड-II परियोजना के लिए 6 वर्षों की अवधि में 1,86,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 76,200 मीटरी टन बटर आयल देने के लिए सहमत हो गया है। 1973 से उपहार जिन्सें यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त की जा रही है।

(घ) खासतौर से कमी के मौसम में डेरी संयंत्रों द्वारा दूध में पुनः मिश्रण करने के लिए बटर आयल के साथ स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का प्रयोग किया जाता है ताकि दुग्ध वितरण के निर्दिष्ट स्तर को बनाए रखा जा सके।

निवृतमान/सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए डी० डी० ए० द्वारा डी० डी० ए० फ्लैटों का दिया जाना

4646. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० ने वर्ष 1974 में या उस वर्ष के आस-पास सेवानिवृत्त/निवृत्तमान सरकारी कर्मचारियों से विशेष योजना के अन्तर्गत मकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र माँगे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या डी० डी० ए० का विचार उन सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी योजना बहाल करने का है जो अगले कुछ वर्षों में सेवा-निवृत्त होने वाले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1972 में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों से आवेदनपत्र आमन्त्रित किए थे। बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्ववितपोषित आवास पंजीकरण योजना घोषित की थी और पंजीकरण 7-1-81 से 7-2-81 तक खोला गया था। 1978 से 1982 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी पंजीकरण के लिए पात्र थे वशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली में सेवाओं का विनियमन

4647. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में 14 दिसम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिसम्बर, 1981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदाय एवं मल व्ययन कार्यालय दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों को जो 3, 5 और 7 वर्ष से अधिक समय से दैनिक मंजूरी पर कार्य कर रहे हैं और जिनकी सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं, के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसे कि दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने अनुमान लगाया है दैनिक मजदूरी पर लगे व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

निम्नलिखित समय से दैनिक मजदूरी पर हैं :

(क) तीन वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	1027
(ख) पांच वर्ष से अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम	442
(ग) 7 वर्ष से अधिक	227

डी० डी० ए० के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

4648. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच कर रहा है और क्या 1982 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ मामले दर्ज किये गए हैं ; और

(ख) उन मामलों में की गई जांच का क्या परिणाम निकला और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1982 में दर्ज किये गए मामलों के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच/अन्वेषण प्रगति पर है ।

जलपूर्ति योजनाओं को ऋण देने के लिये राष्ट्रीय स्तर की पुनर्वित संस्थाएं

4649. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय अध्ययन दल ने जल पूर्ति योजनाओं को प्रभावी रूप से ऋण देने और उसकी वसूली करने और "इन्टरनेशनल" ट्रेड यूनियन वाटर सप्लाई को 1981-82 के दौरान सफल बनाने के लिए हिन्दुस्तान नगर विकास निगम अथवा ग्रामीण-विद्युतीकरण निगम की रूपरेखा पर एक केन्द्रीय एजेन्सी का कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पुनर्वित संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या कार्य दल ने यह सुझाव भी दिया है कि नए संस्थान को जीवन बीमा निगम और अन्य सामान्य बीमा निगमों से ऋण एकत्र करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए ; और

(ग) संघ सरकार द्वारा अक्तूबर, 1980 में स्थापित शीर्ष समिति द्वारा गठित कार्य दल द्वारा दिए गए अन्य सुझाव क्या हैं और उसकी कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां । ये सिफारिशे अन्तर्राष्ट्रीय तथा पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1990) से सम्बधित हैं ।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है । राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशों को फरवरी, 1982 में दिल्ली में सम्मेलन में सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया गया था । जहाँ तक केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों का सम्बन्ध है । उन पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा । इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जायेंगी या नहीं ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1990) पर ऐपेक्स समिति द्वारा वित्तीय संसाधनों पर गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें ।

1. जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत के योजना परिव्यय को सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल योजना परिव्यय का कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाय ।

2. योजना आयोग से विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्राथमिकताओं को पुन: नियतन करने तथा जलपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को उन्नत करने के लिए अनुरोध किया जाय ताकि इसके बाद और अधिक निधियां उपलब्ध कराई जाय, विशेषकर इस दशक की अवधि के दौरान अतिरिक्त परिव्ययों का दो तिहाई त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में दिया जाय ।

3. राज्य सरकारों से आग्रह किया जाय कि वे यह ध्यान में रखें कि पानी की दरें इस प्रकार निर्धारित की जाय, इनसे प्राचलन और रख-रखाव की लागत और आरक्षित निधि बनाने के प्रावधानों सहित ब्याज के साथ साथ ऋण की वापिस सुनिश्चित हो सके। नगरीय जल-पूर्ति योजनाओं से या औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रावधानों के लिये दी गई राशि में से बची शेष राशि को आपत आर्थिक सहायता के रूप में मल निर्यास योजनाओं तथा ग्रामीण जलपूर्ति थोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाय।

4. स्थानीय निकायों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। स्थानीय निकायों का आकार तथा संसाधनों के आधार पर मूल लागत का कम से कम 10 से 25 प्रतिशत अंशदान शहरी स्थानीय निकायों से लिया जाय।

5. ग्रामीण जलपूर्ति योजना के मामले में राज्य सरकारों को योजना की लागत की कम से कम 10 प्रतिशत राशि का अंशदान जनता/ग्राम पंचायतों द्वारा देने की शर्त रखनी चाहिये। उपर्युक्त मामलों में यह अंशदान बाद में बढ़ाया जा सकता है जो कि लोगों की प्रतिक्रिया तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के संसाधनों पर निर्भर करेगा।

6. राज्य सरकारों को इस दशक कार्यक्रम के दौरान जलपूर्ति तथा मल निर्यात योजनाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए नवीन तरीकों का परीक्षण करना चाहिये। उन्हें भूमि-कर बिक्री कर, यात्री कर, मोटर वाहन कर आदि जैसे चुनींदा करों पर अतिरिक्त प्रकार के रूप में विशेष प्रयोजन उठाकर लगाने पर विचार करना चाहिये जोकि एकमात्र जलपूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं के लिए उपयोग में लाये जाने चाहिये।

7. सभी मुख्य तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं में उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पेय जल पूर्ति की आवश्यकताओं को परियोजना के एक अंगभूत भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये। जहां ग्रामीण इन समुदाय के लिये पानी की आवश्यकता कम है वहां पानी निशुल्क दिया जाना चाहिये। अन्य मामलों में लागत उचित रूप से बांटी जानी चाहिये। अत्यधिक बड़ी योजनाओं को छोड़ कर पीने के प्रयोजनों के लिये दिये गये जल के प्रभार सिंचाई के लिये दिये जा रहे पानी की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8. जहां भी व्यवहार्य हो, वहां जलपूर्ति योजनाएं रोजगार गारन्टी योजना एम० आर० एफ० सी० के अन्तर्गत ली जानी चाहिये।

9. राज्य सरकारों को परियोजनाओं का एक शैल्फ बनाने के लिए कहा जाय जोकि इस दशक कार्यक्रम के दौरान दी गई सहायता के प्रावधानों के लिए वाहन अभिकरणों को दी जा सके राज्य सरकारों को वाह्य सम्भावनाओं से दी गई निधियां केवल उद्दिष्ट किये गये क्षेत्रों के उपयोग में लाई जानी चाहिए।

10. जीवन बीमा निगम की वर्तमान 6 से 7 प्रतिशत की राशि की तुलना में उनके द्वारा निदेश की जा सकने वाली पूंजी का कम से कम 8 प्रतिशत तक जलपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट करने के लिए कहा जाय ।

11. निर्माण और आवास मन्त्रालय के सचिव को आयकर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1977 नामक नियमों में निर्धारित प्राधिकारी के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए । जल प्रदाय तथा मल निर्यास बोर्ड की ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं को चलाने के लिए "अनुमोदित समितियों/संस्थाओं" की सूची में सम्मिलित किया जाय ताकि वे धारा 35 गग तथा 35 गगक के अन्तर्गत आयकर की छूट का लाभ उठा सकें ।

12. जल पूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्रों को दिये गए ऋण के चलन तथा विनियमन के लिए हुडको तथा आर० ई० सी० की तरह का केन्द्रीय अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय स्तर की एक पुनः वित्तीय/वित्तीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए । इस नई संस्था को ऋण पत्र आदि जारी करने के द्वारा जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाने तथा खुले बाजार से निधियों को बढ़ाने के अधिकार दिये जाये ।

13. इस क्षेत्र को इस स्रोत से प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्यांकन करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अग्रिम योजना सहायता के उपयोग तथा जलपूर्ति योजनाओं के लिए इसके उपयोग से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जाय ।

एक परिवार में एक नौकरी के लिए योजना

4650. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने और आर्थिक विकास के लिए एक परिवार में एक नौकरी योजना लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

———

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में चौथी बार चुनाव टाल दिए गए हैं। हर 6 महीनों के बाद चुनाव टाले जा रहे हैं। मेट्रोपोलिटन काउंसिल नहीं है, कारपोरेशन के चुनाव हुए नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह चौथी बार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता को कब तक अपना शासन चलाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनेंगे ? हम अभी 15 मिनट में डिमांड्स पर चल रहे हैं, उसमें सारा विवरण दे देना। (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा से काम नहीं बनेगा।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : ये राजधानी में जनता के सामने जाने को तैयार नहीं हैं। क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : देखिये मेरी बात सुनिए। आप जो करवाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि नियमानुसार मैं इस वक्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं करूंगा तब भी और आप करवाएंगे तब भी यह बात अनुचित होगी। इसलिए बेहतर यह है कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, बड़ी-लम्बी चौड़ी चर्चा रखी है, उसमें आप कह सकते हैं, लेकिन अभी नियमों के अनुसार अलग से चर्चा नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य : क्या वे इसलिए डर रहे हैं कि हार जाएंगे।

श्री नारायण चौबे : दिल्ली की जनता नई महानगर परिषद बनाने के लिए अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बहस के दौरान दिल्ली के मामले को पिन-प्वाइंट करना बहुत मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी बात सुनिये। नियम के विरुद्ध हम काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे ? मैं कभी भी वाद-विवाद बन्द करना नहीं चाहता, लेकिन आपने जो नियम बनाए है, उन्हीं के अनुसार ही तो काम कर सकते हैं। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियम पढ़ते है, उनकी जांच करते हैं। इसलिए अगर नियम के विरुद्ध मैं करवाऊंगा तो मुझे भी कहेंगे और आप करवाएंगे तो आपको भी कहेंगे इसलिए मेरे ख्याल में···।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता की आवाज हम पार्लियामेंट में न उठाएं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कब कहता हूं कि न उठाएं, और जोर से उठाएं । अभी 15 मिनट बाद शुरू कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहस हो रहा है चन्द्रजीत जी, जितना समय आपने माँगा, उससे 2 घंटे ज्यादा दे दिए हैं । और समय चाहिए तो और भी दे देंगे । (व्यवधान) ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली के मामले पर अलग से बहस जरूरी है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : पहले इसमें तो आप आपनी बात कह लीजिए, जरूरत होगी तो फिर देखेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड है, इसमें चर्चा हो सकती है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर इसमें हम अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं होगी तो फिर देख लेंगे ।

श्री जार्जफर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर गवर्नमेंट को सेंस्यूर करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का बचाव करना मेरा काम नहीं है । यह सत्ताधारी दल का काम है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी पर आप कर दीजिये, आप इनकी ग्रान्ट बंद कर दीजिए, हो जाएगा सेंस्यूर । मैं कहाँ मना कर रहा हूं ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी अपनी बात कर लीजिए, अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी तो सदन में फिर बात हो सकती है । (व्यवधान) ।

श्री जार्जफर्नाण्डीस : मेरी बात सुनिए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं ।

श्री जार्जफर्नाण्डीस : आप कहां सुन रहे हैं, आप तो मंत्री जी को बुला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सुनाएंगें आप ?

श्री जार्जफर्नाण्डीस : मंत्री जी, आप बैठ जाइए ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मुझे कहा गया है, अब मैं आपकी बात मानूं या अध्यक्ष महोदय की बात मानूं ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप इंटरनली बात कर लीजिए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में बोलते हैं । मैं दोनों की बात सुनूंगा ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों से इस सदन में इस सवाल को उठाया जा रहा है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : इनको अलाउ किया है, आपको भी करूंगा । बैठिए ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ दिन पहले यह सूचना जारी की गई थी कि अब चुनाव होंगे । यह भी ऐलान हुआ था कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था ठीक न होने के कारण चुनाव नहीं कराये गये । अब कानून-व्यवस्था सुधर गई है, इसलिए चुनाव कराने जा रहे हैं । सभी लोग इस उम्मीद में थे कि चुनाव अविलंब होंगे । कांग्रेस पार्टी के लोग भी सदन में चाहे हम लोगों की बातों का विरोध करते हों, लेकिन इस मसले पर वे प्रधान मन्त्री से मिले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि चुनाव होंने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : अभी 15 मिनट बाद ये सारी बातें आप कह लेना ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, 10 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एक और रिपोर्ट बनवाई गई कि अब कानून-व्यवस्था फिर बिगड़ गई है, इसलिए चुनाव अभी नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है और अब भी यही कह रहा हूं कि आप बहस करिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बात तो सुन लीजिए ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : यह लोगों के अधिकारों का सवाल है । दो वर्षों से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को अपनी हैसियत मालूम है । दिल्ली प्रशासन को ये दूसरों के हाथ में जाने नहीं देना चाहते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जान बूझ कर टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जान कर टाले हैं या बिना जान कर टाले हैं, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि वाद विवाद करवा दूं और वह करवा रहा हूं। अगर इससे आपकी तसल्ली नहीं होती तो कल बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें आप आइये।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : हम बतायेंगे इसमें क्या कठिनाई है। इसमें कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : आप का सुझाव कार्यान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि गृह मंत्रालय के वाद-विवद में, कई स्केलेटन निकालने होंगे।

अध्यक्ष महोदय आप कल बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आकर बात करिए। मैंने कह दिया है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप बात कर लीजिए। अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो और कर लेंगे। कल मीटिंग में आइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में असम्बली नहीं है। दिल्ली के मामले को कहाँ उठाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : कल बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आइये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : क्या ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं ? इनको इस्तीफा देने के लिए कहें। ये श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की जान को नहीं बचा पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी आ रहा है पंद्रह मिनट के बाद।

श्री ईरा अनवारासु (चिंगलपट्टु) : अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालयों के हजारों अध्यापक दिल्ली में 11 अप्रैल से कृषक भूख हड़ताल पर हैं और अपनी 6 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने 377 के लिए अनुमति दी है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने कालिंग एटेंशन दिया है, 388 दिया है, काम रोको प्रस्ताव दिया है। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट के बाद आ रहा है वह मौका।

श्री मनीराम बागड़ी : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तक के भाई की जान···।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब की आत्मा और सब की जान को बराबर समझता हूं। कोई बड़ा आदमी हो जाता है तो उसकी आत्मा महंगी नहीं हो जाती है. उसकी जान महंगी नहीं हो जाती है । सब की आत्मा बराबर हैं । मैंने इजाजत दे रखी है । अभी बहस शुरू होने वाली है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष की जिन्दगी को खतरा होगा तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं ? क्या तब देश में ला एंड आर्डर रह सकेगा ? इसी तरह से ··· ।

अध्यक्ष महोदय पंद्रह मिनट के बाद होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर बहस शुरू हो रही है । आप उलट काम करवाना चाहते हैं । सब कुछ जानते हुए भी उलट काम करवाना चाहते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : उलटा नहीं करवा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फिजूल बात करने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप बहस रोक रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो पंद्रह मिनट के बाद करवा रहा हूं । आप रोक रहे हैं ।

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिखा जाएगा । (व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : रोक कौन रहा है चर्चा को ? पंद्रह मिनट में शुरू होने वाली है । जितनी कर सकते हैं, करिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : 388 किस लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए है कि जब आवश्यकता हो । इस वक्त आवश्यकता नहीं है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

———

सभ पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे ।

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : श्रीमान, मैं, विदेश मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए एल. टी. सं० 3687/82]

गृह मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगे

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : मैं श्री निहार रंजन लास्कर की ओर से गृह मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए एल. टी० सं० 3688/82]

स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन और समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

1. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

2. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे, और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल. टी. सं० 3689-82]

———

कालानूर स्टेशन (दक्षिण मध्य रेल) के पार्ट बिना चौकीदार वाले फाटक पर एक बस और जयन्ती जनता एक्सप्रेस के बीच हुइ दुर्घटना के बारे में बक्तव्य

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं खेदपूर्वक सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की जानकारी देना चाहता हूं। यह दुर्घटना दक्षिण-मध्य रेलवे के काजीपेट-वल्हारशाह खण्ड के कोलानूर स्टेशन पर स्थित एक बिना चौकीदार वाले समपार फाटक पर हुई। यह समपार फाटक सामान्यतया जंजीर में ताला लगाकर सड़क वाहनों के लिए बन्द रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर ही स्टेशन कर्मचारियों द्वारा खोला जाता है। 20-3-82 को लगभग 13.20 बजे एक पर्यटक बस, जिसमें लगभग 100 यात्री सवार थे, उस समय समपार पार आ पहुंची जब 131 जयन्ती जनता एक्सप्रैस स्टेशन पार करने के उपरांत चली जा रही थी। परिणामस्वरूप बस गाड़ी से टकरा गयी। इस टक्कर से पर्यटक बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी और रेल गाड़ी का इंजन भी नाकारा हो गया।

इस दुर्घटना से बस में सवार 60 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 33 घायल हो गए।

सूचना मिलते ही काजीपेट से फौरन चिकित्सा-यान दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया जो वहां 15-05 बजे जा पहुंचा। दुर्घटना स्थल पर घायलों को डाक्टरी सहायता पहुंचाई गयी और उसके बाद उन्हें चिकित्सा-यान द्वारा वारन्गल के गांधी अस्पताल में भेज दिया गया।

दक्षिण-मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक और उनके साथ रेलवे के विभागाध्यक्ष दुर्घटना-स्थल को रवाना हो गए। मैं और मेरे सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन तथा साथ में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और यांत्रिक सदस्य दुर्घटना स्थल पर और वारंगल स्थित अस्पताल में गये जहां पर घायलों को दाखिल किया गया था।

मैंने मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 1500 रुपये और घायलों को 1000 रुपये राहत के रूप में अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है।

दक्षिण क्षेत्र, बंगलौर के रेल संरक्षा के आयुक्त इस दुर्गटना की कल से जांच शुरू कर देंगे। उनकी जांच पूरी होने तक, कोलानूर के स्टेशन मास्टर और कैबिनमैन को निलम्बित कर दिया गया है।

मैं चौकीदार-रहित समपारों की व्यापक पुनरीक्षा करने का आदेश दे रहा हूं और यातायात की मात्रा के आधार पर रेलें, फाटकों पर चौकीदार रखने काम चरण-वद्ध आधार पर अधिक तेजी से शुरू करेंगे। सिगनल कैबिनों के निकट स्थित फाटकों पर उठने वाले रोधकों की व्यवस्था की जायेगी। कोलानूर में ऐसा करने के आदेश दिए जा चुके हैं और वहां काम शुरू हो गया है।

श्री हरिकेश बरादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मामला गंभीर है ।

अध्यक्ष महोदय : आप गम्भीर नहीं बनाना चाहते हो, उसका मजाक बनाना चाहते हो । 15 मिनट बाद होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स आ रही हैं । चर्चा कर लीजिएगा जी भर कर ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : आप ऐसा क्यों कहते हैं, यह तो अन्याय है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ कर रहे हो, में आपके साथ कर रहा हूं । 15 मिनट बाद होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स पर बहस होने वाली है ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम इस सरकार को सेंशर करना चाहते हैं·····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : जो सही बात है उसको आप नहीं सुन सकते हो ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, आप इसकी गम्भीरता को नहीं समझ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठा कर फैसला कर लो मैं अपनी गलती मान लूंगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट के जज की हत्या गंम्भीर मामला है कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं कि 15 मिनट बाद होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स आ रही हैं । गृह मंत्री जबाव देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके पास तो हर रोग का एक ही इलाज है । आप देख लीजियेगा बहस का जबाव किस तरह से देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : बहस का जबाव वही देंगे, मैं नहीं दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सेठी का स्टेटमेंट नहीं सुना, आप उनसे कहिये वह फिर से पढ़ें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं जब सब लोग एक साथ बोलेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर : इस पर आप अलग से बहस करायें, सारे देश के लोगों को इस घटना ने हिला दिया है ।

———

नियम 377 के अधीन विषय मामले

(एक) मध्य प्रदेश के विदेशी तथा रायसेन जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत कार्य

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा एंव रायसेन जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से करीब 350 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इस क्षेत्र में रबी की फसल प्रायः चौपट हो गई है। जिला प्रशासन ने करीब 11-12 करोड़ रु० के नुकसान का अनुमान लगाया है। मैंने विगत दिनों 80-85 गांवों का दौरा किया था तथा खेतों में हुए भारी नुकसान को स्वयं देखा है। ओला वृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार है; गुलाबगंज, सर्किल, देवखजूरी, वर्रा-खामखेड़ा, पीपल्खेड़ा सर्किल, नटेरन, पबई, सिन्नौटा, रायसेन में जड़ीं, बरेली एवं भारकच्छु सर्किल और बुधनी तहसील में शाहगंज सर्किल के करीब 24 गांव प्रभावित हुए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन ओला पीड़ित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य खोल दिये गये हैं एवं लगान, तकावी, बैंक ऋण आदि की वसूली भी रोक दी गई है इसके लघु कृषकों एवं मजदूर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। परन्तु कृषकों पर अचानक आये इन प्राकृतिक प्रकोप से इन गांवों के 90 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए हैं और उनको आगामी खरीफ फसल के लिए बीज एवं खाद की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया है। बैंक ऋण भी एक प्रमुख समस्या है जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के किसान इस वर्ष बैंक ऋण की किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि केन्द्र शासन को मध्य प्रदेश शासन के लिये राहत कार्य खोलने खाद एवं बीज के लिये ऋण एवं अनुदान के लिए अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एवं सहकारी बैंक को यह निर्देश आविलम्ब दिये जाने चाहिये कि ये संस्थायें इन प्रभावित क्षेत्रों में वसूली स्थगित रखें और एक वर्ष का ब्याज माफ कर इनको आगामी खरीफ फसल के लिये खाद, बीज आदि के लिए ऋण की व्यवस्था करें और विदिशा एवं रायसेन क्षेत्र में फसल बीमा योजना अविलम्ब लागू की जानी चाहिये।

ऐसा करने से भी हम ओला प्रभावित कृषकों की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर पायेंगे। परन्तु इस प्राकृतिक विपदा के समय थोड़ी बहुत सहायता अवश्य हो जायेगी।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, देखिये में प्रस्ताव ··(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत सुन लिया। आपका हाउस है. मेरा नहीं है। क्या आपको यह शोभा देता है ? और जोरों से करिये, मैं कब रोकता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : काल अटेंशन के बारे में आपको क्या आपत्ति है ? हमारे काल अटेंशन को क्या हुआ ? क्या वह पेंडिंग है या क्या हुआ उसका आप यह तो बतायें ?

अध्यक्ष महोदय : आप रूल की किताव पढ़ लीजिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : काल अटेंशन में रूल लिखा हुआ है क्या ? मन्जूर हुआ कि नहीं यह आप हमें बतायें ? क्या काल अटेंशन इस पर आप नही करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : रोज करवाता हूं मैं तो ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जब वह एक गंभीर वक्तव्य दे रहे हैं ये लोग व्यवधान डाल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, इस पर अलग से वहस करवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स पर बहस हो जाएगी । उसके बाद अगर कुछ और बाकी रह जाएगा तो सोचा जायेगा । आप धींगा मस्ती क्यों कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के लिये रूल नहीं तोड़ता, किसी के लिए रिआयत नहीं करता । मैं सब ठीक करूंगा, जो उचित समझूंगा वह करूंगा । मैं नियमानुसार काम करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता । श्री फर्नांण्डीस ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के आदिवासियों की भोजन तथा पेयजल की समस्याओं को हल करने के लिए कदम

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : आन्ध्र प्रदेश के आदिलावाद जिले के आदिवासी क्षेत्रों में (आदिलाबाद का वन क्षेत्र वहां के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत है) भारी सूखा की स्थिति है । खरीफ और रबी की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है । कपास और तुवारदाल की फसलों में कीड़े लग गये हैं । वहां कपास की उपज सामान्यत: 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है । लेकिन इस वर्ष किसी भी किसान को एक क्विंटल प्रति एकड़ भी नहीं मिला है । ज्वार की फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई है ।

सामान्य स्थिति में भी आदिलाबाद के आदिवासियों का जीवन बहुत दुखमय बना हुआ है । वनों के आरक्षण और संरक्षण किये जाने से वे अब उस भूमि का लाभ नहीं उठा सकते जिसे परम्परागत रूप में इस्तेमाल करते आए हैं । आज उन्हें बीड़ी के पत्ते और इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के लिए बहुत कम दाम पर काम करना पड़ता है और ईंधन की लकड़ी तथा अपने हल आदि बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए वन अधिकारियों को रिश्वत और जुर्माना देना पड़ता है । इसके अतिरिक्त वे जमीदारों के शोषण का भी शिकार होते हैं और अधिकतर जमीदार ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर रखा है । और अब अकाल ने उनका दुख और बढ़ा दिया है

सरकारी अधिकारियों ने आदिवासियों की इस तरह मजबूरी का लाभ उठाया है। उन्हें ऋण नहीं दिया जा रहा है। कैरीमेरी, वानकिडी और ऐसे अन्य स्थानों पर स्थानीय सरकारी कर्मचारियों ने आदिवासियों को सीमेंट की टाइलें देने का आश्वासन देकर उनसे 60-60 रु० लिए हैं। आज तक किसी को भी सीमेंट की टाइलें नहीं दी गई। पिछले चार महीनों में अधिकारियों ने नकद या वस्तु के रूप में ऋण देना बंद कर दिया है।

खाद्य वस्तुओं की कमी के कारण आदिवासियों को वर्षा के मौसम में जंगल से मिलने वाले कुछ अनाज आदि खाना पड़ रहा है ? और गर्मी के मौसम में वे जंगली फूल खाकर गुजारा कर रहे हैं। सर्दियों में वे जंगली बेरी खाते हैं जिसे सामान्यतः बकरियां खाती है वे कई तरह के बीजों को उबाल कर उसका पानी पी रहे हैं और इमली की पत्तियों के साथ कुछ जड़ें उबाल कर उसे बहते हुए पानी में ठंडा करके खा रहे हैं। (यदि इन जड़ों को बिना उबाले और बहते हुए पानी में ठंडा किए बिना खाया जाए तो जीभ में सूजन आ सकती है और मृत्यु हो सकती है।) वे ज्वार के डंठल चबा कर उसका रस पीते हैं। वे जंगल की पत्तियों और फलों से बनाई गई शराब भी पीते हैं। वे जो जंगली पत्तियों और फल खा रहे हैं उनमें से कुछ के नाम हैं केलिक, मुदारी, बाप्ती।

खाद्य वस्तुओं की स्थिति तो यह है और पानी के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है जहां गर्मियों में पानी मिल सके।

वहां की स्थिति इतनी खराब होने पर भी स्थानीय प्राधिकारी आदिवासी कल्याण के लिए निश्चित किये गए करोड़ों रुपयों को खाने में लगे हुए हैं। सच तो यह है कि वे खा नहीं रहे हैं बल्कि गटक रहे हैं। आदिवासी बहुत असंतुष्ट हैं और वे जोर जबरदस्ती करने पर उतारू हो सकते हैं। संभावित परिणामों के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें पूर्णतः जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं मुझे आशा है कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे।

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों की असन्तोषजनक भर्ती प्रक्रिया

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : नियम 377 के अधीन, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का एक मामला सभा के नोटिस में लाना चाहता हूं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग उद्योग का बहुत विस्तार हुआ है। इस विस्तार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड बनाये हैं। लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये बोर्ड प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती करने में समान प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं।

हाल ही में, 4 सितम्बर, 1981 के एक अंग्रेजी दैनिक पत्र में एक विज्ञापन था जिसमें इंडियन बैंक और आंध्र बैंक के लिए प्रोबेशनरी अधिकारियों के पद के लिए आवेदन-पत्र मांगे गये थे। इसमें लिखा था कि यदि कोई उम्मीदवार दो नोंबैंकों के लिए आवेदन करना चाहे

तो उसे अलग-अलग आवेदन -पत्र भेजना होगा और प्रत्येक आवेदन के साथ 40-40 रुपए शुल्क भेजना होगा । इसका कारण यह बताया गया था कि दोनों बैंकों में प्रोवेशनरी अधिकारियों के वेतन मान अलग-अलग हैं इसलिए पृथक आवेदन पत्र तथा शुल्क मांगा गया है ।

बैंक सेवा भर्ती बोर्ड पिछले तीन या अधिक वर्ष से ऐसी परीक्षाएं ले रहा है और आश्चर्य की बात है कि उसने कभी भी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के परिणाम प्रकाशित नहीं किये हैं । इसके विपरीत भारतीय स्टेट बैंक (क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय और भर्ती बोर्ड (बंगलौर क्षेत्र) ने, जो समान पदों के लिए ऐसी ही परीक्षाएं आयोजित करते हैं, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के परिणाम सदैव प्रकाशित किये हैं ।

इसके अतिरिक्त, हालांकि परिणाम कम्प्यूटर से तैयार किये जाते हैं फिर भी इन्हें कम से कम एक वर्ष में घोषित किया गया है । इसके बाद छंटे हुए उम्मीदवार व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं और इनके परिणाम घोषित करने में बोर्ड को कम से कम एक वर्ष और लग जाता है ।

अतः मैं माँग करता हूं कि जब परीक्षाएं लेने के लिए कई क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड बनाये गए हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे एक समेकित विज्ञापन जल्दी करें जिसमें उस क्षेत्र के बैंकों में रिक्त पदों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए । मैं यह भी मांग करता हूं कि देश में लाखों बेरोजगार स्नातकों की परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्हें बार-बार वही परीक्षाएं देनी पड़ती हैं क्योंकि नौकरियाँ सीमित हैं और परिणाम बहुत देर से घोषित किये जाते हैं, इनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये ;

मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर तुरन्त एक वक्तव्य दिया जाए ।

(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के मुख्यालय को दिल्ली से हटाकर कलकत्ता ले जाना

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं :

1982 को 'उत्पादकता वर्ष' घोषित किया गया है । सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिकतम महत्ता दी है । लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने व्यक्तिगत हित के लिए सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया है । यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित करने, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड को दिल्ली से पटना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मुख्यालय को दिल्ली से चण्डीगढ़ ले जाने भारत अलम्यूनियम कारपोरेशन को दिल्ली से भोपाल और नेशनल अलम्यूनियम कारपोरेशन के मुख्यालय दिल्ली से भुवनेश्वर ले जाने के आदेश जारी किये थे । लेकिन इन मुख्यालयों को

दिल्ली से स्थानांतरित करने के आदेशों तथा बार बार दिए गए अनुदेशों पर किसी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ध्यान नही दिया है। वे अपने हित में, दिल्ली में ही रहना चाहते हैं जब कि यह उनके उत्पादन-संयंत्रों से बहुत दूर हैं। दूर बैठकर नियन्त्रण करने की इस प्रणाली के परिणामस्वरूप इन संयंत्रों का उचित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रति वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि विभिन्न संयंत्रों के कुशल प्रशासन एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु अत्यधिक समन्वय के लिए विभिन्न कम्पनियों के मुख्यालयों को यथासम्भव निकट स्थान पर स्थापित किया जाये। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में एकमत टिप्पणी की थी कि "पूर्वी फैक्ट्रियों अर्थात एच० एफ० सी० एल० को कलकत्ता में स्थापित किया जाये। अध्ययन दल ने यह निर्णय लेते समय भौगोलिक स्थिति, सड़क रेल, हवाई अड्डे, दूर संचार सुविधाओं एवं विपणन क्षेत्र को ध्यान में रखा था।

अप्रैल 1978 में पश्चिम बंगाल विधान सभा में मतैक्य से एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें केन्द्र सरकार से अध्ययन दल के निर्णय को लागू करके एच० एफ० सी० का मुख्यालय कलकत्ता में खोलने का अनुरोध किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल सरकार बहुत ही लाभप्रद पेशकश लेकर सामने आई : (एक) "पोद्दार कोर्ट" में कार्यालय हेतु 5 रु० प्रति वर्ग फुट की दर पर पूर्ण वातानुकूलित सुविधा सम्पन्न 26,000 वर्ग फुट की इमारत। इस इमारत में प्राय: बिजली में कटौती नहीं होती। (दो) कर्मचारियों के लिए साल्ट लेक पर दो या तीन कमरों के 100 तैयार फ्लैट। (तीन) स्थायी आधार पर कार्यालय के लिए भवन का निर्माण करने और कर्मचारियों के रहने के लिए मकान बनाने हेतु साल्ट लेक क्षेत्र में बाहर एकड़ भूमि। निदेशक (वित्त) दो अन्य सदस्यों के साथ 25 और 26 अप्रैल 1980 को पश्चिम बगाल सरकार के मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग मंत्री से मिले और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन इमारतों की जांच की तथा यह बताया कि वे अपनी स्वीकृति की पुष्टि 10 मई 1980 तक कर देंगे क्योंकि इसके लिए बोर्ड की औपचारिक स्वीकृति लेनी आवश्यक है। परन्तु इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए 9 मई को होने वाली बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई।

प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि विभाजन के तुरन्त बाद, आर० सी० एफ० के मुख्यालय ने ट्राम्बे में कार्य करना शुरू कर दिया और यह कार्यालय लाभ कमा रहा है। इसी प्रकार, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी लाभ कमा रहा है। केवल एफ० सी० आई० लिमिटेड और एच० एफ० सी० लिमिटेड, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं, ने सरकार के निर्णय को लागू नहीं किया और वे अब भारी हानि में चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाजन के पश्चात जिन कम्पनियों ने अपने मुख्यालय संयंत्रों के निकट बना लिये हैं, लाभ कमा रहीं हैं और इस प्रकार उन्होंने विभाजन का वांछित परिणाम प्राप्त कर लिया है।

उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय हित में और निगम के अपने हित में एच० एफ० सी० के मुख्यालय को कलकत्ता में स्थानान्तरित करने के अपने निर्णय को तुरन्त लागू करने के लिए हस्तक्षेप करे।

मैं मांग करता हूं कि संबंधित मंत्री इस बारे में सदन में वक्तव्य दें।

(पाँच) सीमेंट उद्योग के लाभ की सीमा में कथित वृद्धि

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति की घोषणा के द्वारा 66 प्रतिशत लेवी सीमेंट कन्ट्रोल मूल्य पर व 34 प्रतिशत खुले बाजार में मांग व उपलब्धि के आधार पर निश्चित मूल्य पर मिलेगी। सरकार ने कन्ट्रोल मूल्य 37 रुपए प्रति बोरी तय किया है, जबकि दूसरी सीमेंन्ट खुले बाजार में 66 रुपए व 67 रुपए प्रति बोरी मिल रही है। कन्ट्रोल मूल्य पर दी जाने वाली सीमेंट के लिए उद्घोषित नीति द्वारा मुख्यतया सरकार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को ही यह कन्ट्रोल की सीमेंट प्राप्त हो सकेगी जबकि अन्य नागरिकों को छोटे ब बड़े निर्माण कार्यों के लिए खुले बाजार से दुगने से भी अधिक बढ़े हुए मूल्यों पर सीमेंट खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जब समस्त उत्पादित सीमेंट पर सम्पूर्ण कन्ट्रोल था, उसका 30 रुपए प्रति बोरी मूल्य था। उत्पादक उद्योगों को सुचारु ढंग से लाभोन्मुख बनाने हेतु मूल्य वृद्धि की मांग कर रहे थे और वे 30 रुपए के स्थान पर 35 रुपए प्रति बोरी मूल्य किए जाने हेतु दबाव दे रहे थे।

परन्तु इस दोहरी मूल्य नीति की घोषणा के कारण उसे 35 रुपए प्रति बोरी के मुकाबले 47 रुपए प्रति बोरी का अनुचित लाभ होने लग गया है। प्रति तीन बोरी सीमेंट में से दो बोरी कन्ट्रोल मूल्य 37 रुपए प्रति बोरी से व एक बोरी खुले बाजार में 67 रुपए प्रति बोरी से बिक रही है और इस प्रकार औसतन एक बोरी पर 47 रुपया प्राप्त हो रहा है, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से उपभोक्ता का शोषण व उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाना है।

अत: मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

(छः) गोरखपुर जिले में सिरवा तथा आनन्दनगर चीनी मिलों द्वारा गन्ना न उठाए जाने के कारण उत्पन्न किसानों की समस्यायें

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो हालत-इतनी खराब है कि अगर फोरी तौर पर तवज्जह नहीं दी गई तो सीजन के आखिर में शायद लाखों टन गन्ना खेतों में खड़ा रह जाय और खेतों में ही फूंक देना पड़े।

गोरखपुर जिले की सिसवा चीनी मिल अपनी क्षमता का चौथाई गन्ना भी नहीं पेर पा रही है, जिसकी वजह से पन्द्रह बीस दिन से गन्ना मिल गेट पर पड़ा सूख रहा है। इस क्षेत्र के गन्ना किसान बेचैन हैं, क्योंकि आगे भी मिल के ठीक से चलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि या तो उस मिल को अपने नियंत्रण में ले या मिल की तैयार शुदा चीनी को रिलीज करके वर्तमान मिल मालिक को मजबूर करे कि वह मिल को ठीक तरीके से चलाये, मिल गेट पर सूखे गन्ने का उचित मुआवजा दिलाये। दस लाख टन बाकी बचे हुए गन्ने को कपतानगंज और रामकोला आदि मिलों में भिजवाने के लिए सिसवा मिल क्षेत्र में दस स्थानों पर इन मिलों का कांटा लगाये। यह सब काम एक सप्ताह के अन्दर ही हो जाना चाहिए, वरना किसानों की बेचैनी उग्र रूप धारण कर सकती है।

फरेन्दा तहसील में आनन्द नगर मिल व्यवस्था की खराबी के कारण उस क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। इस क्षेत्र के किसान अपना गन्ना बारह और पन्द्रह रुपए क्विंटल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और मिल-मालिक अपने एजेंटों के जरिए खुले आम पन्द्रह रुपए में गन्ने की खरीद कर रहा है। इस ओर भी सरकार की फौरी तवज्जह की जरूरत है।

(सात) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय भाण्डागार निगम को और अधिक भूमि का तुरन्त आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सदन के समक्ष एक वक्तव्य देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेना चाहत हूं। यह वक्तव्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में हैं जो कि मैसर्स भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय भाण्डागार निगम को अपने आयातित एयर कार्गो भाण्डागार की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर और अधिक भूमि देने में ढ़ील बरती जाने के विषय में हैं। 4.11.1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मिनिस्टरीज बैटल ओवर एयर कार्गो हैन्डलिंगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सदन का ध्यान पहले ही दिलाया जा चुका है। माननीय पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री ने पिछले सत्र के दौरान यह उत्तर दिया था कि उपर्युक्त समाचार के संदर्भ में मामले की पुनरीक्षा की जा रही है। तथापि, यह जानकर भारी दुख होता है कि अभी तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है और करोड़ों रुपए मूल्य के पैकेट अभी भी बाहर पड़े हैं। केन्द्रीय भाण्डागार निगम को और भूमि दिए जाने के मार्ग में मैसर्स भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपवन प्राधिकरण जानबूझ कर बाधा डाल रहा है और इस विषय में बेबुनियाद तर्क दे रहा है कि सभी हवाई अड्डों पर सामान चढाने-उतारनेके लिए एक नई कम्पनी स्थापित की जा रही है, साठ दिन पुराने सामान की नीलामी न की जा सके। एयर कार्गो के चढ़ाने-उतारने के लिए एक नई कम्पनी स्थापित की जा रही है। जिसमें के० भा० नि० भी एक सहभागी हो सकता है यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। पुराने सामान की नीलामी करने का कार्य काफी बड़ा और समय लेने वाला है और के. भ. नि. के हाथों में नहीं है। बम्बई और मद्रास जैसे दूसरे हवाई अड्डों पर भी निलामी प्रक्रिया वर्षों बाद शुरू की गई थी। निलामी का कार्य

सीमा शुल्क विभाग करता है और केन्द्रीय भण्डागार निगम इसमें सुविधायें मुहैया कराने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता जो कि सीमा शुल्क विभाग को दी गई हैं।

वास्तविकता यह है कि भारी मूल्य पर आयात किया गया कीमती और नाजुक सामान मौसम की दया पर खुला पड़ा है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि औपचारिकताओं को छोड़ कर टालने वाले तर्क देने की बजाय केन्द्रीय भण्डागार निगम को अतिरिक्त भूमि आवंटित कर दी जाए। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम को यह सुझाव दिया है कि वह परिसर में सड़क के इर्द-गिर्द की भूमि पर अस्थाई "सेड़" डाल दे। इससे माल की आवा-जाही में और कठिनाई पेश आएगी तथा समस्या रंच मात्र भी नहीं सुलझेगी। ज्ञातव्य है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आयात में 45 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और यदि ऐसा है तो केन्द्रीय भण्डागार निगम को एक हेक्टेयर और भूमि आवंटित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये।

———

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें
गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं० 47 से 57 पर चर्चा एवं मतदान करेगी इसके लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके अनुदान मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो 15 मिन्ट के अन्दर टेबल आफिस में पर्ची भेज दें जिनमें उन कटोती प्रस्तावों का क्रमांक दिया हो जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को ही पेश किया गया समझा जायेगा।

पेश किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई गल्ती देखता है तो कृपया करके इसकी सूचना अविलम्ब टेबल आफिसर को दें।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बारी-बारी से विचार व्यक्त करूंगा। पहला है राज्यपाल का पद एवं भूमिका। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस पद का उपयोग सभी मानदण्डों एवं परम्पराओं तथा संसदीय लोकतन्त्र को तोड़ने के लिए करती आ रही है। कुछेक अपवादों को छोड़कर ** राज्यपाल एक कटपुतली ही बन कर रह गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अब मैं केरल और असम के हाल ही के दो उदाहरणों को संक्षिप्त से लूंगा और अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ मुद्दों पर बल दूंगा ।

केरल में राज्यपाल को इस बात की पुष्टि करनी थी कि क्या अल्पमत सरकार का बहुमत है । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । वे जानती थीं कि यह एक अल्पमत सरकार है परन्तु, उन्हें आशा थी कि दल-बदल के परिणामस्वरूप यह सरकार बहुमत प्राप्त कर लेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ । उसके बाद यहां गैर परम्परागत घटना हुई कि अध्यक्ष महोदय को मंत्रालय को बचाने के लिए आठ बार मतदान करना पड़ा और भारत को विश्वभर में उपहास का पात्र बनना पड़ा । स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है ।

तत्पश्चात राज्यपाल ने विधान सभा भंग कर दी । जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था । क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले ही इस विधानसभा को राज्य सभा चुनाव के लिए निर्वाचक मन्डल निश्चित कर चुका था और जहाँ तक मैं जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय की राय में, जब निर्वाचक मण्डल गठित किया जा चुका है तो इसमें फेर बदल नहीं की जा सकती । परन्तु उन्होंने ऐसा किया । उनके बाद उन्हें मंत्रि परिषद की सलाह पर चलना था परन्तु वास्तविकता यह है कि मंत्रिपरिषद् एक अल्प मत सरकार की द्योतक थी और यह शक्ति हीन थी तथा राज्यपाल उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थी परन्तु, फिर भी उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के हितों की रक्षा करने के लिए विधान सभा को भंग कर दिया ।

असम में, राज्यपाल ने यह भी पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या गोगजी मंत्रिमण्डल का विधान सभा में बहुमत है अथवा हो जायेगा । राज्यपाल ने कहा कि उनके द्वारा गोगजी सरकार का गठन कराया जाना देश हित में है । इससे पूर्व हमने कभी भी किसी राज्यपाल से ऐसी बातें नहीं सुनी थीं । गोगजी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला नहीं कर सकी और सभा में प्रस्ताव पर विचार किये जाने से पूर्व ही इस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया । यहां भी हांलांकि राज्य सभा चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल गठित किया जा चुका था, विधानसभा भंग कर दी गई । इस प्रकार केरल और असम को राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने से वंचित कर दिया गया । असम के बारे में कोई नहीं जानता कि वहां कब चुनाव होंगे । इसे केवल संसदीय लोकतन्त्र को तबाह करने और उसका गला घोटने की ही संज्ञा दी जा सकती है । मैं पूछता हूं कि क्या भारत लैटिन अमरीकी गणराज्य बन गया है । ऐसा प्रतीत होता है ।

मैं मांग करता हूं कि राज्यपालों की नियुक्ति केन्द्र द्वारा न की जाये । किसी भी राज्यपाल को स्वंय विधान सभा भंग करने का अधिकार न हो । राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभानी चाहिए, न इससे कम और न अधिक । उन्हें किसी प्रकार की कोई विवेकाधिकार न दिया जाना चाहिए ।

अब मैं देश भर में पनप रही विखन्डनकारी और पृथक्तावादी प्रवृत्ति का उल्लेख करूंगा । बहुत पहले, जब नेहरू जी जीवित थे, एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत की अखंडता बनी

रहेगी फिर वही प्रश्न पुनः उठ रहा है । क्या भारत एक रहेगा ? मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि जितनी अधिक देर तक अधिनायकीय और अधिकारवादी सरकार सत्ता में रहेगी, उतनी ही अधिक विखण्डनकारी और पृथकतावादी शक्तियां पनपेंगी । यदि भारत में सम्पूर्ण अधिनायकीय शासन की स्थापना कर दी जाये तो विस्फोट होगा और अन्ततः भारत टुकड़ों में बंट जायेगा । सरकार के पास डण्डे अथवा संगीन चलाने के अतिरिक्त और कोई उपचार नहीं है ; वे समझते हैं कि यदि लोगों को शक्ति प्रयोग द्वारा गुलाम रखा जाये तो भारत की एकता सुनिश्चित रखी जा सकती है । यह गलत धारणा है । मैं शासक दल पर यह आरोप लगाता हूं कि उनकी नीति से भारत में पृथकतावादी और विखण्डनकारी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है/जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भारत की एकता को कायम रखने के लिए खून की आखीरी बूंद तक लड़ेंगे । यदि यह कभी भी टूटेगी तो आप उत्तरदायी ठहराये जायेंगे । आपकी नीतियां उसी ओर ले जा रही हैं । इतने बड़े देश में, मैं यह कहूंगा कि राज्यों को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए, रक्षा, विदेश कार्य, मुद्रा, संचार आर्थिक समन्वय आदि विषयों को छोड़कर शेष सभी शक्तियां राज्यों को दी जानी चाहिए । ताकि कोई भी राज्य स्वयं को ठगा हुआ दबा हुआ, उपेक्षित और यह न समझे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है । आप ऐसी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं । इसलिए आप भारत को मजबूत नहीं कर रहे हैं । बल्कि भारत के टुकड़े कर रहे हैं । आपको राज्यों के लोगों की इच्छापूर्ण सहायता नहीं मिल रही है । यदि राज्यों के पास अधिक शक्तियां हों तो राज्य में चाहे जो कुछ भी हो वह सब कुछ न्यूनाधिक राज्यों के लोगों पर निर्भर करता है । केवल उनकी मदद से ही भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र बन कर उभर सकता है और अन्य राष्ट्रों के साथ उसे उचित स्थान प्राप्त हो सकेगा । इसलिए, मैं भारत की एकता के हित में इसे सुदृढ़ बनाने और इसे सुरक्षित रखने के हितों में मांग करता हूं कि भारत के सभी राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जायें । हम पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार का कार्यक्रम बनायेंगे तथा पश्चिमी बंगाल विधान सभा ऐसे संकल्प को पारित करके आपको भेजेगी । किन्तु आपने इस विषय को समझा ही नहीं है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको भारत की एकता के प्रश्न का क. ख. ग. भी नहीं समझ में आया है ।

महोदय, अब मैं हरिजनों और आदिवासियों आदि के प्रश्न पर आता हूं । पिछले दो वर्षों में, 1980 से इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने पहले कभी इतने अधिक अत्याचारों, गांवों को जला देने और वहां के लोगों को मार देने आदि की बातें नहीं सुनी थी । वे हरिजन कौन हैं ? वे ग्रामीण निर्धन व्यक्ति हैं । वे वास्तव में कृषि सर्वहारा वर्ग के हैं जो प्रमुख रूप से आदिवासी और अनुसूचित जातियों के होते हैं । केवल यही नहीं, दिल्ली सहित, अनेक समाचार पत्रों के पृष्ठों पर काफी संख्या में ऐसी घटनाऐं छपती हैं कि भारत में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है । मैंने अपने दीर्घ जीवन काल में इससे पहले कभी ऐसा तमाशा नहीं देखा । इसके लिए जिम्मेवार कौन है ? मैं यह कहता हूं कि मुख्यतः शासक दल ही इसके लिए जिम्मेवार है । 34 वर्षों तक वे लोगों को शिक्षित नहीं कर सके हैं । वे सभी प्रकार की विघटन नीतियों, एक को दूसरे के विरुद्ध भड़काना, अपने नीहित स्वार्थ की रक्षा करना, लोगों को अपने बूटों के तले दबाकर रखना आदि सभी प्रकार की नीतियों से काम ले रहे हैं ।

वे इन वर्षों के दौरान यही कुछ करते रहे हैं। केवल यही नहीं, कोई भूमि सुधार भी नहीं हुआ है। कृपया आंकड़े देखें। भारत वर्ष में बहुत कम लाख एकड़ भूमि भूमिहीन निर्धनों को दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष, गृह मन्त्रालय इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप कहते हैं, शासक दल जिम्मेदार है, केवल एक मंत्री नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गृह मंत्री ···।

श्री नीरेष घोष : कृपया मेरा समय न लें।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु आपने कहा है कि शासकदल जिम्मेवार है।

श्री नीरेष घोष : जी हां, यह मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक समस्या है। और जब तक आप इससे सम्पूर्ण रूप में नहीं निपटेंगे यह समस्या बनी ही रहेगी ··।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दल पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? आप सरकार पर प्रहार करें।

श्री नीरेन घोष : अत्याचार बढ़ते जायेंगे और अब यह क्यों हो रहा है? शायद ये मूक लाखों, 34 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद, यहां और वहाँ अपने अधिकारों का दावा करने लगे हैं। जहां कहीं भी उन्होंने अपने अधिकारों का दावा किया है वहीं पर सम्पूर्ण राज्य तन्त्र और शासक कांग्रेस के तत्व इकट्ठे होकर उन पर टूट पड़ते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही डाकुओं को मारने के नाम पर 500 हरिजन मार दिए गए। यही उन्होंने प्रयास किया है। देश भर में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। जहां कहीं भी काँग्रेस का शासन हैं वे हास्य का विषय बन गए हैं। उन्हें यहां तक गिरा दिया गया है। क्या यह देश लम्बे समय तक इसी प्रकार चल सकता है? मैं समझता हूं नहीं।

धीरे-धीरे सम्पूर्ण ग्रामीण अशान्त क्षेत्र बन रहा है—चाहे वे विश्वास करें या ना। मैं यह कहूंगा कि इस सरकार पर अब और ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं कृषि मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों, निर्धन किसानों, मध्यवर्गीय किसानों और सीमाँत किसानों से यह आहवान करता हूं। कि वे एक हों और वे वगावत का झण्डा खड़ा कर दें ताकि वे अपने अधिकारों का दावा कर सकें। अन्यथा उन्हें इस सरकार से कोई न्याय नहीं मिलेगा।

केवल यही नहीं, इस राजनीतिक दल, कांग्रेस की सभी जगह, सभी राज्यों में माफिया गिरोह से साँठ-गाँठ है। जब चुनाव अथवा कोई और बात होती है तो ये सभी राज्यों में प्रोंकेन्सटीन के रूप में अखाड़े में उतरता है। तब निर्धन किस प्रकार जीवित रह सकते हैं? उन्हें तथा कथित धर्मपरायण उपायों, थोड़े से आबंटन के बावजूद न्याय नहीं मिलेगा। वे इस समस्या के किनारे तक को भी नहीं छूते।

मेरा अन्य मुद्दा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस आदि जैसे पैरा-मिलटरी बलों का बड़े पैमाने पर गठन करने के बारे में है। इन पर 351 करोड़ रु० से अधिक का खर्च होता है। दमन, निहित स्वार्थों के संरक्षण और सामान्य, निर्धन तथा पददलित लोगों को भयभीत करने के लिए बहुत भारी तंत्र है। यही इन्होंने बनाया है। छठे दशक में, रक्षा बजट भी इतना बढ़ा नहीं होता था। वर्ष-प्रतिवर्ष वे निवेश बढ़ा रहे हैं और अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं और हर जगह ये सेनायें अत्याचार करने में लगी हुई हैं। जहाँ भी लोग अपने अधिकारों के दावे के लिए एक हुए, ये सेनायें उन्हें दबाने के लिए लाई गईं। यह पूर्णतया हथियारों से लेस राज्य बन चुका है। भारत का सम्पूर्ण पददलित वर्ग हतोत्साहित हो गया हैं। उन्होंने जो भी आशा की, वह समाप्त हो चुकी है जिससे वे सनकी बन गए हैं; और वे अपने उज्जवल भविष्य की सभी आशायें खो चुके हैं।

मैं, माँग करता हूं कि इन सशस्त्र बलों को समाप्त किया जाए और इनमें भारी मात्रा में कमी की जाए तथा किसी भी उस राज्य में सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस को नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ की भाषा और सांस्कृति वे सशस्त्र बल न जानते हों। मालाबार स्थित केन्द्रीय आरक्षी पुलिस को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को आन्ध्र प्रदेश में नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि वे उनके रीति रिवाजों को नहीं जानते हैं। वे जो मुद्दों में आता है वही करते हैं। अपने राज्य में, हमें आठवें दशक में इसी प्रकार का काफी अनुभव हुआ।

आसूचना संस्थायें भी काफी हैं। अन्य कालदोष अनुसंधान और विश्लेषण विंग है। इसे गृह मन्त्रालय के अधीन होना चाहिए। उन्हें मन्त्रिमंडल सचिवालय के अधीन रखा गया है। इसके लिए कहाँ चर्चा और बहस की जाए, मैं नहीं जानता। यह एक अनर्थकारी बल है। मैं जनता पार्टी और विशेषकर श्री मोरारजी देसाई की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस संख्या को काफी हद तक घटाया और इसके बिगों को कम किया। अब उनका हर प्रकार से गठन किया जा रहा है 30 करोड़ रुपये की राशि से एक भारी भवन बनाया जा रहा है और उसमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। मनोरंज के लिए वे लोग विदेशों का दौरा करते हैं, और क्या नहीं करते, बहुत सी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। वे ये सब बातें अलग-अलग कर रहे हैं।(व्यवधान)**।

श्री नीरेन घोष : वह उसे भूल जाता है। वह वफादार प्रतिपक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नीरेन घोष : 20 वर्षों से हम यह माँग करते आ रहे हैं कि नेपाली भाषा को— दार्जलिंग में हम कहते हैं कि गोरखी भाषा है, कुछ कहते हैं नेपाली भाषा है··· संविधान

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाये । हमने यह भी मांग की थी कि दार्जलिंग में एक जिला क्षेत्रीय परिषद की स्थापना भी की जानी चाहिए । अब कुछ वर्ग, गोरखा समुदाय गोरखालेण्ड माँग रहे हैं, एक अगल राज्य और कोई नहीं जानता कि अतन्तः उनके दिमाग में क्या है । वे भारत से अलग होना चाहते हैं अथवा वे कुछ भी कर सकते हैं । उनकी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल न करके केन्द्रीय सरकार विखण्डनकारी और प्रथकतावादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है । कम से कम, हमारा अपना अनुभव है, हम जानते हैं कि वामपंथी मोर्चा सरकार बार-बार यही माँग करती रही है किन्तु वे इस मुद्दे को नजर अंदाज कर रहे हैं ।

अब, प्रधान मन्त्री ने चुनावों के दौरान कहा था कि ध्रुव और निवारक नजरबंदी अधिनियम पारित नहीं किया जायेगा । यह वायदा संसद के सत्र के पहले दिन ही तोड़ दिया गया । तब से ही निवारक नजरबंदी अधिनियम लागू किया गया है । यहां पर आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम आदि, और कौन-कौन से अधिनियम यहां नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह लोकतन्त्र है ? क्या यह संसदीय लोकतन्त्र है ? क्या आपको किसी भी ऐसे पश्चिमी यूरोपीय देश की जानकारी है जहां लोकतन्त्र है, और जहाँ ऐसी बातें होती हैं ? इंगलेण्ड में, पुलिस वाले राइफल तो क्या डंडा तक भी नहीं चलाते । यहां पर अहिंसा के नाम पर उनके द्वारा चलाये जा रहे राज्यों में गृह मंत्रालय के एजेंटों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है । अहिंसा के नाम पर उनके द्वारा अब तक हजारों लोगों को मार दिया गया है और हजारों को मारा जा रहा है । वे गांधी जी के शिष्य हैं । उन्होंने, अहिंसा का पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ा है ; उन्होंने ऐसा किया है ।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : ऐसा कौन कहता है ?

श्री नीरेष घोष : ये गांधीजी के शिष्य हैं । उन सब ने कहा है ।

श्री बीजू पटनायक : ऐसा कोई नहीं कहता है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : स्पष्ट तौर पर, वे श्रीमती गांधी के शिष्य हैं ।

श्री नीरेंष घोष : इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि राज्य से यहां तक क्या इंगित होता है ? यही इंगित होता है कि यह पहले से ही सत्तावादी शासन है ऐसा प्रतीत होता है कि बिना आपात् स्थिति घोषित किए ही वास्तविक जीवन में आपात स्थिति विद्यमान है । प्रजातन्त्र के तावूत में शायद अन्तिम कील ठोकी जायेगी जब वे राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार बनाना पसन्द करेंगे, जिसके लिए वे मेहनत से आधार तैयार कर रहे हैं । यही वे करना चाहते हैं । उन्होने अपना विकल्प अभी तय नहीं किया है । वे इसे सबसे बड़ा लोकतन्त्र मानते हैं यह तो एशिया या विश्व में सबसे बड़ा सत्तावादी राज्य है और पश्चिम देशों का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि

भारत में क्या हो रहा है। यह बात नहीं है कि वे जानते नहीं हैं। वह यह जानते हैं कि हम पूरी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं एक पार्टी, एक नेता की तानाशाही। क्या आप हिटलर के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यवि भाग में राज्य-मन्त्री (श्री पी०वेंकटसुब्बया) : क्या आप श्री ब्रिजनोव की तरफ इशारा कर रहे हैं ? (व्यवधान)।

श्री नीरेन घोष : मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, एक पार्टी एक नेता। हमने कई दफा देखा है (व्यवधान)।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : आप लोकतन्त्र के बारे में कह रहे थे।

श्री नीरेन घोष : आप विरोधी दल को कोई अवसर नहीं देना चाहते। संसद को बदनाम किया जा रहा है और मुख्य कदमों (कार्यों) के बारे में कार्यकारी फैसला लेती हैं, इस तरह इस की अवेहलना की जाती है। हाल ही में लोक सभा में भी किसी प्रकार के स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद नहीं कर सके। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हो सकता है हमारी शिकायतें हों और हम उनको यहाँ उठाना चाहते हों। मैं कहता हूं कि आप अल्पसंख्यक हैं, जनता का आप पर विश्वास घटता जा रहा है। इसलिए आप दिल्ली में चुनाव नहीं करवा रहे, क्योंकि आपको मालूम है, आप हार जायेंगे। (व्यवधान) मैं दिल्ली में चुनाव कराये जाने की माँग करता हूं, सिर्फ चुनाव ही नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम आपकी इस माँग का समर्थन करते हैं।

श्री नीरेन घोष : शुरू में यह राज्य ही था। पर अब आप इसे नहीं कर रहे हैं। आप यही कर रहे हैं। क्योंकि कोई ठोस वैकल्प नहीं है। इसलिए यह सरकार चल रही है। 1980 में 4) प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया था। आपको लगभग 42 प्रतिशत मत मिले। इस हिसाब से आपकी प्रतिशतता 25 प्रतिशत बैठती है। और अब आपको जनता के 20% ही मत मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। यह दुर्भाग्य की बात है कि तानाशाही के ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के खिलाफ सभी ताकते एकजुट नहीं है। हमारी पार्टी सहयोग करने और देने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी समेत हम सभी ताकतों से सहयोग करने को तैयार हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए हम दोलणापन्थी और वामपन्थी सभी से सहयोग करने को तैयार हैं। (व्यवधान) यही मूल प्रश्न है। हम आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में चिन्तित नहीं हैं। वे भिन्न-भिन्न अलग हो सकती हैं। हम उनकी आलोचना करेंगे और उनके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रश्न पर मैं सभी से सहयोग करने को तैयार हूं। कोई वामपंथी, दक्षिणपंथी काला, सफेद अछूत नहीं है। (व्यवधान)···· यही इसकी खूबियाँ हैं। इसमें हर कोई सहयोग दे सकता है। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : छोटे और बड़े ?

श्री नीरेन घोष : यह सही है, छोटे कद वाले विश्व पर शासन करते हैं। नेपोलियन और लेनिन भी छोटे कद के थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : माओ-त्से तुंग भी···· (व्यवधान) ।

श्री नीरेन घोष : नही । माओ-त्से-तुंग छोटे कद के नहीं थे, वे काफी लम्बे थे ।

पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पास किये गए 20 विधेयक लम्बित हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और जिनसे किसानों को दूरगामी लाभ पहुंचायेंगे । पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा जो कोई भी प्रगतिशील कदम उठाए जाते उनमें यहाँ बाधी डाली जाती है। मूलतः गृह मंत्रालय के जाल में से कुछ भी नहीं निकल पाता । यही हो रहा है। हर पग पर गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। अनेक बार उन्होंने गलत बयान दिये हैं, जिनका मुख्य मन्त्री और अन्य वक्ताओं ने खंडन किया है। इसके लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है, यह सब वह कह रहे हैं। क्यों ? क्योंकि यह एक गैर-काँग्रेसी राज्य है। आप काश्मीर की तरफ देखें — एक दूसरा गैर-काँग्रेसी राज्य । वे शेख अब्दुल्ला को हटाना चाहते हैं, हालांकि उनको पता है शेख अब्दुल्ला को हटाने से वहाँ क्या होगा, कोई नहीं जानता । यह शेख अब्दुल्ला ही थे, जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए नहीं कहा । आपको यह याद रखना चाहिये । परन्तु आप भूल रहे हैं ।

हमें इस बात का खेद है कि तमिलनाडु में दोनों डी०एम०के० दल अन्नादुरए के सिद्धान्तों को भुलाकर केन्द्र को अपनी स्वामिभक्ति दिखाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें । आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री नीरेन घोष : मै जानता हूं कि मुझे दिया गया समय अभी खत्म नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को 42 मिनट का समय दिया गया था । अभी आपके दल के दो और सदस्यों ने भी बोलना है । अगर आप पूरा समय ले लेंगे तो दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए नहीं बुलाया जायेगा ।

श्री नीरेन घोष : आप काफी बाधा डालने वाले सभापति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाधा डालने वाला उपाध्यक्ष ।

श्री नीरेन घोष : जब दण्डपाणि बोलते हैं तो आप बाधा डालते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वे अधिक समय लेंगे तो मैं उनको भी बाधा डालूंगा ।

श्री नीरेन घोष : मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सभा के सदस्य सीधे निर्वाचन द्वारा चुने जांय और उन्हें भी बराबर के अधिकार प्रदान किए जायं। मैं जानता हूं कि विपक्ष में बैठे मेरे अनेक साथी, इस सुझाव को पसन्द नहीं करेंगे। हमारा दल यह मानता है और यह सत्य है कि भारत एक बहु राष्ट्रीय राज्य है। इसीलिए दूसरे सदन की हाऊस ऑफ लार्डस् से तुलना नहीं की जा सकनी चाहिए। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। और अप्रत्यक्ष चुनाव से भी कोई लाभ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाय ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अमरीकन पद्धति की तरह।

श्री नीरेन घोष : जी हाँ, काफी कुछ उसी तरह। हम चाहते हैं कि सब मामलों में दोनों सदन एक समान हों। इससे भारत की अखण्डता और मजबूत होगी। क्योंकि पंजाबी एक राष्ट्रीयता है, कन्नाढ़ा एक राष्ट्रीयता है ...।

एक माननीय सदस्य : वे भारतीय हैं।

श्री नीरेन घोष : इसमें कोई शक नहीं कि वे भारतीय हैं, मैं भी एक भारतीय हूं। यही नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि भारत की अखण्डता के लिए मेरा दल अन्तिम क्षण तक संघर्ष करेगा इसको टूटने नहीं देगा। अगर हमारा दल दूसरी तरह सोचता, तो समस्त उत्तर-तूर्व भारत में अशान्ति पैदा हो जाती, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता था। वे भी इसको जानते हैं।

कुछ विषयों पर विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि अगर राज्यों को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं, तो पिछड़े राज्यों की देखभाल कौन करेगा अथवा उन्हें कौन न्याय प्रदान करेगा। मैं यह प्रश्न पूछता हूं। 34 वर्ष हो गए हैं। सभी विकास कार्य पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित हैं। बिहार इतना गरीब राज्य क्यों है ? यही हाल उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का है। बंगाल एक औद्योगिक राज्य था। लेकिन अब यह पिछड़ रहा है, क्योंकि अपनी नीति है कि यहां नए एकक स्थापित न किए जाएं। वे शुरू से ही इनको निरूत्साहित करते हैं, राज्य के साथ आर्थिक, वित्तीय राजनीतिक और क्या नहीं सभी क्षेत्रों में भेदभाव करते हैं।

1980 के चुनावों में हमने डाले गये मतों का 54% प्राप्त किया। हमें जनता में बहुमत प्राप्त है। हमें किसी भी प्रकार के गठबन्धन से नहीं डरते हैं। जब तक हमारा आधार मजबूत है। तब तक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।

मेरी श्री जैल सिंह या श्री वेंकटसुब्बया से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और यह कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं है—लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस प्रतिष्ठित संस्था का सभापतित्व तय कर रहे हैं जोकि भारत के लोगों को काफी हानि पहुंचा रही है। आप जानबूझ कर या अनजाने में भारत को खण्डित करने में योगदान दे रहे हैं। यही आप कह रहे हैं।

यदि आप इतिहास की ओर देखें तो पायेंगे कि भारत पर एक व्यक्ति का शासन कभी भी नहीं रहा । यह सपना तो अभी पूरा हुआ है । ऐसा लगता है कि आप यह सपना पूरा करना नहीं चाहते हैं । मैं नहीं जानता कि आप जानते है या नहीं, लेकिन शायद आपको जानना चाहिए । कम से कम, मैं समझता हूं कि आपके प्रधान मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिये । स्थिति की वास्तविकता पर उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है । हम जानते हैं, शासन करती हैं, आप नहीं । यह एक व्यक्ति का शासन है ।

अतः, मैं कहता हूं, अब भी अपने कदम वापिस लौटा लें यही आपके लिए उपयुक्त समय है । इसलिए, मैं कहता हूं कि कुछ मंत्रालयों को छोड़कर सभी की गतिविधियां निन्दा योग्य हैं, पूर्णतया जनता-विरोधी हैं ; दमनकारी कदम उठाये जा रहे हैं । ऐसा समस्त भारत में निजी हितों को बनाए रखने तथा उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है । आप यही कह रहे हैं । आने वाला समय में इतिहास स्वयं अपने तरीके से निर्णय उसके लिए तैयार रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्र शेखर सिह ।

श्री जी० एन० वनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश के अनेक भागों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विशेष रूप से कतिपय विकृत साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा विषैले साम्प्रदायिक प्रचार में वृद्धि के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता । (13)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश के कतिपय भागों में हरिजनों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने पर बेबुनियादी और पक्षपातपूर्ण मुस्लिम विरोधी प्रचार के विरुद्ध कार्यवाही करने में ससफलता । (14)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[भारी तनाव से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति सम्बन्धी सरकार को दी गई पूर्व चेतावनी के बावजूद महाराष्ट्र में बारामती, पुणे, शोलापुर और पंडारपुर में मुस्लिम विरोधी हिंसा की कार्यवाहियों को रोकने में असफलता । (15)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने और उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता । (16)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[हरिजनों पर बढ़ते अत्यचार । (17)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं । '

[मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सभी स्तरों पर केन्द्रीय सेवाओं में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पर्याप्त स्थान देने की आवश्यकता । (18)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पुलिस बल में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता । (19)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आर्थिक न्याय दिलाने और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें उचित रूप से भागीदार बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता । (20)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।'

[डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त पैनल द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में असफलता । (21)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक और सांविधिक दर्जा देने की आवश्यकता । (22)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता । (23)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम किए जाएं ।'

[देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट । (24)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[दहेज सम्बन्धी विवादों के कारण महिलाओं के मारने सम्बन्धी घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता । (25)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा उत्थान के लिए एक अलग मंत्रालय की आवश्यकता । (26)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[उर्दू को, जो एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक भाषा है, न्यायोचित दर्जा देने की आवश्यकता (27)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[कर्नाटक में गोगाक समिति की शिफारिशों के, जिन अल्पसंख्यकों की भाषाओं के उचित तथा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों की लोकप्रिय मांगों के प्रति ध्यान देने तथा स्वीकार करने में असफलता । (28)]

'कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[साम्प्रदायिक दंगों के शिकार अभागे व्यक्तियों को शीघ्रता से क्षतिपूर्ति दिलाने तथा उनका पुनर्वास करने हेतु विधान बनाने की आवश्यकता । (29)]

"कि 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पुलिस बल के लिए पर्याप्त संख्या में रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (30)]

'कि 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पुलिस बल के लिए बेहतर सेवा शर्तों की आवश्यकता । (31)

'कि 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[कर्तव्य पालन में लापरवाही के दोशी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता । (32)]

'कि 'दिल्ली' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[दिल्ली में डकैतियों, सेंधमारने और अन्य अपराधों में वृद्धि । (33)]

'कि 'दिल्ली' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने और अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए दिल्ली में अपराधों के अन्वेषण में सुधार करने की आवश्यकता । (34)]

'कि 'दिल्ली' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

[दिल्ली में निर्वाचित विधान सभा की आवश्यकता । (35)]

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।'

[पश्चिम बंगाल में देशवली, बागती और कैवरता जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखने की आवश्यकता । (39)]

'कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।'

[संविधान की अष्टम अनुसूची में संथाली और नेपाली भाषओं को शामिल करने में असफलता । (40)]

'कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।'

[देश के उत्तरी भाग में हरिजनों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असफलता । (41)]

'कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।'

[दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफलता । (42)]

'कि 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।'

[देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता । (43)]

'कि 'पुलिस' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।'

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफलता । (44)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[बलात्कार, दहेज के लिए परेशान किये जाने और वेश्यावृत्ति में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में असफलता । (45)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[जनजीवन में सर्वत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कदाचार को रोकने में असफलता । (46)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[बढ़ती जा रही लूटमार डाकाजनी और बलात्कार की घटनाओं को रोकने में असफलता । (47)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[संसद का सूत्र शीघ्र ही होने की दशा में भी अध्यादेशों, विशेषकर कर प्रस्तावों संबंधी अध्यादेशों, को जारी करने की सरकार की नीति । (48)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में असफलता । (49)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जातियों के वर्गीकरण का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के आधार पर पुनर्विलोकन करने में असफलता । (50)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[अनुसूचित जातियों के लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफलता । (51)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कमजोर वर्ग का कारगर ढंग से उत्थान करने के लिए उपाय करने में असफलता । (52)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[लम्बे समय से चले आ रहे असम के विदेशियों के मसले को हल करने में असफलता । (53)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जानमाल की सुरक्षा करने में असफलता । (54)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के जो हल हो चुका है सामाप्त करने में असफलता । (55)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[सरकार को बहुत पहले प्रस्तुत किए गए अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन को प्रकाशित और कार्यान्वित करने में असफलता । (56)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की कार्यकुशलता और प्रशासन क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने और उन्हें सेवानिष्ठतथा अच्छा प्रशासक बनाने में असफलता । (57)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[दंड प्रक्रिया कानून को नया रूप देने में असफलता । (58)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में युवकों को गहन प्रशिक्षण देकर हिन्दी को वास्तव में राष्ट्र भाषा बनाने में असफलता । (59)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[भाषा के मामले को कारगर ढंग से हल करने में असफलता । (60)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[भर्ती एजेंसियों तथा अन्य चयन निकायों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में असफलता । (61)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[हथियारों आग्नेयस्त्रों तथा गोला बारूद के निर्माण और दुरुपयोग को नियंत्रित करने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप देश में गड़बड़ी फैली हुई है । (62)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[होमगार्डो को अधिक कर्तव्यनिष्ठ और अधिक अनुशासित बनाने की आवश्यकता। (63)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अपराधों की वृद्धि को रोकने के लिए सी० आई० डी० आसूचना ब्यूरो और विधि वैद्यक वैज्ञानिकों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए उपाय करने में असफलता। (64)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवा अधिनियम का दुरुपयोग। (65)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[सरकारी लाटरियों को बन्द करने में असफलता। (66)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता संग्राम में उनके योगदान के आधार पर ही पेंशन देने के लिए उचित दिशा में निर्देश देने की आवश्यकता। (67)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लम्बे समय से विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाने में असफलता। (68)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[संसद सदस्यों और सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों के प्रशासकों के बीच उचित ताल-मेल रखने की आवश्यकता। (69)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[जल-सुधार करने की आवश्यकता। (70)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यकुशलता में सुधार करने की आवश्यकता। (71)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[हिन्दू, मुसलमान और ईसाई समुदायों के साम्प्रदायवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता। (89)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[वास्तविक तथा नकली धार्मिक संगठनों के बीच फर्क करने की आवश्यकता। (90)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अल्पसंख्यक समुदायों के साम्प्रदायिक और धार्मिक संगठनों के बीच फर्क करने की आवश्यकता। (91)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राजनीति में साम्प्रदायिक प्रभाव को रोकने की आवश्यकता। (92)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अपराध अन्वेषण में अद्यतन पद्धति अपनाने की आवश्यकता। (93)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[अग्नि शमन बल की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता। (94)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[डकैतियों और लूटमार की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (95)]

'कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बैंकों में बढ़ती लूटमार की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (96)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक साम्प्रदायिक प्रभाव को रोकने की आवश्यकता। (97)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता । (98)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पुलिस बल की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता । (99)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता । (100)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[राज्यों की सीमाओं के संबंध में विवादों को स्थायी रूप से तय करने और महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय करने की आवश्यकता । (101)]

"कि 'गृह मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

श्री चन्द्र शेखरसिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह-मन्त्रालय की मांगों का विरोध करते हुए, माननीय सदस्य ने जिन तर्कों को उपस्थित करने की चेष्टा की है और उनका जो प्रभाव इस सदन पर पड़ा है, उससे जाहिर है कि उनके तर्कों में कितना कम आधार था और वस्तुतः उनके हृदय में भी विरोध की भावना कितनी कम तीव्र थी । माननीय सदस्य ने मात्र उन्हीं मुद्दों की चर्चा की है जिसका उल्लेख इस सदन में अनेक अवसरों पर हो चुका है । कोई नया बिन्दु उठाने की उन्होंने आज आवश्यकता नहीं महसूस की ।

उन्होंने बड़े जोर से केरल के सम्बन्ध में यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वहां दूसरी सरकार बनाने का अवसर विरोधी पार्टी को मिलना चाहिए था । जब राज्य विधान सभा के एक माननीय सदस्य उस समय की सरकार के विरोध में चले गए, उसके पहले तक विरोधी दल के सब माननीय सदस्य एक स्वर से यह मांग कर रहे थे कि केरल में राष्ट्रपति-शासन होना चाहिए और तत्काल निर्वाचन होने चाहिए । लेकिन जब वहां स्थिति कुछ डांवांडोल होने लगी, तो इनके तर्क अनायास बदल गए और इन्होंने यह कहना जरूरी समझा कि वहां राष्ट्रपति-शासन नहीं, सरकार की स्थापना होनी चाहिए ।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विरोधी पक्ष की सब से बड़ी कमजोरी यही है कि उसके तर्क परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और यही कारण है कि वहां के लोगों पर, और सार्वजनिक जीवन पर, कोई अवसर दिखाई नहीं पड़ता । सब से ज्यादा गौर करने की बात यह है कि जिस दिन इस सदन में यह प्रश्न उठाया जा रहा था, तो केरल में विरोधी दल की सरकार बने, इस समय सदन में मौजूद, बी. जे. पी. के. नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसके मुख्य प्रवक्ता थे । उस दिन के दृश्य से यह स्पष्ट हो गया कि यही राजनीति वह केरल में अगले चुनाव में

उपस्थित करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने घोषणा की है— और अभी जितनी खबरें हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है— कि केरल में मई में चुनाव होंगे और बिरोधी दलों को भी उस चुनाव में भाग लेने और शक्ति आजमाने का मौका मिलेगा।

राज्यपाल की भूमिका के सम्बन्ध में इस सदन में बराबर चर्चा होती रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ राजनीतिक स्थिति बिल्कुल स्थिर है और किसी एक दल या कुछ दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, वहां राज्यपाल की भूमिका नगण्य सी रहती है और सारा प्रशासन वहां की सरकार की सलाह के मुताविक चलता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है, और संविधान में यह जाहिर किया जा चुका है, कि जब राज्य की राजनैतिक स्थिति डाँवांडोल हो जाती है, तो वहां के राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और केन्द्रीय सरकार के लिए राज्यपाल के स्थिति के मूल्यांकन के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक होता है।

माननीय सदस्य ने और कई मुदों की चर्चा की और अंत में उन्होंने वही पुराना आरोप दोहराने की चेष्टा की कि हमारी सरकार अथारेटेरियन है, देश में डिक्टेटरशिप है और लोकतांत्रिक सँस्थाओं तथा मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हमारे नेता प्रधान मंत्री ने इस बात को एक नहीं अनेक अवसरों पर साफ किया है कि आज कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई मन्शा नहीं है कि हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के स्थान पर प्रेजिडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट लागू करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि इस सदन में सभी ओर के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की है कि संविधान को कारगर बनाने के लिए और आम लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान में कुछ सुधार की आवश्यकता है। अभी अभी बोलते हुए माननीय सदस्य ने राज्य सभा के गठन के सम्बन्ध में सुझाव दिया जो कोई साधारण सुझाव नहीं, संविधान की बुनियादी मुद्दों को बदलने के सम्बन्ध में है। इस प्रकार आज इस सदन के सभी दलों के सदस्यों की भावना है, कि इस सदन का ऐसा रूप होना चाहिए और सरकार की ऐसी कार्यविधि होना चाहिए जिससे कि आम लोगों का सम्बन्ध उससे और नजदीक का स्थापित हो सके। इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हुए भी प्रधान मन्त्री ने जो बार-बार कहा है उसको आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हम संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन या पार्लमेंन्टरी डिमौक्रैसी को बदलने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। फिर भी आज इन लोगों के सामने कोई दूसरा मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि वे नारा लगावें जो नारा इन्होंने 1977 में लगाया था लेकिन उसका प्रभाव कितना स्थायी हो सका उसका हमने और आपने तर्जुबा किया हैं। आज भी हम विरोधी दलों के सदस्यों से निवेदन करना चाहेंगे कि आज उन्हीं पुराने नारों को दोहरा कर आप अपने में जान फूंकने की चेष्टा करना चाहते हैं और लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं लेकिन आपका यह षडयन्त्र या साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती है।

माननीय सदस्य ने एक बात सही कही है, जिस बात से हम भी चिन्तित हैं तथा हम उनकी भावनाओं से सहमत हैं कि आज देश में बहुत सारे विघटनकारी तत्व खड़े हो रहे हैं तथा जो पहले से ही मौजूद थे वे आज और अधिक शक्ति हासिल करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसमें

कोई संदेह नही है कि इस सदन का हर हिस्सा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो, इस बात को मानता है और आज देश की एकता को बनाए रखने तथा उसको मजबूत करने में एवं इस देश को एक दिशा देने में हम सभी एकनिष्ट हैं और हम सभी उसमें विश्वास रखते हैं। मैं किसी माननीय सदस्य या रा० नीतिक दल के इस विचार के विरोध में अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप सी. पी. एम. की ओर से यह कहते हैं कि उन तत्वों का डट कर मुकावला करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बात को गलत नहीं कहते लेकिन आप स्वयं इस बात को महसूस करें कि क्या यह संघर्ष सी० पी०एम० और भारतीय जनता पार्टी (जो दर असल जनसंघ है) के सहयोग से किया जाएगा या फिर लोक दल के सहयोग से यह संघर्ष किया जाएगा ? जहाँ तक इस देश को एक दिशा देने का प्रश्न है, हमारे और आपके सामने एक वहुत ही पेचीदा स्थिति है। आप इस बात को जानते हैं और सारा देश जानता है कि पं० नेहरू के समय में, उन्होंने बराबर समाजबाद की बातों को हमारी नीतियों में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की लेकिन यह मान्य बात है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, कि उन्होंने भी सोशलिष्ट शब्द का साफ साफ इस्तेमाल करने में, अपने विश्वासों के बावजूद, कठिनाई महसूस की। सोशियलिस्टिक प्रैट्रन आफ-दि-सोसायटी का उन्होंने संकेत किया लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रशासन काल में उनकी नीतियों की वजह से, उन्होंने जो रास्ता दिखलाया, उससे समाजवाद की प्रतिष्ठा जरूर बढ़ी है और आज जनसंघ भी समाजवाद का नाम लेकर अपने को मजबूत करने की चेष्टा कर रहा है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : गाँधियन सोशियलिज्म।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : गाँधियन सोशियलिज्म की बात को लेकर वे लोग भी···।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : जनसंघ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जैसा कि आपने कहा है।

श्री चंद्रशेखर सिंह : भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर जो आवरण आप ग्रहण करने की चेष्टा कर रहें हैं, वह आपकी चेष्टा अपनी जगह पर है, लेकिन अब इस समय हिन्दुस्तान, का हर आदमी आप को वहीं पुराने जनसंघ के नाम से पहचानता है और अच्छी तरह से जानता है।

श्री फूलचंद वर्मा : दिल्ली में चुनाव करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ज्ञानी जी वैठे हुए हैं, इनसे आप कह दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आज हिन्दुस्तान की राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी को वहुत वड़ा योगदान रहा है। पहले समाजवाद की चर्चा/इन्टलैक्यूअल्स लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के वीच में, लैफटिस्ट्स सर्किल्स में सीमित थी, लेकिन समाजवाद की आस्थी को उन्होंने वन्द कमरों से निकालकर हिन्दुस्तान के जन-जीवन में पूरी तरह से व्याप्त कर दिया है। आज

जितने दल हैं, उनका विश्वास अधूरा भी क्यों न हो, कमजोर भी क्यों न हो, लेकिन वे भी समाजवाद का नाम लेकर आज अपने को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं खास तौर से वामपक्षी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, यह जाहिर है, चाहे सी० पी० आई० हो या सी० पी० एम०, आज उनका राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। उनकी अच्छाइयाँ हो सकती हैं और हर दल के सिद्धान्तों में कुछ-न-कुछ अच्छी बातें रहती हैं, उनके गुण हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चित्र पर आज उनको वह अस्तित्व नहीं है कि वे देश का नेतृत्व ग्रहण करने की बात कह सकें। आज इसी सदन में देखने में आता है कि अधिकाँश सी० पी० एम० सदस्य जब बोलने लगते हैं तो लोगों पर शायद यह असर पड़ता है कि ये पश्चिम बंगाल की असेम्बली संभवतः है। पश्चिम बंगाल की समस्याओं से और कठिनाइयों से वे इतने अभिभूत हैं कि बार-बार उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। आज सी० पी० एम० में भी वह ताकत नहीं है कि वह राष्ट्रीय पार्टी का स्थान ले सकती है और कांग्रेस के विकल्प होने की चेष्टा कर सकती है। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप देश को एक वामपक्षी रूप दे सकें, लैफटिस्ट-टर्म दे सकें, ऐसी स्थिति में मै आप से पूछना चाहता हूं कि हमारी काँग्रेस पार्टी ने साफ तौर से लैफ्ट-आफ-सैन्टर पालिसीज अखितयार की है, मैं उन बातों का विवरण के साथ उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, यह हमको और आपको दोनों को जाहिर है और जिसके आधार पर आप ने किसी जमाने में हमारी नीतियों और हमारे नेतुत्व को समर्थन दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और आज वहीं नीतियाँ है, वही नेतृत्व है, तो आपकी क्या भूमिका है ? आज से कुछ दिनों बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस समय यह भी लिया जाएगा कि देश इस चौराहे पर खड़ा था तो देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, ने वामपंथी रूप दिया। ऐसे समय में वामपक्षी तत्वों ने, प्रतिक्रियावादी शक्तियों को समर्थन देकर उसको कमजोर करने की चेष्टा की।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं— आप बी० जे० पी० के साथ मिल कर एन्टी-अथारिटेरियन-फ्रन्ट बनाने की बात करते हैं, क्या आप को यह जाहिर नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी पिछली जनसंघ पार्टी है ? क्या आप को यह जाहिर नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी आर. एस. एस. के कैडर पर आधारित है ? क्या आप को यह जाहिर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देश को मजहम के नाम पर बांटने में विश्वास रखती है, दूसरे लोगों को, अल्पसंख्यकों को दूसरा दर्जा देने में विश्वास रखती है ? क्या आप को मालूम नहीं है कि ये लोग आज कल गांधियन-समाजवाद की चर्चा करते हैं, जिन के सम्बन्ध में आप ने अपने डाक्यूमेंट में लिखा है कि गांधी जी की हत्या करने वाले जो लोग थे वे गांधियन-सोशलिज्म की चर्चा करके अपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे है, यदि आप को यह जानकारी है तो भी आप इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के मुकाबले उस बी० जे० पी० का समर्थन लेना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करने में विश्वास पैदा करना चाहते हैं और साथ ही यह भी दावा करना चाहते हैं कि आप देश की वाम-पक्षीय शक्यिों का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा-देश में आज जो कुछ हो रहा है तथा होम मिनिस्ट्री की माँगें केवल गृह मन्त्रालय की मांगें नहीं होती हैं, दरअसल आर्थिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के

जितने तनाव हैं उन सब का असर अंततः गृह मंत्रालय के कार्यकलापों पर पड़ता है क्योंकि सरकार की अथारिटी का अन्तिम निर्णायक गृह मन्त्रालय होता है, हमारी पुलिस होती है, उसके जरिए ही सरकार को अपनी नीतियों का पालन कराना पड़ता है। लेकिन आज आप देखते हैं जहाँ हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक वामपक्षीय रुख अख्तियार करें, ऐसे समय में आप हम को कमजोर करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल सरकारी पक्ष ही देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों का निर्धारण नहीं करता है, सारा सदन करता है। आप समझते हैं कि आप विरोध में कोई बात कहते हैं या अपने तर्क को रखते हैं तो क्या उसका हमारी नीतियों पर असर नही पड़ता है ? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं— आप जो भी तर्क हमारे सामने पेश करते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, अपनी नीतियों में उनका समावेश करने की चेष्टा करते हैं, और इस प्रकार एक राष्ट्रीय नीति उभर कर देश के सामने आती है।

लेकिन आज आप लोक दल के साथ एक मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, मोरचा बनाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे जितने भाषण साथ दें, लेकिन इस बात को मान लें कि आज आम जनता में लोक दल सिवाय एक "कुलक दल" के कुछ नहीं है। जो कुछ तीन सालों के शासन में और खास तौर से लोक दल के नेतृत्व में गठित सरकार के समय में हुआ उसने उसके चरित्र को साफ कर दिया है। उस का विश्वास स्टेटस्को बनाये रखने में, उस स्थिति को यथावत् बनाये रखने में है और जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस सदन में लाये गये वे उस को नहीं करना चाहते हैं। हमारे लोक दल के सदस्य बार-बार चर्चा करते हैं कि मंडल कमेटी की रिपोर्ट पेश करो। मैं नहीं जानता कि मण्डल कमेटी की रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस सदन में अनेक बार इस बात को जाहिर किया जा चुका है, कि आज हमारे सामाजिक प्रश्नों के निदान का आधार केवल जाति नहीं हो सकती है, आर्थिक प्रश्न भी उस के साथ निहित हैं। लेकिन मैं आप से और लोक दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा—क्या आज जो समाज के पीछड़े वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं उन को केवल इस आधार पर संगठित करने में उनका कल्याण होगा, क्या उन को रास्ता केवल तभी मिलेगा जब आप उन को नौकरियों में कुछ संरक्षण दे सकेंगे, कोटा निर्धारित कर सकेंगे। बहुत सी बातें अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन हम इस बात में विश्वास करते हैं कि आज जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, जिस समाज के अधिकांश लोग उस वर्ग से आते हैं, उन को सही सहायता और संरक्षण देना चाहते हैं तो हम को अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना होगा। 1970 के बाद से आज तक जो कुछ भी हम ने किया है, उसका अगर सही अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो जाहिर होगा कि उसका लाभकारी प्रभाव समाज के पिछड़े वर्गों पर पड़ा है और जो भूमि और सम्पत्ति का हस्तान्तरण होना चाहिए और जिस के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, आज तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत दूर तक वह हासिल हो सका है। मैं यह नहीं कहता हूं कि ये सारे काम पूरे हो गये हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो काम हम को करने चाहिए, उन की उपलब्धि हमें हो गई है लेकिन इस सदन का ध्यान

इस ओर अवश्य दिलाना चाहूंगा और इस देश के जो आम लोग हैं खास तौर से जो गरीब लोग हैं, उम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में गठित सरकार जिन नीतियों का पालन कर रही हैं, उन का सब से बड़ा फायदा अगर किसी को हो सकता है, तो वह समाज के शोषित, प्रीड़ित और गरीब वर्ग को ही होगा और किसी दूसरे वर्ग की नहीं होगा। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सही माइनों में इस देश में लेफटिस्ट पालिसीज, वामपंथी नीतियों को प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप का भी यह कर्तव्य है कि आप इस मौके पर जहां देश में इतनी गरीबी है, बेकारी है और इतनी समस्याएं हैं, तो हमारी सही नीतियों में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे सी०पी०आई० के मित्र कहते हैं और काफी दूर तक हमारे सी०पी० एम० के मित्र कहते हैं कि हम वैदेशिक नीयियों में इस सरकार का समर्थन करते हैं लेकिन जहां तक आन्तरिक नीतियों का संबंध है, उन में हमें समर्थन नहीं करते। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह कम्पार्टमेंन्टेलाइज्ड थिंकिंग आप को कहां ले जाएगी ? हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का बंटा हुआ नहीं होना चाहिए कि एक जगह तो आप समर्थन करें और जोरदार समर्थन करें और दूसरी और उतना ही जोरदार विरोध करें। मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां तक वैदेशिक नीतियों का सवाल है, उसमें आप समर्थन देते हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहाँ तक आन्तरिक नीतियों का सवाल है क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं ? जहां आज साम्प्रदायिक तत्व इस देश में फिर से सिर उठाने की तैयारी कर रहे हैं यां में यूं कहूं कि तीन साल तक जनता पार्टी के राज्य में जो उन्होंने ताकत हासिल की है, उसको बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इस मुद्दे पर, इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं ? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी इस मौके पर बोलते हुए मैंने मांग की थी कि पब्लिक प्लेसेज में, सार्वजनिक स्थानों में आर० एस० एस० को अपनी शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मुझे खुशी है कि अभी समाचार पत्रों में पढ़ने पर यह जानकारी मिली है कि सरकार ने इस आशय की हिदायत जारी की है और राज्य सरकारों को ये प्रतिबन्ध लागू करने के लिए आदेश दिये हैं। क्या आप इन सवालों पर सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि इन प्रश्नों पर आप गहराई से सोचें। आप विरोधी दल में बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं, आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के प्रति निभायें। वे आप से भी उम्मीद करते हैं कि आप राष्ट्रीय नीतियों के मामले में सही दिशा में अपनी भूमिका अदा करें और आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही मुद्दों पर सलाह देने की कोशिश करेंगे, तो आज जिन अभावों की तरफ आप हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन को आप हमारी कमजोरी समझते हैं; हमारी कमियां मानते हैं, वे कमियाँ भी आप के समर्थन से, आप के सहयोग से दूर की जा सकेंगीं और हम सही माइनों में देश को एक दिशा दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो एक फ्रंट बनाने की चेष्टा हो रही है, उसके लिए आम लोगों पर इस का कोई असर नहीं है और मैं आप से कहना चाहता हूं, कि केवल दल के दृष्टिकोण से हमारे लिए यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है।

आप कितना ही मोर्चा बनाएं, कितना ही फ्रंट बनाएं, राजनीति में दो-दो मिल कर हमेशा चार नहीं होते हैं, दो-दो मिल कर एक भी हो जाता है। इसलिए मैं वामपंथी साथियों से कहना चाहता हूं कि इससे आपकी ताकत बढ़ने वाली नहीं। वह गिरेगी, आपकी छवि धूमिल होती चली जाएगी। इससे आपकी छवि अच्छी होने वाली नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और नाहीं मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूं। आज देश में जो गरीबी है, उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए चेष्टा करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का निदान चाहते हैं तो आपको इस मौके पर हमारे दल और हमारी सरकार जो कि प्रगतिशील नीतियों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका समर्थन करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं (व्यवधान) घबराइये नहीं, क्यों मैं यह कह रहा हूं, यह मैं आपको बता रहा हूं।

केरल में आपने जोड़-तोड़ का मंत्रिमण्डल कायम किया। उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि वहां चुनाव होने चाहिएं। वहां आपने चुनाव नहीं कराये। फिर अल्पमत वाले मंत्रिमण्डल का जो हल होना था वह हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आवाज उठ रही है। इसी तरह से दिल्ली में भी चुनाव की मांग उठ रही है और आप उन्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देश में नासा, मीसा, अशांत क्षेत्र जैसे कानून बनाये और उनके जरिये आप मजदूर आन्दोलनों को कुचलने का प्रयत्न करते रहे। पिछली जनवरी में मजदूरों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल की और इन नासा और मीसा के अन्दर मजदूरों को गिरफ्तार किया। हमारे श्री भोगेन्द्र झा को भी गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया। पुलिस ने पूरा जोर लगाया लेकिन उसके बावजूद वह हड़ताल हुई।

देश आज एक भयंकर खतरे से गुजर रहा है। राष्ट्रीय एकता को खतरा है। विघटनकारी शक्तियां देश में काम कर रही हैं। हिन्दू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ रही है। असम, मनिपुर, मेघालय में समस्याएं बनी हुई हैं आप असम की समस्या हल नहीं कर सके हैं। पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही और कश्मीर में जमायते इस्लामी का काम खतरनाक हो गया है। भाषायी, जातीय और प्रादेशिक सवालों को ले कर देश में विघटनकारी शक्तियां साजिश कर रही हैं।

यह सब देश में क्यों हो रहा है ? इसलिए हो रहा है कि देश पूंजीवाद की राह पर चलाया जा रहा है। आज पूंजीवाद संकट में है जब पूंजीवाद संकट में होता है। तो इसी प्रकार से होता है। आपने जापान और अमेरिका में जो हुआ, उसके बारे देखा होगा। जहां पूंजीवाद

चलता है वहां घूसखोरी और भ्रष्टाचार चलता ही है। आपके करने से इसमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज देश भयंकर संकट से गुज रहा है।

आज सारे देश में नारे लग रहे हैं—

वन्देमातरम् गायेगा नहीं तो भारत से जायेगा।
धर्म निरपेक्षता तभी तक हिन्दू बहुमत जभीतक।

आपने इनके बारे में क्या किया है ? क्या आप असावधान हैं ? हिन्दू मुस्लिम सवाल को आपने हल नहीं किया है। मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आपने नौकरियां नहीं दी हैं। उन के साथ आपने भेदभाव किया है। उर्दू के सवाल को आपने ठीक से हल नहीं किया है। इतिहास के पृष्ठों को लिखने में गड़बड़ियां की गई हैं, अन्तर्राष्ट्रीयवाद के नाम पर। गलत सलत जो तारीख लिखी गई है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई है। यह जरूरी था। यह जरूरी है कि देश में राष्ट्रीय शक्तियों का, सबयुलर शक्तियों का एक मंच बनाया जाए। राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है। मुस्लिम समुदाय को अपने साथ आप लेने का प्रयत्न करें। उनके सवालों को हल करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उनकी लेंगुएज के सवाल को आप हल करें, उनकी संस्कृति के सवाल को आप हल करें। उनके नौजवानों को आप तरजीह दें ताकि उनके अन्दर जमाते इस्लामी जो काम कर रही है वह न कर सके। यह संयोग की बात है कि जमाते इस्लामी और आर.एस.एस जो अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ऐसा मालूम देता है कि दोनों अपने सपनों को साकार करने के लिए एक हो गई हैं। हिन्दू मुस्लिम को लड़ा कर देश को बरबाद करने के लिए दोनों एक हो गई हैं। इस खतरे से आपको सावधान रहना चाहिए। इसको आपको हल करना चाहिए। तमाम जो धर्म निरपेक्ष शक्तियां हैं जैसा चन्द्रशेखर बाबू ने कहा उनको एक होकर इनका मुकाबला करना चाहिए, पोलिटिकल प्लेन पर यह किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश की एकता कायम नहीं रहेगी।

सी. आई.ए. की एक्टिविटीज भी बहुत जोर से चल रही हैं। क्रिस्चियन मिशनरीज उत्तर पूर्व के इलाके में बहुत सक्रिय है। उनसे आपको सावधान रहना होगा। ऐसा आपने नहीं किया तो देश की एकता और अखंडता खंडित हो जाएगी।

**कुरप्शन की हालत यह है कि अन्तुले साहब तक को हटना पड़ा है.....* का नाम आ रहा है ; उनको भी हटना पड़ेगा। पता नहीं कितने लोग जायेंगे। जो सोसाइटी कुरप्शन पर आधारित हो उस में से आप कुरप्शन तब तक दूर नहीं कर सकेंगे, जब तक आप सोसाइटी में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते हैं। सोसाइटी के ढांचे को आपको बदलना पड़ेगा। व्यवस्था

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही कुरप्ट है । जब तक आप व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कुरप्शन दूर नहीं होगा । फिर आप चाहे कितनी ही हाय तोवा क्यों न मचाएं, यह समस्या हल नहीं होगी । जो सोसाइटी पूंजीबाद पर आधारित होती है उस में से कभी कुरप्शन दूर नहीं हो सकती है । इसी वास्ते हमारे देश में भी कुरप्शन रेम्पट है । इसको आपको देखना होगा और आमूलचूल परिवर्तन आपको करने होंगे ।

ला एंड आर्डर की समस्या को आप लें । यह कितनी बिगड़ गई हैं इसका पता आप इसी से लगा सकते हैं कि पश्चिम चम्पारन जिले के डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी एक जजमेंट में यहां तक लिखा है कि टू पैरेलल गवर्नमट्स आर रनिंग इन चम्पारन । डकैत किसी बड़े आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा मिल जाने पर उसको छोड़ देते हैं। आपकी सी० आर० पी०, वी० एस० एफ० और जितनी बिहार की पुलिस है कुछ नहीं कर पाती है । सब प्रयत्नों के वावजूद जगन्नाथ मिश्र की सरकार पश्चिमी चम्पारन और चम्पारन के डकैतों को रोकने में असमर्थ रही है । यह ला एण्ड आर्डर की आज हालत है । दिल्ली तक की क्या अवस्था है; यह आपको रोज अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है। पार्लियामेंट में कितनी ही वार इस पर चर्चा हो चुकी है । गृह मन्त्रालय की रिपोंट में भी यही बताया गया है । ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है ।

हरिजनों और आदिवासियों की करोड़ों में संख्या है । उनकी समस्यायें हल नहीं हो सकीं हैं । हरिजनों पर रोज अत्याचार होते हैं । मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा । सामूहिक ढंग से हरिजनों के घरों को जलाना, उनकी हत्यायें करना एक आम बात हो गई है । उनको संरक्षण नहीं मिलता है । उनका सामाजिक वहिष्कार होता है । उनके वास्ते पीने के पानी तक 'की व्यवस्था नहीं है । उनको आवास तक के लिए भूमि नहीं दी गई है । सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार होता है, जातपात के आधार पर उनके साथ-साथ भेदभाव किया जाता है । उनकी समस्याओं को आप हल नहीं कर सकते हैं तो किस बात के लिए आप गृह मंत्री हैं और क्यों आपने यह गृह मंत्रालय सम्भाल रखा है ?

हरिजन और आदि वासी आज जाग रहे हैं और अपने अधिकारी की मांग कर रहे हैं । जो चेतना गरीव लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जग रही है । उसको ऊंची जाति और पैसे वाले लोग कवूल नहीं करते हैं । इसीलिए आपको भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा तभी यह समस्या हल हो सकती है और उनके जीवन में आत्मोन्नति आ सकती है ।

आज बेकारी का भी यही हाल है, बढ़ती जा रही है । नौजवान जो बेकार हैं वह निश्चित रूप से क्राइस में जायेगा । देहान्तों में ऐसे लोगों को छोटे-छोटे हथियार मिल रहे हैं जिनके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है । गांवों में बड़े समुदाय के द्वारा छोटी जातियों को दबाया और लूटा जा रहा है । आपके आंकड़े बताते हैं कि देश मे वेकार नौजवानों की संख्या 4 करोड़ 60 लाख होने जा रही है । तो यह बेकार नौजवान तूफान मचायेंगे जिसमें आप तिनके की तरह उड़ जायेंगे ।

बंधुआ मजदूरी का सवाल लीजिए । श्रम मंत्री ने कहा था कि 10 राज्यों में यह समस्या है । आपने इस सवाल को हल नहीं किया जब कि 34 वर्ष आजाद हुए हमको हो गये । इस समय में भी अगर आप इस कुप्रथा को नहीं मिटा सके, तो आप किस मर्ज की दवा हैं ? इसको समाप्त करने के लिए आपको तेजी से काम करना होगा ।

आपने तमाम तरह के काले कानून लागू कर रखे है जैसे एन०एस०ए०, डिस्टर्बड एरियाज ऐक्ट, ई०एस० एम० ए०, इन काले कानूनों को आप वापस लीजिए क्योंकि वह जनवाद और जनता विरोधी कानून हैं । इसी तरह से गरीबी रेखा का सवाल है । जितनी पंचवर्षीय योजनायें खत्म होती गयीं गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या बढ़ती ही गई और आज 50 फीसदी लोग उस रेखा के नीचे पहुंच गए हैं । जहां यह हालत हो वहां क्या भयंकर स्थिति हो सकती है, इसका अनुमान आप सहज लगा सकते हैं । अगर आपके दिल में दर्द है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं । माननीय चन्द्रशेखर बाबू ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का कार्यक्रम गरीबों की समस्याओं को हल करने के लिए ही है । आप बतायें इतने सालों के अन्दर अगर गरीबी की रेखा के नीचे जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही हो तो ऐसी सरकार का समर्थन कैसे किया जाय । क्या आप चाहते हैं कि एन०एस०ए०, ई० एम० एस० एम० ए० की रिपोर्ट करें, कम्युनल राइट्स और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को सपोर्ट करें ?

आपने अधिकार ले लिया है, जो सर्वसत्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है और कैबिनेट सिस्टम की जगह प्रेसीडेंशियल फार्म आफ गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसका हम कैसे समर्थन कर सकते हैं ?

डकैतियाँ रोकने में क्या हो रहा है ? एक नया शब्द ऐनकाउन्टर गढ़ा गया जिसके सहारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है । **.....अपने विरोधियों को ऐनकाउन्टर के नाम पर मरवाया, सारे उत्तर प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है । माननीय गृह मंत्री जी बतायें क्या** अधिकार था ऐनकान्टर के नाम पर बहुत से लोगों की हत्या कराने का ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : माननीय सदस्य एक मंत्री का नाम ले रहे हैं और वह हाउस में मौजूद नहीं हैं अपने को डिफेंड करने के लिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप थोड़ा सावधानी से काम लीजिए क्योंकि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है और यह साम्राज्यवादी शक्तियां आपके देश को और सरकार को कमजोर करना चाहती हैं । ऐसी शक्तियों से आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुशार कार्यवाही वृत्तांन्त से निकाल दिया गया ।

जहां तक भाषा का सवाल है, हिन्दुस्तान बहु-भाषी देश है, यहां तमाम भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालय, हिन्दी, बंगला वगैरह बोली जाती हैं, इन तमामभाषाओं के विकास की गुंजाइश हैं, इनका विकास होना चाहिए ताकि राजभाषा हिन्दी का विकास हो सके। हमारी पार्टी नहीं मानती है कि हिन्दी को गैर-हिन्दी प्रदेशों पर थोंप दिया जाय, लेकिन हिन्दी का विकास होना चाहिए और दूसरी रीजनल लैंगुएजेज का भी विकास होना चाहिए।

बिहार में मांग हो रही है कि मैथिली और भोजपुरी को भी प्रदेशीय भाषाएं माना जाये। हमारी मांग है कि इस चीज को हल करने की दिशा में ध्यान दिया जाये।

आज तमाम पुलिस कर्मियों में, सी० आर० पी० और आई० पी० एस० में असंतोष है उसको दूर किया जाना चाहिए। उनका जब असंतोष दूर होगा तभी वह मौके पर तैयार रहेंगे और गोली चलाने के लिये तैयार होंगे। वह एडमिनिस्ट्रेशन के हथियार हैं। जितना पुलिस का विस्तार होता है पूंजीवादी राज्य में, वह एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार होता है, लेकिन आज इनमें जो असंतोष है, उसके दूर करने की दिशा में कदम उठाइये।

आज जरूरत इस बात की है कि इस देश में जो जातीय, भाषाओं और धार्मिक सवालों को लेकर तनाव बन रहा है, उसको हल करने के लिये एक एकता मंच की स्थापना की जानी चाहिये।

आपके राज्य सें गृह-मंत्रालय में नौकरशाही का विकास बहुत तेजी से हुआ है। इसका प्रमाण है। आपने 44 नगर निगमों का चुनाव नहीं कराया है। दिल्ली में भी चुनाव नहीं कराया है। इसलिए नौकरशाही को दूर करने की दिशा में भी काम किया जाये क्योंकि नौकरशाही से जनतंत्र के खिलाफ बातें होतीं हैं।

आप नक्सलवादियों से लड़ने की कोशिश करते हैं हम भी नक्सलवादी सिद्धान्त के खिलाफ हैं। लेकिन नक्सलवादियों से लड़ने लिये जो तरीका आपने अपनाया है, उससे नक्सलवादी खत्म होने वाले नहीं हैं। आप उनको मार देते हैं गोली से, लेकिन उनका विश्वास नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को हल करना बड़ा जरूरी है, तभी नक्सलवाद से आप लड़ पायेंगे।

आप होम मिनिस्ट्री की मांगों के लिये डिमांड कर रहे है, लेकिन गढ़वाल में आपने जो नमूना पेश किया चुनाव का, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। आप गढ़वाल में आज भी चुनाव को टाल रहे हैं। (व्यवधान)।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, क्या मैं एक बात की ओर ध्यान दिला सकता हूं ? मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं केवल एक दो सेकेन्ड ही लूंगा। उन्होंने उप मंत्री के विरुद्ध कतिपय आरोप लगायें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस बारे में बता चुका हूं। उन्होंने कोई बात कही है और मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं रिकार्ड देखूंगा।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्री कमला मिश्र मधुकर : इलैक्शन के सवाल को हमारी पार्टी सही मानती है। बिहार में जो फार्मूला निकाला है, उसको हम सही मानते हैं और उसके आधार पर सारे देश में काम करना चाहिये। हम यह भी मानते हैं कि उसका आधार आर्थिक होना चाहिये, जातीय नहीं होना चाहिये।

आपके सामने वह भी सवाल है कि देश को तरक्की करने के लिए गृह मन्त्रालय की मांगे आती रहेंगी, समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन इन समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। इसलिये इन तमाम जन विरोधी और जनता विरोधी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए बामपंथी जनवादी मोर्चे की जरूरत है, उसके आधार पर ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि पूंजीवादी मार्ग से हटकर सामन्तवाद विरोधी, मोनोपली विरोधी और जनता विरोधी सुधारों को लेकर देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

नहीं तो यह मांग बढ़ती रहेगी, इससे भ्रष्टाचार वगैर तमाम चीजें मिटने वाली नहीं है। यह बात सही है कि इसे मिटाने के सिलसिले में वामपंथी मोर्चे के निर्माण के सम्बन्ध में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध स्थापित नहीं करेगी। इन चीजों की सहूलियत हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गृह मन्त्रालय की मांगें मंजूर की जानी चाहिये, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति देश में पूंजीवाद को मिटाने के लिये नई व्यवस्था लाने के लिये होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : सभापति महोदय, हमारे दल के सदस्यों को 10 या 15 मिनट मिलेंगे। तथा महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक सदस्य के लिये जो समय निश्चित किया गया है उसी को बनाये रखा जाना चाहिए। महोदय, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही उदारचित्त वाले सभापति हैं और आपसे मेरी अपील है···।

सभापति महोदय : जब कभी हमारे पास पर्याप्त समय होता है तभी मैं उदार यहां तक कि दानी भी हूं।

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : मैं उसमें 'दानी' शब्द भी जोड़ूंगा।

श्री अरविन्द नेताम् (कांकेर) : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय, की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने जो अनुरोध किया है, उसको आप भी ध्यान में रखें।

श्री अरविन्द नेताम् : जी हां।

सब से पहले मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हर साल अधिक छोटी होती जा रही है।

सभापति महोदय : अगर रिपोर्ट छोटी हो, तो उसका अर्थ यही है कि सवाल कम हैं।

श्री अरविन्द नेताम् : इतने बड़े मन्त्रालय की रिपोर्ट छोटी हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन जो इनफर्मेशन इस रिपोर्ट में है, वह भी पूरी नहीं है।

मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, इसलिए में अपनी बात ट्राइबल डेवेलपमेंट से शुरू करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने पाँचवीं पंच-वर्षीय योजना में आदिवासियों और हरिजनों के विकास को, और खासकर आदिवासियों को भूमि देने के कार्यक्रम को, एक नई दिशा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि काफी विकास हुआ है, परन्तु इसके साथ साथ दो क्षेत्रों में काफी गम्भीर समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनकी ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनमें से एक है जमीन के मामले और दूसरा जंगल जमीन के बारे में बहुत से राज्यों ने जो कानून बनाए हैं, इस रिपोर्ट में उनका जिक्र किया गया है। लेकिन में गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जितने भी कानून बने हैं, उनकी उपलब्धि बहुत कम है। 1980 तक करीब 65,880 हैक्टेयर भूमि आदिवासियों को दी गई है, जो कि बहुत कम है और इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है।

जैसा कि आप जानते हैं, जहां तक आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, उनकी आर्थिक समस्याएं मुख्यतया जमीन से सम्बन्धित हैं इस देश में आजादी के बाद जो भी विकास-कार्य हुए हैं, उनका मुख्य आधार जमीन, नदियाँ और खनिज-सम्पदा रही हैं। हमारे देश में 80 प्रतिशत खनिज-सम्पदा आदिवासी क्षेत्रों में है। वहाँ बड़े बड़े कल-कारखाने बने, हाइडल पावर स्टेशन बने, बहुत से बांध बने। इन निर्माण-कार्यों से सब से ज्यादा प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और वहां रहने वाले लोग हुए हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उन लोगों को फिर से बसाने की योजना पर बहुत कम ध्यान दिलाया गया है। चूंकि यह समस्या गंभीर होती जा रही है, इस लिए मैं चाहूंगा कि जहां भी विकास-योजनाएं चलाई जाएं, वहां पर आदिवासियों को फिर से बसाने की योजना भी साथ-साथ बनानी चाहिए, नहीं तो आदिवासी क्षेत्रों में जो जन-असन्तोष बढ़ता जा रहा है, वह एक दिन बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। इसलिए भारत सरकार बहुत सख्ती से राज्य सरकारों को यह निदेश दे कि लैंड रिफार्मज और जमीन के बारे में राज्यों में जो कानून बन रहे हैं, उनका पालन ठीक ढ़ंग से किया जाए।

जहां तक जंगलात के पहलू का सम्बन्ध है, माननीय गृह मन्त्री जी ने पिछले साल 30 अक्तूबर को आदिवासी संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें गृह मन्त्री जी से एक बात कही गई थी कि आदिवासी रिएक्ट नहीं करते, वे ऐक्शन पर विश्वास करते हैं। आजादी के बाद उनके अधिकारों पर जितना नियन्त्रण किया गया है, आजादी के पहले उतना नियन्त्रण नहीं था। इसीलिए गृह मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

वामपंथी उग्रवादी आंदोलन में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा विहार में तेजी आई है। इसमें तीन स्टेटों का जिक्र किया है लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में और स्टेट्स के नाम भी इसमें जोड़ने होंगे। फारेस्ट पालिसी के बारे में भारत सरकार को एक बात साफ कर देनी चाहिए कि कामर्शियलाईजेशन आफ फारेस्ट्स की नीति के अन्तर्गत जो वहां जंगलों में रहने वाले है उनकी सुविधाओं के बारे में क्या होगा। अभी तक कामर्शियलाईजेशन आफ पलारेस्ट्स की जो पालिसी एडाप्ट की गई है उसके चलते आदिवासियों की तकलीफें बढ़ रही है। आप जानते हैं आदिवासियों का सारा जीवन और उनकी सारी एकोनामी जंगल पर ही निर्भर करती है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी नीति अपनाए जिससे उनको सुविधायें मिल सकें।

गृह मन्त्री जी का ध्यान अभी कुछ दिन पहले इस देश के करीब 16 एन्वायरनमेंटलिस्ट्स की ओर गया होगा जिन्होंने अपने मेमोरेडम अधिकांश संसदसदस्यों को भेजे थे। मैं भी गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने सुना है, नये सत्र में फारेस्ट पालिसी के बारे में सरकार नया विल लाना चाहती है। मैं इस मामले में प्रैस का भी आभारी हूं जिसके माध्यम से बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है। अखबारों के अनुसार तो नये बिल के अन्तर्गत आदिवासियों को जंगल से भगाकर कामर्शियलाईजेशन आफ फारेस्ट किया जायेगा। यदि ऐसा होता है तो मैं माननीय गृह मन्त्री से कहना चाहूंगा कि आप पुरानी समस्या को सुलझाने के बजाए एक नयी समस्या और खड़ी कर देंगे। इस पर गृह मन्त्री जी को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। आप यह कह सकते हैं कि यह तो कृषि मंत्रालय का काम है, वही इस बात को देखेंगे, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि नये फारेस्ट बिल में कृषि मन्त्रालय तो केवल जंगलों का ही ध्यान रखेगा, वहां पर रहने वाले इन्सानों के बारे में नहीं क्योंकि उनका उनसे कोई वास्ता नहीं होगा। उन लोगों की जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर है इसलिए उसमें आपका भी कंट्रिव्यूशन होना चाहिए।

सभापति महोदय : जिम्मेदारी तो सम्मिलित है।

श्री अरविन्द नेताम : जिम्मेदारी तो सम्मिलित है लेकिन इसमें गृह मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेदारी है। आदिवासियों का जो समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो नया बिल जंगलात के सम्बन्ध में आने वाला है, उसके सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत प्रकाश यहां पर डाला जाए। अखबारों के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों के सारे अधिकार छीनने का प्रयास इस बिल में किया जायेगा।

जैसा कि आप जानते हैं आदिवासियों का जीवन तो जंगलों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए 'इण्डिया टुडे' के लेटेस्ट इश्यु में 'चिल्ड्रेन आफ दि फारेस्ट' के टाइटल के अन्तर्गत जो छपा है उसको मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं :

"वे वन के बच्चे हैं तथा बन ही उनके सारे जीवन, घर, संस्कृति, पूजा भोजन तथा अन्य संपत्ति तथा उनके रोजगार तथा आय का निरूपण करता है। ज्योंही सभ्यता विकसित

हुई, आदिवासियों को मध्य भारत तथा उत्तर पूर्व के जंगली पहाड़ों में धकेल दिया गया। इन अवशिष्ट आदिवासी वासस्थानों को अब खतरा है।"

उसके आगे एक पैराग्राफ में आदिवासियों को किस ढंग से एक्सप्लाएट किया गया है उसके सम्बन्ध में भी लिखा है, मैं उसको उद्धृत करता हूं—

"विकास होने से बाहरी लोग जनजाति के वास स्थानों में पहुंच गए हैं। बांध, विद्युत, केन्द्रों, खानों, इस्पात तथा एल्युमिनियम संयत्रों, रेलवे तथा दूर-संचार संस्थापनों तथा संबंधित नगर क्षेत्रों के कारण कुशल कर्मचारी इंजीनियर प्रबन्धक, प्रशासक, पुलिस कर्मचारी, व्यापारी तथा सहायक सेवायें वहां आ गई हैं जनजातियों का इस सभी कार्य में बहुत कम योगदान रहा है तथा लाभ भी कम हुआ है। वे अपने ही घर में पराए हो गए हैं—विदेशी तथा शोषित।"

उस बिल के द्वारा जो नई स्थिति आ रही है, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी उसके संबंध में कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि जो आपने एक्सट्रीमिस्ट एलीपेन्ट्स की बात कही है, विशेष कर तीन राज्यों में और मेरे राज्य मध्य प्रदेश में भी शुष्क हो गई है, वेंकटसुबैया जी अपनी स्टेट से मेरी स्टेट की तरफ भेज रहे हैं···।

सभापति महोदय : आपका कहना है कि गृह मंत्री जी भेज रहे हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : मेरा मतलब आन्ध्र प्रदेश से आ रहे हैं।

सभापति महोदय : आप जरा समय की तरफ भी ध्यान दीजिये, जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : ट्रेनिंग दे रहे हैं।

सभापति महोदय : आपने मेरी बात का जवाब नही दिया, तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अरविन्द नेताम : आज प्रश्न यह है कि एक्सट्रीमिस्ट एलीमेन्ट क्यों पैदा हो रहे हैं, खास कर आदिवासी क्षेत्रों में, अगर आप इसकी गहराई में जायेंगे तो पायेंगे कि बहुत कुछ उनकी समस्यायें जंगल से सम्बन्धित हैं। अभी पिछले महीने मेरे जिले बस्तर में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके पीछे भी फारेस्ट पालिसी थी। जिस समय कान्ट्रैक्टर्स लकड़ी ले जा रहे थे, उनको आदिवासियों ने रोका, उसके बाद गोली चली। बस्तर से यह मांग भी लोग कर रहे हैं कि बस्तर को यूनियन टैरिटरी बनाया जाय। ये ऐसी चीजें हैं जो देश में, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में हो रही हैं और जो बहुत शोचनीय हैं। इसी तरह की मांग झारखण्ड या दूसरे इलाकों से भी आ रही हैं। इनके पीछे मुख्य कारण यह है कि उनकी जो समस्यायें हैं, वे अभी भी वहीं-की-वहीं हैं जहां पहले थी, खास कर जो जंगल से सम्बन्धित बातें हैं उनको आप गम्भीरता

से लें और इस बिल में आदिवासी हितों की पूरी रक्षा होगी इस बात का आश्वासन हम गृह मंत्री जी से चाहेंगे ।

आपका जो नया बिल है उसमें विशेष तौर से केवल कमर्शियल पार्ट को ही रखा जा रहा है, फारेस्ट आफिसर्स को उसके अंतर्गत अन-लिमिटेड पावर्स देने की बात सोची जा रही है जो देश के लिये और खास कर आदिवासी क्षेत्रों के लिए बहुत घातक होगी । मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें और जंगलों से सम्बन्धित जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको गम्भीरता के साथ ले कर राज्य सरकारों से बात करें ।

6ठी पंच वर्षीय योजना में जो ट्राइबल सब-प्लान है, उनका जो वर्किंग ग्रुप था उसने 1000 करोड़ रुपया रिकमेण्ड किया था, परन्तु भारत सरकार ने केवल 470 करोड़ रुपया ही फिक्स किया है । 6ठे प्लान में बीच में यह भी कहा गया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि आप इसको रिव्यू करें और 1000 करोड़ न सही लेकिन कम से कम 600 करोड़ तो जरूर रखिए ।

सभापति महोदय : 5 मिनट आपने ले लिए हैं । आपके लिए मंत्री महोदय ने 15 मिनट का अनुरोध किया था, वह समय हो चुका है । सभी विषय बड़े इम्पोर्टेन्ट होते हैं, अगर इम्पोर्टेन्ट न हो तो कोई कैसे बोले । अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अरविन्द नेताम : ट्राइबल एरियाज में सब-प्लान के बारे में खास तौर पर दो बातों की ओर भारत सरकार को विशेष ध्यान देने की बात है । एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप ट्राइबल एरियाज में क्या होना चाहिए । पिछली बार जो रिपोर्ट में बात कहीं गई थी, उसी बात को रिपीट कर दिया गया है । उसमें क्या प्रगति हुई है, इसको बताना चाहिए । इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में सारे डेवलपमेंट की जो वीकनैस होती है, उसको आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है और राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है । यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप में वीकनैस है, इसको किस ढंग से दूर करना है और इसको क्या स्वरूप आप देने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा ।

दूसरी बात मोनीटरिंग की है । मैं एक बात साफ कर दूं कि जितना भी विकास के लिए पैसा खर्च हो रहा है, उसका मोनीटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । मैं चाहूंगा कि भारत सरकार मोनीटरिंग ठीक ढंग से करें । भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से आदिवासी राज्य में ठीक से मोनीटरिंग सेल स्थापित करें क्योंकि जब तक मोनीटरिंग ठीक से नहीं होगा, तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या हो रहा है । आप का बहुत सा पैसा वेस्ट जा रहा है ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग है और वह यह है कि अगर आप 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हैं तो होम मिनिस्ट्री में आदिवासियों और हरिजनों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएं । इस पर मैं समझता हूं कि

भारत सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और होम मिनिस्ट्री को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अलग से एक विभाग उनके लिये खुले क्योंकि यह 20 पर सेन्ट पापूलेशन की बात है और उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं वे हल हों।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने समय समय पर मांग की है कि जो ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट का काम है, उसको कान्कर्रेंट लिस्ट में जोड़ा जाए ताकि भारत सरकार सक्षमता से और द्रुत गति से वहाँ के विकास कार्यों को कर सके। कम से कम इसको तो कान्कर्रेंट लिस्ट में लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का पूर्णतया विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज हमारे मुल्क में ला एण्ड आर्डर की स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरा देश उसके लिए चिंतित है सिवाय प्रधान मंत्री; श्रीमती इन्दिरा गांधी के और माननीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह के, जो अभी चले गये हैं। जब भी ज्ञानी जैल सिंह जी से संसद के बाहर ला एण्ड आर्डर की बात होती है, अखबार वाले उनसे इसके बारे में पूछते हैं, तो वे बहुत ही मजाकिया ढंग से उसका जवाब देते हैं। मैं उसकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन जब अखबार वालों ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में उनसे पूछा कि वह कैसी है, तो ज्ञानी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए जी, 'ला' की बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं, ला की बात तो ला मिनिस्टर बता सकते हैं और रही 'आर्डर' की बात, आर्डर तो मेडम ही दे सकती हैं, प्रधान मंत्री जी ही आर्डर दे सकती हैं। ऐसी हालत में, सभापति जी मुल्क की हालत बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी।

*दूसरी सबसे खतरनाक बात जो कांग्रेस पार्टी के राज्य में बड़ी है, वह यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जिसमें एम० एल० ए०, मिनिस्टर और दूसरे पदाधिकारी भी इनके हैं, वह यह है कि उनका गठजोड़ पुलिस और बदमाशों के साथ हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, जो चुनावों के अन्दर बदमाशों और पुलिश की संगीनों का सहारा लेती हो, तो वह सरकार या वह पार्टी कभी ला एण्ड आर्डर की स्थिति को क्या बदल सकती है ? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बदमाशों और पुलिस की संगीनों का जो सहारा लिया था, तो क्या वह देश में कानून व व्यवस्था में सुधार ला सकती है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन यह बताना चाहूंगा कि कानपुर के एक विधायक अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने एक थाने के अन्दर जो डकैती पड़ी थी, उसकी जब छानबीन की तो उसको पता चला कि उस डकैती में * एक भतीजे शामिल थे। उनको गिरफ्तार किया गया।

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : सभापति महोदय, जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। यदि वह उस व्यक्ति का नाम लेना भी चाहता है तो उसे अध्यक्षपीठ को इसकी सूचना देनी चाहिए। यही प्रक्रिया है उसे यह बात लिखकर देनी चाहिये कि वह उस व्यक्ति का नाम लेने जा रहे हैं। उसे नाम लेने की अनुमति है बशर्ते कि वह इसकी सूचना अध्यक्षपीठ को दें कि वह उस व्यक्ति विशेष का नाम लेने वाले हैं, जो कि सभा का सदस्य नहीं हैं।

सभापति महोदय : मुझे इस मामले की जानकारी है। आपको कुछ धैर्य रखना होगा।

श्री जमीलुर्रहमान : लेकिन आपने उस वक्त हस्तक्षेप नहीं किया।

सभापति महोदय : प्रक्रिया का नियम है। नियम 353 के अन्तर्गत·····कोई आरोप नहीं·····।

आप जो आरोप लगा रहे हैं उनके पक्ष में आपके पास प्रमाण हैं जिनसे कि आप उन्हें पुष्ट करेंगे ?

श्री जगपाल सिंह : मेरे पास हैं। अभी इसके पहले एक माननीय सदस्य ने भी कहा था।

सभापति जी, वहां तक ये झुठलाये जा सकते हैं ? देहुली में 27 हरजनों की हत्या हुई। उसके हत्यारे···*···के मकान में रहे।

सभापति महोदय : यहां पर जो कुछ भी आप कहें वह प्रमाण के साथ कहें, यह नियम है।

श्री जमीलुर्रहमान : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह : मेरे पास डाकूमेंटरी एवीडेंस हैं। आप कंट्राडिक्ट क्यों नहीं करते ?

अब मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा। मैं माफी चाहूंगा। देहुली कांड के हत्यारे कांग्रेस पार्टी * एम० एल० ए० के घर रहे, यह प्रूव्ड हो चुका है। वाकायदा योजना बना कर वहां के, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तब घोषणा की कि 24 दिसम्बर को इस्तीफा दूंगा उसपर जितने भी वहां के ठाकुर एम० एल० ए० और मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने जिस गली में और जिस मकान में वह रहता था, उस मकान और गली से उसको गिरफ्तार कराने की योजना बनायी। जिस पेट्रोल पम्प से संतोषा को गिरफ्तार किया गया वहां उसके साथ उसके स्कूटर पर एक और आदमी था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी उसके साथ स्कूटर पर था उसको

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों उसको छोड़ा गया ? जरा-जरा से मामले को लेकर पुलिस घरों से लोगों को, गरीब लोगों को उठा कर ले जाती है और उन्हें गोलियों से भून देती है। जिस आदमी ने देहुली में 27 हत्याएं की हों, उसको पुलिस प्यार से, लाड़ से पकड़ कर ले जाती है, एन्काउन्टर के नाम पर उसको गोली नहीं मारी जाती है। आराम से पकड़ कर उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पुलिस जरा-जरा से मामले को लेकर गोली मार देती है तो आपने संतोषा को क्यों गोली नहीं मारी, उसको अरेस्ट ही क्यों किया ? इससे सिद्ध होता है कि आपके इरादे क्या हैं ?

इतना ही नहीं, सभापति जी, फरुखाबाद के एम० एल० ए० *।

सभापति महोदय : नाम नहीं जायेगा।

श्री जगपाल सिंह : मैं माफी चाहूंगा। बाकायदा उत्तर प्रदेश के आई० जी० ने गवर्नमेंट को लिखा कि फरुखाबाद की कांस्टीच्युएंसीज के दो एम० एल० ए० हैं जिसके बारे में साबित हो चुका है कि उनके सम्बन्ध डकैतों से है और डकैत उनके यहां ठहरते हैं। और साबित होने के बाद गवर्नमेंट को लिखा गया। उस पर गवर्नमेंट ने लिखा कि वहां के एम० पी० को लिखा जाए कि कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० की कोई बात नहीं मानी जाए।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : महोदय, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ? माननीय सदस्य को अपना व्यक्तव्य देने तथा सदन के समक्ष बहुत से प्रश्न रखने का अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन महोदय, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की कानून और व्यवस्था की ही समस्या है। महोदय, मुझे आशा है कि वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मामलों तक ही सीमित रहेंगे। ऐसी सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। वह उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आर्डर है। इनकी सरकार का आर्डर है। बाकायदा यह आर्डर है।

सभापति महोदय : नियम और कानून की बात है। वह स्टेट सबजेक्ट है। लेकिन कभी कभी राज्य सरकार अपनी सहायता के लिए यहां से भी, केन्द्र से भी फोर्स की मांग करती है। इस तरह की फोर्स जब भेजी जाती है या गई है, उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं उनको अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर जोरों से यहां पर रखिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : नहीं, सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर प्रश्न है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय हो सकता है। लेकिन

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस सदन की यह प्रथा और परम्परा रही है हमने कई बार और बहुत बार सदन में यह प्रश्न उठाया है। विभिन्न राज्यों में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

इसके साथ ही, केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह निगरानी रखे। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रही है तो हमारा मंत्रिमण्डल भारत के राष्ट्रपति को उस राज्य की सरकार को पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है। इसलिए इस मामले पर विचार व्यक्त करने में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं जरूरत से ज्यादा सतर्क हूं। वास्तव में, मैं यह कहने वाला था कि वह सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि 'स्थिति यह है' : वह बता सकते हैं कि स्थिति कैसी है। अन्यथा, यह केवल हस्तक्षेप ही नहीं होगा, बल्कि अति हस्तक्षेप होगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, शोचनीय है, आदि। निश्चय ही कह तो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर। इस तरह से नहीं कि हम इस वाद विवाद को राज्य के विषय की चर्चा में परिवर्तित कर रहे हों।

श्री जगपाल सिंह : आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जिस हत्याकांड का मैंने जिक्र किया है वह हरिजनों से सम्बन्धित है। मंत्री जी यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि यह प्रदेश का मामला है। वहां हरिजनों की हत्या हुई है।** डकैतों के खिलाफ आप्रेशन के नाम पर हजारों बेगुनाह लोगों को घरों से उठवा कर उनको गोली मरवाई है। साढ़ू-पुर के अन्दर हरिजनों की हत्या की गई। आप देखें किस-किस तरह के जघन्य अपराध हुए हैं। घर के अन्दर बच्चा मिला, मां, बाप, बहन जो भी मिली गोली मार दी। इस तरह से 27 आदमियों को मारा गया। इससे ज्यादा बदतर ला एण्ड आर्डर की और क्या हालत हो सकती है। मध्य प्रदेश में केस्तरा के अन्दर एक औरत घर से बाहर निकली, उसने हाथ पैर जोड़े माफी मांगी लेकिन उसको नंगा करके पेड़ से बांध दिया गया और उसके सामने पूरे घर के अन्दर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसको आग लगा दी। जो छत तोड़कर ऊपर गए उनको बाकायदा उस औरत के सामने लाकर कत्ल किया गया, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए। सब लाशें उस औरत को दिखाई और बताया गया यह तुम्हारा बच्चा है, यह भाई है, यह बाप है, यह पोती है, यह देवर की लाश है। इसके बाद उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। एक जगह का यह किस्सा नहीं है। न जाने कितनी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस सबके बावजूद भी हमारे उधर बैठने वाले मंत्री महोदय को बधाई देने से नहीं अघाते। कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य बोल रहे हैं हरिजनों और गरीब लोगों के नाम पर सिर ऊंचा करके, उनको शर्म आनी चाहिए कि 33 साल के राज्य में भी वे हरिजनों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके हैं। हरिजन घास फूस की तरह आज भी पैदा होता है और घास फूस की तरह मर जाता है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, डकैतों के साथ रूलिंग पार्टी के लोगों के सम्बन्ध हों और पुलिस उनको इस भय से पकड़ती न हो तो इससे ज्यादा भयंकर स्थिति क्या हो सकती है ?

माया त्यागी कांड से लेकर मुरादाबाद तक जो पुलिस का वहशाना कांड शुरू हुआ था उसको आप रोक नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि सरकार आश्वासन दे इस सदन में कि इस देश के गरीब लोगों को आप वास्तव में उठाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री हिन्दू है, केन्द्र में प्रधान मंत्री भी हिन्दू हैं, इनके हिन्दू धर्म के हिसाब से चींटी, इन्सान, घोड़ा और हाथी, सब में बराबर आत्मा होती है। जब बहमाई में फूलन देवी ने हत्याकाण्ड किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने 60,000 रु० दिलवाया। लेकिन जब साधूपुर में हरिजन कत्ल हुए तो उनको 5,000 रु० ही दिया। मतलब यह कि इन्होंने इन्सान इन्सान में फर्क कर दिया। हरिजन भी हिन्दू धर्म के ही लोग थे। क्यों ठाकुरों को 60,000 रु० दिया गया और हरिजन, मुसलमान का जब कत्ल होता है तो भीख की तरह से उनको 5,000 रु० दिया गया और उसमें भी एस० डी० एम० ने शर्त लगायी कि इतना पैसा तब निकलेगा जब एस० डी० एम० मन्जूरी देगा और तब ही बैंक से पैसा निकलेगा। कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस मामले में शर्म आनी चाहिये।

बदायूं के अन्दर एक कवि सम्मेलन हुआ। वहां हालांकि उससे पहले चौधरी चरण सिंह और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पर भी व्यंगात्मक कवितायें पढ़ी गयीं, लेकिन जब एक कवि ने कहा "छोटी दो या मोटी दो, इन्दिरा गांधी रोटी दो" तो स्टेज से कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री उठ कर गये यह कह कर अभी आकर देखूंगा इसको इसने यह कविता कैसे पढ़ी। तुरन्त 10, 15 बदमाशों को लाकर हमला किया गया और सारे कवियों की पिटाई हुई। अब शायद वहां कवि सम्मेलन नही होगा।

सभापति महोदय : कवि सम्मेलन था या कपि सम्मेलन ?

श्री जगपाल सिंह : एक डकैत की जेब में से मिनिस्टर का लिखा हुआ पत्र मिला। जब डकैत की तलाशी ली गई तो मंत्री जी का पर्चा उसकी जेब से मिला तुमने चुनाव में मुझे पैसे, हथियारों और बदमांशों से सहायता दी है उसके लिये बहुत बहुत आभारी हूं। जब डकैत की जेब से मिनिस्टर का पर्चा मिले तो वहां क्या हालत होगी। उस डकैत के मरने के बाद जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से यह पर्चा निकला। आपके एक मिनिस्टर 50,000 रु० देकर छूटे हैं। यह बहुत सीरियस बात है और इस पर सरकार को खास डायरेक्शन देनी चाहिये कि ऐसी स्थिति से अपने को बचावें।

फर्रुखाबाद के एक एम०एल० ए० की बात मैं बता सकता हूं। आपके सरकारी आंकड़े हैं जिनमें कहा गया कि 2700 डकैत मारे गये। बेलची की घटना जनता पार्टी के राज्य में हुई थी तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि हम यू० एन० ओ० में जायेंगे क्योंकि हरिजनों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज जब हरिजन मारे जा रहे हैं तो न श्रीमती इन्दिरा गांधी

ने और न उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने आज तक यह नहीं कहा कि हम यू०एन०ओ० में जायेंगे क्योंकि इन्दिरा गांधी जी के राज्य में हरिजनों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

सभापति जी, गृह मन्त्रालय की डिमान्ड्स पर चर्चा चल रही है और गृह मन्त्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं, मैं जानना चाहता हूं वह कहां गये हैं ?

सभापति महोदय : सम्मिलित जबाव देही है, उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)।

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मन्त्रिमण्डल के एक मन्त्री श्री तिवारी यहां बैठे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब यह वाद-विवाद चल रहा है तो गृह मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। मंत्रालय में उनकी सहायता के लिए दो व्यक्ति हैं—दो राज्य मंत्री—लेकिन उनमें से कोई भी यहां उपस्थित नहीं है। यह बहुत गंभीर बात है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी ऐसा करने की अनुमति नहीं है। मैं इसे बहुत गंभीर मानता हूं। मैं समझता हूं कि आपको श्री तिवारी से कहना चाहिए कि वह मंत्रालय से संबंधित कम से कम एक मन्त्री को तो यहां उपस्थित करें। मैं समझता हूं, वह -(व्यवधान) मंत्री महोदय को यहां उपस्थित रहना चाहिए।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं तथा मन्त्रिमण्डल का सदस्य के नाते सामूहिक रूप से यह हम सब की जिम्मेदारी है····(व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम मूर्ख नहीं हैं। हम भी समझते हैं कि आप सरकार के प्रतिनिधि है लेकिन यह बहुत गम्भीर बात है कि इससे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है। यह गृह मंत्रालय पर महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। मैं समझता हूं कि बार-बार इस प्रश्न को उठाया गया है। (व्यवधान)।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं आपकी बात समझ गया हूं। देखिए, वह आ गए हैं।

फैजाबाद के एक असगर नाम के आदमी को पुलिस ने घर से बड़े प्यार से बुलाया और कहा कि किसी मामले में तुमसे बात करनी है और उस असगर को जंगल में ले जाकर गोली मार दी।

मेरठ के बिसौली गाँव में इमरत नाम के एक आदमी के घर पुलिस उस दिन गई जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी। पुलिस ने शादी में से उसको पकड़कर खींच लिया और उसको गोली मार दी। उसका लड़का वहीं मर गया और उसको कई जगह गोली लगी लेकिन वह अस्पताल में बच गया। उसको जाकर यह कहा कि यह डकैत है।

हर आजाद स्वतंत्र देशों में कुछ कानून होते हैं। हमारे यहां भी कानून है, आप एफ० आई० आर० लिखिये, इन्वैस्टीगेशन कीजिये, चार्जशीट कीजिये लेकिन कोई प्रोसीजर फालो नहीं किया जाता। यह न्यायपालिका पर भी कितना बड़ा आघात है। यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि जब जुल्म साबित हो जाये तो उसको फांसी दे या कोई दूसरी सजा दे। सजा देने का राईट पुलिस को कहां से मिल गया ? अगर किसी ने कोई डकैती की है, छोटा जुर्म किया है तो पुलिस उसको घर से उठाकर गोली मार दे, ऐसा कहीं हो सकता है ? इसलिए मैं गृह-मन्त्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम एन-काउन्टर वाले मामले में वह सीरियस लाइन आफ एक्शन तय करें। अब जो यह हो रहा है, यह बहुत भयानक है, इससे जुडिशियरी को, डेमोक्रेसी को और जो फंडामैंटल राइट्स हैं उनको बहुत खतरा हो रहा है। कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस तय करे कि किसी ने क्या जुर्म किया है। यह बड़ा भयानक मामला है।

इस तरीके के कांग्रेस पार्टी के और भी विधायकगणों के मामले मेरे पास है लेकिन मैं उनको कहना नहीं चाहूंगा।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी कई सदस्य बोलने वाले हैं। अब समाप्त कीजिये।

श्री जगपाल सिंह : पुलिस बजट के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पिछले साल जो यह 550 करोड़ रुपए था, उसे इस वर्ष आपने 650 करोड़ रुपए कर दिया है। इस मामले में मैं यह कहना चाहुंगा कि पुलिस के जुल्म आजकल सब जगह चल रहे हैं। आपने जो 650 करोड़ का बजट पुलिस का किया है, यह नहीं बनाना चाहिए था। अगर आपने यह बनाया ही है तो आज देश में लाखों लोग पुलिस में सिपाही भर्ती होने के लिए फिर रहे हैं। अगर आप पुलिस के वर्किंग अवर्स 8 घंटे कर देते हैं तो जितने बेकार नौजवान हैं, जो देहातों के गरीब लोग हैं, वह सब सिपाही की नौकरी करना चाहते हैं। इस तरह से दोहरी पुलिस फोर्स आपकी हो जायगी। एक तरफ आप बेरोजगारी को खत्म नही करते और दूसरी तरफ बजट बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में, सिंचाई में, स्माल स्केल इंडस्ट्री में आपने बजट घटाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि परसैंटेज के हिसाब से और इन-एब्सोल्यूट टर्म्स में दूसरी चीजों का बजट घटा है। इसमें जाहिर होता है कि आप इस देश के लोगों की बेरोजगारी को खेती, स्माल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी चीजों के माध्यम से दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं।

आज पूरे हिन्दुस्तान में, सब प्रदेशों में, पुलिस-असंतोष बढ़ रहा है। 1973 में पंडित कमलापति त्रिपाटी के समय में पुलिस ने बगावत की थी और केन्द्र ने उसे दबाने के लिए मिलिटरी भेजी थी। जजमेंट आया है कि 109 व्यक्तियों को 86, 86 वर्ष की सजा हुई है। पुलिस में असन्तोष का कारण है कि उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है और उनकी तन्खाह नहीं बढ़ाई जाती है। आज भी उन्हें वही सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि अंग्रेजी के समय उन्हें प्राप्त थीं। अंग्रेजों के समय मुलजिमों की डाइट के लिए जो आने और पैसे पुलिस वालों

को मिलते थे, वे ज्यों के त्यों हैं। इस हालत में पुलिस वाले हावालात में मुलजिम को कहां से खाना खिलायेंगे ? मैं प्रार्थना करूंगा कि जब पुलिस का बजट बढ़ाया गया है, तो पुलिस की तन्ख्वाहों को बढ़ाया जाए, उनके वर्किन्ग आवर्ज़ को घटाकर पुलिस फोर्स को डबल करने पर विचार किया जाए।

पूर्वांचल में इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। पिछले कई सत्रों से हम इस बात को उठा रहे हैं। पूर्वांचल में जो स्थिति है, चाहे वह आसाम में हों, मिजोरम में हो या अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड में हो या गिरिजन की हो, वह इस देश की एकता के लिए बड़ी भयानक है। आसाम में कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से सरकार बनाने का तमाशा खेल रही है। जब वहां पर अनवरा तैमूर सरकार बनी, तो मैंने इस हाउस में कहा था कि आसाम में जो स्थिति है—पूरी इकानोमी डिसटर्ब्ड है. हमारी आयल रिफाइनरीज का काम ठप्प है—, उसमें अनवरा तैमूर की सरकार न बनाई जाए। लेकिन वह सरकार बनी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की जिद और पैंतरेबाजी के सामने कुछ नहीं किया जा सकता। वह हम नहीं कर सकते। वह सरकार बनी, लेकिन वह नहीं चली और गिर गई। फिर सरकार बनी और वह भी गिर गई।

मजे की बात यह है कि जो पैमाना श्रीमती इन्दिरा गाँधी और कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए लागू करते हैं, वही पैमाना वे विरोधी दलों द्वारा सरकार बनाने पर लागू क्यों नहीं करते आसाम में कांग्रेस पार्टी माइनारिटी में थी ही। जब उसकी सरकार गिरी, तो आपोजीशन वालों को मौका क्यों नहीं दिया गया वहाँ पर सरकार बनाने का ?

जहां तक केरल का समबन्ध है, हमने इस बात का विरोध किया था कि 71 सदस्यों के समर्थन के बल पर सरकार बनाई जाए, क्योंकि आखिर स्पीकर के कास्टिंग वोट से वह सरकार कब तक चलेगी। लेकिन वह सरकार बनी और गिर गई। जब 71 आदमियों के समर्थन से काँग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार चलाई, और जब उन 71 में से एक आदमी उधर चला गया, तो 71 आदमियों के समर्थन से आपोजीशन वाले सरकार क्यों नहीं चला सकते ? उन्हें भी सरकार बनाने का मौका देना चाहिए था। जहाँ तक आसाम और नागालैंड का सम्बन्ध है, हम चाइनीज की बात पढ़ रहे हैं। इस बात की पूरी शंका है कि इस पूरी बैल्ट के लोग आपके साथ, मेरे साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ ज्यादा दिन तक रहने के लिए तैयार नहीं हैं।

खालिस्तान का मामला ज्ञानी जैल सिंह से संबन्धित है।

सभापति महोदय : ज्ञानी जी हाउस में हैं नहीं।

श्री जगपाल सिंह : यह सीरियस बात हैं। जब खालिस्तान के मामले पर प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने पंजाब के पार्टी के लोगों से बात की, तो मैंने यह मामला उठाया।

मैंने ज्ञानीजी से सवाल किया था कि वह बताएं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के डायरेक्शन पर विदेश मंत्री, श्री नरसिंह राव, जा कर खालिस्तान के मामले पर लोगों से बात करें, यह मामला क्या है। मैं आज भी पूछता हूं—गृह राज्य मंत्री बैठे हैं—कि क्या ज्ञानी जैल सिंह और श्री दरबारा सिंह के आपसी झगड़े की वजह से यह आन्दोलन तो नहीं चल रहा है। आप ज्ञानी जैल सिंह से इसका क्लैरिफिकेशन दिलाइए। अगर ज्ञानी जी कहें कि नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तब उनकी जगह पर, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के कहने पर, हमारे घरेलू मामलों पर, मुल्क के मामलों पर, जिन पर गृह मंत्री बैठ कर बात करते, श्री नर सिंह राव बात करने क्यों गए।**

एक माननीय सदस्य : इमपासिवल :

श्री जगपाल सिंह : जब कभी हम यह मामला उटाते हैं, तो उसमें मजाक में लिया जाता है।*

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्री जार्ज फर्नांण्डीस पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह से मिलकर आए हैं। वह उनके विशेष निमंत्रण पर वहाँ गए थे। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : विदेशी मामलों के सम्बन्ध में सवाल न उठाइए।

श्री जगजीत सिंह चौहान जगाधरी, : यमुना नगर तक माँग कर रहा है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जगपाल सिंह : जहां तक दिल्ली में चुनाव कराने का सवाल है, मैं पूरे अपोजीशन की तरफ से मांग करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप दो साल से यहाँ की जनता को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रहा है, दिल्ली की व्यवस्था विगड़ती ही जा रही है, आप दिल्ली की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं ? इन्दिरा जी दिल्ली वासियों से उनका वोड़ का अधिकार छीन रही हैं जिसके कारण आज जमहूरियत और जुडीशियरी खतरे में है। जस्टिस मुत्थू जो हैं उन्होंने जुडीशियरी सिस्टम को बदलने के लिए पूरे देश में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पोलिटिकली कमिटेड होना चाहिए—मैं जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री ने उनको ऐसा करने से क्यों नहीं रोका ?*

इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जुडीशियरी खतरे में है।

सभापति महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री जगपाल सिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में लोगों को बोट डालने का अधिकार दीजिए, यहाँ पर जल्दी चुनाव कराइये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश में असन्तोष फैलेगा।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं एक महत्व-पूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य न्यायाधीशों के बारे में कह रहे हैं तथा वह हमारे दल पर उनकी सहायता के लिए दोषारोपण कर रहे हैं। क्या वे न्यायपालिका के अंग नहीं हैं ? क्या वह यह समझते हैं कि केवल वे न्यायाधीश, जो उनके दल के समर्थक हैं, संविधान का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री जगपाल सिंह : इसलिए आज हमारे मुल्क के सामने इस प्रकार की जो समस्यायें हैं उनकी ओर इस सरकार का ध्यान दिलाते हुए गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का विरोध करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, होम मिनिस्ट्री की जो ग्रान्ट्स इस ऐवान के सामने पेश हैं उनको सपोर्ट करते हुए मैं अपने कुछ खयालात का इजहार करना चाहता हूं। आज तक यह देखा गया है कि जब भी कभी किसी स्टेट में कोई ला-ऐंड आर्डर का मसला पैदा होता है और उसको यहाँ पर कोई उठाता है तो यह कह दिया जाता है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, यह स्टेट सब्जेक्ट ही है लेकिन कभी अगर मामला हद से ज्यादा गुजर जाए तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसमें केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? मैं इस बारे में बिना दाद दिए भी नहीं रह सकता कि जिन सूबों में काँग्रेसी सरकारें हैं वहाँ पर जब भी कभी ऐसे वाकयात रूनुमा हुए तो हमारे केन्द्रीय मन्त्री खुद मौके पर गये हैं। मैं ऐसे वाकयात बताकर इस सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता जिनके सिलसिले में हमारे केन्द्रीय मंत्री वहाँ मौके पर गए और जाकर हालात को देखा और वहाँ की सरकार के काम में अगर कोई कमी पाई (मैं सिर्फ कांग्रेसी सरकारों की ही बात कर रहा हूं) तो उसको दूर करने के सिलसिले में रहनुमाई की और इस तरह से वहां की सिच्युएशन को नार्मल पर लाया गया। लेकिन जहां कोई ऐसा कोई बाकया हो जाए जहाँ पर नान काँग्रेसी सरकारें हैं तो यही कह दिया जाता है कि ला-ऐंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मिसाल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कन्याकुमारी में आज तक क्या हो रहा है ? वहां पर कम्युनल रायट्स हो रहे हैं और कहा जाता है कि उसमें आर० एस० एस० का हाथ है। वहाँ पर लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। अकलियतों को कत्ल किया जा रहा है। और आप ला-एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट कह कर इस को छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि इस इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आखिर सेन्टर का भी कोई हक बनता है और आप को देखना चाहिए। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में देखिए कि कितने पालीटिकल मर्डर हो रहे हैं और स्टेट सब्जेक्ट कह कर इस को आप छोड़ दें, यह क्या आर्गूमेंट हुआ। काश्मीर में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : आप ने कुछ मेरी बातें तो सुनीं लेकिन कुछ बातें ऐसा मालूम होता है- सुन कर भी आप ने अनसुनी कर दीं। मैंने कभी यह नहीं कहा था।

श्री पी० नामग्याल : मेरा इशारा आप की तरफ नहीं था। यह तो मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब के लिए कहा था।

सभापति महोदय : ठीक है, साधारण रूप में आप चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस को आप एसेम्बली बना लें यह सही नहीं है।

श्री पी० नामग्याल : मैं अब काश्मीर की तरफ आ रहा हूं। आप ने सुना होगा कि पिछले दो साल से लद्दाख और किस्तवार और काश्मीर वैली में कई जगहों पर एजीटेशन चल रहे हैं। लद्दाख में क्या हुआ, इस के बारे में मैंने पिछले बजट अधिवेशन में कहा था। पुलिस ने वहां पर क्या-क्या स्ट्रोसिटीज की हैं, उनकी सारी डिटेल्स में यहां पर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी बातों का होम मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यही पुलिस ने लोगों के घरों में घुस कर वहां उन के इनमैट्स को पीटा और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और मर्दों, सब को पीटा और उनका जो सामान था, उस को लूट ले गई और बहुत सारे कैसेज में रैप भी किया लेकिन वहां की सरकार कहती है कि जो होना है, होने दो और जहां भी लोग जाना चाहें चले जाएं। उन्होंने स्टेट एसैम्बली में यह कहा और मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा कहने से उनका मकसद क्या था। इसी तरह से लेह में एजीटेशन चल रहा था। और अभी भी चल रहा है और हमारे 6 लीडर 41 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहे और उन को जमानत पर नहीं छोड़ा गया। कोर्ट में वे पेश किए गए और कोर्ट ने कहा कि इन को पुलिस कस्टडी में रखो। कोई कानून तो वहां पर है नहीं, जो मर्जी में आया, कर लेते हैं। इस तरह से अभी भी वहां एजीटेशन चल रहा है, लोग धरना दे रहे हैं, औरतें और बच्चे तक धरना दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी को वहां पर जा कर इस को देखना चाहिए। आज तक वे देखने नहीं गये। वे अपनी आंखों से देखें, हम पर यकीन मत कीजिए, कि वहां पर क्या हो रहा है। लद्दाख में आदमी मारे गए हैं पुलिस फायरिंग में और फायरिंग करने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई। पुलिस ने वहाँ पर इस तरह से फायरिंग किया जैसे टार्गेट शूटिंग करते हैं। पाजीशन में बैठकर गोली चलाई और न कोई वार्निंग दी गई और न हवा में फायर किया गया। इसी तरह से किश्तवार में एक आदमी मारा गया है और बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। और वहां पर औरतों के साथ क्या-क्या हुआ है, मंत्री जी वहाँ जा कर देख आये हैं। और औरतों की जबानी सब कुछ सुना है। रेप की बात को छोड़ दीजिए एक एक मेल टीचर को पुलिस पकड कर ले गई और जबर्दस्ती उसके साथ सोडोमी किया गया। इस तरह के वारदात वहाँ पर होते हैं और आप कहते है कि यह स्टेट सबजेक्ट है। अब हम यहां न बताएं, तो कहाँ बताएं।

अभी हाल ही में अनन्तनाग में कुछ वाइन मर्चेन्ट्स की दुकानों के सामने कुछ लोगों ने धरना दिया। कुछ ऐसी जमायते हैं जैसे प्रो-पाक पीपुल्स लीग, महाजे आजादी और राइट

विंग जमाते इस्लामी. इन लोगों ने ऐसा किया। इन तीन पोलिटिकल पार्टीज पर प्रतिबन्ध नहीं है। 6 मार्च को उन्होंने इन दुकानों पर पिकेटिंग किया और उनके खिलाफ पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो भी आदमी उनकी दुकानों पर जाता था वापसी पर उनकी तलासी ली जाती थी और जो शराब बढ़िया क्वालिटी की होती थी तो उसको यह गुण्डे अपनी जेब में डाल लेते थे और घटिया क्वालिटी की होती तो उसको सड़क पर तोड़ देते थे। 9 तारीख को इन माइनोरिटीज की दुकानें लूटी गयीं।

सभापति महोदय : क्वालिटी की जांच करने वाले कोई साहब थे ?

श्री पी० नामग्याल : आप अगर हमारे जम्मू कश्मीर में तशरीफ लाएंगे तो देखेंगे कि वहां मैक्सिमम बार और वाइन शाप्स हैं। पीने वाले कौन हैं इसका भी आपको पता चल जाएगा। और उन पीने वालों को पता है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी और कौन-सी खराब।

सभापति महोदय : आप की बात सुनकर मैंने वहाँ जाने का इरादा छोड़ दिया है।

श्री पी० नामग्याल : जैसा मैंने पहले कहा कि घटिया किस्म की बोतलों को सड़क पर तोड़ डाला गया और बढ़िया किस्म की बोतल को पाकिट कर के चले गए। वहां 50-60 आदमी जख्मी हो गये। तीन दिन से एजीटेशन चल रहा था कहा जाता है कि वहां माइनोरिटीज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ नारे लगाये गए। ऐसे एलीमेंट्स को वहाँ पर खुली छूट दी गई है। ऐसा क्यों होने दिया जाता है जब से वहाँ पर प्रेजेन्ट सरकार ने हुकूमत संभाली है तब से आप वहाँ देखेंगे कि हर फ्राइडे को सिनेमा के मैटिनी शो दिखाने की इजाजत नहीं है क्योंकि मुसलमान भाई नमाज पढते हैं। ठीक है मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उनके लिए बंद हों बाकि जो लोग देखना चाहते हैं, उनके लिए क्यों बंद हों ? उनके हक भी छीने गए हैं।

वहाँ पर हरेक फ्राईडे को एक से तीन बजे तक मुसलमान भाईयों को नमाज जुमा के लिए छुट्टी है। वह छुट्टी दूसरों को नहीं है। दूसरों को भी बराबर की छुट्टी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए दफ्तर क्यों न बन्द करना पड़े।

तीसरी बात यह है कि हर फ्राईडे को वहां असेम्बली का सेसन नहीं होता।

ज्ञानी जी सुन लीजिए, वहाँ सरकार ने खुली इजाजत दे रखी है एक फिरके को। यह ठीक है कि हमारा मुल्क एक सेक्युलर स्टेट है, हर फिरके को अपना मजहब मानने या इबादत करने की खुली आजादी है और ऐसा होना चाहिए लेकिन वहाँ पर एक फिरके के साथ एक सुलूक हो और दूसरे के साथ दूसरा अपनी ना बराबरी का सुलूक हो रहा है। अनन्तनाग का वाकया आपके सामने है।

पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि एक किताब निकली —**

यह किताब है।**

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : किसी चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली पर माननीय सदस्य ऐलीगेशन लगा रहे है। वह यहाँ पर अपने आप को डिफैंड करने के लिए नहीं है। इसलिए कृपया आप इस तरह की बात न बोलें। जो देश व्यापी समस्या है, उसके उपर बोलिए, नहीं तो समाप्त करिये।

श्री पी० नामग्याल : मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, जम्मू व कश्मीर इस देश का भाग है। वे देश के उस भाग को लूट रहे हैं। यह इस सदन में उठाया जाने योग्य मामला है। आप नहीं कह सकते है कि यह हमसे संबंधित नहीं है। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सब की बात कर रहे हैं क्योंकि वे हमारी सम्पत्ति को लूट रहे हैं। वह सम्पत्ति इस राष्ट्र की है।

सभापति महोदय : मैंने विपक्ष के एक माननीय सदस्य को व्यक्तिगत बात कहने के विरुद्ध मना किया था। नियम एक समान ही लागू किया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मानी हुई बात है। हमारे नियमों में इसकी व्यवस्था नहीं है। आप नाम का उल्लेख नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : आप तब तक किसी उच्चाधिकारी का उल्लेख नहीं कर सकते जब तक चर्चा मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो, नियम स्पष्ट है।

आचार्य भगवान देव : प्रमाण पेश कर रहे हैं लिखित। आपके सामने पेश करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : पहले पेश करने चाहिए थे। ऐसे नहीं होता है।

श्री वीरभद्र सिंह (मण्डी) : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक प्रकाशित प्रपत्र है। माननीय सदस्य कोई आरोप नहीं लगा रहा है। वह एक प्रकाशित पुस्तक का ही हवाला दे रहा है।**

वह केवल जाँच करवाना चाहता है··· (व्यवधान)।

सभापति महोदय : सभापति की पूर्वानुमति लेनी होती है। आप कोई पुस्तक लेकर उसमें से उद्धरण सुनाना शुरू नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप सभापति की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (अदिलाबाद) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ···। (व्यवधान)।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : श्री नामग्याल जो कुछ भी कहना चाहते हों, आप उनके बीच में खड़े हो गए हैं और कह कह नहीं पा रहे हैं

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : सभा के एक सदस्य के नाते, मुझे स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार है। मैं किन्ही दो व्यक्तियों के बीच में बाधा नहीं हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे पूछने का अधिकार है। आपने कहा है कि उसे उद्धरण देने की अनुमति नहीं है। मैं आपसे केवल यह पूछता हूं कि क्या इस सभा के किसी सदस्य को चर्चा के दौरान, देश में प्रकाशित किसी पुस्तक से उद्धरण देने का अधिकार नहीं है। आप यह स्पष्ट कीजिए कि क्या हमें किसी पुस्तक से उद्धरण देने का अधिकार नहीं है ?

सभापति महोदय : इस मामले में उसे अनुमति नहीं दी गई है। उद्धरण केवल सभापति की अनुमति से ही दिया जा सकता है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं चाहता हूं कि यह मामला बिल्कुल स्पष्ट किया जाए। मुझे आपसे पूछने का अधिकार है। मैं नहीं बैठूंगा। आपको इस प्रश्न को स्पष्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान) मेरे प्रश्न बिल्कुल साफ है। सभा के एक सदस्य के नाते मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी चर्चा के दौरान मुझे इस देश में प्रकाशित किसी पुस्तक से इस सभा में उद्धरण देने का अधिकार है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : इस मामले में उन्हें अनुमति नहीं दी गई हैं। सभापति की अनुमति के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : आज के बाद, इस सभा का कोई भी सदस्य देश में प्रकाशित किसी समाचार पत्र अथवा पुस्तक से उद्धरण नहीं दे सकता। यह क्या है ? उसे भी कहने का अधिकार है आप हमें इस तरह नहीं रोक सकते। जब भी हम बोलते हैं तो हमारा आधा समय आप ले लेते हैं। कृपया आप सदस्यों को बोलने दीजिए, वे क्या कहना चाहते हैं। आप का कहना है कि किसी पुस्तक में जो प्रकाशित हैं हम उसका उद्धरण नहीं दे सकते। कल आप यह कहेंगे कि समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हो हम उद्धरण नहीं दे सकते।

सभापति महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। निर्णय स्पष्ट है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। श्री नामग्याल आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी० नामग्याल : बहुत कम समय मिला है। मैंने पहले ही ज्यादा समय की मांग की थी।

सभापति महोदय : मैं क्या करूं ?

श्री पी० नामग्याल : मेरा समय तो आपने ले लिया है। इसलिए मैंने पहले ही जब आप बोल रहे थे ज्यादा समय मांगा था।

सभापति महोदय : लेकिन मैं क्या करूं । मुझे तो हाउस के काम को चलाना है ।

श्री पी० नामग्याल : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सरकार का नाम लेने का मुझे हक है, सी० एम० बोलने का मुझे हक है, वहां की सरकार** जम्मू कश्मीर की मौजुदा सरकार ने वहां की लैंड ग्रान्ट एक्ट को तरमीम किया है ।

लेकिन यह लैंड ग्रान्ट ऐक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, उस तरमीम में यह कहा गया है कि जिस शक्स के पास 2 कनाल या उससे कम सरकारी रकवा इस वक्त कबजे में होगा वह उस जमीन का मालिक हो जायेगा, ओनरशिप राइट उसको मिल जायेगा । इसी सिलसिले में जो सरकारी जमीन है जिसकी मालियत 20 करोड़ रु० से जायद है वह* बांट दी । किसी को भी दो कनाल से ज्यादा नहीं है । यह आप इस किताब में देख सकते हैं । किस तरह से मुल्क का सरमाया लूटा जा रहा है ।

इसी तरह से जंगलात में ठेकेदारी में क्या कुछ नहीं हो रहा है । और नाम बर्फबारी की वजह से दरखतों के गिरने का नाम दिया जा रहा है । लाखों रुपया रिश्वत लेकर ठेकेदारों को जंगल लीज पर दे दिया गया है जो इनडिस्क्रिमिनेट पेड़ों को काट कर रहे हैं रेजिन जो कि इस समय 8 रु० प्रति किलो० बाजार में बिकता है एक ठेकेदार जिसमें वह हिस्सेदार हैं । 1 रु० 60 पैसे किलो के हिसाब से ठेके पर रेजिन दे दिया । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया था इससे स्माल सेक्टर इंडस्ट्री के लिए रेजिन को प्रोटेक्ट करके रखा जाय वहां पर छोटे सेनतकारों को नहीं दिया गया बल्कि बाहर की एक बड़ी फर्म को दे दिया । इस तरह से फोरेस्ट वैल्थ की लूट हो रही है ।

इसी तरह से बम्बई में जो जमीन कश्मीर हाउस के नाम से है वह 5,800 मुरब्बा गज है उमको सरकार ने एक खास ठेकेदार को जिसने कश्मीर में मैच फैक्ट्री के लिए सारे देवदार के जंगल को थ्री अवे प्राइस पर पहले ही हासिल कर चुका था । उसको बंबई की जमीन पट्टे पर दे दी । उस जमीन की की कीमत इस वक्त 50 करोड़ रु० होती बताते हैं । उसमें मकान भी शामिल है, एक सरमायेदार घराने को यानी सिंधवी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को वह जमीन अलाट की गई है । यह प्लाट 99 साल की लीज पर सिंधवी कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है और 2 करोड़ 5लाख रु० प्रोमियम और 5 लाज रु० सालाना ग्राउन्ड रेंट पर दिया गया है ।

करप्शन इस कदर वहाँ पर है कि जितने भी सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनिय और एसिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, हरेक को हर महीने पैसा माहवार जमा कर के मिनिस्टर को देना होता है एस० ई० को 50,000 रुपये देना पड़ता है ।

मैडिकल कालेज के सैक्शन के लिए 50,000 रुपये लगता है, वहां पर थर्ड डिवीजनर को सीट मिलती है और मैरिट वाले को नहीं मिलती है ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

सिविल एवीयेशन के एडमीशन की बात भी मैं करना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एवियेशन डिपाटमेंट ने हमारे जिले लद्दाख में एलर टर्मिनल की विल्डिंग बनाने के लिए 15 लाख का ठेका हमारे लद्दाख के पी. डब्ल्यू. डी. को दे दिया। उन्होंने वहां के दयानतदार और लोकल इंजीनियर को निकाल दिया और श्रीनगर से दूसरा इंजीनियर लाकर उसी 15 लाख की जगह 38 लाख का रिवाइन्ड एस्टीमेट बनाकर आपके पास भेजा है। आप इसे खुद वेरीफाई करा सकते हैं। 15 हजार से 20, 25 हजार-प्राइस-एक्सक्लेशन एक साल में हो सकता है. लेकिन 38 लाख नहीं हो सकता है। इस मामले में आपको देखना चाहिए। और तहकीकात करनी चाहिए।

एक ऐसा वकाया ईगो के इरिगेशन कनाल हैड से ताल्लुक रखता है जो कि लद्दाख में है उसके वहां के लोकल इंजीनियर ने साढ़े 7 लाख रु, का एस्टीमेट बनाया था। वहां के लोकल इंजीनियर को निकाल दिया और दूसरा सैट आफ इंजीनियर लाया गया और साढ़े 7 लाख की जगह 1 करोड़ 5 लाख का एस्टीमेट बनाया गया जिसको बाद में वहां के लोगों के शोर करने पर बन्द करना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट के लिए रुपया देती है और वहां पर इस तरह से सरकारी रुपया लूटा जा रहा है। आप कहते हैं कि वहां मदद कर रहे हैं। मैं इन सब बातों की खोज करने के लिए सी० बी० आई० की इन्क्वायरी मांगता हूं। * सी० बी० आई० इन्क्वायरी होनी चाहिए और करप्शन के सब चार्जेज के खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए। हर साल दूसरी स्टेट्स का कोटा काटकर आप इन लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्ट्री की ग्रांट्स की सपोर्ट करता हूं।

सभापति महोदय : व्यक्तिगत आरोपों को रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

हमारे आनरेबल मेम्बर श्री जगपाल सिंह जी ने अपनी तकरीर में कहा था कि अकालियों से जो बातचीत हो रही थी, प्रधान मंत्री विदेश जाते हुए विदेश मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंप गई, *।

मेरा ख्याल है कि वह भी मेरे साथ इतिफाक करेंगे कि यह शब्द कहने से कोई फायदा नहीं है * ।

अकालियों से जो बातचीत हो रही है, खालिस्तान के विरोधियों से हो रही है। अकालियों ने डिक्लेयर किया है कि वह खालिस्तान के हक में नहीं है उनके साथ कोई हमारा नेगोसियेशन नहीं हो रहा है और ना नेगोसियेशन का कोई सवाल पैदा होता है। इसलिए उसको एक्सपंज कर दिया जाये।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री सभापति महोदय : इसे हटा दिया जाएगा । श्री चन्द्रजीत यादव ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, वर्तमान प्रधान मंत्री ने 6 जनवरी 1980 को पी० टी० आई० से अनौपचारिक रूप से कहा था कि यदि वह सत्ता में आ गई तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों की सुरक्षा करना उसकी सरकार का 'प्रथम कार्य' होगा । अब उस 'प्रथम कार्य' की आज क्या स्थिति है ? देश भर में आज सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कानून और व्यवस्था आज जितनी खराब है उतनी पहले कभी नहीं थी । चाहे जम्मू और काश्मीर हो, अथवा बंगाल अथवा असम, केरल हो अथवा बिहार और उत्तर प्रदेश हो हर जगह आज साधारण जनता देश भर में तेजी से बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति से अत्यधिक चिन्तित है । आज की स्थिति पक्के अपराधियों के लिए स्वर्गतुल्य बन गई है और साधारण व्यक्ति के लिए भयावह नरक बन गई है । मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं । क्या वह इस बिगड़ती स्थिति के बारे में चिन्तित है अथवा नहीं ?

गृह मंत्रालय ने आज अपना तेज खो बैठा है ; अपना महत्व खो दिया है । देश में कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय की परवाह नहीं करता । कोई भी मुख्य मंत्री आज गृह मंत्री की परवाह नहीं करता । वह अत्यधिक चिन्ता की बात है । जब श्रीमती गांधी ने यह बात कही थी, तो वह जनता की नेता होने के नाते अत्यधिक चिन्तित थीं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जनता शासन के दौरान अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे । जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे । बेल्ची और पिपरा में गरीब हरिजनों का नरसंहार किया गया था तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति वास्तविक रूप से बिगड़ती जा रही थी । आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । अलीगढ़ के साम्पदायिक दंगों और मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दगों के संबंध में अब इस सरकार की क्या स्थिति है ? साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और हो रहे हैं । यह राष्ट्र के लिए अत्यधिक चिन्ता की बात है । स्वतन्त्र भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था । लाखों लोग मुरादाबाद में अपनी नमाज पढ़ रहे थे । पुलिस ने ईदगाह में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों को अन्धाधुन्ध मार डाला । मैं यह समझ सकता हूं कि पुलिस गलतियां करती है, भद्दी भूलें करती है, अत्याचार करती है । मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस देश के लोगों को बतायेंगे कि वे दोषी कौन थे जिन्होंने ईदगाह में प्रवेश किया जहाँ लोग अपने अत्यधिक पुनीत दिवस पर नमाज पढ़ रहे थे ? वे कातिल कौन थे, उनका पर्दाफाश क्यों नहीं किया गया ? आज तक यद्यपि दो ईद गुजर चुकी हैं लेकिन इस देश के लोगों को अभी यह पता नहीं चला है कि वे अपराधी कौन थे जिन्होंने यह अमानुषिक अपराध किया है ।

जनता शासन के दौरान अलीगढ़ की स्थिति खराब थी । जमशेदपुर की स्थिति खराब थी और फिर इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि मुरादाबाद और बिहार शरीफ की स्थिति यदि उससे बतदर नहीं तो उतनी खराब जरूर है । मैं इस बात को समझता हूं कि प्रधान मंत्री शीघ्रता से बेल्ची पहुंची और उन लोगों से सहानुभूति प्रकट की जिनके परिवार के सदस्य बेल्ची में मारे गए थे । उन्होंने ऐसा किया है और उचित ही किया है । अतः देश को यह जानने का अधिकार है कि देवली, साधुपुर और कफाल्टा हत्याकांड के दोषी कौन थे । आज समूचे देश में

गरीब हरिजनों का जीवन, उनकी महिलाओं और बच्चों का जीवन, सुरक्षित नहीं है। सामुहिक हत्याएं हुई हैं और यह सरकार उन्हें रोक नहीं पाई है। यदि जनता सरकार के शासन के दौरान यह एक जुर्म था तो आज की कांग्रेस सरकार के लिए यह और भी बड़ा जुर्म है। देश को यह जानने का अधिकार है कि क्या इस स्थिति को रोका जाएगा अथवा नहीं।

यह सदन जानता है कि आज देश की जनता कितनी भयभीत हूं। महलिाएं सुरक्षित नहीं हैं। बड़ी संख्या में बलात्कार हो रहे हैं। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश के दौर पर था जब एक सप्ताह मैं एक जिले में, गया तो पता चला कि गन्ना परने वाले के एक 16 वर्षीय लड़के को डाकुओं द्वारा उठा लिया गया था और उन्होंने 50,000 रुपए की फिरोती की मांग की थी, अन्यथा उससे कहा गया था कि "आपको अपने बच्चे की लाश मिलेगी" एक अन्य मामले में गरीब दुकानदार के 9 वर्षीय लड़के को डाकुओं द्वारा उठा लिया गया था और उन्होंने 5000 रुपए की फिरौती की माँग की थी, अन्यथा "आपको अपने बेटे की लाश मिलेगी" आजकल की स्थिति क्या है ? बड़े दुःखी मन से मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल उत्तर प्रदेश डाकुओं तथा अपराधियों के लिए आश्रय बन गया है। उत्तर प्रदेश में उनका शासन चल रहा है। जनता अपने घरों तथा खेतों, रेलों. बसों, में सुरक्षित नहीं है। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और माता पिता तब तक आश्वस्त नहीं होते हैं जब तक बच्चे शाम को अपने स्कूलों से वापस घर नहीं लौट आते। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार, गृह मन्त्री इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। क्या वे प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं ? वहां इस प्रकार की स्थिति क्यों है ?

महोदय, उत्तर प्रदेश में हजारों आदमी मार दिए गए हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि डाकुओं का सफाया करने के नाम से भोली जनता हजारों व्यक्तियों को मार दिया गया। जब आप समाचार पत्र खोलेंगे, प्रति दिन आप यह पायेंगे कि एक के बाद एक मुठभेड़ हो रही है लेकिन वे मुठभेड़ झूठी होती है। इन झूठी मुठभेड़ों के बावजूद वे उत्तर प्रदेश में डाकुओं तथा डकैतियों को रोक सकने में असमर्थ रहे हैं। वहां बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घट रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के भाई और भतीजे को मार दिया गया है— उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। स्थिति इस कदर खराब है कि सरकार के प्रमुख के परिवार के सदस्यों तक को नहीं बक्शा जा रहा है, तब सामान्य आदमी का असुरक्षित महसूस करना स्वभाविक है। हमारे पास इन मुठभेड़ों में हताहित होने वालों के आंकड़े हैं। मैंने और मेरे मित्र श्री एस० ए० हाशमी, सदस्य, राज्य सभा में इलाहाबाद से प्रधान मंत्री जी को एक तार भेजा था। जब हम उस जिले का दौरा कर रहे थे तब हमें बताया गया था कि एक सप्ताह के अंदर आधा आदमी मारे गए थे जिनमें 3 हरिजन, 2 जवान यादव, तथा एक मुसलमान दर्जी भी शामिल था। हमें अपने तार का जबाब अभी प्राप्त होना है। उत्तर प्रदेश के एक व 12 जिले में आप यह पायेंगे कि पिछड़े वर्गों हरिजनों, अन्य संख्या तथा समाज के अन्य वर्गों के गरीब समुदाय से समन्य रखने वाले लोग मारे गए। इतना ही नहीं गरीब ब्रह्मणों को भी मारा गया है और गरीब राजपूतों को भी। गर्भ यह है कि गरीब लोगों को मारा गया है। यदि सही स्थिति अपने रिकार्ड में दिखाये तो पता चलेगा कि वे प्रभावी नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता

वास्तविक रूप से यह महसूस करती है कि आजकल पुलिस इन डाकुओं, लुटेरों, पक्के अपराधियों से मिली हुई है। मंत्री गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वे पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा भेजी गई फायलों के बारे में मुख्य मन्त्री से पूछें। मेरी जानकारी के अनुसार, पुलिस के महानिरीक्षक ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को 28 फायलें भेजी हैं जिनमें सत्ता दल के राजनीतिक नेताओं के मुख्य नामों तथा महत्वपूर्ण नामों का उल्लेख किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि अन्य व्यक्ति उनमें शामिल नहीं होंगे। अन्य व्यक्तियों के नाम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। आप यह पता लगायें कि वे राजनीतिक नेता कौन हैं जिनकी 28 फायलें पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा मुख्य मन्त्री को भेजी गई है और उन्होंने उनके लिए क्या सिफारिश की है। जब तक इन लोगों को दण्ड नहीं दिया जाता है तब तक उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की हालत में सुधार नहीं आएगा। महोदय, मैंने अपने सारे जीवन में अपने बचपन से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कभी भी कानून और व्यवस्था की ऐसी खराब स्थिति नहीं देखी जैसी कि आजकल है। उत्तर प्रदेश में सामन्ती प्रणाली का शासन है। गरीब आदमी पूरी तरह भयभीत है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उसे तुरन्त घेर लेते हैं। तब पुलिस उसे जंगल में कहीं ऐसे स्थान पर ले जाती है जो गांवों से काफी दूर होता है और यह कहकर उसे गोली मार देती है कि डाकुओं के साथ मुठभेड़ हो गई थी। इसलिए, महोदय, मैं कहता हूं कि भोले गरीब आदमी, गलत आदमी मारे गए। दुश्मनी के कारण ये लोग फंसाये जाते हैं और पुलिस में उनका रिकार्ड रखना शुरू कर दिया जाता है। ये गरीब आदमी मारे गए हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भयभीत की स्थिति पर नियंत्रण नही है और वास्तविक अपराधी वहां शासन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका आरोप यह है कि वे लोगों को पुलिस ने चुन-चुन कर मारा है। लेकिन जहाँ तक डाकुओं का सम्बन्ध है, लोगों द्वारा उनका सम्मान नही किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं यहां किसी पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना नहीं चाहूंगा। लेकिन, जब यह निर्णय लिया गया है और जनता में इसकी घोषणा कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार डाकुओं का सफाया करने जा रही है क्योंकि पुलिस के पास इतना साहस नहीं है कि वे वास्तविक डाकुओं का मुकाबला कर सके, उन्होंने उस घटनाओं के रिकार्ड को दिखाने का प्रयास किया था जो एक समय घटी थी। जब लोग बाहर जा रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी नसन्बदी कर दी गई थी। आंकड़े दिए गए थे। थानेदार को रिकार्ड रखने पड़ते हैं। मेरे क्षेत्र में भोली जनता, गरीब जनता को झूठी मुठभेड़ों में केवल रिकार्ड में खाना पूरी के लिए मार दिया गया।

महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि गृह मन्त्री को इस बात का पता लगाने के लिए कि पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में झूटी मुठभेड़ों में कितने लोग मारे गए थे, सर्वोच्य न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करनी चाहिए। और मुठभेड़ों के समस्त ब्यौरे को सदन के समक्ष रखना चाहिए क्योंकि इस देश को यह जानने का अधिकार है

कि भोले लोगों को क्यों मारा गया महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल का कानून चल रहा हैं। काफी बड़ी संख्या में भोले लोग मारे गए हैं। आप संयुक्त राज्य संघ यू. एन. ओ. में क्या मुंह लेकर जायोगे और कहोगे कि हम मानवीय अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जब आपके अपने देश में लोगों को न्यायालय में ले जाए बिना और उन पर अभियोग चलाए बिना घरों से ले जाया जाता है। और मार दिया जाता हैं और यह कह दिया जाता है कि ये लोग मुठ-भेड़ों में मारे गए हैं। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग करता हूं। गृह मंत्री को समस्त ब्यौरा देना चाहिए अन्यथा उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरेगी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है यदि आप वास्तविकता को नहीं देखेंगे और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कदम नहीं उठायेंगे तथा उत्तर प्रदेश में राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों तथा अपराधियों के गिरोह को, जिनकी आपस में सांठ गांठ है, नहीं तोड़ेंगे।

महोदय, यह दलीय राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह कानून और व्यवस्था तथा एक नागरिक को शांति से रहने तथा न्याय पाने के मूल अधिकार का प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आप अपने आप को उत्तर प्रदेश तक सीमिति नहीं रखेंगे।

श्री चन्द्रजोत यादव : महोदय, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। समस्त देश की स्थिति खराब है लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष मामला है। मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे राज्य से आये हैं जहां कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे आपके राज्य के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। लेकिन आजकल आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति पर बल दे रहा हूं।

महोदय, वर्तमान सरकार को शासन करने का लेशमात्र भी नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से या तो त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं करती तो आप उसे सत्ता से हटा सकते हैं। श्री बनारसी दास की सरकार को केवल नारायणपुर की घटना के आधार पर सत्ता से हटा दिया गया था। तब वर्तमान सरकार के मामले में दोहरा मानदण्ड क्यों है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सत्ता से हटाने का बिल्कुल स्पष्ट मामला बनता है।

महोदय, लोगों को विद्यमान जांच एजेंसी के ढांचे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। योग्यता, क्षमता तथा ईमानदारी रिकार्ड के आधार पर लोगों की विशेष जांच एजेंसियों में नियुक्ती की जानी चाहिए। जहाँ कहीं साम्प्रदायिक झगड़े तथा सामूहिक हत्याएं होती हैं और जिला प्रशासन इस कार्य में असफल हो जाता है तो समस्त दोष जिला प्रशासन के प्रमुख पर थोपा जाना चाहिए। महोदय, यदि आवश्यक हो तो गृह मन्त्री को एक विधेयक प्रस्तुत करना

चाहिए जिसमें इस बात का समावेश किया गया हो कि जिनको साम्प्रदायिक झगड़ों और सामूहिक हत्याओं में शरीफ पाया जाएगा उन पर विशेष न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा और तीन महीनों के अन्दर भारी दण्ड दिया जाएगा ।

सभापति महोदय : यदि मुझे सही याद है जहां तक जिला प्रशासन का सम्बन्ध है, इस प्रकार का एक आदेश पँडित नेहरू के दिनों में जारीं किया गया था ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे इसकी याद दिलाई हैं । अतएव, महोदय, मैं कह रहा हूं कि एक हत्या के लिए एक व्यक्ति को भारी दण्ड दिया जाता है तब इस प्रकार के अपराध के लिए जिसमें साम्प्रदायिक झगड़े तथा सामूहिक हत्याएं निहित हों, भारी दण्ड ही दिया जाना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस देश में साम्प्रादायिक झगड़े बन्द नहीं होंगे ।

मैं एक और बात पर भी बल दूंगा । गृह मन्त्रालय केवल प्रशासनिक मन्त्रालय नहीं है । इस देश में गृह मन्त्रालय हमेशा से ही सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वियन के कार्य को करता रहा है । उनका कार्य केवल प्रशासनिक मामलों की देखभाल करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों तथा उनका कार्यन्वथन भी है । मैंने ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट नहीं देखी है जैसी कि गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट है और जो इस वर्ष हमें प्रस्तुत की गई है । क्या कोई व्यक्ति इस रिपोर्ट को पढ़कर इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकता है कि देश में क्या हो रहा है ? नहीं । प्रत्येक बात को गुप्त तथा अप्वरण में रखा गया है । तथ्यों का छुपाया जाना जो पुलिस स्टेशनों में होता था अब गृह मन्त्रालय के स्तर तक पहुंच गया गया है । अपराधों का छुपाया जाना, वास्तविकताओं का छुपाया जाना, अधिकांश बातों का छुपाया जाना, जो इस देश में घट रही हैं । यदि इस देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही तो विश्व का कोई समुदाय, कोई सरकार कोई भी देश कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता है । इस देश के 80 प्रतिशत लोग दिन प्रतिदिन गरीब बनते जा रहे हैं । इस देश में 2 करोड़ से भी अधिक शिक्षित युवा पुरुष तथा महिलाएं बेरोजगार हैं । इस देश में क्या हो रहा है ? आप मैनपुरी जाइए, फरुखाबाद जाइए, आप एटा जाइए, आप बान्दा जाइए, आप आजमगढ़ जाइए । ये सभी जिले जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, पिछड़े जिले हैं । इनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण गरीबी, बढ़ती हुई असमानता आदि हैं । इसका प्रभाव न केवल सामान्य आदमी पर पड़ता है बल्कि पुलिस के कर्मचारियों पर भी पड़ता है ।

एक पुलिस के सिपाही को 500 या 600 रुपए प्रतिमाह मिलता है । यदि उसके 3 या 4 बच्चे हों और वे कैम्पाकोला की बोतल पीने या कोई फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं या दशहरा, दीवाली, ईद या बकरीद जैसे त्यौहारों पर नए कपड़े पहनने की इच्छा प्रकट करते हैं तो 500 या 600 रु० लेने वाला आदमी क्या कर सकता है ? इसीलिए वह ये सब चीजें कर रहा है । वह अपराधियों के साथ सांठगांठ करता है, उनसे अपना हिस्सा लेता है,

अपराधियों के साथ मिलकर रहता है और पूरे देश में विशेषकर उन पिछड़े हुए क्षेत्रों और जिलों में होने वाले अपराधों का एक अंग बन गया है। इस सम्बन्ध मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। गृह मंत्री को मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलानी चाहिए, उनके साथ उन्हें चर्चा करनी चाहिए। आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ ? क्या उन्हें ईमानदारी से क्रियान्वित किया जा रहा है ? आपके आर्थिक कार्यक्रमों का क्या हुआ ? उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ? भूमि सुधारों का क्या हुआ ? क्या उन्हें कार्यरूप दिया जा रहा है ? अनुसूचित जातियों और अनु.जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सहायता देने के लिए जो इस सभा में स्वीकृति दी थी उसका क्या हुआ ? क्या यह सहायता उन लोगों तक पहुंच रही है ? नहीं। देश में इस समय नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोल वाला है। किसी खण्ड विकास कार्यालय में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइये, किसी नागरिक आपूर्ति के कार्यालय में चले जाइये, सब जगह यही हालत है। यह स्थिति केवल पुलिस स्टेशनों तक ही सीमिति नहीं है सब जगह भ्रष्टाचार है। सब जगह पैसा देना पड़ता है अन्यथा कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। देश में इस समय यही स्थिति है। संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा जो ये अनुदान और सहायता स्वीकृत की जा रही है वह आम आदमी तक नहीं पहुंचती है।

मैं दो एक और बातें करूंगा और फिर समाप्त कर दूंगा। क्या कभी आपने अपने प्रशासन को जनतांत्रिक ढंग से चलाने का प्रयास किया है ? आपका पूरा प्रशासन निहित स्वार्थों से भरा हुआ है। आपके प्रशासन में उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो उन सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल बचनबद्ध नहीं है जिनके लिए हमारा संविधान बचनबद्ध नहीं है। जिनके लिए हमारा संविधान बचनबद्ध है। मैं अपने संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन मूलभूत, बुनियादी चीजों की बात कर रहा हूं जिन पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं। पूरा प्रशासन इस समय निहित स्वार्थों से घिरा हुआ है। आम आदमी की वहां कोई सुनवाई नहीं है सभा यह जानना चाहती है कि आजादी के 35 सालों के बाद में भी और अनुसूचित जातियों और अनु० जनजातियों के लिए आरक्षण की अनेक योजनायें लागू करने के बाद भी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं को श्रेणी एक ओर श्रेणी दो जैसी शीर्ष सेवाओं में कहां तक लागू किया गया है। यदि लागू नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण है ? गृह मंत्री ने मंडल आयोग प्रतिवेदन के बारे में इस सभा में दो-तीन बार आश्वासन दिया है। प्रश्न मंडल प्रतिवेदन का नहीं हैं। मैं नहीं जानता हुं कि मंडल प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं। प्रश्न सिद्धांत: का हैं। 50 प्रतिशत से भी अधिक लोगों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रावधान किया है, आज भी कोई आरक्षण नहीं है और उनमें से एक प्रतिशत को तो विभिन्न सरकारी संगठदों की संपूर्ण सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यदि आप उन्हें प्रशासन के साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि वे प्रशासन में भागीदार हों तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप इस मामले पर सोये क्यों हैं ? तमिलनाडु में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है और

इसके अलावा अनु० जातियों और अनु०जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। इस प्रकार का आरक्षण केरल और कर्नाटक में भी किया गया है। यही समय है जब केन्द्र सरकार पूरे प्रशासन को बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों के लोगों अल्पसंख्यकों तथा अनु.जातियों और अनु-जनजातियों के लोगों को सम्बद्ध करके जनतांत्रिक रूप दे सकती है। इन लोगों को केवल विधायी संस्थाओं के सम्बद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें प्रशास में भी अधिक हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए ताकि अपनी जनसंख्या के अनुसार ये पिछड़ी जातियों और अनु. जातियों और अनु. जनजातियों एवं अल्पसंख्यक लोग भी प्रशासन में ऊंचे पदों पर पहुंच सकें। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जो ढांचा अपनाया गया है उसी को अपनाना चाहिये क्योंकि ऊंची श्रेणी के लोगों का भी कुछ प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आज सच्चाई यह है कि ऊंची श्रेणी के सभी लोग लाभ प्राप्तकर्ता नहीं हैं; एक या दो प्रतिशत लोग जिन्हें ऊंची शिक्षा और आधुनिक शिक्षा मिली है और जिनके माता-पिता प्रशासन में है वे ही पूरा लाभ उठाते हैं।

महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंडल आयोग प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाना चाहिए। सही यह होगा कि गृह मन्त्री मंडल आयोग प्रतिवेदन को सभापटल पर रखें विशेषकर तब जब कि हम गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, 600 से अधिक कत्ल प्रतिमाह उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं और प्रत्येक माह वहाँ 700 से अधिक डकैतियां पड़ रही है– और ये छोटे मोटे अपराधों के अलावा हैं। अब जब कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कत्ल किये जा रहे हैं और डकैतियां डाली जा रही है तो क्या आप इन सब चीजों की पूर्णतया उपेक्षा कर देंगे और कहेंगे "नहीं"। जो स्थिति आज विद्यमान है मेरे विचार में गृह मंत्री को साहस करके उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जो इस देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे है। मेरे विचार में यही समय है जब कि भारत सरकार को सम्पूर्ण पुलिस तंत्र के पुनर्गठन के बारे में सोचना चाहिए। जिन व्यक्तियों को और जगह नहीं लिया जाता है, जिनके पास और कोई विकल्प नहीं है वे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं।

महोदय, अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार आ गये हैं। जब कभी भी डाकुओं के किसी गिरोह का सफाया किया जाता है तो हमें समाचार पत्रों में अत्याधुनिक हथियारों, मशीनगनों और हथगोलों के चित्र देखने को मिलते हैं। किंतु पुलिस की क्या स्थिति है। पुलिस हथियारों से लैस नहीं है और वे डाकुओं और अपराधियों के इन संगठित गिरोहों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह सही समय है कि भारत सरकार सम्पूर्ण पुलिस तंत्र का पुनर्गठन करने और उसे आधुनिक बनाने के बारे में सोचे।

इसके साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति को केवल तकनीकी आधार पर ही नहीं तोला जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भी प्रयत्न किये जायें। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि तस्करी बहुत तेजी से बढ़ रही

है। इस देश में कोई भी यह महसूस नहीं करता है कि तस्करी एक अपराध है। आप बम्बई या अन्य किसी शहर में जाइए आप वहाँ 50 मंजिली और 30 मंजिली इमारतें बनती हुई देखेंगे। इनके मालिक कौन हैं? यदि आप पता लगा सकें तो आप देखेंगे कि जो रातोंरात ही भवननिर्माता बन गये हैं, वे कुछ समय पहले तस्कर थे। अगर आप इस तरह से उनको मान्यता देने लगे और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस लिए है? क्या यह उन लोगों के लिए है जो हड़ताल करें या आपकी राजनीतिक दृष्टि से आलोचना करें? सुरक्षा अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने इस सभा में कहा था कि इस अधिनियम को तस्करों, अपराधियों और उन लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा जो साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेवार होंगे। आपने ऐसे कितने लोगों को पकड़ा और दंडित किया है जो साम्प्रायिक दंगों के लिए जिम्मेवार थे। केवल यही पर्याप्त नहीं है कि आप कुछ लोगों को बन्दी बना लें। आपने मुरादाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन कुछ लोगों को बन्दी बनाया था किन्तु एक या दो वर्ष के बाद आपने उन्हें बिना दंड दिए छोड़ दिया। केवल इतनी कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम को वापिस लें। उनसे आपको सहायता नहीं मिलती है। आप इन अधिनियमों को पारित करके लापरवाह हो गए हैं। आप सोचते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं हैं। देश में स्थिति विस्फोटक हो चुकी है बेरोजगार नौजवान और गरीबी से घिरा आम आदमी बगावत करने के लिए खड़ा होगा। उन्होंने पहले भी इस देश में बगावत की है और किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए। कि वे ऐसे ही बैठे रहेंगे। परन्तु यह कोई सांत्वना वाली बात नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो देश का सत्यानाश हो जाएगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय असम समस्या जैसी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहा है। इसका क्या कारण है? वास्तव में खराबी क्या है? आसाम में नौजवानों को अत्यधिक समर्थन क्यों मिल रहा है? कुछ तो बात होगी? आपको स्थिति का मुकाबला करना चाहिए और असम समस्या को प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए। बार-बार यही न कहते रहिये कि वहां केवल कुछ गुमराह लोग ही यह कार्य कर रहे हैं। सरकार असम समस्या, साम्प्रदायिक दंगे दूर करने, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने जैसे राष्ट्रीय मामलों को हल करने में असमर्थ रही है। सरकार इन समस्याओं का हल नहीं कर पाई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आजादी के बाद इस देश में इतनी खराब कभी नहीं रही, जितनी कि इस समय है। पूरी स्थिति पर एक नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है और उसे सम्पूर्णतया एक नया रूप देने की आवश्यकता है। सरकार को सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं। जैसाकि मैंने कहा गृह मंत्री को विभिन्न समस्याओं पर उचित रूप से अत्यधिक गंभीरता से सोचना चाहिये। यदि आप विभिन्न

समस्याओं को हल करने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेना चाहते हैं तो आपको ठोस प्रस्ताव सामने रखने चाहिये । इसके लिए प्रत्येक मामले को अलग-अलग कर लिया जाना चाहिए । यदि आप हमारा समर्थन लेने के बारे में गंभीर हैं तो आपको उचित ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए । आप एक पत्रकार सम्मेलन बुला लेते हैं और उसमें विपक्ष का सहयोग मांग लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता । यह केवल विपक्ष के साथ राजनीतिक खिलवाड़ है । राजनीति मत खेलिए । यदि आप गंभीर हैं तो आपको स्पष्ट बात करनी चाहिये और एक समुचित कार्य सूची और स्पष्ट मुद्दों के साथ सामने आना चाहिए, तब आप देखेंगे कि हम इन राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग देने में पीछे नहीं हटेंगे ।

सभापति महोदय : जब गृह मंत्री स्पष्टीकरण के तौर पर खालिस्तान समस्या पर कुछ बोले थे तो मैंने कुछ टिप्पणी की थी । मेरा तात्पर्य यह था कि मैं सभा की कार्यवाही की व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा और जिन उद्धरणों को निकाल दिया जाना चाहिए उन्हें निकाल दिया जायेगा ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : किन्तु महोदय, जो कुछ भी गृह मंत्री ने कहा, उसे कार्यवाही में बनाये रखना अपेक्षित है ।

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दीपेट) : गृह मन्त्रालय की माँगों पर माननीय सदस्यों ने कई दृष्टियों से अपने अपने विचार प्रकट किए हैं । केरल से लेकर काश्मीर की जो मौजुदा स्थिति है उसकी चर्चा की गई है । करप्शन की भी चर्चा की गई है ।

हमारे माननीय चन्द्रजीत यादव ने ला एन्ड आर्डर के प्रश्न को लेकर गम्भीर भाषण किया है और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को दौहराया है । हरिजनों, आदिवासियों और कम्युनल रायट्स भी चर्चा में आए हैं । हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर काफी गम्भीर भाषण हुए हैं । विरोधी दलों की ओर से कहा गया है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आने के बाद ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हुई है । ला एन्ड आर्डर एक ऐसा विषय है जिस को ठीक रखने के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं सिर्फ कांग्रेस आई ही नहीं । तमाम पोलिटिक्ल पार्टीज को मिल कर इसको टैकल करना चाहिए । देश में कभी कम्युनल रायट्स होते हैं, कभी हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं । लेकिन जो इसकी योजना बनाते हैं वे कौन लोग हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन से ये समाज के दुश्मन हैं, इसको देखना हम सब का बिना पार्टी के भेदभाव के, कर्तव्य है मेल के अन्दर या किसी और इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर हड़ताल हो जाती हैं किसी डिमांड को लेकर, बोनस के सवाल को लेकर तो वहाँ पर कुछ पोलिटिक्ल पार्टीज हैं जो घुस जाती है और वहां की सरकार के विरुद्ध और इस में इंटक के लोग भी हो सकते हैं मजदूरों को भड़काने का काम करती है, ला एन्ड आर्डर की समस्या खड़ी करती हैं, ला एन्ड आर्डर की समस्या खड़ी करती हैं, ला एन्ड आर्डर को डिसटर्ब करने की योजनायें बनाती हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ हमारे विरोधी दलों ने

अलग-अलग चुनाव लड़ा था लेकिन हम देखते हैं कि ये सब इकट्ठे हो कर एक प्लेटफार्म पर आ कर ·· ··· खड़े हो गए हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से ये इस प्रकार की एक्टिविटीज में संलग्न हैं।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

भारत में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, हरिजनों के ऊपर गांवों के अन्दर, ताल्लुकों के अन्दर आजादी के 35 साल बीत जाने के बाद भी अत्याचार होते हैं, इसके इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश में, 35 साल तक जब कि हरिजनों को दबाया गया, हमने इमरजेंसी के शासन काल में हरिजनों में पोलिटिकल जागृति पैदा की। हालांकि चुनाव के अन्दर उनको वोट देने का अधिकार था, लेकिन वह पटेल और पटवारी के इशारे पर ही राय देते थे आज वह परिस्थिति खत्म हो गई है और गांवों में काफी सुधार हुआ है। वह जानते हैं कि उनका सच्चा नेता कौन हैं।

हालांकि यह गृह मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि, मकान बनाने के मामले में जो एक किस्म की छूआछूत इस माने में जिला परिषद् और ब्लाक लेविल पर चल रही है कि उनके लिए जो मकान डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से बनाये जा रहे हैं वह गाँव के बाहर बनाये जाते हैं। क्या इस तरह कास्टिज्म खत्म होगा ? हरगिज नहीं। अगर आपको जातिपाति मिटाना है तो सब के साथ उनके मकान बनाने चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में डा० चेन्ना रेड्डी मुख्य मंत्री थे, उनके बाद श्री अनजैया जी थे, उनके समय में आन्ध्र में चुनाव हुए जिला परिषदों के, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में आन्ध्र प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जहां जिला परिषद् में हरिजनों को स्थान दिया गया, पंचायत समिति में स्थान दिया गया, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। गृह मंत्री जी अगर आप हरिजनों को ऊंचा स्थान देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी आर्थिक प्रगति भी हो तभी वह उन्नति कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हर सूबे में हरिजनों के लिए पोलिटिक्ल जागृति होनी चाहिए, विद्या उनमें होनी चाहिए, तभी हम मुकाबिला कर सकते हैं। इसलिए रिजर्वेशन का सिस्टम हर राज्य में होना चाहिए तभी वह समझ सकते हैं कि पंचायत समिति में उनके क्या हकूक हैं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूं। राज्य सरकार द्वारा जो रु० खर्च किया जाता है वह सरपंच द्वारा किया जाय।

इसी तरह से साउथ में ट्रेनिंग इन्डस्ट्री में अधिकतर शैड्यूल्ड कास्ट के लोग ही हैं, लेकिन आज उन गरीबों के हाथ से वह विजनेस निकल कर टाटा और बाटा के हाथ मेंच ला गया है। टैनरीज में काम करने वालों को उचित दाम नहीं मिलता। अगर आप आर्थिक परिस्थिति लाना चाहते हैं तो इस समाज में हरिजन और टेनरी में काम करने वालों के लिए सरकार की ओर

से सहायता दी जानी चाहिये जिससे इंडस्ट्रीज में जो उनका काम करने का तरीका है, उसमें तरक्की होने के इमकानात हैं ।

हमारे श्री चन्द्रजीत यादव जी सभापति की चेयर पर विराजमान हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं, वह हमारे भूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो मामलात होते हैं, वहां पर हरिजनों पर कई किस्म की प्रावला उठाते हैं, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस (आई) नहीं है बल्कि वहां ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ रिएक्शन करती रहती है । यू० पी० से कांग्रेस के ही नहीं, विरोधी दल के बड़े बड़े नेता आते है, चन्द्रशेखर जी हैं, चरणसिंह जी लोक दल के नेता के रूप में काम करते हैं । चौधरी चरणसिंह जिस समय लोक दल की बात करते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि चुनाव में वह हरिजनों को वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं । लाठी के सहारे कुछ लोगों द्वारा उनको दबाया जाता है । वह लोग अपनी राय देने का हक नहीं रखते हैं । वह अपने आपको सोशलिज्म के नेता कहते हैं लेकिन उनको दबाते रहते हैं । कोई भी पोलिटिकल पार्टी हरिजन के वोट के सिवाय कहीं जीत नहीं सकती है अगर हरिजनों की किस्मत बदल सकती है तो सिर्फ हमारी इंदिरा गांधी ही बदल सकती हैं, दूसरा कोई उनका हित नहीं कर सकता है । इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करना मेरे लिए इस बार कठिन है । इसका कारण यह है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं । फिर भी हम गरीब औरतों तथा निर्धन वर्गों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं और देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है ।

पिछले एक महीने से बंगलौर में हो रही डकैतियों, तथा लूटपाटों की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है । नगर के पूर्वी भाग में एक ही समय में और एक ही कार्य-विधि से स्त्रियों तथा बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं । तथा लोगों से धन, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं लूटी गई हैं । तथा हमारी सरकार, चोरों को पकड़ने की बजाय कहती है कि उन्होंने अपराधियों को खोजने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर अपने अधिकारी भेजे हुए हैं । निश्चय ही, उन लोगों का कहना है कि जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं वे उत्तर भारत से ही हैं क्योंकि वे शुद्ध हिन्दी बोलते हैं । मैं समझता हूं यह सब शराब पीने की वजह से है क्योंकि जब व्यक्ति शराबी हो जाता है तो वह कठोर हो जाता है और हत्याएं करता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें कि बंगलौर नगर के लोगों के मन में जो डर और भय उत्पन्न हो गया है । वह दूर किया जाय तथा गृह मंत्री मुख्य मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद यह देखने के लिए उचित कदम उठाए कि बंगलौर नगर के लोगों के मन में जो डर है उसे दूर किया जाय तथा उन्हें कुछ सहायता दी जानी चाहिए।

कानून और व्यवस्था के संबंध में मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि या तो लोगों को कानून का आदर करना चाहिये अथवा उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे इस तरह के

अत्याचार न करें। हमारी सरकार लोगों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बुरी तरह से असफल हुई है। जहां तक कानून का संबंध है उनके मन में कानून का कोई डर नहीं है, कोई आदर नहीं है।

सरकार यह सुनिश्चित करने का कष्ट नहीं कर रही है कि लोगों को शिक्षित किया जाये जिससे इतना तनाव न हो। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हम कर-दाताओं का जो धन खर्च करते हैं उससे हमें पर्याप्त लाभ नहीं होता है।

गांधी जी का विचार था कि हमें न केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता ही होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय आदि भी मिलना चाहिए।

हम गांधी जी के आदर्शों के एकदम विपरीत जा रही हैं। गोडसे ने गांधी जी को एक दिन मारा था लेकिन हम अपने कार्यों से हर रोज गांधी जी की हत्या कर रहे हैं। हम गांधी जी द्वारा बनाए गए आदर्शों के अनुसार नहीं बल्कि एकदम उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। गांधी जी ने नैतिक मूल्यों को बड़ा महत्व दिया। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में नैतिकता एकदम समाप्त हो गई है। हर जगह नैतिकता समाप्त हो गई है। यथा राजा तथा प्रजा', जैसा राजा होगा। प्रजा भी वैसी ही होगी। अतः जब तक सरकार कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं करेगी। तब तक लोगों के लिये अच्छे आदर्शों को समझना कठिन होगा। इस लिये मैं सरकार से ऐसा करने के लिए निवेदन करता हूं कि वह उन लोगों के लिए मानक निश्चित करें जो देश को चलाते हैं, ताकि लोग अपने को सुधार सकें।

हर जगह हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। इस पर नियन्त्रण करना संभव नहीं है। जब तक भ्रष्टार है, देश को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। एक समय था जब हमें यह देखना पड़ता था कि कौन भ्रष्टाचारी है। अब हमें यह पता लगाना पड़ता है कि कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ एक और बुराई भी सामने आई है और वह है शराब पीने की बुरी आदत। अधिकतर देश में जो भी बुराई होती है उसके लिए एक हद तक शराब ही जिम्मेदार है। जब मैं विद्यार्थी था, तब बंगलौर में शराब की मुश्किल से पांच या छः दुकानें ही थीं। लेकिन अब, आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, बंगलौर नगर में शराब और ताड़ी की 350 से भी अधिक दुकानें हैं। जब कर्नाटक में प्रतिबंध लगाया गया, तो उत्पाद राजस्व 3 करोड़ के लगभग था। जब प्रतिबन्ध हटाया गया तब वह राजस्व 8 करोड़ था। अब वह 80 करोड़ रुपए है। यदि गरीब लोगों से 80 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं, तो मैं नहीं जानता कि गरीब लोगों को इस आदत से छुटकारा कैसे दिलाया जायेगा। यही कमी है। मेरे अनुमान से शराब पर लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेरी गणना कुछ ऐसी है। कर्नाटक में करीब 80 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क प्राप्त होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन

शुल्क से जितना राजस्व प्राप्त होता है उससे चार गुना राशि शराब पीने वालों को देनी पड़ती है। अर्थात उनको 80X4 अथवा 320 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाला राजस्व 50 प्रतिशत से भी अधिक होगा। कर्नाटक में शराब पीने वाले लोगों द्वारा दी जा रही राशि 500 रुपए होगी। जनसंख्या के आधार पर देश में यह 7,500 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। शराब पीने की आदत के कारण लोगों द्वारा इतनी राशि खर्च की जाती है। जो तो धनी लोग हैं, उन्हें भले ही इस नरक में जाने दीजिए। लेकिन जिन्हें आप कमजोर वर्ग कह रहे हैं, उनकी शराब पीने की इस आदत को समाप्त करने के लिए यदि कोई उचित कदम न उठाए गए तो वे बर्बाद हो जाएंगें। जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति का संबंध है, उसे सुधारना किसी भी सरकार के लिए असंभव है। शराब पीने की इस बुरी आदत से व्यक्ति का धन तथा स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उसका नैतिक स्तर गिर जाता है तथा वह एकदम गरीब हो जाता है। जब वह अपने नैतिक मूल्य खो बैठता है तो वह मानव की तरह नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व मात्र पशु का रह जाता है। तथा इसीलिए जो सब बुराइयाँ हो रही हैं जैसे डकैती अथवा किसी अन्य तरह का अपराध, केवल वे लोग ही करते हैं जो संयमित रहने की बजाय शराब पीते हैं, वे ही हमला कर रहे है और नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी अपराध अधिकतर इस शराब पीने के कारण ही होते हैं। इसीलिये कमजोर वर्गों के कल्याण की बजाय पुलिस पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जाती है। अतः यदि शराब पीने की यह आदत कम की जाती है, तो इसका अर्थ होगा कि हम कमजोर वर्गों के लिए बहुत महान कार्य कर रहे हैं। जब तक पीने की आदत समाप्त नहीं की जाती, तब तक स्वच्छ प्रशासन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा।

प्रत्येक राज्य में, लाटरी डाली जाती है तथा करोड़ों रुपये एकत्र किए जाते हैं। हजारों लोगों के पैसों पर कुछ लोग थोड़ा लाभ उठाते हैं। यह लाटरी क्यों निकाली जाती है ? इससे समाज को क्या लाभ होता है ? बंगलौर में, केवल एक ही मौसम में दौड़ होती थी। लेकिन अब यह पूरे वर्ष होती है और करोड़ों रुपए व्यर्थ किए जाते हैं। सरकार ही लाटरियां, जुए और दौड़ का आयोजन करती है। क्या मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि पैसा अर्जित करने के लिए आप वेश्यालय खोलने के लिए कदम उठाइए। यदि ऐसा किया जाता है, तो हर तरफ जुआ ही खेला जायेगा—लाटरी के जरिए जुआ, रेस के जरिये जुआ, रात्रि क्लबों में जुआ होगा, जहां पर हर रोज ऊंची ऊंची बाजियां खेली जाती हैं। इसके साथ ही, अन्य रात्रि क्लब भी होंगें जहां कैबरे डांस का आयोजन किया जायेगा। यदि नैतिक मानक यहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि हम इस देश के प्रशासन में कब सुधार कर पायेंगे ? हर जगह निहित स्वार्थ हैं। सरकार को स्थिति में सुधार लाने तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि स्वतन्त्रता-सेनानियों को कुछ लाभ दिया है। उन्होंने उनकी पेंशन बढ़ा दी है तथा उनकी आय सीमांकन को भी समाप्त कर दिया है। लेकिन मैं गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए किन्तु मिल रही है और बहुत से ऐसे लोगों को जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए

लेकिन नहीं मिल रही है । यद्यपि उनके मामले लम्बे अर्से से विचाराधीन हैं । उनके मामले बिना देर किए निपटाए जाने चाहिए । कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो संसद अथवा विधान सभा के सदस्य होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता सेनानी भी हैं । उन्हें केवल एक ही पेंशन दी जाती है । मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे सीमित संख्या में है और अधिकतर 60 या 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं । उन्हें दोनों पेंशन दी जानी चाहिए जिससे उन्हें यह सान्तवना हो कि वृद्धावस्था में उनकी हालत कुछ बेहतर हैं ।

जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, उन पर बहुत सा धन खर्च किया जा रहा है । मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए । इस बात का ध्यान रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि उनके बच्चों को शिक्षा दी जा सकें । जब,तक वे शिक्षित नहीं होंगे, उन्हें ऊपर उठाना आपके लिए संभव नहीं होगा । तथा आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, उनका लाभ कुछ परिवार ही उठा रहे हैं । आपको उन्हें पीने की आदत से दूर रखना चाहिए, केवल तब ही यह कहना संभव होगा कि इन लोगों के लिए कुछ किया गया है । जब आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर इतना धन खर्च कर ही रहे हैं तो आपको किसी भी कीमत पर इन बच्चों की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि वे अपने माता-पिता के कदमों का अनुसरण न करें । उन्हें अन्य नागरिकों की भांति ईमानदारी का जीवन जीने योग्य बनाने के लिए सरकार को उन्हें उचित शिक्षा देने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिएं ।

52 वर्ष पहले मैं जेल में था और मैं वहां की दशा के बारे में जानता हूं । जब कभी हम जेल जाते हैं, हम कहते हैं कि जेल के अन्दर की हालत में सुधार किया जाना चाहिए । आपने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त की थी । मैं नहीं जानता कि उस समिति तथा उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ । जेल की सेवाओं की हालत बहुत खराब है । जेल के कैदियों के मन से अपराध की भावना समाप्त करने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए । इसके साथ ही, उन्हें कुछ उत्पादनकारी काम भी दिया जाना चाहिए । जेल में सुधार के लिए हमें शैक्षाणिक प्रणाली तथा दोषनिवारक तरीका अपनाना चाहिए । मुझे विश्बास है कि जेल में सुधार लाने के लिये आप यह प्रणाली अपनाने के लिए कदम उठायेंगे । जब कभी हम जेल जाते हैं हम ये सुधार करने के लिए सोचते हैं लेकिन जब हम जेल से छूट कर आते हैं तो हम वह भूल जाते हैं ।

कर्नाटक केन्द्रीय जेल खुली जेल है । वहां 120 लोग काम कर रहे हैं । वे लम्बे अर्से की सजा भुगत रहे हैं । लेकिन अपने काम से वे कृषि तथा हस्तकला से प्रतिवर्ष लाखों रुपये कमा रहे हैं । कैदी प्रसन्न हैं, आराम से हैं तथा उत्पादन-कार्यों में लगे हुए हैं । कैदियों की हालत सुधारने के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था करके जेल में सुधार किया जा सकता है ।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री गुंडु राव, मेरे अच्छे दोस्त हैं । मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि हमारी प्रधान मंत्री, जब कभी वह पर्यटन पर जाती हैं, हमेशा एक अम्बेसडर कार इस्तेमाल

करती हैं जिसके पीछे पीछे एक सुरक्षा कार होती है। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री यात्रा पर जाते हैं, तो भले ही वह 30 या 40 मील की दूरी पर हो, वह हैलीकाप्टर इस्तेमाल करते हैं। एक कार उस स्थान पर पहले ही वहां पहुंचा दी जाती है जहां उनका हैलीकाप्टर भूमि पर उतरना होता है। इस तरह से, राज्य सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं जो फिजूल खर्च है। यह उचित नहीं है, और यह दूसरे लोगों के लिए बुरा उदाहरण पेश करता है। अतः मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की फिजूलखर्ची को बन्द कर दें तथा अन्य लोगों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करें। यदि दूरी अधिक है अथवा कोई आकस्मिक कार्य है। वह हमेशा हैलीकाप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 30 या 40 मील की दूरी तक पहुंचने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। यदि कोई उच्च प्रशासक ही धन को इस तरह बर्बाद करें तो वह अपना अनुसरण करने वालों के लिए अच्छा उदाहरण कैसे पेश कर सकता है।

मैने 37 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनमें मैंने सभी बातों का उल्लेख किया है। मैं उन्हें दोहरा कर सदन का समय लेना नहीं चाहता।

कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में, मैं यह कहूंगा कि इसे एक साधारण मामला नहीं समझा जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का पहला कर्त्तव्य है। केवल तभी वह नाम कमा सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि यह समस्या देश के किसी एक राज्य में है या दुसरे राज्य में है या पूरे भारत में है। प्रश्न यह है कि सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

औरतों के सम्मान की रक्षा करना हम सबका विशेष रूप से राज्य का विशेष उत्तरदायित्व होना चाहिए हम प्रायः हर रोज समाचार पत्र में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज के कारण मृत्यु, उत्पीड़न, आत्महत्या के बारे में पढ़ते हैं। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

पुलिस में भी कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। जब कभी कोई अपराधी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो उसने अपराध किया हो अथवा नहीं उसके साथ अत्यन्त अमाननीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए तंग किया जाता है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसी बातों को रोका जाये और दोषी पुलिस कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही की जाए। पुलिस कर्मचारियों को पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। और उनके विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिये। यंत्रण देने और हत्या करने का कोई औचित्य नहीं है।

मुझे एक या दो बातें कहनी हैं। वहाँ पर भाषा की समस्या है यद्यपि इसे अत्यधिक आवश्यक कहा गया था और यद्यपि इसके लिए महात्मागाँधी और अन्य नेताओं ने यह माना था, यह एक वरदान बनने के बजाय एक अभिशाप बन गया है। अतः, देश को 4 या 8 भागों में बांटना पड़े तो ऐसा करना चाहिए, ताकि लोग प्रसन्न हो सकें। अच्छे काम करने को सुनिश्चित

करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे । आखिरकार, हम इस भाषा समस्या से किसी अच्छी बात की आशा रखते हैं । प्रतिदिन झगड़ा होता है, प्रतिदिन वहाँ या यहां हमला होता है । इसलिए इससे नियमनुसार कड़ाई से निपटाया जाना चाहिए ।

निःसन्देह, आप कला, संस्कृति आदि के लिए विभिन्न लोगों का सम्मान करते हैं । मैं आपसे पेंशन सुदा लोगों का भी सम्मान करने का अनुरोध करता हूं और उसके लिए योग्यता को आधार माना जाना चाहिए । जो लोग सिफारिश कराते हैं उन्हें लाभ नहीं दिए जाने चाहिए । ऐसा केवल योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए । आपको इन सब बातों पर विचार अवश्य करना चाहिए ।

प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण, सहायक और रचनात्मक होने चाहिए । मुझे मालूम नहीं कि ऐसा किस सीमा तक किया जा सकता है । परन्तु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम इसकी इज्जत करते हैं । उन्हें देखना चाहिए कि प्रशासन निर्वाचित निकायों को पूरा सम्मान दे क्योंकि प्रशासन लोगों का सेवक है स्वामी नहीं । इसलिए कोई किस दल से संबंध रखता है इस बात पर कोई विचार किए बिना आपका ध्यान इस दिशा में आकर्षित कराना चाहिए ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रशासन सुदृढ़ हो । आप यह सुनिश्चित करने के लिए इसे अधिक नैतिक महत्व दें कि अपराध पूरी तरह से कम हो जाएं और वर्तमान में दुःखद स्थिति की बजाय हमारा देश फले फूले और खुशहाल रहे ।

श्री नरसिंह मकवाना (ढंढुका) : माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्री जी जो डिमांड्स ले कर आए हैं, उन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

पिछले बर्ष जब गृह मन्त्री जी इसी तरह की माँग लेकर आए थे, तो उन्होंने मांग की थी कि पुलिस फोर्स बहुत कम है, इसलिए उनको सी० आर० पी० की 8 बटेलियने और बनानी हैं और बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स की दो और बटेलियनें बनानी हैं और पिछले बर्ष इस सम्मानित सदन ने गृह मंत्री जी की यह माँग मंजूर की थी और उस के बाद मैं समझता हूं कि 10 बटेलियनों की फोर्स हमारे देश में बढ़ी और कई राज्य सरकारों ने भी अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाया है । इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ने के बाद भी आज देश में जो हालत हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो हो ही रही है, दूसरे राज्यों में भी खराब हालत हो रही है, यह बड़ी चिन्ता की बात है । बहुत से माननीय सदस्वों ने इस बारे में ध्यान आकर्षित किया है और मैं इस पर बहुत ज्यादा बोल कर समय नहीं लेना चाहता लेकिन जिस तरह से डकैत लोग डाल रहे हैं और निर्दोषों और गरीबों को मार रहे हैं, उस को रोकने के लिए कोई उपाय सोचने चाहिए और यह उपाय सोचने की जिम्मेदारी और जबावदेही सरकार की है ।

मुझे आज बड़ा दुःख इस बात से हुआ कि इस सभागृह में कोई छोटा सा भी सवाल देश में पैदा होता है, तो विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े हो कर सरकार और लोगों का ध्यान खींचते

हैं लेकिन दो दिन पहले उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के जज को और उन के छोटे बच्चे को डकैतों ने मार डाला, तो इस सभागृह के अन्दर विपक्ष के लोगों ने उन के नाम का जिक्र नहीं किया।

सभापति महोदय : आप उस समय थे नहीं, यह सवाल उठाया गया था।

श्री नरसिंह मकवाना : मैं उस वक्त नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में जो हालत बिगड़ती जा रही है, उसके लिए जहां कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वहां विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सारे देश के लोगों की जिम्मेदारी है और आज जो हो रहा है, उस को रोकने के लिए उस को खत्म करने के लिए. हम सब लोगों को चाहे इस बाजू के हों या उस बाजू के हों, कुछ करना चाहिए। अगर वह नहीं करेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मुझे दिखता है।

माननीय सभापति जी, यहाँ पर रोज कहते हैं बसें लूटी जाती हैं, बैंक और पोस्ट आफिस लूटे जाते हैं। सामान्य लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत से इलाकों में लोग आराम से सो नहीं पाते हैं।

जातीय, साम्प्रदायिक दर्गों के बारे में कहा गया है, उनके बारे में ज्यादा कह कर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय गृह मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अगर उस रिपोर्ट को देखें तो पता लगेगा कि पिछले साल से इस साल दंगे कम हुए हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर इस साल में एक भी दंगा हुआ है तो भी वह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो यह जहर हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगा। गुजरात के 14 शहरों में ये दंगे हुए हैं और बड़ोदा तो आज भी जल रहा है। इस वातावरण को हम सब लोगों ने मिलकर ठीक करना है, इसे केवल सरकार ही ठीक नहीं कर सकती है। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी ये दंगे खत्म हो सकते हैं।

माननीय सभापति जी, यहां हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए बहुत कहा गया। मैं इस सभागृह और गृह मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी ने 1980 के अन्दर राज्यों को जो खत लिखा था, और बाद में भी लिखा था, उन दो खतों के लिखने का क्या नतीजा निकला है। उस खत से मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने हरिजनों के साथ किए जा रहे अत्याचारों से अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की थी उसके बाद गृह मन्त्री जी ने अपने पत्र में लिखा है—

"भारत सरकार अनुसूचित जातियों के व्यक्तिवों, जो विशेष रूप से कमजोर और नाजुक स्थिति में हैं, के प्रति किए गए अत्याचारों से अत्यधिक चिन्तित है और उनको समाप्त करने का उसने दृढ़ संकल्प कर रखा है"।

उस समय मैं बहुत खुश हुआ था और मेरी तरह के दूसरे लोग भी खुश हुए थे मगर एक साल के बीत जाने के बाद भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था—

"मार्च, 1980 के पत्र में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए एहतियाती तथा निरोधक दण्डात्मक और पुनर्वास उपायों के सम्बन्ध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे थे। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सामाजिक आर्थिक तत्वों के विश्लेषण पर आधारित हैं, जो इन अपराधों की जड़ हैं। पत्र में इस तथ्य पर भी बल दिया गया है कि समस्या के हल निकालने के लिए अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास अनिवार्य है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन से राज्य सरकारों का प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत करने के कार्यों में काफी मदद मिलेगी। उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि शिकायतें शीघ्र दर्ज की जाएं और जाँच पड़ताल सफल अभियोजन को प्रभावित करने की कमियों से मुक्त हो।

गृह मन्त्री के पत्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित निरोधक और दण्डात्मक उपायों और कार्मिक नीति के उपायों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को शीघ्र आर्थिक विकास, भूमि सुधार, सांविधिक न्यूनतम कृषि मजदूरी का भुगतान, बन्धुआ मजदूरों का पता लगाना, उनको मुक्त कराना तथा पुनर्वास, विशेष न्यायालय गठित करके अत्याचारों के मामलों की शीघ्र जांच पड़ताल तथा अपराधियों को तुरन्त दण्ड देने इत्यादि जैसे विभिन्न पहलू आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति की समस्याओं से निपटने वाले पुलिस तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के दृष्टिकोण को अनुकूल बनाने के लिए भी कार्रवाई की गई।

मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसके बाद परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है और राज्य सरकारों ने उस पर अमल किया है या नहीं किया है। सरकार जो फैसला करती उस पर क्या अमल होता है, इसको आपको देखना चाहिए।

4 अगस्त, 1980 में गृह मन्त्री ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की समस्याओं और उनके आर्थिक विकास पर विचार विमर्श के लिए अनुसूचित जाति के सभी संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। गृह मन्त्री ने सितम्बर, 1980 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य-मन्त्रियों को पुनः पत्र लिखे, जिनमें सुझाव दिया गया कि प्रत्येक संवेदनशील जिलों में निम्नलिखित पदों में से एक पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारी का होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात पद हैं — जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी। यह भी सुझाव दिया था कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में, जहाँ तक संभव हो सके, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारी थानाध्यक्ष भी नियुक्त किए जाने चाहिएं।

माननीय सभापति जी, मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सुझावों को कितने राज्यों में माना गया। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त हरिजनअधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी होते हुए भी उनको यह काम क्यों नहीं सौंपा

जाता ? क्या वजह है ? यह सवाल पिछड़े इलाकों के सम्बन्ध में कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं ।

यहां पर देवली और साधोपुर के हत्याकाण्डों के बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बिना लाइसेंस के हथियार बहुत लोगों के पास हैं । बड़े-बड़े अवैध कारखाने चल रहे है और सरकार इनको रोक नहीं पा रही है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिना लाइसेंस के हथियारों पर रोक लगाए, इससे बहुत से अवेध धन्धे समाप्त होंगे और लोगों के दिल में विश्वास पैदा होगा ।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज देश के अन्दर कौमी वातावरण खड़ा हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखकर 12 नवम्बर, 1979 को "कौमी एकता राष्ट्रीय परिषद" का गठन किया गया था । उसकी एक-दो बैठकें भी हुई और उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए । 24 अप्रैल, 1981 को गृह मन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी, उसमें बहुत से निर्णय लिए गए थे । उसमें से एक निर्णय यह भी था कि— "साम्प्रदायिक विवादों का दलगत राजनीति से ऊपर रखने के लिए राजनीतिक दलों के लिए एक आचरण संहिता तैयार की जाए ।" मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की आचरण की संहिता तैयार करने से आपको कौन रोकता है ? कौन से दल के लोग हैं जो इसमें अंडगा डालते हैं । ऐसे लोगों के नाम जाहिर किए जाने चाहिएं । राष्ट्रीय एकता परिषद् में किए गए निर्णयों पर अमल नहीं हो रहा है । इसलिए मैं इस ओर गृह मन्त्री जी का ध्यान खींच रहा हूं ।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे यहां गुजरात में और देश के अन्य भागों में विश्व हिन्दू परिषद का आंदोलन चल रहा है । देहातों में लोग जाते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं । उनसे यह कह कर पैसा लिया जाता है कि हरिजनों को अरब देशों से आया हुआ पैसा देकर मुसलमान बनाया जा रहा है और इस कार्यवाही को रोकने के लिए हरिजनों को पैसा देना पड़ेगा । इस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और कौमी संगठन बनाया जा रहा है । मैं खुद साउथ में वहां पर गया था जहाँ पर हरिजनों ने धर्म परिवर्तन किया है । हरिजनों ने पैसा नहीं लिया है और न ही इतनी तादाद में धर्म परिवर्तन हुआ है, जितना बताया गया है । हमारे यहां गुजरात में तो कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है फिर भी··· । विश्व हिन्दू के सम्मेलन आज हमारे यहां बुलाए जा रहे हैं । उसकी वहां कार्रवाइयाँ चल रही हैं । जहाँ-जहां विश्व हिन्दू परिषद काम कर रही है, वहांवहां पर मवाद फैलाने का काम वह कर रही है । उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आपको कदम उठाने चाहिएं ।

गुजरात में मोची जाति शैड्यूल्ड कास्ट नहीं मानी जानी चाहिये, पिछड़ी हुई नहीं मानी जानी चाहिये । यह अस्पृश्य नहीं है । लोग उनको हरिजन नहीं मानते हैं, अनटचेबल नहीं मानते हैं । इसका नतीजा यह है कि तीन चार साल से उनको हरिजनों के तमाम लाभ मिल रहे हैं । मैडीकल कालेजों में हरिजनों, आदिवासियों की भरती नहीं होती हैं और सब मोची जाति के लोग भरती कर लिए जाते हैं । गुजरात के 25 एम पीज ने आपको इसके बारे में लिख कर

दिया है। इसके बारे में जल्दी फैसला किया जाना चाहिये। तीन साल लिख कर दिए हो गए हैं। इसका नतीजा यह है कि गुजरात में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह मोची जाति के लोग जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं और जो अनटचेबल नहीं है, उठा रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए आज जल्दी से जल्दी विधेयक लाएं, यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस का महत्व आज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत अधिक है यह कह कर टाल देना कि विधि व्यवस्था राज्य का विषय है और गृह मंत्रालय अमुक राज्य के मुख्य मंत्री या प्रशासन को कुछ नहीं कह सकता, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी देश डूबा है तो वह पैरीफरी से डूबा है। जब कभी भी पैरीफरी पर चोट हुई उसका जब सिलसिला चरमराया तो फिर सैंटर अपने आप समाप्त हो गया और देश के टुकड़े-टुकड़े हो गए। आज भी स्थिति यही है। आप असम को ले लें, कश्मीर को ले लें, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को ले लें। वहां क्या हो रहा है ? ऐसी स्थिति में संजीदगी के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप अपने उत्तरदायित्व को दूसरों के माथे मढ़ नहीं सकते हैं। पैरीफरी का इनफैक्शन दूसरे रूपों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के नाम पर मिड कौर आफ दी वाडी जिसको कहते हैं, उस में भी आ गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपने गृह मंत्रालय से सम्बन्धित छोटी-छोटी तीन पुस्तकें हम को दी हैं। एक डिपार्टमेंट आफ पर्सनल की है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और शैड्यल्डकास्ट के वैलफेयर पर है। जो छठे प्लान में लिखा हुआ है उसी को उस में आपने दौहराया है। तीसरी पुस्तक में विधि व्यवस्था और अन्य विषयों का जिक्र है। इस किताब में कुछ बातें 'इन्डो तिब्बतन बोर्डर फोर्स, सी०आर०पी०बी०एस०एफ० का जिक्र किया गया है। फोर्स पर केवल आप देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। बड़ी गहराई से आपको इस पर सोचना चाहिए। देश में जो सामाजिक उभरन हुआ है और उसके कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसको कैसे साल्व किया जाये, उसका कैसे समाधान किया जाए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक साधारण कार्यकर्ता का मेरे पास पत्र आया था। उस कार्यकर्ता ने जो कुछ लिखा है वह मैं उद्धृत करता हूं :

समाज में इतने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि :

आज हर ईमानदार व्यक्ति को बागी बनना होगा। साधारण कार्यकर्ता ने लिखा है कि आज ईमानदार व्यक्ति को बागी बनने की आवश्यकता आ गई है। आप कहते हैं

कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इनकम टैक्स आफिसर चोर हो, उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं ? सिविल सर्वेंट चोर हो, उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं ? मंत्री चोर हो, उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं ? हम सभी लोग गलत काम करें, हमें सजा नहीं दे सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन चार साल से गृह मंत्रालय ने करप्शन के कितने ऐसे केसिस पकड़े हैं ? कितनों को सजा मिली है। किसी राज्य में चले जाइये सबसे ज्यादा चोरी हो रहीं हैं सिंचाई विभाग में कितने इंजीनियर्स को आपने सस्पेंड या डिसमिस किया ? इन्कम टैक्स की चोरी हो रही है। कितने इन्कम टैक्स अफसरों को आपने निकाला ? कहीं नहीं। सभी जगह वे स्काट फ्री हो रहे हैं। सुविधा और भोग आज के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसे समाज में ला ऐंड आर्डर नहीं रहेगा। माननीय चन्द्रशेखर बाबू ने रिजर्वेशन के बारे में कहा। बात हम जितनी भी करें, सच्चाई यह है कि भारतीय जीवन में तीन तरह का विभाजन परिलक्षित हो रहा है – एक है आफिशियल क्लास, अपर क्लास डामिनेंट पीपुल इन आफिस और ट्रेड जो 20 परसेंट हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स 25 परसेंट और अदर बैकवर्ड क्लासेज 55 परसेंट। इस 55 परसेंट लोगों के बारे में आपने अन्त में मात्र एक पैराग्राफ लिखा है पेज 54 पर :

श्री बी०पी० मंडल की अध्यक्षता दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, जो सरकार को 31 दिसम्बर 1980 को प्रस्तुत किया गया था, सरकार के विचाराधीन है।" अन्डर कंसीडरेशन आफ दी गवर्नमेंट 55 परसेंट लोगों के बारे में 3 लाइनें और सुख सुविधा भोगने वालों के लिए हजारों लाइनें आप लिखते हैं। और आप चाहते हैं कि समाज में शांति हो हमारे एक साथी जो डिप्टी मिनिस्टर थे यू० पी० के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके भाई की हत्या हुई, उनके मासूम बच्चे की हत्या हुई। उस लड़के ने क्या बिगाड़ा था ? उसके इतिहास में जाइये। आज अखबार के दो ऐडीटोरियल मेरे पास हैं। एक का नाम है : पालिटिक्स आफ मर्डर (हत्या की राजनीति दूसरे का नाम है' न्यायाधीश की हत्या। एक हिन्दुस्तान टाइम्स है। दूसरा "नव भारत टाइम्स है। हिन्दुस्तान टाइम्स में लिया है :

"जब अनार सिंह या फूलनदेवी निरीह नागरिकों की जिन्दगियों से खेलें तो कानून के अनुसार है कार्यवाही होना चाहिए, परन्तु इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कानून पुलिस कर्मियों द्वारा लागू किया जाता है जो सदा ही जातिगत पूर्वाग्रह क्षेत्र या वैभक्तिक विद्वेष से परे नहीं हैं। एक सन्देह यह बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न समूहों और शक्तिशाली मान्य व्यक्तियों की जब वे अपनी वैयक्तिक झगड़ों से निबटना चाहते हैं, पुलिस का गुप्त सहयोग प्राप्त हो जाता है। वास्तव में अनेक नागरिक अधिकार संगठन यह पूछने लगे हैं कि क्या डकैती विरोधी अभियान से सरकारी अव्यवस्था पैदा नहीं कर दी है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिसे ढंग से छबिराम आदि उसके गिरोह के लोगों की लाशें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी थीं उससे पुराने प्रतिशोध की ओर झुकाव का पता चलता है।

आपने छविराम को मारा, डकैत था एनकाउन्टर में मारा गया जहर देकर मारा गया मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से छविराम की वाडी को खम्भे पर लटका कर खड़ा करके

टांगा गया और लोगों से कहा गया कि इसके मुंह पर थूको, तो किसी एक आदमी ने भी थूका। बल्कि नेता जी जिन्दाबाद के नारे लगाये। इसलिए कि जनता क्रुद्ध हो चुकी है, नौर्मल प्रोसेस आफ लाइफ और ला एन्ड आर्डर में आम नागरिक की आस्था समाप्त हो गई हैं। और जिनमें कम बुद्धि है वह समझते हैं कि छविराम जैसा आदमी ही हमारे लिए हथियार उठाएगा तो हम कुर्सिधारियों और क्लम बाजों से बदला लेंगे। आज उनको इस तरह से दाबया जा रहा है कि वह आर्म्स ले कर सामने आ गये हैं।

यह एक चुनौती है, इसको किसी दूसरी दृष्टि से गृह मंत्री जी न देखिए।

"नवभारत टाइम्स में लिखा है :

"छविराम की मौत के कुछ दिन बाद ही डकैतों ने 5 पुलिस कर्मियों की नृशंश हत्या कर दी।

जिससे यह सन्देह पुष्ट होता है कि उत्तरप्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के विखराब को रोकने में सिर्फ पुलिस बल सफल नही हो सकेगा।" जब पुलिस बल सफल नहीं हो सकेगा तो नैतिक और सामाजिक बल ही सफल हो सकेगा। नैतिक बल को लाने के लिए. ज्ञानी जी मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई दूसरा उपाय करें।

एक जगह आप अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं :—

"पूर्वोत्तर क्षेत्र से विशेषकर मिजोरम और मणिपुर में उग्रवादियों और पृथकतावादी समूहों की हिंसात्मक गतिविधियां देखी गई हैं। श्री लालडेंगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत "गैर कानूनी संगठन" घोषित कर दिया गया था।"

और पेज नं० 8 पर इसी लाल डेंगा के साथ आप क्या करते हैं, यह मैं आप को बताता हूं: —

1980 के आरम्भ से ही मिजो नेशनल फ्रंट के साथ बातचीत आरम्भ हो गई थीं। वार्ता के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिये श्री लालडेंगा के विरुद्ध मामले वापस ले लिए गए थे।

वहां क्या कहते हैं—क्रिमिनल है, आउट लाज है।

यहां क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में :—

"मामले वापस ले लिए गए थे और मि०ने०फ्रं० अपनी तरफ से अगस्त 1981 से सभी भूमिगत गतिविधियों को बन्द करने के लिए सहमत हो गया था।"

लालडेंगा के साथ अब आपको सुविधा हो तो दोस्ती कर लीजिए, जब दुराव हो तो दुश्मनी ।

असम की हालत भी वही है, वहां के आन्दोलन को आप रोक नहीं सके । ऐसी स्थिति में मैं निस्पृह निवेदन करना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश, बिहार के उन इलाकों में जहां पर डकैत और क्राइम का इन्फैस्टेशन है, जहां नैक्सलाइट मूवमैंट है, समाज के प्रतिष्ठित लोग और जन प्रतिनिधियों को लीजिए, एक समिति बनाइये, उसमें संसद-सदस्यों को लीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को ले चलिये, उनसे बात करिए, आप चलकर देखिए कि क्या हो रहा है ? आज बी० डी० ओ० और दरोगा इस देश के मलिक होकर रह गये हैं ।

बी० डी० ओ० और दरोगा जहां उत्पीडन करेगा, वहां पर क्रांति होगी, वहां सिविल रायट के रूप भी आपको देखने को मिलेंगे । असल में ज्ञानी जी, आप वहां नहीं जाते हैं, वहां बी०डी०ओ० और दरोगा जाता है । उनके मन में जो होगा, उसी का रिफ्लेक्शन होगा समाज पर ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटीज और कालेज में हैं, यहां पढ़ाई लिखाई तो हो गई बन्द, वहां तिकड़म और ओछी राजनीति हो गई है प्रमुख प्रोफेसर होगा कोई तो उसका बेटा फर्स्ट करेगा । बेटा जब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट करेगा तो वह लैक्चरार होगा, रजिस्ट्रार होगा, प्रोफेसर होगा और वाईस चांसलर होगा । आज यह श्रंखला बंधी हुई है । संरक्षित को संरक्षण ।

परीक्षा में अंक बढ़ाना और घटाना इन सुविधा भोगियों का पेशा । और सुनना चाहेंगे आप ?

अब तो वाइस-चांसलर भी लैक्चरार, रीडर के एपाइन्टमैंट में घूस लेना शुरु कर दिए हैं । यह हालत हो गई है विधि-व्यवस्था की और समाज की । जहां घूस लेकर प्रोफेसर बहाल किया जायेगा, जहां सर्विस कमीशन का मैम्बर पैसा लेगा, वहां आप क्या समझते हैं कि कोई न्याय होने वाला है ?

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि छविराम जैसे डकैतों को साफ करने के साथ साथ समाज के मैल को भी साफ करने की कोशिश कीजिये । लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि इस सरकार से और इस व्यवस्था से हमारा कुछ होने वाला नहीं है । बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है ।

बैकवर्ड क्लासेज कमीशनर के बारे में, आप चाहे जितना भी समझ लें, आज 55 परसैंट लोग जागरुक हो गये हैं । समता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं । 10 कुर्सी आप उनको दीजिये, हिन्दुस्तान इधर से उधर नहीं हो जायेगा, लेकिन 10 कुर्सी न देने से संभव है कि इस देश में एक नई क्रांति, पैदा हो जिससे भले लोगों को भी शिकार होना पड़ सकता है ।

इसलिए निवेदन है कि रिजर्वेशन जो करना हो करिये, डिबेट पर इस विषय को लाइये, सभा पटल पर रखिये इसकी रिपोर्ट, यहां रखने में हर्जा क्या है ? बहुत सारी चीजें समझ में आयेंगी, अगर मानने लायक नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे ।

आज देहात में अन लाइसेंस्ड आर्म बहुत हो गये हैं, उनको कैसे समेटियेगा ? सेल्फ लोडिंग गन 10, 20 50 ही हो लेकिन हाथों में जो छोटी छोटी थ्री नाट थ्री की गोली का औजार हो गया है, उसको कैसे रोकने की कोशिश कीजियेगा ?

हमें नए समाज की रचना के बारे में नये सिरे से सोचना होगा ।

आज कुर्सी वालों में कोई भय नहीं रह गया है । जो चोर है, कुर्सी-धारी है, वह इतना भयहीन और चिन्ता-बिहीन हो गया है कि वह जानता है कि लाख चोरी करो, कोई कहने वाला नही है, कोई न कोई पैरवीकार मिल जाएगा और वह स्काट-फ्री बच जाएगा ।

जजिज, कलेक्टर्ज ए डीएम्ज, मैजिस्ट्रेट्स की संख्या बढ़ गई है और क्राइम्ज की भी संख्या बढ़ गई है । 200 जिलों से बढ़ कर 500 जिले हो गए हैं, प्रशासन का ढांचा बढ़ गया है, आफिसर्ज की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ला एंड आर्डर के नोनटेनेंस के लिए ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि हमने प्लान फंड्स में पैसा दिया है, उससे इकानोमिक डेवेलपमेंट हो जाएगा । क्या सरकार वाकई समझती है कि गरीब लोगों का इकानोमिक डेवेलपमेंट हुआ है ? हुआ है डाकिया लोगों का, जो यहां से पैसा ले जाते हैं और बीच में मनी-आर्डर मार लेते हैं । इन डाकियों की संख्या बहुत बढ़ गई है : क्लास वन, स्पेशल आफिसर, सुपर टाइम स्केल, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी आदि । इन चोर डाकियों से देश को बचाइए ।

अब हम जिला प्रशासन की चर्चा करना चाहेंगे प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदमी को उत्तरदायी जरूर ठहराया जाना चाहिए, विकास और प्रशासन का उत्तरदायित्व उस पर होना चाहिए । जब तक उसको रेसपांसिविलिटी, पावर और फंक्शन्ज नहीं दिए जाएंगे, और जब तक वह किसी के प्रति-समाज के प्रति, प्रशासन के प्रति-उत्तरदायी नहीं होगा । हमारा काम नहीं चलेगा तब तक केवल डीसेंट्रलाइज कर देने से और टेक्नोक्रेट्स को एक्सेसिव पावर्ज देने से काम नहीं चलेगा ।

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, इस पर नये सिरे से डीबेट होनी चाहिये । मैं अनुभव करता हूं कि ब्लाक को यूनिट बनाया जाए, जिले को यूनिट 'बनाया जाए, फिर स्टेट और सेंटर—इतने ही यूनिट रहें, बीच में और यूनिट बनाने की आवश्यकता नहीं है । इस बारे में नए सिरे से डीबेट होने दीजिए । उसमें आई०ए०एस०, आई०पी०एस० स्टेट सर्विस के लोगों, पालिटीशन्ज और गैर-पालिटीशन्ज, जो प्लान से फायदा उठाते हैं और जिन पर प्लान का प्रभाव पड़ता है, उन सब के विचार सामने आएं । जहां तक प्लान के प्रभाव का

सम्बन्ध है, इरिगेशन का उदाहरण ले लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सिंचाई का पानी खेतों में नहीं जा रहा है, बल्कि वह सोने के रूप में इंजीनियरों की बीवियों के लिए लाकेट और नई साड़ियां खरीदने का एक साधन हो गया है। (व्यवधान) इस स्थिति में परिवर्तन करना होगा। आप नये समाज की रचना के लिए भ्रष्टाचार को मिटाइये, तभी आपका कल्याण है।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का तहे-दिल से समर्थन करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, सब से पहले मैं वहां की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा और उसके पश्चात अन्य छोटे मोटे मुद्दों के बारे मैं कहूंगा।

आपको मालूम है कि बिहार में छोटा नागपुर का इलाका है, जो आदिवासी-बहुल इलाका है। दुनिया का ऐसा कौन सा मिनरल है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता हैं। लोहा और कोयला हम सारे मुल्क को ही नहीं, जापान आदि कई देशों को भी सप्लाई करते है। हमारे यहां बाकसहिर तांबा और अभ्रक हैं। हमारे यहां हटिया, बोकारो और टाटानगर के बड़े बड़े कारखाने है फिर भी हमारे लोगों की स्थिति क्या होती जा रही है, मैं इसके सम्बन्ध में प्रकाश डालूंगा। हमारे देश में आदिवासियों की संख्या तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। अर्थात देश की कुल आबादी का 6.95 प्रतिशत है। हमारे देश में 150 से अधिक आदिवासी जाति के लोग वसते हैं। अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की 25 वीं रिपोर्ट गत वर्ष मार्च में लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदिवासियों के शोषण का मुख्य कारण उनका आर्थिक पिछड़ापन है। जब सरकार ही स्वयं महसूस करती करती है कि आदिवासियों का शोषण हुआ है तब इस पर अवश्य गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए।

इतना ही नहीं, 4 सितम्बर, 1980 को बिहार के श्रम मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि आदिवासी महिलाओं को ले जाकर विभिन्न प्रान्तों मे बेचा जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में 1980 में तथा 1981 में भी गृह विभाग की डिबेट में भाग लेते हुए इस बात को उठाया था। मैं अब पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन शोषण की भी कोई हद होती है। आज आप एक इंक्वायरी कमेटी यहाँ से रांची तथा पालम जिले में भेजें, आप देखेंगे कि वहां के आदिवासी गाँव छोड़कर भागे हुए हैं। इसी तरह से आप यहां दिल्ली से लेकर बनारस तक चले जायें, आप देखेंगे कि आदिवासी बहनों के साथ किस प्रकार का व्यभिचार हो रहा है। सरकार को इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। हमारे आवाज उठाने पर कानून तो बनाया गया लेकिन उसका सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस ओर विचार करने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की भी यही स्थिति है। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ अवश्य विचार किया जाना चाहिए। सरकार कहती है कि उनके उत्थान के लिये अरबों

रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन क्या सही रूप में वह रुपया उन लोगों तक पहुच रहा है यह एक बहुत ही गम्भीर सवाल है जिस पर आपको विचार करना चाहिये। आज हमारे आदिवासी भाई बहन गुलामों की तरह बिक रहे हैं बाजारों में हर साल सैकड़ों आदिवासी बहनें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेची जा रही हैं। यह बड़ी शर्मनाक कहानी है। इसको कितनी बार कहा जाए ? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप एक इंक्वायरी कमेटी बिठाइये कि रांची, पलामू तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में आदिवासी भाई-बहनों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है और किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। आज जो हटिया का कारखाना है वहां पर हमारे सारे आदिवासी जमीन से महरूम हो गए और वहां पर मद्रास के लोग बसने के लिए आ गए तथा दूसरी जगहों से लोग आ गए, उनको वहां पर बड़े क्वार्टर्स मिल गए और नौकरियां भी मिल गई। अगर सैकड़ा पीछे दस आदिवासी भाइयों को भी वहाँ पर नौकरी मिल जाती तो भी संतोष होता विस्थापित होकर दरवाजा खटखटाते खटखटाते, अनशन करते करते, आन्दोलन करते करते और भीख मांगते माँगते थक गए कि हमको नौकरी दो लेकिन कोई नतीजा नहीं। भाई भतीजावाद ही जोरों से चल रहा है। यही स्थिति कोयलकरों एवं स्वर्णरेखा डैम प्रोजेक्ट की भी है। इस प्रकार से उनका क्या भविष्य बनेगा ? उनकी सारी जमीनें ली जा रही हैं लेकिन उनको क्या कम्पेन्सेशन मिलेगा ? उन लोगों को कहाँ बसाया जायेगा ? इसको कोई भी देखने वाला नहीं है।

काल अटेंशन मोशन के द्वारा भी मैंने यहाँ पर कहा था कि इनका सबसे बड़ा शोषण कोल फील्ड्स में हो रहा है। वहाँ के लिए एक कानून बना था कि जिनकी तीन एकड़ से ज्यादा जमीन ली जायेगी उनको ही नौकरी दी जायेगी लेकिन वहाँ अधिकतर लोगों के पास डेढ़ एकड़ या एक एकड़ जमीन ही है। जंगल में जाते हैं, तो कह दिया जाता है कि पाँच सूत्री कार्यक्रम के अधीन जमीन नहीं मिलेगी। पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि जमीन नही है। गैर मजुरुवा जमीन पर आने से सर्किल आफिसर बन्दूक लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए जमीन नहीं है। फिर वे कहाँ जायेंगे, कहाँ बसेंगे। सिवाय उनके पास क्रान्ति के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। समय रहते, में सरकार से कहना चाहता हूं कि उनके हक के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए। असामाजिक तत्वों द्वारा जमशेदपुर के अगल-बगल में और राँची में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्रान्ति के लिए और उनके अन्दर अलगाव की भावना पैदा की जा रही है। जब तक सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं चेतेगी और सही कदम नहीं उठायेगी, तब तक हम उनके लिए लाखों रुपया खर्च करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं।

अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं। जब श्री केदार पाँडे रेल मन्त्री थे, तो उन्होंने वायदा किया था 5 फरवरी को राँची लोहदगा से टोरी तक की छोटी लाइन को बड़ी लाईन के रूप में लाईन को शिलान्यास करेंगे, लेकिन वर्तमान रेल मन्त्री श्री साठे जी ने इस के बारे कोई चर्चा नहीं की है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि पहले कहा जाता है कि लाईन बनेगी और दूसरे बजट में कोई चर्चा नहीं होती है।

मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन सरकार तो नहीं बदलती । इस प्रकार कई गम्भीर मसले हैं, जिन पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए ।

हमारे प्रदेश में बाक्साइट है, ताम्बा है, और भी बहुत सी चीजें हैं, जिनका उपयोग किया जाता है और हमारे प्रदेश की जनता को अधिक लाभ हो सकता है। रांची में कोयले कार्य योजना के जरिये बिजली पैदा करने के बारे में बार-बार कहा जाता है, यदि उसको ही पूरा कर दिया जाए, तो सारा बिहार जगमगाने लगेगा । इन सारी बातों पर गृह मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए । राना भगत जैसे लोग जिन्होंने गांधी जी के साथ आन्दोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए तथा अपना सारा घर बर्बाद कर दिया, जमीन दे दी और जिसके घर में अभी भी तिरगा लहराता रहता है, वे शराब तक नहीं पीते, कपड़ा भी पहनते हैं तो खुद चरखे पर कात कर पहनते हैं । उनकी जमीन के मसले तो आज तक पड़े हुए हैं, हल नहीं हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि राना भगतों की सैंकड़े दस लोगों की भी जमीन नहीं लौटी है । सरकार उनके लिए क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो जाती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं होता है । राना भगत जैसे लोग जो देश के लिए बफादार सिपाही हैं, जो कि देश को हमेशा खुशहाल देना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है । हमारे पास इनके उद्धार के लिए योजनायें हैं, लेकिन सही रूप में हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं । मैं जोरदार मांग करता हूं कि समय-समय पर सैन्टर से कमेटी जानी चाहिए, और जांच होनी चाहिए कि जो रुपया बिहार सरकार या सैन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है, वह सही रूप में उनके बीच खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ।

मैं आपका ध्यान कुछ मार्जिनल किसानों की तरफ भी दिलाना चाहता हू । देश में तीन-पांच एकड़ के जो किसी भी जाति के किसान हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, वे बेचारे त्रिशंकु में लटके हुए हैं । उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तो कम से कम मुफ्त सुविधा होनी ही चाहिए । मैट्रिक तक कम से कम लड़कियों की पढ़ाई, जैसा कि हरियाणा सरकार ने किया है कि मैट्रिक तक पढ़ाई फ्री है, उसी तरह अन्य प्रान्तों में फ्री करनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी सरकारों को आदेश दें कि लड़कियों के लिए मैट्रिक तक की शिक्षा फ्री कर दी जाए । जिस तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट दी जाती है, उसी तरह से मार्जिनल फार्मर्स को भी छूट दी जानी चाहिए ।

एक बात और है । हमारे इलाके में जो बेकवर्ड जाति के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है । यह सबको मालूम है कि बिहार में जाति-पांति का झगड़ा है और इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन यह आवाज क्यों उठ रही है, इस पर गंभीरता से सोचना होगा । मैं चाहूंगा कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उनके साथ न्याय होना चाहिए । जो असंतोष आदिवासियों में है, हरिजनों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में है और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों में है, उसके लिए वहां के मुख्य मंत्री को बुला कर उनके बारे में विचार करना चाहिए ।

इस के अलावा मैं यह कहूंगा कि कुछ ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और सब कुछ अपना लुटा दिया है, उनकी फाइलें आप के यहां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि उन भाइयों के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और अब वृद्धावस्था में आ गए हैं, कुछ किया जाना चाहिए और उनकी फाइलें जो पेंशन आदि के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको निकाल कर जल्दी से जल्दी आदेश जारी करने चाहिए।

एक और बात यह कहूंगा कि आज हर थाने में चोरी और डकैतियां बढ़ रही हैं लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र में थाने हैं, वहां पर जीप नहीं है। मेरा कहना यह है कि हर थाने में और खास कर पिछड़े क्षेत्रों के थानों में एक जीप होनी चाहिए और वायरलैस सैट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां की ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके।

आज रेलों में जिस तरह से असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, उसके लिए हर डिब्बे में सशस्त्र पुलिस रहनी चाहिए और महिला डिब्बे में महिला पुलिस रहनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिस फोर्स होनी चाहिए और पुलिस फोर्स की जो बहाली हो, उस में हरिजन और आदिवासी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रखा जाना चाहिए।

मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान देंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की जो मांग रखी गई हैं उनका समर्थन करता हूं।

मैं गृह मंत्रालय के अन्तर्गत जो हमारे आदिवासियों की स्कीमें हैं, जो इनटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिनके आधार पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो भर्तियों के मामले में और न कैरी फारवर्ड के मामले में जो रोस्टर का नियम लागू है, वह हरिजनों और आदिवासियों के बारे में सही रूप से कार्य रूप में लागू नहीं हो रहा है, उसका पालन सही रूप से नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार की जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और जो पुलिस सेवा है, उसके कुछ आंकड़े मैं जनवरी 1979 के दे रहा हूं। इनके अनुसार जहां प्रथम श्रेणी में कुल कर्मचारी 43,193 हैं, उनमें शेडयुल्ड हैं, उन में शेड्यूल्ड कास्ट के प्रथम श्रेणी में 1,940 हैं और प्रतिशत 4.50 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रथम श्रेणी में 366 हैं और प्रतिशत है 0.85। इसी तरह से जहां द्वितीय श्रेणी में कुल कर्मचारी 56,095 हैं, वहां शेड्यूल्ड कास्ट के 3,618 हैं और प्रतिशत है 6.44 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 495 हैं और प्रतिशत है 0.88 और तृतीय श्रेणी में जहां कुल कर्मचारी 17,03,726 हैं, उन में से शेड्यूल्ड कास्ट्स के

2,08,192 हैं और प्रतिशत है 12.22 और इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 48,731 हैं और इसका प्रतिशत है 2.86 और चतुर्थ श्रेणी में जहां कुल कर्मचारी हैं 12,54,172, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं 2,39,963 और प्रतिशत है 19.13 और शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं 58,461। और इसका प्रतिशत 4.66 है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेशो है, इसके आधार पर अगर देखें तो इसमें न तो केरी फारवर्ड होता है और न रोस्टर के नियम मिलते हैं।

आपने जो आई० टी० डी० की स्कीम रखी हैं और इसके आधार पर आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जो राशि स्वीकृत की है वह यह है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो राशि स्टेट गवर्नमेंट को दी, उसका मूल्यांकन किया है या नहीं, इसके बारे में पता नहीं।

प्रथम योजना—1951-56 में एक्सपैंडीचर 30.04

द्वितीय योजना—1956-61 में 79.41

तृतीय योजना—1961-66 में 100.40

चतुर्थ योजना में 1969-74 में 172.70

पांचवी योजना में 1974.78 में 200.00

विशेष केन्द्रीय सहायता 120.00

इसी तरह से आप स्पेशल सैन्ट्रल असिसटेंश सब प्लान फार ट्राइबल एरियाज को देखिए। 1976 में ट्राइबल एरियाज का रेस्ट्रिक्शन हटा है उसमें ट्राइबल लोगों की आबादी बढ़ी हैं। यहां पर जो वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैन्ट्रल असिसटेंश में राज्यों को ज्यादा राशि मिलनी चाहिए। आपने 450 करोड़ रुपये की राशि रखने का प्रस्ताव किया है। यह बहुत कम है। हमारी मांग है कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपये रखी जानी चाहिए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना में 6 सौ करोड़ रुपये तो दें। यह हमारी मांग है क्योंकि सारा आदिवासी एरिया सुनिश्चित होने के बाद वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

इसके लिए होम मिनिस्ट्री में सिर्फ एक डिविजन काम कर रहा है। वह इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसके साथ-साथ हरिजनों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाए गए हैं। वे बहुत सी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। बहुत से अधिकारी कहते हैं कि ये क्या हैं, इनकी हमें जानकारी नहीं है।

हमारा जो फारेस्ट एक्ट है, उसको 1980 में राज्य सूची में से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आदिवासियों का फारेस्ट से एक सेन्टीमैंटल अटेचमेंट है। यह जो आप एक्ट बनाने की सोच रहे हैं उसकी वजह से हमारी सारी स्कीमें, आर० ई०सी० और माइनर ईरीगेशन स्कीम्स सब रुकी हुई हैं। उन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप जो फारेस्ट एक्ट बनाने जा रहे हैं उसके अनुसार आदिवासियों और सामान्य लोगों को भी जंगलों से दूर रखा गया है। यह हमें प्रेस की रिपोर्टस से पता चला है। आप इस बात पर ध्यान देंगे तभी आदिवासियों और ग्रामीण अंचलों के लोगों का भला हो सकता है।

हमारे मध्य प्रदेश में आपकी ट्राइबल एडवायजरी काउंसिल बनी हुई है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के अण्डर यह चीज आती है। इनकी रिपोर्ट भी केन्द्रीय शासन को आती है और गृह मंत्रालय उनको देखता है। इसकी मध्य प्रदेश में इन्ट्रोडक्टरी मीटिंग तो हुई लेकिन उसके बाद कोई मीटिंग नहीं बुलायी गयी।

मध्य प्रदेश में सारे पांच प्राधिकरण बनाये गए हैं। उनकी भी आज तक मीटिंग नहीं हो रही है। आई० डी० पी० के जो काम हैं वे भी नहीं चल रहे हैं। वहां सारे आई०ए०एस० आफिसर बिठा रखे हैं। न तो उनके पास कोई काम है और न उनके पास इस स्कीम का कोई प्रारूप बना है। वे कहते हैं कि दो-चार साल में सैट अप करेंगे।

इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि आप सही में आदिवासियों और हरिजनों की भलाई चाहते हैं तो उनको आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज दीजिए, बसों के परमिट दीजिए। उस दिन हमारे पेट्रोलियम एण्ड केमीकल्स मंत्री जी ने एक जबाव में बताया कि 25 परसेंट कुकिंग गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप एजेंसीज और उनसे संबंधित उद्योग धन्धों में भी 25 प्रतिशत स्थान हरिजन और आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दिये गए हैं। मैं नहीं समझता कि ये सब सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। महज खाना-पूर्ति कर दी गई है, क्योंकि इन एजेंसियों को प्राप्त करने के लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, वह पूरी करना एक हरिजन-आदिवासी के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई इस तरह की योजना बनाई जाए, जिससे इन चीजों का लाभ हरिजन-आदिवासियों को प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, छात्रावृत्ति के संबंध में। आपने उन बच्चों के लिए जिन्हें इन्कम सर्टिफिकेट देना होता है, इन्कम की राशि 10000 से बढ़ाकर 12000 कर दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन से गृह विभाग द्वारा पूछा गया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एडहाक राशि स्कालरशिप के लिए और स्टायफण्ड के लिए कितनी राशि चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे वर्ष 1981-82 और 1982-83 में बहुत से बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा मैं मध्यप्रदेश के जिला बस्तर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । पिछली बार भी यह बात आई थी, वहां के जिला कलेक्टर की रीति-नीतियों के बारे में तो आप अवगत हैं । बी, बी. सी, के बारे में पहले भी कहा जा चुका है । "घोटुल" वहां की एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने ब्लू-फिल्म लिए और बाहर जाकर उनको प्रकाशित व प्रदर्शित किया । यह वस्तर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए आपत्तिजनक बात है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । वहां के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं वहां के जो जिला कलेक्टर हैं, उनके यहां एक कमला देवी नाम की आदिवासी लड़की थी, वहां की मैगजीन्स में उसका फोटो भी छपा है, उसको नौकर की हैसियत से बंगले में रखा था । जब लोगों ने आवाज उठाई तो ऊन्होंने उसको बंबई में अपनी ससुराल भेज दिया । इसका पता लगाया जाए और लड़की को वापिस किया जाए । आदिवासी नारेबाजी नहीं चाहता, आंदोलन नहीं चाहता, बल्कि हर समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से हल चाहता है और यह आपका और हमारा नैतिक दायित्व है कि आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर पूरा-पूरा ध्यान दें । जहां हरिजनों का, अनटचेबिलिटी का प्रश्न है वही आदिवासियों का सोश्यो इकनामिक का सवाल है, पिछड़े वर्गों की उन्नति का सवाल है, उन पर आप ध्यान दें । यही हम लोग चाहते हैं ।

एक चीज की ओर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । भारत शासन के अन्तर्गत और राज्य शासन के अन्तर्गत जितने हरिजन और आदिवासी कर्मचारी हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उनकी लिस्ट आप बुलवाएं और देखें कि इनकी उचित भर्ती की गई है या नहीं की गयी है । यदि आप आदिवासियों का रोस्टर कैरीफारवर्ड का नियम निकालकर देखें तो उसके बैकलांग के लिए आप स्पेशल रिक्रूटमैंट कर सकते हैं ।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1976 में एरिया रैस्ट्रिक्शन हटा और वहां की अधिवासी संख्या बढ़ी है । 1981 की जनगणना के आधार पर आदिवासियों की जनसंख्या भी बढ़ी है । 1957 से जो डीलिमिटेशन कमीशन एडहाक बनाए थे, उसी तरह से असेंबलीज में और पार्लियामेंट में हमारी ओर सीटें बढ़ सकती हैं । इसके साथ-साथ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी—1968 में, 1971 में, लेकिन इनकी रिपोर्ट सभा पटल पर आती हैं, उन पर बहस नहीं हो पाती । आखिर इन चीजों पर ध्यान क्यों नही दिया जाता । आपकी कालेलकर कमीशन बना था, देवर, भाई कमीशन बना, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप सही में आदिवासियों और हरिजनो का उत्थान चाहते हैं तो इन चीजों को गंभीरता से देखें और राज्यशासन को भी कड़े निर्देश दें ।

आई. टी, डी, पी. के अन्तर्गत जो स्कीम्ज चलती है उसके तहत विभागों को फंड एलोकेट किये जाते हैं । मार्च में ये फंड लैप्स हो जाते हैं । इनको खर्च नहीं किया जाता है । मैं समझता हूं कि इसके लिए जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंड मिलना चाहिए । ऐसी योजना आप बनाएं ताकि

दोषी व्यक्तियों के कारेक्टर रोल में एंटरी हो सके, एफिशेंसी बार पर रोक लग सके या इस तरफ की कोई दूसरी सजा उनको हो सके। जो अदिवासियों और हरिजनों के पैसे का उनके हित में सदुपयोग न करे, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों पर जरूर गौर किया जाएगा।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरिम डिप्टीस्पीकर साहिब आपने मुझे मौका इनायत फरमाया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। होम मिनिस्ट्री की मांगों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। ज्ञानी जी काफी ज्ञान रखते हैं। मुल्क के मामलों में उनका काफी दखल है। वह चाहते हैं कि मुल्क में अमन बना रहे. दंगे फसाद न हों। काफी कोशिश उनकी तरफ से इसके लिए हो भी रही है। यह भी सही है कि होम मिनिस्ट्री मुल्क की ला एंड आर्डर, कानून और व्यवस्था की जमीन है। यह कहा जाता है कि यह स्टेट सवजेक्ट है। यह ठीक है कि कांस्टीट्यूशन में यही कहा गया है। लेकिन इसको हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं कि जिन लोगों ने मैंडट (वोट) देकर हम को यहां भेजा है, हमारी पार्टी की सरकार बनवाई है, वे यही चाहते हैं कि मुल्क में कौमी एकता बनी रहे, शान्ति रहे, लोग तरक्की करें, चैन से सोएं। कौन ऐसा नहीं चाहता है ? लेकिन कुछ लोग हैं जिस का आंकड़ा मैं देने जा रहा हूं, यह अमन व तरक्की नहीं चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात का जवाब दिया जाएगा।

सबसे पहले मैं ऐसे अनासर का जिक्र करना चाहता हूं जो मुल्क में दंगा फ़साद, हो हल्ला सरारत और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालते हैं। मुझे अफसोस है कि इनकी जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें इस बात का तजकिरा नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उस वास्ते भी मेरी इस बात का जवाब वजीर साहब जब वह जवाब देंगे जरूर देंगे। आप देखेंगे कि 1979 में आर. एस. एस. की तादाद 6.33 लाख थी। 1980 में वह बढ़ कर 10 लाख हो गई। 1981 में करीब 15 लाख हो गई। 1979 में उनकी 16000 लाख शाखाएं थीं, 1980 में उनकी तादाद बढ़कर 18000 हो गई। इतना ही नहीं। उनकी शाखाएं इंटरनेशनल स्फीयर में भी आगे बढ़ी है यू. एस. ए. के, मारिशस, केनिया वगैरह। मेरी खबर यह है कि आर.एस. एस. के 600 प्राइमरी स्कूल चलते हैं। हो सकता हैं कि इनकी तादाद और भी ज्यादा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि 1981 में आर० एस० एस० को गुरु दक्षिणा में एक करोड़ के करीब मिला। यह रकम उस रकम को छोड़ कर है जो बाहर से या दर पर्दा आई होगी। मुल्क में इनके नौ फ्रंटल आर्गेनाइजेशंज हैं। ये तमाम बातें रिपोर्ट में होनी चाहिए थीं। आपको इंटेलीजेंस सोती रहे यह आपको शोभा नहीं देता है। उसको खबर होनी चाहिए। उसका यही काम है। ऐसे मुल्क दुश्मन अनसर का उसको पता लगाना चाहिए और इनको कानून की जड़ में ला कर खड़ा करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो मुल्क के अमन चैन को बरकरार नहीं रखना चाहते, दंगा फसाद करना चाहते हैं। यह दरपर्दा कहाँ कहां काम कर रहे हैं ? स्टूडेंट्स विंग में तो हैं ही, हरिजनों में भी आ गए हैं, किसानों में भी आ गए हैं, आदिवासियों में भी घुस गए हैं और हमारे अन्दर भी

घुस रहे हैं, यही नहीं मुसलमानों में भी । कौन देखेगा इसको ? होम मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती । जिस दिन होम मिनिस्ट्री बरी हो हो जायेगी तो देश तबाह हो जायेगा । इसलिए गृह मन्त्री जी इस पर ध्यान दें, गौर करें ।

असम की बात आयी है, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रधान मन्त्री बहुत कोशिश कर रही हैं कि वहां शांति और अमन कायम हो, उत्पादन बढ़े पैदावार बड़े लोग शांति से रहे उसके लिए स्पेशल फंड्स रखे गये हैं । लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा । आपको मालूम होगा कि पूर्वान्चल में हिन्दू सम्मेलन गौहाटी में हुआ जिसकी रिपोर्ट 20-3-82 के अखबारों में आयी है । इतना जानते हुए भी (N. S. Act.) एन. एस. ए. का उपयोग और इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है । जब जान रहे हैं कि मुल्क का पूर्वी हिस्सा जल रहा है, लोगों की हालत बुरी हो गई है, दंगा फसाद हुए हैं ओर वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है क्या आप उसको रोक नहीं सकते? क्या उसके लिए आपके पास कानून नहीं है ? आखिर कानून इसीलिए पास किया है ताकि मुल्क की एकता कायम रहे । अमन चैन वरकरार रखने के लिए ही कानून बनाए हैं । आप उसका इस्तेमाल करें । इसको अलमारियों में बन्द न रखें ।

माननीय अटल जी चले गए मैं उनके सामने कहना चाहता था···।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियम सदा ही कार्यालयों में रखा जाता है ।

श्री जमीलुर्रहमान : ऐसा नहीं होना चाहिए । यही मैं चाहता हूं यही मेरी शिकायत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह पुस्तक के रूप में है तो यह केवल कार्यालय में ही रहेगा ।

श्री जमीलुर्रहमान : उनके पीछे मैं नहीं बोलना चाहता । लेकिन बोलने के लिए मजबूर हूं अभी यह गांधीज्य की बात करते हैं लेकिन आप को सुनकर हैरत होगी कि बटुकेश्वर दत्त एबीडेंस के बारे में किसको नहीं मालूम कि 1942 में सरकारी गवाह बन कर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फंसा रहे थे । और हमारी इंटेलीजेंस खामोश हैं । इस पर गृह मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

मुल्क में जरायम बढ़ रहे हैं और तादाद भी काफी बढ़ गई है, और पुलिस की तादाद भी बढ़ गई है । लेकिन पुलिस की तादाद बढ़ा देने से जरायम में कमी हो जाय यह एक अच्छी बात होगी । पुलिस को क्या क्या सुविधायें और सहूलतें आपने दे रखी है इसको देखिए । आपके पूरे खर्चे का पुलिस के ऊपर सिर्फ 1 परसेंट है । पुलिस को अच्छी तालीम दीजिये, रिसर्चविंग को मजबूत कीजिये, उनके रहने के अच्छा इंतजाम कीजिये, उनको अच्छे हथियार दीजिये । पुलिस के पास अच्छे हथियार हों । तभी पुलिस लोगों की जानमाल की हिफाजत कर सकती है और अपने को भी बचा सकती है । 1951 से 1961 में जुर्मों में कमी हुई थी 4.71 परसेंट । लेकिन यह बरकरार नहीं रही । 1961 से 1971 तक जुर्म की तादाद 52 परसेंट बढ़ गई और 1971 से 1978 के दरमियान 41.9 परसेंट बढ़ी । तो इसका नतीजा बड़ा खौफनाक है । डिप्टी स्पीकर

साहब, आप मुझे हुए सियासत दां हैं, गौर कीजिए। क्या तुक है इसका, क्या आर० एस०एस० को इस बात की छूट है कि जहां चाहे मुसलमानों को कत्ल करे, चाहे बिहार शरीफ मुरादाबाद हो, अलीगढ़, कन्याकुमारी, अखूडी, पूना, जमशेदपुरया हैदराबाद हो ? आखिर कोई नियंत्रण तो होना चाहिये । एक तरफ आप खुली छूट दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। जब आपके पास सबूत है तो आप क्यों नहीं इसको (Ban) बेन करते हैं ? क्यों इस तरह से मुसलमानों, क्रिश्चियनों, हरिजनों और आदिवासियों की जिन्दगी से वे खेलते हैं ? इस बात की आजादी उनको हरगिज नहीं दी जायेगी, किसी कीमत पर भी कि मुसलमानों की जान व माल से खेलें।

हमारी सरकार सक्षम है, लोगों ने हमको मैनडेट दिया है, लोगों ने विश्वास करके हमको मिटाया है। हमको जिम्मेवारी व हक पूरा करना होगा, लोगों की जान-माल की हिफाजत करनी होगी। इतना ही नही, अगर 1951 से 1978 तक के सालों को देखा जाए तो इस में जुर्म, क्राइम, जरायम की तादाद 4.12 परसेंट टोटल में बढ़ गई है जबकि आवादी 2.5 परसेंट ही बढ़ी है।

पुलिस के खर्चे को अगर मिलाकर देखेंगे तो उसमें पिछले 30 सालों में 1300 परसेंट खर्चा बढ़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 30 सालों में जो खर्चा कर चुकी है वह 61.88 परसेंट है और सूबा सरकार ने जो पुलिस पर खर्च किया है, वह करीब-करीब 1000 परसेंट है।

हमारे ज्ञानी जी शायर भी हैं और उर्दू के बहुत बड़े हामी भी हैं। तो क्या यह बात तो नहीं है साहब— कि तर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ?

अब बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० में मुल्क का करीब करीब 70 परसेंट खर्चा हो रहा है। वह अच्छा काम कर रहे हैं इसमें कोई शुवाह नहीं है कि मुल्क के अमनो-अमान को वहाल कर रहे हैं, लेकिन जब भी फिरकेदाराना फसादात हुए हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी ने और हमारी सरकार ने कहा है कि हम पीस फोर्स और बनायेंगे और उसमें मुसलमानों, हरिजनों, आदिवासियों को ड्यू रिपैजेंटेशन देंगे। मैं नहीं - ानता कि इसमें क्या काम हुआ है ? हमारी लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी पार्टी इस बात के लिये पावंद जबान वचनवद्ध है कि हमको लोगों की खिदमत करनी हैं और हम करते रहेंगें और इसलिए लोगों ने हमको मैन्डेट दिया है, किसी दूसरो पार्टी को नहीं दिया है। लेकिन इस बात की भी इजाजत हमारी नेता किसी को नहीं देंगी कि कोई अकलियतों, हरजनों ओर आदिवासियों व क्रिश्चियनों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करे।

आप स्कूलों की किताबों को देखिये, हिस्टरी बदली जा रही है। हम क्या कर रहे हैं और क्या स्टैप लेने जा रहे हैं ? छोटे बच्चों के दिमाग में बात शुरू से प्राइमरी एजूकेशन से पढ़ाई जा रही है, वह घर कर रही है। जैसा मैंने कहा कि 650 आर० एस० एस० के स्कूल इस देश में चल रहे हैं। आगे चलकर उन बच्चों का दिमाग वैसा ही बनेगा। इसको रोकने का काम किस का हैं ? यह सरकार का काम है। होम मिनिस्ट्री इसकी ओर पूरा ध्यान दें।

आपने अपनी रिपोर्ट के पेज नं० 5 आइटम नं० 6 पर लिखा है कि सब-कमेटी आन एजूकेशन की मीटिंग हुई है। मीटिंग होना और बात है और उस पर अमल करना और बात है। मीटिंग जरूर कीजिये. मामलों को हल कीजिये लेकिन साथ ही साथ इम्पलीमैंटेशन भी होना चाहिये। ज्ञानी जी ऐसा न हो जाये कि -

हम खाक हो जायेंगे, तेरे जुल्फ के सर होने तक। मुल्क की सालमियत को खतरा है, इसमें में कोई दो राय मैं नहीं रखता हूं। हमारी लीडर कह चुकी हैं, आप भी कह चुके है, हमारी पार्टी के वरिष्ट नेता भी कह चुके हैं कि बहुत खतरा है। मैं अपोजीशन से एक बात की गुंजाइश करूंगा कि भाई, मुल्क रहेगा तो तुम भी रहोगे, लोग रहेंगे तो तुम भी रहोगे। जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। इस बात को सोचकर चलो, कोई फायदा नहीं है मुल्क को खतरे में डालने से एक्सट्री मिस्ट्रस एजीटेशन असम, मणिपुर और मिजोरम में करायें। आप गांधीज्म की बात भी कर रहे हैं और कौमी फसादात भी कर रहे है। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।

आखिर में एक बात कहकर मैं बैठूंगा कि अकलियत की तालीमी, माशी, जानो-माल की हिफाजत होम मिनिस्ट्री के जिम्मा है, मुल्क की तरक्की उस वक्त होगी जब किसी मुल्क की अकलियत खुशहाल हो क्योंकि अकलियत मुल्क कन्ट्री की और डैमोक्रेसी की वैकवीन होती है। सरकार ने माइनारिटीज के बारे में एक हाई पावर पैनल बनाया हुआ है। इस रिपोर्ट में बी. पी. मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का तजकिरा है, लेकिन माइनारिटीज कमीशन के चेयरमैन. डा० गोपाल सिंह, जो निहायत बाहिम्मत और सैकुलर आदमी हैं, की रिपोर्ट का इसमें कोई तजकिरा नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि वह रिपोर्ट आपके पास साल भर से पैंडिंग है। उन्होंने उसमें लिखा है कि मुसमलानों के साथ इम्तियाज बरता जा रहा है। डा० गोपाल सिंह ने रीकमेंडेशन दिया है कि मुस्लिम अकलियत को लाइसेंसिज, क्वोटा, परमिट, तालीम और सेंट्र और सूबाई सरकारों की नौकरियों में बढ़ावा मिलना चाहिये, उनको उनका ड्यू हिस्सा मिलना चाहिए।

पूर्णिया जिला एक इम्पोर्टेन्ट जिला है। उसके पूर्व की तरफ वैस्ट बंगाल है, उससे पूर्व बंगलादेश है और उत्तर में नेपाल है। मेरी कॉस्टीट्युएन्सी, किशनगंज, में लोकल कालेज के कुछ लैक्चरर और प्रोफेसर आर० एस० एस० के कमिटिड है। वे एस० एस० की शाखा चलाते हैं, आनन्द मार्ग की शाखा चलाते हैं। मैंने खुद इस बात को एजीटेट किया है, लेकिन अभी तक मेरी बात अनसुनी हुई है। वे लोग दंगा-फसाद कराना चाहते हैं। किशनगंज के सब दीवारों पर लिखा हैं : मारवाड़ी भगाओ, मुसलमान भगाओ, बंगालादेशी भगाओ। उन्हें बंगलादेशियों की बोगी खड़ी की है। मिनिस्टर साहब एक कमेटी बनाए। मैं उस कांस्टीट्युएन्सी का रिप्रेन्टेटिव हूं, मैं तो साथ रहूंगा ही, आपोजीशन के लोगों और दुसरे लोगों को भी साथ लीजिये। सिर्फ छः ब्लाक की बात है। आप एक महीने का समय दीजिये। हम चल कर देखें कि कहां बंगलादेशी है। अगर वहां पर बंगलादेशी होंगे, तो मैं उनको कान पकड़ निकाल दूंगा।

यह एक (कौमांतेशनल) मसाल है। अगर उस कालेज के प्रोफेसर्ज का यही रवैया रहा — गवर्नमेंट वे उसको टेक ओवर कर लिया है - , तो वहां पर खतरनाक हालत पैदा हो जाएगी। मेरी कांस्टीट्युएन्सी के सब लोग इन्दिरा जी के सिपाही हैं। इसलिए आर० एस० एस० के लोग जान बूझ कर उन्हें तंग कर रहे हैं। लेकिन वे हमें इस तरह खौफजदा और डीमारलाइज नहीं कर सकते। मैं ज्ञानी जी से हाथ जोड़ कर पुरजोर गुजारिश करूंगा कि वह खुद चलें और पता करें, वर्ना वह एक कमेटी बनाएं, जो पता लगाए कि क्या मामला है।

आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया। मैं इस डिमांड्ज की पुरजोर ताईद करता हूं। साथ साथ में यह जरूर कहूंगा कि जो अनासिर मिजोरम के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर या किसी और नाम पर मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हमारी नेता और हम लोग उनसे निपटने के लिए सक्षम हैं और हम किसी भी कीमत पर उन्हें ऐसी गैर मुल्की हरकत व कार्यवाहियां जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसकी आवश्यकताएं भी बहुत हैं। इस सदन में कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं, जो इस डर के मारे गृहस्थ में प्रवेश नहीं करते कि वे उसको चला नहीं पाते, इसमें असमर्थ हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मिसाल के तौर पर ?

आचार्य भगवान देव : आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी कौन हैं यहां पर।

इस बात को देखते हुए गृह मंत्रालय के लिए जो राशि निर्धारित की गई है, मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है। भारत सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और गृह मंत्रालय की राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस देश में गद्दारों का मजमा बढ़ता जा रहा है। अभी विरोधी दल के जो लोग यहां पर बोले उनकी शिकायत थी कि देश में तोड़-फोड़ हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, लूट-खसोट हो रही है, औरतें उठाई जाती हैं और ला ऐंड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। अभी चन्द रोज पहले मैं मद्रास गया था। मेरे जाने से कुछ दिन पूर्व वहां पर भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। मैंने वहां पर पांच मीटिंग्ज अटेन्ड की। उसके बाद एक बुद्धिजीवियों की बैठक हुई जिसमें कई लोगों ने कई प्रकार के सवाल मुझ से पूछे। जैसे कि यहां पर विरोधी दल के लोग बातें करते हैं उसी तरह से उस टोली में भी एक खाकी निकर वाला आर० एस० एस० का एक आदमी था जोकि बार-बार उठ जाता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी दूकानदारी बन्द हो रही है और यह व्यक्ति प्रभाव जमाता जा रहा है। अन्त में चिड़चिड़ाकर वह खड़ा हो गया और कहने लगा कि लूट-खसोट हो रही है, मंहगाई बढ़ रही है, चोरियां और डकैतियां हो रही हैं फिर राम राज्य कब आयेगा ? मैंने उससे पूछा कि तुमने रामायण भी पढ़ी है ? उसने कहा पढ़ी है। मैंने कहा कि राम की पत्नी सीता को रावण उठा कर ले गया था लेकिन वहां पर जो इस समय तीन

चार सौ बुद्धिजीवी बैठे हैं उन सभी की पत्नियां अभी सुरक्षित हैं। मैंने कहा कि यह तो आदि काल से होता चला आ रहा है, देवताओं और राक्षसों की लड़ाई चलती रही है। इसी प्रकार से बदमाश और सज्जन की पहचान होती है, अच्छे और बुरे की पहचान होती है।

इस सदन में देहरादून की बात को लेकर ये लोग इस सदन को सब्जी मंडी बनाकर बैठ गये थे. एक वावैला खड़ा कर दिया था जबकि इनको पता है कि संसद क एक-एक मिनठ की क्या वैल्यू है। जव राम का राजतिलक होने वाला था और 14 साल के लिए उनका वनवास हो गया था तब किसी ने भी घेराव नहीं किया था, कोई वावैला नहीं खड़ा किया था। फिर आप राम राज्य की क्या बात करते है ? कौन चाहता है कि देश में अराजकता फैले ? कौन चाहता है कि देश में चोरियां हों और डाके पड़ें? कौन चाहता है किसी महिला के साथ बलात्कार हो? क्या ज्ञानी जैल सिंह जी ऐसा चाहते हैं या श्री वेंकटसुब्बैया क्या हम ऐसा चाहते हैं या विरोधी दल के लोग ऐसा चाहते हैं ? कोई नहीं चाहता है। किसी भी गांव में या किसी जगह किसी व्यक्ति के दिमाग पर शैतानी सवार होती है और वह कोई कुकृत्य करता है तो उसके बाद सरकार उसके ऊपर कार्यवाही कर सकती है। ज्ञानीजी को क्या पता किस कस्बे में किस स्थान पर कोई क्या कर रहा है। सरकार को पता होने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है। लेकिन आज जो डकैतियां हो रही हैं और लूट-खसोट हो रही है उसकी जवाबदेही विरोधी-दलों के लोगों के ऊपर है। इमर्जेंसी में स्मगलर्स, बदमाशों और चम्बल के डाकुओं को 1977 से पूर्व—हमारी प्रधान मंत्री जी ने बन्द करके जेलों में डाल दिया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के सामने डाकुओं को देवता बनाकर खड़ा करके कहा गया कि वे गांधीवादी बन गए हैं। जिन्होंने हमेशा डाके डाले, लूट-खसोट की, जीवन भर खून किये और औरतों के साथ बलात्कार किए उनको एक दिन में साधू बना दिया गया। वही लोग उनसे आर्शीवाद पाकर आज शैतानियत के काम कर रहे हैं। मेरा आक्षेप है कि यही लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। वही लोग साधू के वेष में शैतानियत के काम कर रहे हैं राष्ट्रवाद का चोगा पहन कर देशद्रोह के काम कर रहे हैं। मैंने पिछली संसद में भी कहा था कि गरीब बंगलादेश से असम में आर्थिक समस्या के कारण या किसी भी समस्या के कारण लोग इधर से उधर जाते हैं। दिल्ली में रहने वाले भी बाहर जाते हैं। बाहर वाले दिल्ली में आते हैं। उन साधारण नागरिकों के बारे में जब सरकार ने यह कह दिया कि आप बता दो कि कौन विदेशी है, हम उस पर कार्यवाही करेंगे, फिर भी हमारे खाकी निकर वाले, उनके नेता, कबड्डी खेलने वाले कहते हैं कि इस साल को मानिए या उस साल को मानिए। उन साधारण गरीबों के बारे में बात करते हैं, आपत्ति उठाते हैं, परन्तु भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने इसी दिल्ली के अन्दर दो-तीन महीने पहले यहां रेली का प्रोग्राम रखा था, तो उनके उपाध्यक्ष श्री राम जेठमलानी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल जिया, उनके राजदूत रहे हुए मि० बरोही को लेकर उस रैली में उनको मंच तक ले गए और वाजपेयी जी ने खड़े हो कर उनका स्वागत किया। संसद में मेरी उनसे झड़प हुई थी और उन्होंने स्वीकार किया था कि वे इन्टरनेशनल रोटेरी क्लब के प्रोग्राम में आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की रेली में मंच तक तुम्हारे उपाध्यक्ष क्यों ले कर गए ? ये राष्ट्रवाद का चोगा

पहन कर* का काम कर रहे हैं। यहां पर गढ़वाल की बात करते हैं लेकिन उस सैनिक तानाशाह के पास मिलने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष—राम जेठमलानी, लोक दल का उपाध्यक्ष जार्ज फरनान्डीज और जनता पार्टी का लीडर सुब्रह्मण्यम स्वामी—ये तीनों पार्टियों के तीन जवाबदेह व्यक्ति क्या आप और हमको पता नहीं है कि उस सैनिक तानाशाह के विशेष निमन्त्रण पर पाकिस्तान गये, उनकी रोटियां खाई और अमरीका के इशारे पर उनसे सांठगांठ कर के देश के अन्दर* का काम कर रहे हैं तथा उनको प्रोत्साहन दे रहे है और यहां अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं।

किसी शायर ने ठीक ही कहा है :—

दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर के चिरांग से।

इन ** ..... ने कभी सोचा नहीं कि इस देश को कभी भी सीमाओं पर किसी ने गुलाम नहीं बनाया। इस देश को मुहम्मद मीर कासिम से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक यदि किसी ने गुलाम बनाने का प्रयास किया तो हमारे बहादुर लोगों ने, पूर्वजों ने उन के छक्के छुड़ा दिये।.....वे तभी कामयाब हो सके जब उन को देश के गद्दारों का सहयोग मिला। जयचन्द ने गोरी को सहयोग दिया। कान खोल कर सुनिये उसने पहला काम यह किया कि उस ने जयचन्द की गर्दन काट दी। क्यों? उसने कहा कि जयचन्द जब तुम अपने भाई पृथ्वीराज के साथ वफादार नहीं रह सके तो मेरे साथ कहां तक वफादार रह सकते हैं। आज हिन्दुबाद की बात करने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ रहने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, आज इस तानाशाह के साथ सांठगाठ कर के दीवारों पर लिखाते हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा है। इस देश के अन्दर विदेशी ताकतों का सहारा ले कर हिन्दुस्तान समाचार समिति, जिस हिन्दुस्तान समाचार समिति को हमारा वित्त मंत्रालय, ब्राडकास्टिंग मंत्री, सहयोग देते हैं आर्थिक मदद देते हैं, आज यहां पर इस प्रकार का समाचार फैलाने की कोशिश कर रही है जिस से आग भड़के, अराजकता आये, जाति-जाति के अन्दर नफरत हो, एक दूसरे के खून के प्यासे रहें। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसके बारे में एक जाँच कमीशन बैठायें। ज्ञानी जी, आप को पता नहीं है कि हिन्दुस्तान समाचार का जैनरल मैनेजर** हैं जो कि आर०एस० एस० का हैड है, आर०एस०एस० का मुख्य व्यक्ति है। सारी-की सारी कमेटी आर०एस०एस० वालों की हैं और उन को आप पैसा दे रहे हैं। मैं न्यूयार्क होकर आया हूं। वहाँ इन्टरनेशनल दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र बना हुआ है उसके मंत्री **..... जिनको आप ने हिन्दुस्तान समाचार में मैनेजर बना रखा है। उन**.... ...को आप अपने हाथ से सहयोग दे रहे हैं जो देश को बरबाद करने पर तुले हुए हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनायें किस जमाने में नहीं हुई हैं, किस काल में नहीं हुई हैं हर काल में राक्षस और देवताओं की लड़ाई होती रही है। जब व्यक्ति एक घर को नहीं सम्भालता, व्यक्ति से अपनी पार्टी नहीं

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

सम्भलती तो वे देश को क्या सम्भाल सकते हैं ढाई साल के अन्दर जनता ने उन को देख लिया, पंचर हो कर मेण्डकी टोल बिखर गया और आज फिर यह मेण्डकी टोल इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा है। एक तराजू में तुलना चाहता है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक वैज्ञानिक सत्य है कि मेंढ़क कभी भी तराजू में नहीं तोले जा सकते।

दो मेंढ़क तराजू में हों, चार मेंढ़क तराजू में हों तो क्या उनको आप तोल लेंगे, नहीं तोल सकते। छः मेंढक अगर तराजू में हैं, तो उनमें से दो उछल जाएंगे। संसार में आज तक कोई उनको तोल नहीं सका। चार में से दो मेंढक छलाँग मार कर तराजू में से नीचे चले जाएंगे इसी तरह से इन के क्या सिद्धान्त हैं इनकी क्या पालिसी है ? कहां बाबू जगजीवनराम और कहां चौधरी चरणसिंह और कहां ये खाकी नीकर वाले नागपुरी संतरे, आर०एस०एस० वाले और जनता पार्टी वाले और कहाँ पर ये मार्कसिस्ट ? इनका कोई, मेल है, इनका कोई सिद्धांत मिलता है ? कभी ये एक हो सकते हैं और क्या जनता इन पर विश्वास कर सकती है। ये शिकायत व शिकवा करते हैं और मैंने जैसा पहले कहा था कि कई लोग इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि घर चलाने की उन में सामर्थय नहीं है। इसलिए वे ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इतना बड़ा घर संभालना कोई आसान बात नहीं। घर में कुछ बर्तन गिर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। खिड़की टूटती है, हवा आती है, झोंका आता है, बरसात होती है, छत टूट जाती है, दीवार गिरती है, खिड़की टूटती है और इस तरह की बातें होती रहतीं हैं। इतने बड़े राष्ट्र के अन्दर छोटे-छोटे ये लोग इस तरह की शिकायत करें, तो उस से क्या होता है। आप मिल कर सरकार के साथ सहयोग करें और यह बताएं कि ये गुन्डे हैं और इसको साबित करें, तो उन के खिलाफ कार्यवाही होगी। हमारे ज्ञानी जैलसिंह जाते हैं माया त्यागी के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो वहां पर राज नारायण आ कर खड़े ही जाते हैं। अभी यहां पर बागड़ी जी थे और अब वे चले गऐ। उनसे कहा कि अगर मिलना हो, तो डैपूटेशन ले कर आओ, 5-10 आदमी आ जाएं और मिल लें लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम तो 500 के 500 आदमी आएगें। यह कोई भेड़ बकरी का टोला है। यह संसद है। यह कोई सब्जी मार्केट नहीं है और न ही कोई रेलवे प्लेटफार्म है। यहां के समय को समझो, यहां की प्रतिष्ठा को समझो, यहां के समय के गौरव को समझो। अब ये नियम और कानून की बात करते हैं। शून्यकाल में उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। ये जो नियमों की बात कहते हैं, यह कितना कहना मानते हैं। रोज तमाशा इसलिए करते हैं कि पेपर वाले सुन लें और पेपर में आ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सदा ही अध्यक्षपीठ का आदेश माना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह उनके भाषण की विशेषता है।

आचार्य भगवान देव : कभी चेयर की बात को नहीं मानते हैं। उस को मान नहीं देते हैं। इनका तो यही है कि हमारा नाम अखबारों में आ जाए। और हमारे पत्रकारों का क्या कहना ? विरोधी पार्टी वाले बोलते हैं तो लोबी में आ जाते हैं और पता नहीं, वे इन को क्या दे आते हैं और रूलिंग पार्टी का कोई बोलता है, तो पता नहीं उस समय वे कहां चले जाते हैं चाय पीने के

लिए । उन के नाम का उल्लेख ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा रेडियो पर भी होता है और इस बारे में मुझे शिकायत है जैसा साठे जी ने भी उस दिन कहा था कि रूलिंग पार्टी वालों को कम समय रेडियो पर दिया जाता है । यह बिल्कुल हकीकत है । मैं यहाँ पर दो-तीन बार बोला लेकिन मेरे नाम का कोई उल्लेख आकाशवाणी से नहीं हुआ । मुझे शिकायत नहीं है, उस की इंक्वारी हम कर लेंगे, उस की जाँच हम कर लेंगे परन्तु इस प्रकार की गतिविधि चलती है कि यहाँ पर नाच गाना कर दिया और पेपर में वह आ गया । उपाध्यक्ष महोदय, एक सज्जन आदमी सड़क पर चला जाए, तो कोई ध्यान नहीं देता लेकिन अगर कोई कपड़े उतारकर चलने लगे, तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी । कोई नंगा हो कर चला जाए, तो हो-हल्ला होता है और पेपर में वह आ जाता है कि वह नंगा आदमी सड़क पर जा रहा था । इसी तरह से ये लोग** । ये सभ्यता से, निष्ठा से देश में चलना नहीं जानते । देश में मिलकर गुंडागर्दी को दूर करने के लिए, अराजकता को दूर करने के लिए, इन को सहयोगी बनना चाहिए । ये सहयोग न कर के तोड़फोड़ की कार्यवाही को गति लाने की कोशिश करते हैं । आज ये चाहते हैं कि रेलें जो चलती हैं, वे रुकें । ये कहते हैं कि हम रेलों को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि चक्का जाम करेंगे । अगर ये कानून तोड़ेंगे, तो इन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई अराजकता लाना चाहता है, तो उस के खिलाफ कार्यवाही की जाए । 19 तारीख को किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया । विरोधी दलों के लोगों ने मिल कर यहाँ पर हड़ताल की और यह एक अलग बात है कि वे पंचर हो गये । इस देश के अन्दर उनकी कुछ नहीं चल सकी और मजदूरों और किसानों ने उन को सहयोग नहीं दिया परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो कानून तोड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी । ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाना होगा और गोली से शूट करना होगा और जनता के बीच उन की गद्दारी को समाप्त कीजिए ताकि कोई गुंडागर्दी करने का प्रयास न कर सके और किसी को फिर ऐसा करने की हिम्मत न हो ।

इन शब्दों के साथ में गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, यह कहूंगा कि इस मन्त्रालय को अधिक से अधिक धनराशि देने की व्यवस्था की जाए क्योंकि इस देश में गद्दारों और बेकार के आदमियों पर नियंत्रण रखने के लिए साधन और सुविधाओं, दोनों की आवश्यकता है । मैं गृह मन्त्री जी और उन के दोनों साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वे कड़ी योग्यता के साथ, सूझ बूझ के साथ और शान के साथ अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं ।

धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन० ई० होरो ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आप उनके भाषण की प्रशंसा कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ऐसा अपोजीशन वालों के लिए कहते हैं। (व्यवधान)।

आचार्य भगवान देव** : आप कानून तोड़ते हैं, आप अराजकता लाते हैं और विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप काई बात उठाना चाहते हैं तो कृपया उठाएं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको नियन्त्रण अवश्य करना चाहिए। वह विपक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं ? वह क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)।

यही बात यदि मैं प्रधान मंत्री के विषय में कहूं तो आपको कैसा लगेगा ? अत्यधिक असभ्य .....।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वह बात उठा सकते हैं। मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा। यह संसदीय प्रक्रिया है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, माननीय सदस्य की गलती बताते समय उन्होंने बहुत ही अशोभनीय वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य मात्र एक उदाहरण दे रहे थे। यह ऐसी बात नहीं है जिसका वे अर्थ अन्यथा ले रहे हैं**। यह तो केवल समान्तर उदाहरण था। उसका लाभ उठाते हुए, उन्होंने कुछ अपमानजनक टिप्पणियाँ की हैं और आपसे उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकालने को अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यदि मंत्री महोदय इस प्रकार विपक्ष के विषय में कही गई बात को लिए बचाव करते हैं तो क्या मैं वही बात मंत्री उनके सत्तारूढ़ दल, प्रधान मन्त्री के विरुद्ध कहूं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय लेना मेरा काम है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आप फिर कह रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो कुछ वह कह रहे हैं उसे कहने का उन्हें पूरा-पूरा अधिकार है, उन्हें अपनी बात कहने का यह क्या असभ्य तरीका है ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जब आप असभ्य भाषा का प्रयोग करने का उन पर आरोप लगाते हैं, तो आपको भी अधिक असभ्य और अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक गलती का औचित्य दूसरी गलती करने से सिद्ध नहीं होता है। (व्यवधान)।

आचार्य भगवान देव : मैंने किसी विरोधी पार्टी का नाम नहीं लिया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, मैं आपको केवल पूरी कार्यवाही का अध्ययन करने का अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूरी कार्यवाही का अध्ययन करूंगा।

श्री होरो।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, अभी हमारे पहले जिस सदस्य ने जैसी बात कही। मुझे माफ करेंगे, अगर उनकी बात मान ली जाए और पुलिस जैसा होम मिनस्टर यह काम करें तो आज हिन्दुस्तान में बहुत जगहों पर जहां लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे है, उनको सीधे गोली से मार देना होगा। यह आज की परिस्थिति है, इसको हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक जानना चाहिए।

आज हिन्दुस्तान में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में आदिवासी बसते हैं, कई प्रकार के आन्दोलन चल रहे है। सरकार उनकी मौलिक मांग या मुद्दे को नहीं समझ पा रही है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह समझा जा रहा है कि जहां पर कोई आन्दोलन हो, कोई आवाज हो तो यह करने वाले असामाजिक तत्व हैं और उनको गोली का शिकार कर देना चाहिए।

इस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट 1981-82 की है, वह काफी बढ़ा दी गई है। उसमें नेशनल यूनिटी के बारे में कहा गया है -"राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक तथा अन्य समूहों में एकता की भावना होना व्यवस्थित प्रगति के लिए पूर्व-निश्चित आवश्यकता है, इसलिए गृह मंत्रालय उन कारकों की निरन्तर निगरानी करता है, जिनसे एकता को खतरा है।"

यह सरकार स्थिति पर बराबर वे नजर रख रहे हैं। बात ठीक है। मगर यह तो एक निगेटिव एटीच्यूड हुआ कि हमारी कन्ट्री की पुलिस हर गार्ट विधि पर नजर रख रही है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए यह काफी नहीं है। किस तरह से हट वर्ग के लोगों के नेशनल फीलिंग को स्ट्रेन्थन किया जाए इसके लिए कोई पोजिटिव काम किया जा रहा है या नहीं, इसकी कोई चर्चा इसमें नहीं है।

आज जो इण्डिया में हो रहा है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र हैं, ये चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उनको उदासीनता से नहीं लिया जाना चाहिए। यह ला एण्ड आर्डर का

मामला नहीं है। यह एक बुनियादी मामला है। ये लोग अपने राजनीतिक अधिकारों, डेमोक्रेटिक आकांक्षाओं को देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उन क्षेत्र के लोगों से जानें, पता करें। अभी तक क्या होता आया है आदिवासी-हरिजन कल्याण सम्बन्धी जितने काम किये गए, जितनी योजनाएं बनाई गईं, जितनी नीतियाँ निर्धारित की गईं, उनके बारे में इन लोगों से नहीं पूछा गया। आज तक ऐसा रूप रखा गया है कि हम शासन करने वाले हैं और तुम आदिवासी लोग कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं सोच सकते हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, विकास कैसे होगा, यह हम देखेंगे। इस विचार से काम चल रहा है। आज तक आदिवासियों से नहीं पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा विकास कैसे होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए, किस ढंग से काम किया जाए ताकि तुम आगे बढ़ सको। आज आदिवासियों को पार्टीसिपेंट बनाकर काम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग नाबालिग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, निम्न दर्जे के नागरिक हैं और यही विचार होम-मिनिस्ट्री और केन्द्र सरकार में भी दिखता है। इसलिए मेरा कहना है कि होम-मिनिस्ट्री को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर आदिवासियों का कल्याण करना है, उन्हें नागरिक के रूप में आगे बढ़ाना है तो इनके साथ बात करके, इनके विचारों को समझ कर नीति निर्धारण का काम करें, इनको पार्टिसिपेंट बनाएं।

इसी प्रकार इनकी समस्याओं के बारे में कई बार बात उठाई जाती है। जहाँ-जहां भी पिछड़े इलाके हैं, इनकी समस्याएं उठाई जाती है, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जहां-जहां ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों की समस्याओं को ठीक से देखने के लिए, उनकी जाँच करने के लिए और स्थिति का समाधान निकालने के लिए एक—"स्टेट रीआर्गनाइजेशन कमीशन" बनाया जाये। इसके माध्यम से इन सारी समस्याओं का, जो विस्फोटक ढंग से दबी पड़ी हैं, विस्फोट होने से पहले समधान हो सकता है।

आदिवासियों और हरिजनों के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई है। इसके लिए छटी पंचवर्षीय योजना में काफी प्रावधान रखा गया है, लेकिन मेरा कहना है कि काम नहीं हो रहा है। इस वक्त जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको दिया गया है, उनके अन्दर पोलिटिकल विल नहीं है। मसलन आपकी होम-मिनिस्ट्री में ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रमोशन का मामला लटका हुआ है। हमने कई बार पत्र लिखे हैं। सन् 1979 में जो सेक्शन आफिसर अंडर सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट करने थे, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया है। जिस प्रकार डिफेंस मिनिस्ट्री में क्वालिफाइंग इयर 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिए गए हैं इसी प्रकार यदि होम मिनिस्ट्री में भी इस अवधि को 5 साल कर दिया जाए तो इनको प्रमोशन मिल सकता है। सभी जगह आपकी ओर से सर्कुलर जाते हैं, राज्य सरकारों को, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ ही काम नही हो रहा है।

इसी प्रकार अभी विहार ज्युडिशियल आफिसर्स एसोसिएशन के लोगों का मामला है। हमें बताया गया कि पटना हाई कोर्ट शेड्यूल-कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जुडिशयल आफिसर्स के लिए कोई प्रमोशन का चैनल ही नहीं है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। पटना हाईकोर्ट उनकी बात का विरोध कर रहा है और 1975 से यह बात चल रही है। ला मिनिस्ट्री से हाईकोर्ट और राज्य सरकार को पत्र लिखा गया मगर हाईकोर्ट ने नहीं माना। स्टेट गवर्नमेंट पंगु बनी हुई है। आज उन लोगों को प्रमोशन न देने की वजह से उनको करीब एक अरब रुपए का फाइनेशियल लास हुआ है।

आज हालत यह है कि रिजर्वेशन के अनुसार शेड्यूल ट्राइब्ज का ज्यूडिशल सर्विसिस में जितना कोटा होना चाहिये वह भर नहीं पाया है और इस कारण से उनमें उत्तेजना बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में सरकार की नीति पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिजर्वेशन और वैनिफिट्स के सम्बन्ध में सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरह से कामों को सम्भाल सके, इस वास्ते मेरी मांग यह है कि सेंट्रल लेवल पर शैड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइबल रफेयर्ज के लिए एक अलग से मन्त्रालय बने। यह मेरी मांग हैं और मैं चाहता हूं कि इसको पूरा किया जाए।

भारत की जो प्रगति हो रही है उसमें पिछड़ी दबी जातियों और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है। हमारे क्षेत्र (बिहार) में मिनरल्ज बहुत ज्यादा है, इस मामले में वह धनी है। कोयले की खदानें भी हैं, अभ्रक की खदानें भी हैं और इन सब पर आधारित फैक्ट्रीज बनी है वहाँ बन रही है। आजादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में ओद्योगिक विकास के प्रतिष्ठान बने हैं और 34 साल तक विकास के नाम पर वहाँ के लोग अपरूट हुए हैं, विस्थापित हुए हैं और उनका रिसैटलमेंट आज तक नहीं हो पाया है। रिसैटलमेंट की रिसपांसिविलिटी स्टेट गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट उनका रिसैटलमेंट करती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कह देती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है। नतीजा यह है कि पचास हजार के करीब परिवार आज भी विस्थापित हैं, उखड़े हुए हैं। उन के पास न कोई नौकरी है और न ही बढ़िया सी रहने की वजह। उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हरिजन और आदिवासी लोग अधिक संख्या में वसते हैं और जहाँ इंडस्ट्रियल प्राजैक्ट्स निकल रहे हैं, यह पहला चार्ज होना चाहिये गवर्नमेंट का कि जो लोग अपरूट हों उनकी इकोनोमिकली रिहैबिलिटेट करने का इन्तजाम करें। स्कीम बनाकर उनकी जीविका के साधनों को सरकार को पहले ठीक करना चाहिये और उसके बाद ही उनकी जमीन को अर्जित किया जाना चाहिये। इसके बारे में कई सालों से कहा जा रहा हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए।

कम्पुनल रायट्स की आवाज बराबर उठती रहती है। कुछ पार्टियां हैं, संस्थायें हैं जिन के माध्यम से उत्तेजना फैलाई जाती है। उनके साथ जैसा जमीलुर्रहमान साहब ने कहा है कड़ाई से पेश आया जाना चाहिये। जो इस प्रकार के लोग हैं, जो अपन चैन को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट उनपर कड़ी नजर रखे सरकार का यह फर्ज है कि उनके

बारे में वह प्रिवेंटिव मैशर्ज पहले से ले। गड़बड़ी हो चुके फिर वह एक्शन ले, ऐसा इंतजार सरकार को नहीं करना चाहिए। रायट हो चुका हो और फिर एक्शन लिया जाए और कमिशन बहाल किया जाये, यह बात नहीं होनी चाहिये। पहले से ही कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि रायट होने ही न पाए। ऐसा काम करे ताकि घटना ही न घटे। सरकार का भी इस में कुछ दोष है'। अल्पसंख्यकों के बारे में कहा जाता है कि उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिये। नेशनल मैन स्ट्रीम का आम अर्थ तो है हिन्दू वे आफ लाइफ। इसी में सब को ले आया जाना चाहिये। सरकार भी इसके बारे में चुप है। वह भी इसको बढ़ावा दे रही है। इसका नतीजा यह है कि जो संस्थायें इस प्रकार के नारे देती है उनको शह मिल जाती है। सरकार की एस्टैबलिशमेंट में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो एंटीनेशनल है, जो एंटी माइनोरिटी फीलिंग्ज के हैं। ऐसी अवस्था में कैसे आप आशा कर सकते हैं कि सरकारी तन्त या व्यवस्था के माध्यम से आप कम्युनल रायट्स और एवायड कर सकते हैं इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये और गम्भीरतापूर्वक आपको इस चीज को लेना चाहिये और ला एंड आर्डर को सख्ती से आपको बनाये रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा कल 11.00 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 23 मार्च, 1982/2 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।